अध्ययन मण्डल

अध्यक्ष **संयोजक**
कुलपति **निदेशक समाज विज्ञान विद्याशाखा**
उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी
1.प्रो0 अरविंद के जोशी, बनारस हिन्दू विश्वविद्यालय, वाराणसी (उत्तर प्रदेश)
2.प्रो0 बी.मोहन कुमार, जी.बी.पंत कृषि व प्रोद्योगिकी विश्वविद्यालय, पंतनगर, उत्तराखण्ड

पाठ्यक्रम समन्वयक

डॉ0 दीपक पालीवाल, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

इकाई लेखन

1. डा0 प्रवीन कुमार, समाजशास्त्र विभाग, एस.डी .पी जी .कॉलेज ,गाज़ियाबाद (उत्तर प्रदेश)
2. डॉ0 संतोष कुमारी, जैन कन्या पाठशाला (पी.जी) कॉलेज ,मुज्जफरनगर
3. डा0 अमित अग्रवाल , मोतीराम बाबूराम राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय,हल्द्वानी
4. डॉ0 अमित मलिक, डीएवी कॉलेज , मुज्जफरनगर
5. डॉ0 घनश्याम जोशी, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय,हल्द्वानी
6. डॉ0 नीरजा सिंह, उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय,हल्द्वानी

संपादन

डॉ0 दीपक पालीवाल, सहायक प्राध्यापक समाजशास्त्र, उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी

कापीराइट @ उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय

प्रकाशन वर्ष- 2020

प्रकाशन- उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय, हल्द्वानी- 263139

सर्वाधिक सुरक्षित। इस प्रकाशन का कोई भी अंश उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय की लिखित अनुमति लिए बिना मिमियोग्राफ अथवा किसी अन्य साधन से पुनः प्रस्तुत करने की अनुमति नहीं है।

उत्तराखण्ड मुक्त विश्वविद्यालय,
हल्द्वानी

MASO-508

ग्रामीण समाजशास्त्र- II
RURAL SOCIOLOGY - II

Block 4	**Village Change & Reconstruction**	
Unit 1	Social Change in Village India भारतीय गांव में सामाजिक परिवर्तन	पृष्ठ—1—21
Unit 2	Sanskritization, Westernization and Modernization in Villages गांव मे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण	पृष्ठ—22—43
Unit 3	Rural Social Problems ग्रामीण सामाजिक समस्यांए	पृष्ठ—44—58
Block 5	**Rural Developmet and Governance**	
Unit 4	Rural Reconstruction ग्रामीण पुनर्निर्माण	पृष्ठ—59—78
Unit 5	Community Development Programme सामुदायिक विकास कार्यकम	पृष्ठ—79—97
Unit 6	Panchayati Raj and Democratic Decentralization पंचायती राज और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण	पृष्ठ—98—112
Unit 7	Green Revolution and its Impact in rural economy हरित क्रांति एवं ग्रामीण व्यवस्था पर इसका प्रभाव	पृष्ठ—113—129
Unit 8	Recent Rural Development Programmes वर्तमान ग्रामीण विकास कार्यकम	पृष्ठ—130—153

इकाई – 1 भारतीय गांव में सामाजिक परिवर्तन
Social Change in Village India

इकाई की रूपरेखा

1.1 उद्देश्य
1.2 प्रस्तावना
1.3 भारतीय गांव (अवधारणा)
1.4 भारतीय गांव का अर्थ एंव परिभाषा
1.5 भारतीय गांव के प्रकार
1.6 भारतीय ग्रामीण समुदाय की वि”ोषताए
1.7 सामाजिक परिवर्तन (अवधारणा)
1.8 सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एंव परिभाषा
1.9 सामाजिक परिवर्तन की वि”ोषता
1.10 भारतीय गांव के विभिन्न पहलुओं में परिवर्तन
- द”र्ानिक एंव धार्मिक पहलुओं में परिवर्तन
- परिवार, विवाह, एंव नातेदारी जैसी सामाजिक संस्थाओं मे परिवर्तन
- सामाजिक–आर्थिक एंव औद्योगिक संगठन में परिवर्तन
- ि”ाक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन

1.11 भारतीय गांव में परिवर्तन की प्रक्रियाएं
1.12 अभ्यास प्र”न
1.13 सांरा”ा
1.14 शब्दावली
1.15 अभ्यास प्र”नों के उत्तर
1.16 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
1.17 सहायक उपयोगी पाठ्य सामंग्री
1.18 निबन्धात्मक प्र”न

1.1 उद्देश्य–

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप

- भारतीय गांव (अवधारणा) को जान सकेंगे।
- सामाजिक परिवर्तन का अर्थ को जान सकेंगे।
- भारतीय समाज मे किस तरह के सामाजिक परिवर्तन हो रहे है को जान सकेंगे।

1.2 प्रस्तावना

भारतीय गॉव अनेक सामाजिक आर्थिक राजनीतिक और सांस्कृतिक समस्याओ से ग्रस्त है इन समस्याओं के परिणाम स्वरूप गॉव की द"ाा बडी दयनीय है। ग्रामीण जीवन स्तर अति निम्न है और ग्रामीणों को प्रर्याप्त भोजन वस्त्र और मकान सम्बन्धी सुविधाए भी उपलबध नही है। गावों मे पानी बिजली, यातायात, चिकित्सा,और अनेक आधुनिक सुविधाओ का अभाव है ि"ाक्षा कि अभाव मे गॉव के लोग अज्ञानी और अंधार्य"वासी बन गये है एक और वे राष्ट्र की अर्थव्यवस्था की घुरी है दूसरी और वे अपनी समस्याओ से ग्रसित हो गये है। अतः आव"यकता इस बात भी है कि गॉव की इन समस्याओ से मुक्ति प्रप्त की जाय और सुन्दर तथा सुखी गामो का निर्माण किया जाये। ग्रामो की अनेक समस्याओ को हल करने एवं पुनः निर्माण करने के लिए उचित योजनाए बनायी जाए।

अंग्रेजो के आगमन से पूर्व भारतीय गामो मे परिवर्तन की गति अति मन्द थी। भारतीय गांव स्वतन्त्र व आत्मनिर्भर इकाई थे। गांव छोटे–छोटे गणतन्त्र थे ग्रामवासियों को सभी आव"यकताऐं गॉव मे ही पूरी हो जाया करती थी गाम सुख सुविधाओ से सम्पन्न थे। प्रतिएक गांव समाज की सुसगाठित इकाई था 19वी सदी तक गांव की स्थिति अच्छी थी किन्तु अंग्रेजो के आगमन से ही गांव मे परिवर्तन की लहर आयी जो आजादी के बाद और तीव्र हो गयी भारत के वे ही गांव जो संगठित गणतन्त्रीय अधिकारो से परिपूर्ण एंव आत्मनिर्भर थे धीरे–धीरे विद्यटित होने लगे। अज्ञानता अि"ाक्षा रूठिवादिता, गरीबी, बेकारी एंव फूट के अडडें बन गये। प्राचीन भारतीय संस्कृति से वे दूर हटने लगे, सादा जीवन उच्च विचार का आर्द"ा समाप्त होने लगा और उनका स्थान कृत्रिमता ने ले लिया गांव पंचायत जाति संयुक्त परिवार प्रणाली जजमानी प्रथा जैसी संस्थाए कमजोर पडने लगी। गांव मे औपचारिक नियन्त्रण सिथिल हुआ बडे बुजुगों के मान सम्मान मे अन्तर आया और लोगों मे स्वच्छन्दता बढी लोग आलसी हुए एंव काम से जी चुराने लगे ग्रामीणों उघोगों का पतन हुआ। एंव गांव की बेकारी तथा गरीबी बढने लगी किसान कर्ज मे दबता गया। नगरीकरण ओद्योगीकरण यातायत एंव संचार के नवीन साधनों पि"चमी सभ्यता एंव संस्कृति तथा पि"चम के नये विचारो एंव द"ान आदि से गांव भी प्रभावित हुए और उनमें भी परिवर्तन की नयी लहर आयी। अंग्रेजो के शासनकाल मे भूस्वामित्व के नियमो मे परिवर्तन हुआ और किसानो का शोषण होने लगा तथा जनीदरी प्रथा प्रारम्भ हुई गॉव मे सामुहिकता का स्थान व्यक्तिवादिता ने आध्यिात्मिकता का स्थान संघर्ष ने ले लिया धीरे – धीरे ग्राम विद्यटन एंव बेकारी अस्वच्छता अस्वास्थ अपराध हत्या डकैती खून–खराबा मारपीठ, व्याभिचार पर्दा प्रथा, रूठिवादिता, अन्धवि"वा"ा ग्रहध ग्रस्तत, शोषण मयदान, भिक्षावृत्ति अस्वास्थय कर निवास एंव जनाधिक्स आदि की समस्याओं ने परम्परागत सुदृढ समुदायों की स्थिति विकृत कर दी तथा लोग अपने आपको ग्रामवासी कहने कि हीनता महसूस करने लगें। स्वतन्त्रता प्रप्ति के बाद भारतीय सरकार गांव के महत्व को समझा और उनकी स्थिाति में परिवर्तन व उन्नति के लिए योजनावद्व प्रयास कियें सरकार की मान्यता थी कि जब तक ग्रामवसियों की समस्याओं का समाधान नही किया जाता भारत प्रगति नही कर सकता ग्राम ही भारत की अर्थव्यवस्था की रीड है अतः सामुदायिक ग्रामीण विकास योजना पंचवर्षीय योजना पंचायती राज सहकारिता उचा, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के माध्यम से गावों के कायाकल्प करने के प्रयास किय गये ग्रामदान, भूदान, सर्वोदय, सम्पत्रिदान, अन्त्योदय पिछडे को पहले आदि कार्यकमो ने भी ग्रामीण कल्याण और पुननिर्माण के कार्य मे योगदान दिया।

आज भारतीय ग्राम प्राचीन एंव मध्ययुगीन गांव से भिन्न है और उनमें नगरीय जीवन की अनेक वि"ोषताए पायी जाती है ग्रामो मे भी नगरीय संस्कृति के तत्व उपलब्ध है गांव में भी नल व बिजली की सुविधाए उपलब्ध है। मनोरंजन के आधुनिक साधनो जैसे रेडियों टेलीविजन सिनेमा टेपरिकार्डर एल.ई.डी. टी.वी.तथा ग्रामफोन मोबाईल फोन स्मार्ट फोन का प्रयोग ग्रामवासी काफी करने लगे है। गामवासी भी आधुनिक खेल कूदो से परिचित है। ग्रामो में भी आधुनिक f"ाक्षा प्राप्त व्यक्ति है और कई अंग्रेजी शब्दो का प्रयोग ने अपने दैनिक जीवन मे करते है आधुनिक खान–पान वस्त्र के विन्यास, रूपसज्जा प्रसाधन कृत्रिम साधनो,नवीन,चिक्त्सिा प्रणाली एंव यातायात के साधनों नवीन फै"ान, आदि ग्रामीण समुदायों मे प्रयुक्त होते देखे जा सकते है। ग्रामो मे भी पf"चमी सभ्यता एंव संस्कृति के तत्वों कृषि के नये यन्त्रों खादों एंव सुधरे बीजो का प्रयोग दिनो दिन बढ रहा है गांव मे सामाजिक व राजनितिक जागृति आयी है। ग्रामवासी अपनी समस्याओं के प्रति सजग हुए है। अपने अधिकारों एंव दायित्वों को जानने लगे है तथा उनमे नवीन आक्षां"ााए पैदा हुई है। संक्षेप मे हम कह सकते है कि भारतीय ग्राम परिवर्तन के दौर मे है ग्रामीण समुदायों मे जो परिवर्तन हुए है। उन्हे हम विभिन्न शीर्षको के अन्तर्गत यहॉ बताने का प्रयास करेगें।

1.3 भारतीय गांव(अवधारणा)

भारत गावों का दे"ा कहा जाता है क्योकि आज भी हमारे दे"ा की कुल जनसंख्या का दो–तिहोई से अधिक भाग (2011 की जनगणना के अनुसार 68.847%) ग्रामीण समाज मे ही निवास करता है। अतः भारत मे ग्रामीणों जीवन का अत्यधिक महत्व है गांव कोई नवीन शब्द नही है क्योकि आदि काल से ही इसका प्रयोग सामाजिक सम्बन्धों को स्थामित्व प्रदान करने वाले संगठन के रूप मे किया जाता रहा है गांव के लिए पहले ग्रिहां अर्थात गिरोह अथवा, झुण्ड, तथा, माली, इत्यादि शब्दो का प्रयोग किया जाता था।

1.4. भारतीय गांव का अर्थ एंव परिभाषा–

समाज"ाास्त्रीय दृष्टिकोण से गांव का उदभव सामाजिक संरचना मे आये उन महत्वपूर्ण परिवर्तनों से हुआ जहॉ खानाबदो"ाी जीवन की पद्वति जो f"ाकार भोजन संकलन तथा अस्थायी कृषि पर आधिरित थी का संक्रमण स्थायी जीवन मे हुआ। गांव ने जनसंख्या का धनत्व कम होता है। तथा अधिकां"ा जनसंख्या एंव इससे सम्बन्धित व्यवसायो पर आधरित होती है।

पी के के अनुसार– "ग्रामीण समुदाय परम्पर सम्बन्धित तथा असम्बधित उन व्यक्तियों का समुह है जो अकेले परिवार से अधिक विस्तृत एक बहुत बडे घर या परस्पर निकट स्थित घरो मे कमी अनियमित रूप मे तथा एक गली मे रहता है तथा मूलतः अनेक कृषि योग्य खेतो मे सामान्य रू" से कृषि करता है मैदानी भूमी को आपस मे बॉट लेता है और आस पास की बेकार भूमी मे प"ाु चराता है जिस पर निकटवर्ती समुदायों की सीमाओ तक वह समुदाय अपने अधिकर का दावा करता है।"

1.5 भारतीय गांव के प्रकार–

प्रो0 एस.सी.दुबे ने भारतीय गांव का वर्गीकरण निम्नलिखित आधारो पर किया है।

1. आकार, जनसंख्या तथा भूमी–क्षेत्र
2. नृजातीय रचना तथा जातीय संरचना
3. भू–स्वामित्व के प्रतिमान
4. सत्ता संरचना तथा शक्ति संस्तरण
5. प्रथकता की मात्रा
6. स्थानीय परम्पराएँ

1.6 भारतीय ग्रामीण समुदाय की वि"ोषताए

भारत एक ग्राम–प्रधान दे"ा है। जिसकी अधिकां"ा जनसंख्या गांव में ही निवास करती है। हमने ग्रामीण समुदाय की जिन वि"ोषताओं का ऊपर उल्लेख किया, वे तो भारतीय ग्रामीण समाज मे पायी जाती है। किन्तु कई वि"ोषताएं ऐसी है जो भारतीय गांवों मे वि"िाष्ट और मौलिक है। इस सम्बन्ध में 1832 में चार्ल्स मैटकाफ ने भारतीय ग्रामीण समुदायों के बारे में लिखा था ग्रामीणों समुदाय छोटे गणराज्य है। प्रायः जितनी वस्तुओ की उन्हें आव"यकता होती है। वे सब उनके पास रहती है। और वे बाहा सम्बन्धों मे अधिकां"ातः स्वतन्त्र रहते है। जहां और कोई चीज स्थायी नही ऐसा प्रतीत होता है वे स्थायी रहे है। एक किन्तु ग्रामीण समुदाय अपरिवर्तित रहा। ग्रामीण समुदाय के इस संघ ने जिसमें प्रत्येक गांव स्वयं एक अलग छोटा–सा राज्य था मेरे विचार में किसी अन्य कारण की अपेक्षा भारतीय जनता की अनेक क्रान्तियों एंव परिवर्तन के बीच रक्षा की है। और उनके सुख और स्वतन्त्रता की बहुत वृद्वि है। यहां हम भारतीय ग्रामीण समुदाय की वि"ोषताओं का उल्लेख करेगें।

- **संयुक्त परिवार (Joint family)-** भारतीय गांवों की सर्वप्रमुख वि"ोषता है। संयुक्त परिवारो की प्रधानता यहां पति–पत्नी व बच्चो के परिवार की तुलना मे ऐसे परिवार अधिक पाये जाते है जिनमें तीन या अधिक पीढियों के सदस्य एक स्थान पर रहते है। इनका भोजन सम्पति और पूजा पाठ साथ–साथ होता है ऐसे परिवारों का संचालन परिवार के वयोवृद्व व्यक्ति द्वारा होता है वही परिवार के आन्तरिक और बाहा कार्यो के लिए निर्णय लेता है। परिवार के सभी सदस्य उसकी आज्ञा का पालन करते है। उसका आदर और सम्मान करते है। सयुक्त परिवार प्रणाली भारत मे अति प्राचीन है।
- कृषि **मुख्य व्यवसाय (Agriculture as the main Occupation)-** भारतीय ग्रामों में निवास करने वाले लोगों का मुख्य व्यवसाय कृषि है। 70 से 75 प्रति"ात तक लोग प्रत्यक्ष अथवा अप्रत्यक्ष रूप से कृषि द्वारा ही उतना जीवन–यापन करते है। इसका यह तात्पर्य नही है कि गांवों मे अन्य व्यवसाय नही है। चटाई, रस्सी, मिटटी के एंव धांतु के बर्तन बनाना, वस्त्र बनाना, गुड बनाना आदि व्यवसायों का प्रचलन गांवों मे है। ि"ाल्पकारी जातियां अपने–अपने व्यवसाय करती है तो सेवाकारी जातियां कृषकों एंव अन्य जातियों की सेवा करती है।
- **जाति प्रथा (Caste system)-** जाति प्रथा भारतीय संस्कृति की मुख्य वि"ोषता है। जाति के आधार पर गांवों मे सामाजिक संस्तरण पाया जाता है।जाति एक सामाजिक संस्था और समिति दोनों ही है। जाति की सदस्यता जन्म से निर्धारित होती है। प्रत्येक

जाति का एक परम्परागत व्यवसाय होता है। जाति के सदस्य अपनी ही जाति में विवाह करते है, जाति की एंक पंचायत होती है। जो अपने सदस्यों के जीवन को नियन्त्रित करती है। जाति अपने सदस्यों के लिए खान–पान एंव सामाजिक सहवास के नियम भी बनाती है। जाति के नियमो का उल्लघंन करने पर सदस्यों को जाति बहिष्कार, दण्ड अथवा जुर्माना, आदि की सजा भुगतनी होती है। जाति– व्यवस्था में सर्वोच्च स्थान ब्राहाणों का और सबसे नीचा की सजा अस्पृ"य जातियों का। इन दोनो के बीच क्षत्रिय और वै"य जातियां है। जातियों के बीच परस्पर भेदभाव और छुआछूत की भावना पायी जाती है।

- **जजमानी प्रथा (Jajmani System)-** जाति प्रथा की एक वि"ोषता यह है कि प्रत्येक जाति नि"चत परम्परागत व्यवसाय करती है। इस प्रकार जाति प्रथा ग्रामीण समाज मे श्रम–विभाजन का अच्छा उदाहरण पे"ा करती है।सभी जातियां परस्पर एक दूसरे की सेवा करती है। ब्राहाम्ण विवाह, उत्सव एंव त्यौहार के समय दूसरी जातियों के यहां अनुष्ठान करवाते हैं तो नाई बाल काटने, धोबी कपडे धोना, ढोली ढोल बजाने, चतार जूते बनाने, जुलाहा कपडे बनाने का कार्य करते है। जजमानी प्रथा के अन्तर्गत एक जाति दूसरी जाति की सेवा करती है। और उसके बदले मे सेवा प्राप्त करने वाली जाति भी उसकी सेवा सेवा करती है अथवा वस्तुओं के रूप में भुगतान प्राप्त करती है। एक किसान परिवार में विवाह होने पर नाई,धोबी, ढोली, चमार, सुनार, सभी अपनी–अपनी सेवाएं प्रदान करते है। बदले मे उन्हें कुछ नगद, कुछ भोजन, वस्त्र और फसल के समय अनाज, आदि दिया जाता है। भारतीय जजमानी प्रथा का अध्य्यन करने वालों मे ऑस्कर लेविस प्रमुख है। जजमानी प्रथा में दो प्रकार की जातियां होती है। एक का जजमान और दूसरे को कमीन कहा जाता है। सेवा प्राप्त करने वाली जातियां जजमान है तो सेवा प्रदान करने वाली कमीन। किन्तु होता यह है कि जिस परिवार के घर पर विवाह, मृत्यु, जन्म और उत्सव, आदि के अवसर पर अन्य जातियों द्वारा सेवाऐं प्रदान की जाती है। उस दौरान वह परिवार जजमान कहलायेगा, लेकिन सेवा प्रदान करने वाले परिवार के घर पर ऐसे ही अवसर पर पहले वाले परिवार से सेवा प्राप्त करने पर वह उसका जजमान होगा। उदाहरणार्थ, एक नाई परिवार के घर विवाह होने पर यदि ढोली ढोल बजाने आता है। तो नाई जजमान है, किन्तु ढोली के यहां विवाह होने पर नाई बाल काटने जाता है। तो ढोली जजमान कहलायेगा। इस प्रकार प्रत्येक परिवार जजमान भी है और सेवाकारी भी।
- **ग्राम पंचायत (Village Panchayat)-** प्रत्येक गांव मे एक गांव पंचायत होती है। इसका मुखिया गांव का मुखिया होता है। ग्राम पंचायत अति प्राचीन काल से भारत से भारत मे विद्यामन रही है। ग्राम पंचायत का मुख्य कार्य गांव की भूमि का परिवारों मे वितरण, सफाई विकास कार्य और ग्रामीण विवादों को निपटाना है। डॉ. राधाकमल मुखर्जी ने अपनी पुस्तक डेमीक्रेसीज ऑफ द ईस्ट मे पंचायत को मूलतः मुण्डा–द्रविड संस्था माना है। ब्रिटि"ा शासन से पूर्व ग्राम समुदाय राजनैतिक दृष्टि से आन्तरिक मामलों मे पूर्ण स्वतन्त्र थे। चार्ल्स मेटकाफ ने इन्हें छोटे छोटे गणराज्य कहा है। यद्यिप गांवों को केन्द्रीय शासक को कर देना होता था, किन्तु वह गांव के आन्तरिक कार्यों मे

कोई हस्तक्षेप नही करता था। आन्तरिक कार्यो को निपटाने का भार ग्राम–पंचायतों पर ही था।

- **भाग्यवाद (Fatalism)-** भारतीय गांवो के निवासियों में िशक्षा का अभाव है। अतः वे अन्धवि"वासी और भाग्यवादी है। उनका दृढ वि"वास है कि व्यक्ति चाहे कितना ही प्रयत्न करे। किन्तु उसे उतना ही प्राप्त होगा जो उसके भाग्य में लिखा है। उनके इस वि"वास को हम तुलसीदासजी की इस पक्ति द्वारा व्यक्त कर सकते है।
  होई सोई जो राम रचि राखा।को करि तर्क बढावहिं साखा।।
  अर्थात वही होगा जो ई"वर ने निर्धारित कर रखा है। हम तर्क करके विवाद को क्यों बढावा दें। भाग्यवादी होने के कारण ही ग्रामीण लोग सभी प्रकार के कष्टों, अत्याचारों एंव शोषण को अब तक बर्दा"ात करते रहे है और कभी भी परिवर्तन और क्रान्ति की ओर अग्रसर नही हुए।
- **सरल एंव सादा जीवन (Simple Living)-** भारत के ग्रामवासी सादा जीवन व्यतीत करते ह। उनक जीवन में कृत्रिमता और आडम्बर नही है। उनमें ठगी, चतुरता और धोखेबाजी के स्थान पर सच्चाई, ईमानदारी और अपनत्व की भावना विद्यामान होती है। उनके भोलेपन का सेठ–साहूकार लाभ उठाकर उनका शोषण करते रहे है।
- **जनमत का अधिक महत्व (Greater Importance of Public opinion)-** ग्रामवासी जनमत का सम्मान करते और उससे डरते है। वे जनमत की शक्ति को चुनौती नहीं देते वरन् उसके सम्मुख झुक जाते है। पंच लोग जो कुछ कह देते है। उसे वे िशरोधार्य मानते है। पंच के मुहं से निकला वाक्य ई"वर के मुहं से निकला वाक्य होता है जनमत की अवहेलना करने वाले की निन्दा की जाती है। ऐसे व्यक्ति की समाज मे प्रतिष्ठा बिर जाती है। कोई भी ग्रामीण इस प्रकार की स्थिति को पसन्द नही करता ।
- **समाजिक समरूपता (Social Homogeneity)-** भारतीय ग्रामों में सामाजिक और सांस्कृतिक समरूपता देखने को मिलती है। देखने को मिलती है। उनके जीवन स्तर में नगरों की भांति जमीन–आसमान का अन्तर नही पाया जाता। सभी लोग एक जैसे भाषा, त्यौहार–उत्सव, प्रथाओं और जीवन – विधि का प्रयोग करते है। उनमें सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक जीवन मे ज्यादा अन्तर नही पायें जाते। यहॉ अनेक प्रान्तों, वर्गो, प्रजातियों भाषओं और दे"ा के लोग निवास करते है। उनके जीवन मे समानताए और एकरूपता की धारा निरन्तर बहती है।
- **प्रथाओं और धर्म का महत्व (Importance of Customs and Religion)-** भारतीय ग्रामवासी प्रथाओं एंव रूढियों का अन्धानुकरण करते है। वे परिवर्तन और क्रान्ति मे वि"वास नही करते। इसलिए व कष्ट उठाकर भी अनके बंरी प्रथाओं का बोझा ढो रहे है। बालविवाह, छुआछुत, दहेज, विधवा–विवाह निषेध, आदि की प्रथाएं अब भी बनी हुई है। अन्तर्जातीय विवाह, विधवा पुनर्विवाह, और जाति की समाप्ति को वे लोग स्वीकार नही करतें। धर्म उनके जीवन का प्राण है। प्रत्येक नये कार्य का शुभारम्भ और समाप्ति किसी धार्मिक क्रिया से होती है। फसल बोनी या काटनी हो, नया व्यवसाय प्रारम्भ

करना हो या दुकान का मुहूर्त, बच्चे का जन्म हो, विवाह, हो अथवा का दाह संस्कार सभी तो धार्मिक क्रियाओं से बधें है।

- **स्त्रियों की निम्न स्थिति (Low Position of women)-** भारतीय ग्रामीण सुमदायों मे नारी की स्थिति अत्यन्त निम्न है। उसे दासी के रूप में समझा जाता रहा है। कन्या–वध, बाल विवाह, पर्दा–प्रथा, विधवा पुनर्विवाह का अभाव, आर्थिक दृष्टि से पुरूषों पर निर्भरता पारिवारिक सम्पति मे अधिकार न होना,विवाह विच्छेद का अभाव, आदि। ऐसे अनेक कारण है। जो भारतीय ग्रामीण नारी के सामाजिक स्थिति को नगरीय स्त्रियों की तुलना मे निम्न बनाये रखने मे योग देते है।
- **अशिक्षा (Illiteracy)-** गांवो की अधिकां"। जनसंख्या अ"िक्षित है। आजादी के 58 वर्षों बाद भी 2001 की जनगणना के अनुसार दे"। में "िक्षा का प्रति"ात 64.8 से ऊंचा नही हो पाया है। गप्रमो में तो यह प्रति"ात और भी कम है। पुरूषों की तुलना में स्त्रियों मे "िक्षा का प्रति"ात तो काफी निम्न है। पुरूषों में 75.3 तथा स्त्रियों में 53. है। उच्च और तकनीकी "िक्षा का उनमें अभाव है। अज्ञानता और अ"िक्षा के कारण उनका काफी शोषण हुआ है। वे अन्धवि"वासों और जादू टोने के चंगुल से मुक्त नही हुए है। तथा अनेक कुरीतियों से अब भी चिपके हुए है।
- **आत्मनिर्भरता (Self- Sufficiency)-** भारतीय गांवों को आत्मनिर्भर इकाई के रूप में परिभाषित किया गया है। यह आत्मनिर्भरता केवल आर्थिक क्षेत्र में ही नही वरन् सामाजिक, सांस्कृतिक और राजनैतिक क्षेत्र मे भी थी। जजमानी प्रथा द्वारा जातियां परस्पर एक–दूसरे के आर्थिक हितों की पूर्ति करती थी। राजनैतिक दृष्टि से ग्राम पंचायत और ग्राम का मुखिया सभी विवादों को निपटाता था। प्रत्येक गांव की अपनी एक संस्कृति और कुछ वि"ाष्टताएं पायी जाती थीजिन्हे स्वयं ग्रामवासी और दूसरे ग्राम के लोग जानते थे किन्तु वर्तमान मे यातायत के साधनों के विकास केन्द्रीय शासन की स्थापना औद्योगीकरण आदि के कारण गांवो की आत्मनिर्भरता समाप्त हुई। अब वे राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था कें अंग बन गये है दिनोदिन अन्यान्योश्रितता बढ रही है। उपरोक्त वि"ाषताओं के अतिरिक्त भारतीय ग्रामीण समुदाय एक सामुदयिक एकता के रूप में विद्यामान रहे है। बाढ, अकाल, महामारी और किसी भी अन्य संकट के समय सभी लोग मिलकर उसका मुकाबला करते है। गांवो में सामजिक, गति"ीलता का अभाव रहा है। वहां वि"ाषीकरण नही पाया जाता वरन् प्रत्येक व्यक्ति छोटा–मोटा सभी प्रकार का कार्य कर लेता है। यहां सीमित आय के कारण गरीबी एंव न्मिन जीवन स्तर पाया जाता है।

1.7 सामाजिक परिवर्तन (अवधारणा)

समाज एक परिवर्तन"ील व्यवस्था है। प्रतिएक समाज मे चाहे अनचाहे परिवर्तन की प्रक्रिया चलती रहती है। वि"व मे कोई ऐसा समाज नही है जिससे परिवर्तन न हुआ हो क्योकि परिवर्तन ही समाज का नियम है। ब्रिटि"ा इतिहासकार हेनरी सननर मैन ने अपनी पुस्तक Ancient law (1861) मे बताया है। कि समाज एक सरल व्यवस्था से जटिल व्यवस्था को और बढता है।

सामाजिक परिवर्तन समाज के आंतरिक तथा बाहरी दोनो पक्षो मे हो सकता है किसी युग के आद"ों एंव मूल्यों मे अगर पिछले युग के मुकाबले कुछ नयापन या परिवर्तन दिखाई पडे तो उसे आन्तरिक परिवर्तन कहेगें और अगर किसी सामाजिक अंग जैसे परिवार, वर्गख जालीय हैसियज, समुहो के स्वरूपों एंवव आधारों ने परिवर्तन हो तो उसे संरचनात्मक परिवर्तन कहेगें।

1.8 सामाजिक परिवर्तन का अर्थ एंव परिभाषा

परिवर्तन को अंग्रेजी मे Change तथा Alteration तथा Modification आदि शब्दो से सम्बोधित किया जाता है परिवर्तन किसी भी वस्तु, विषम अथवा विचार मे समय के अन्तराल से उतपन्न हुई भिन्नता को कहते। परिवर्तन तब और अब की स्थितियों के बीच पैदा हुए अन्तर को प्रकट करता है। परिवर्तन एक बहुत विस्तृत अवधारणा है और यह जैविक भौतिक एंव सामजिक तीनों जगत में पायी जाती है।

किन्तु जब परिवर्तन शब्द के पूर्व सामाजिक शब्द जोडकर उसे सामाजिक परिवर्तन बना दिया है तो नि"चत ही उसका अर्थ सीमित हो जाता है।

सामाजिक परिवर्तन का अर्थ सामाजिक संगठन, समाज की विभिन्न इकाइयों सामाजिक सम्बन्धों संस्थाओं इत्यादि मे होने वाला परिवर्तन है। संगठन का निर्माण संरचना तथा कार्य दोनो से मिलकर होता है। सामाजिक प्रकियाओ तथा सामाजिक अन्तक्रियाओं मे होने वाले परिवर्तन को भी सामाजिक परिवर्तन ही कहा जाता है।

मैकाइवर एंव पेज के अनुसार– समाज"ाास्त्री होने के नाते हमारा प्रत्यक्ष निर्णय सामाजिक सम्बन्धो का है तथा सामाजिक सम्बन्धों मे होने वाले परिवर्तन को ही सामाजिक परिवर्तन कहा जाता है।

जिटलिन के अनुसार – सामाजिक परिवर्तन के अध्ययन का सम्बन्ध उन प्रक्रिओं से है जिनके द्वारा समाज और संस्कृति मे बदलाव आता है।

गिडेन्स के अनुसार– सामाजिक परिवर्तन का अर्थ बुनियादी संरचना या बुनियादी संस्था मे परिवर्तन है।

जानसन के अनुसार– मूल अर्थो मे सामाजिक परिवर्तन का अर्थ संरचनात्मक परिवर्तन है।

अगस्त काम्टे के अनुसार– मानव के बौद्विक विकास मे होने वाला परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है।

1.9 सामाजिक परिवर्तन की वि"ोषता

- **सामाजिक परिवर्तन की प्रकृति सामाजिक होती है (The nature of social change is social)**– इसका अर्थ यह है कि सामाजिक परिवर्तन का सम्बन्ध किसी व्यक्ति वि"ोष समूह–संस्था जाति एंव प्रजाति तथा समिति मे होने वाले परिवर्तन से नही है। इस प्रकार का परिवर्तन तो व्यक्तिवादी प्रकृति का होता है जबिक सामाजिक परिवर्तन का सम्बन्ध समुदाय एंव समाज में होने वाले परिवर्तन से है इस सामजिक परिवर्तन नही कहा जा सकता।
- **सामाजिक परिवर्तन एक सार्वभौमिक घटना है। (Social change is a universal phenomenon)-** इसका तात्पर्य यह है कि सामाजिक परिवर्तन एक

सर्वव्यापी घटना है। यह सभी समाजों एंव सभी कालो मे होता रहता है। मानव समाज के उत्पत्ति काल से लेकर आज तक इसमें अनेक परिवर्तन हुए है और आगे होता रहता है। मानव इतिहास में कोई भी ऐसा समाज नही रहा जो परिवर्तन के दौरे से न गुजरा हो और पूर्णतः स्थिर व स्थायी हो। कोई भी समाज परिवर्तन का अपवाद नही है। यह हो सकता है कि विभिन्न कालो एंव समाजों मे परिवर्तन की प्रकृति गति एंव स्वरूप मे अन्तर हो।

- **सामाजिक परिवर्तन अव"यम्भावी एंव स्वाभाविक है।(Social change is inevitable and natural)-** प्रत्येक समाज में हमें अनिवार्य रूप से परिवर्तन दिखायी देता है और यह एक स्वाभाविक घटना है। परिवर्तन प्रकृति का नियम है और समाज भी प्रकृति का एक अंग होने के कारण परिवर्तन से कैसे बच सकता है। कोई बार हम परिवर्तन के प्रति अनिच्छा प्रकट करते है फिर भी परिवर्तन को रोक नही सकते।
- **सामाजिक परिवर्तन की गति असमान और तुलनात्मक होती है।(Speed of social change is unequal and comparative)-** यद्यिप सामाजिक परिवर्तन सभी समाजों मे पाया जाता है फिर भी सभी समाजों मे इसकी गति असमान होती है। आदिम एंव पूर्वी समाजों की तुलना में आधुनिक एंव प"चमी समाजों में परिवर्तन तीव्र गति से होता है। यही नही बल्कि एक ही समाज के विभिन्न अंगो मे परिवर्तन शीघ्र आते है। परिवर्तन की असमान गति होने का कारण यह है कि प्रत्येक समाज में परिवर्तन लाने वाले कारक भिन्न–भिन्न है। सभी मे समान कारणों से ही परिवर्तन नही आते।
- **सामाजिक परिवर्तन एक जटिल तथ्य है। (Social change is a complex phenomenon)-** चूंकि सामाजिक परिवर्तन का सम्बन्ध गुणात्मक परिवर्तनो से है। जिनकी कि माप–तौल सम्भव नही है। अतः यह एक जटिल तथ्य है। हम किसी भौतिक वस्तु अथवा भौतिक संस्कृति मे होने वाले परिवर्तन को माप–तौल के आधार पर प्रकट कर सकते है। किन्तु सामाजिक मूल्यों विचारों, वि"वासों, संस्थाओं एंव व्यवहारों मे होने वाले परिवर्तनों को मीटर, गज एंव किलाग्राम की भाषा मे नही मान सकते। अतः सरलता से ऐसे परिवर्तन का रूप भी समझ मे नही आता। सामाजिक परिवर्तन में वृद्वि के साथ–साथ उसकी जटिलता मे वृद्वि होती जाती है।
- **सामाजिक परिवर्तन की भाविश्यवाणी नही की जा सकती है। (Prediction of social change is not possible)-** सामाजिक परिवर्तन के बारे में नि"चत रूप से पूर्वानुमान लगाना कठिन है। अतः उसके बारे मे भविष्यवाणी नही की जा सकती। यह कहना बडा कठिन है कि औद्योगीकरण एंव नगरीकरण के कारण भारत गांव मे जाति–प्रथा, संयुक्त परिवार प्रणाली एंव विवाह में कौन–कौन से परिवर्तन आयेगें। यह बताना भी कठिन है कि आगे चलकर लोगों के विचारों, वि"वासों, मूल्यों,आद"र्ों, आदि मे किस प्रकार के परिवर्तन आयेंगें।

1.10 भारतीय गांव के विभिन्न पहलुओं मे परिवर्तन

- **द"ानिक एंव धार्मिक पहलुओं मे परिवर्तन**

➢ **सामाजिक द्वश्टिकोण मे परिवर्तन(Change in social outlook)-** भारतीय गांव मे कभी द"ानिक विचार अपनी चरमसीमा पर थे जीवन का लक्ष्य आध्यात्मिक उन्नति माना जाता था स्वर्ग – नरक के विचार कर्म के सिद्वान्त की प्रधानता, पुरूषार्थी का महत्व भारतीयों के सामाजिक जीवन को प्रभाविभत एंव संचालित करने मे मुख्य भूमिका निभाते थे धार्मिक कर्मकाण्डो का अत्यधिक महत्व था। आज इस प्रकार के द"ानिक मूल्य अपेक्षाकृत कम महत्तवपूर्ण हो गए है। भौतिकवादी संस्कृति के विकास के परिणामस्वरूप इस प्रकार के मूल्यों का हास होना स्वाभाविक माना जा सकता है।

➢ **समाजिक कुरीतियों के प्रति नवीन चेतना(New awareness about social evils)-** बौद्व धर्म जैन धर्म तथा ईसाई धर्म ने हिन्दू धर्म से सम्बन्धित अनेक सामाजिक कुरीतियों के प्रति ग्रामवासियों एक नवीन चेतना विकसित की। उन्नीसवीं शताब्दी के पूर्वाद्व मे जो कुरीतियॉ समाप्त की गई उनमे सती प्रथा (1829) बालिका हत्या मानव बलि और दास प्रथा (1833) की समाप्ति उल्लेखनीय है। बाल–विवाह की समाप्ति विधवा पुनर्विवाह को मान्यता तथा हिन्दू विवाह अधिनियम का पारित होना भी काफी सीमा तक प"चमीकरण का ही परिणाम है।

➢ **धार्मिक कर्मकाण्डों के महत्व मे कमी** (Decrease in the importance of rituals)- भारतीय द"ान एंव परम्परागत चिन्तन पर गॉधीवाद, मार्क्सवाद तथा अरविन्द के अध्यात्मवाद का गहरा प्रभाव पडा है। धार्मिक द्वष्टि से किया जाने वाला कर्मकाण्ड शनैः कम होते जा रहे है तथा इनका महत्व भी निरन्तर घट रहा है। लैकिकीरकण के परिणामस्वरूप भारत मे आज परम्परागत अभिवृत्तियों मूल्यों और कर्मकाण्डीय व्यवहार को अधिक महत्व नही दिया जाता है। उदाहरण के लिए हिन्दुओं मे अडतालीस संस्कारों का उल्लेख मिलता है। जिनका प्रारम्भ गर्भावस्था से ही शुरू हो जाता था परन्तु आज नामकरण विवाह तथा दाह संस्कार ही प्रमुख संस्कार रह गए है। जितने संस्कार बचे भी है उनका भी संक्षिप्तीकरण होता जा रहा है।

➢ **मानवतावादी एंव समानतावादी मूल्यों को प्रोत्साहन** (Encouragement tohumanistic and equalitarian values)- आधुनिककीरण प"चमीकरण एंव लौकिकीरण जैसी परिवर्तन की प्रकियाओं मे कुछ मूल्यगत अधिमान्यताऍ निहित हैं जिनमे मानवमावाद एंव समानतावाद प्रमुख है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय गांव मे जाति, वर्ग, धर्म, प्रजाति, आयु, एंव, लिंग के आधार पर भेदभाव नि"चत रूप से कम हुए है। उन्नीसवी शताब्दी मे अंग्रेजी द्वारा किए गय अनेक सुधारों की जड मानवतावाद के मूल्य ही थे। इन सुधारो मे दलिता, स्त्रियों, अनार्थो, कोढियों और जनजातियों को "ाक्षा एंव चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने मे ईसाई धर्म प्रचारको ने वि"ाष योगदान किया है।

- **धर्मनिरपेक्षीकरण** (Secularization)- भारत में धर्मनिरपेक्षीकरण की प्रक्रिया का श्रेय भी आधुनिकीकरण, पि"चमीकरण एंव लौकिकीकरण जैसी परिवर्तन की प्रक्रियाओं को ही दिया जाता है। अंग्रेजी शासनकाल में समानतावादी एंव मानवतावादी मूल्यों मे वृद्वि, ि"ाक्षा के प्रसार तथा आवागमन के साधनों मे वृद्वि से लौकिक, तार्किक एंव वैज्ञानिक विचारधाराओं मे वृद्वि हुई है।

- **परिवार, विवाह, एंव नातेदारी जैसा सामाजिक संस्थाओं मे परिवर्तन** ग्रामीण सामाजिक संस्थाओं मे परिवार, विवाह तथा नातेदारी प्रमुख है। सामाजिक परिवर्तन एंव रूपान्तरण की प्रक्रियाओं ने इन्हे काफी सीमा तक प्रभावित किया है। इनमें होने वाले प्रमुख परिवर्तन निम्नांकित है। –
  - **सम्पत्ति के अधिकारों मे परिवर्तन**(change in rules of inheritance) – परिवार मे सम्पत्ति के अधिकरों मे महत्वपूर्ण हुए है। जिनका श्रेय वर्तमान कानूनों को जाता है। पहले संयुक्त परिवार में सम्पत्ति पर सदस्यों का व्यक्तिगत अधिकार नही था परन्तु हिन्दू उत्तराधिकार अधिनियम 1956 के लागू होने के बाद उन सदस्यों को सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार दिये गए जो संयुक्त परिवार से अलग होना चाहते थे। हिन्दू स्त्रियों के सम्पत्ति पर अधिकार कानून 1937 ने संयुक्त परिवार मे स्त्रियों को भी सम्पत्ति के अधिकार दिये है। इसका प्रभाव संयुक्त परिवार के आकार तथा स्थिरता पर पडा है।
  - **पराम्परागत व्यवसाय के महत्व मे कमी** (Decrease in the importance of traditional occupation)- पहले परिवार की प्रमुख आधारि"ाला परम्परागत व्यवसाय था, परन्तु औघोगीकरण, नगरीकरण पि"चमीकरण तथा ि"ाक्षा कि समान अवसरो ने सभी लोगों को व्यवसाय चुनने के समान अवसर दिये है। जब सदस्यों ने पाया कि परम्परागत व्यवसाय की तुलना में नवीन व्यवसायों का आर्थिक लाभ व सामाजिक प्रतिष्ठा अधिक है तो वे परम्परागत पे"ाो को छोडने लगे।
  - **सम्बन्धों मे परिवर्तन**(Change in relations)- परिस्थिति व समय के साथ व्यक्ति आत्मकेन्द्रित हो गया है। पीले जिन सम्बन्धों के कारण वह कुछ करने को तैयार हो जाता था या जो एक के लिए सब, सबके लिए एक, की भावना पाई जाती थी वह अब समाप्त हो गई है। स्त्रियों को समान अधिकार मिल जाने के कारण लिंग सम्बन्धों मे भी काफी परिवर्तन आ गया है। क्योकि अब पुरूष परिवार का निरंकु"ा शासक नही रहा है।
  - **धार्मिक प्रवृत्ति का हासं** (Change in religious tendency) – पहले परिवार धार्मिक कार्यो को पूरा करना अपना दायित्व व सम्मान समझते थे पर विज्ञान के विकास के साथ व तर्क को प्रधानता मिलने के कारण धर्म के प्रति उदासीनता बढ गई है। पहले धर्म एक महत्वपूर्ण बन्धन था जो एक सदस्य को दूसरे के साथ बॉधे रखता था परन्तु आज यह भी मृतप्राय होने लगा है। साथ ही परिवार के सदस्यों मे धार्मिक, विजातीयता बढती जा रही है। जिस कारण परिवार के सदस्यों मे आज इतना मतैक्य नही है।

- **परिवार के कर्ता की स्वेच्छाचारिता पर अंकुश** (Check on autocracy of head of the family) – पहले परिवार मे कर्ता के पास आर्थिक सामाजिक व धार्मिक अधिकार थे जिनके माध्यम से वह अपने सदस्यों को नियन्त्रित करता था। परन्तु नई िंक्षा विज्ञान के महत्व तथा कानून के सहयोग के कारण कर्ता का आज वह पद नही रहा जो पहले था प्रजातान्त्रिक विचारों के कारण आज कर्ता अपने निर्णय को दूसरे सदस्यों पर नही थोप सकता है।
- **युवा सदस्यों की भाक्ति मे वृद्वि** (Increase in the power youth members)- िंक्षा एंव प्रजातान्त्रिक विचारों ने नयी पीढी को शक्ति दी है इस कारण आज वे परम्परागत तथा रूढिवादी विचारो को मानने के लिए तैयार नही है। समय के साथ मूल्यों मे परिवर्तन हो चुके है और युवा सदस्य इन नये मूल्यों को अपने परिवार में प्रवे"ा कराने की चेष्टा करते है अगर कर्त्ता युवा सदस्य पर परम्परागत विचारों को लादना चाहता है। तो वे तैयार नही होते है जिस कारण नई तथा पुरानी पीढियों मे संधर्ष होता है।
- **परिवार के आकार का हांस** (Decline in the size of family)- आज परिवार का आकार भी छोटा हो गया है। इसका कारण यह है कि वर्तमान परिस्थितियों में अधिक सदस्य इच्छा रहने पर भी एक साथ नही रह सकते है। प्रत्येक व्यक्ति जितना श्रम कर रह है उसका वह पूर्ण उपभोग करना चाहता है जो अधिक सदस्यों के साथ रहकर नही हो सकता है। इस कारण, संयुक्त परिवार का आकार छोटा हो गया है।
- **परिवार के महत्व में कमी** (Decline in the importance of family)- परिवार के परम्पगत व आर्थिक कार्य दूसरी संस्थाओं ने ले लिए है उदाहरण के लिए पहले उत्पादन का कार्य संयुक्त परिवार करता था परन्तु अब उन कार्यो को औद्योगिक संस्थानों ने ले लिया है। िंक्षा का कार्य विद्यालयों ने ले लिया है। सामाजिक गति"ीलता मे वृद्वि तथा परम्पगत गति"ील मे वृद्वि तथा परम्पगम कार्यो मे कमी के कारण इसका महत्व कम होता जा रहा है।
- **स्त्रियों की प्रस्थिति मे परिवर्तन**(Change in the status of women)- पहले स्त्रियों तथा बच्चों की प्रस्थिति संयुक्त परिवार में इतनी अच्छी नही थी परन्तु िंक्षा तथा अन्य कारणों से स्त्रियों को समानता तथा अधिक स्वतन्त्रता मिल गई है। वे परिवार से बाहर नौकरी करने लगी है तथा आज निि"चत रूप से स्त्रियों की प्रस्थिति मे सुधार हुआ है।
- **विवाह धार्मिक कर्त्तव्य नही माना जाता** (Marriage is no more a religious duty)- वर्तमान युग मे विवाह का धार्मिक पक्ष कमजोर होता जा रहा है। प्राचीन काल मे विवाह का प्रमुख कर्त्तव्य धार्मिक लक्ष्यों को पूरा करना था। समय के साथ यज्ञ मोक्ष आदि की धारणा कमजोर हो गई है तथा अब पुत्र जन्म ही विवाह का अन्तिम लक्ष्य नही रह गया है। उसके स्थान पर विवाह एक समझौता तथा यौन तृप्ति का माध्यम माना जाने लगा है पहले विवाह दो आत्माओं का मिलन

समझा जाता था जिस कारण पति–पत्नी के सम्बन्ध हमे"ाा बने रहते थे आज कल से सम्बन्ध तब तक ही रहते है जग तक पति–पत्नी एक दूसरे से सन्तुष्ट है। आज व्यक्ति मे व्यक्तिवादी दृष्टिकोण का अत्याधिक प्रभाव है। पहले व्यक्ति धार्मिक कर्त्तव्यों को पूरा करने के लिए विवाह करता था परन्तु आज वह व्यक्ति विवाह करता था परन्तु आज वह व्यक्ति विवाह को एक व्यर्थ जिम्मेदारी मानता है। आज आर्थिक रू‍ से निर्भर अनेक तक हिप्पी संस्कृति का काफी प्रभाव रहा है इस कारण आज लोग प्रेम अथवा यौन स्वच्छन्दता की ओर आकर्षित हो रहे है।

- **बहुविवाहों पर निशेध** (Restriction on polygamy)**-** हिन्दुओं मे आज कानूनी दृष्टिकोण से अधिक विवाह करना अपराध है। सभ्य समाजो मे बहुपति तथा बहुपत्नी विवाह का प्रचलन प्राय समाप्त हो गया है। प्राचीन काल में बहुपत्नी विवाह समृद्वता का घोतक था परन्तु आजकल यह अपराध है।
- **सगोत्र, सप्रवर तथा सपिण्ड विवाह को मान्यता** (Recognition to the sagotra spravar and sapinda marriage)**-** वर्तमान काल मे अनेक लोग ऐसे भी है जो सगोत्र सप्रवर तथा सपिण्ड को निषेध नही मानने पर बल देते है तथा इसे आधुनिक युग की मान्यताओं एंव प्रगति मे अवरोधक मानते है वैसे रूढिवादी परिवारों मे अभी भी यह मान्यता काफी सुदृढ है तथा सगोत्र विवाहों को लेकर पिछले दो द"ाकों मे ऑनर किलिंग के अनेक केस सामने आए है। आजकल अधिकां"ा लोग अन्तर्जातीय विवाह के पक्ष मे है। विवाह से जुडी हुई इन मान्यताओं में हो रहे परिवर्तन विवाह कि संस्थात्मक पक्ष मे परिवर्तन के द्योतक है।
- **अन्तर्जातीय विवाह को मान्यता** (Recognition to the inter- caste marriage)**-** हिन्दुओं मे पहले अपनी जाति के अन्दर विवाह (अन्तर्विवाह) की मान्यता थी परन्तु आज इससे सम्बन्धित मूल्य काफी सीमा तक बदल गए है। आधुनिक भारत मे अन्तर्जातीय विवाहों का काफी प्रचलन हो गया है। तथा माता–पिता भी अपने बच्चों के इस प्रकार के विवाहों को अनुमति प्रदान करने लगे है। आज लोग दूसरी जाति मे विवाह करना बुरा नही मानते है। इस कारण परम्परागत रूप से चली आ रही जाति की सबसे प्रमुख वि"ोषता–अन्तर्विवाह अर्थात अपनी ही जाति मे विवाह करना– महत्वहीन होती जा रही है।
- **विधवा पुनर्विवाह को मान्यता** (Recognition to the widow re-merriage)**-** हिन्दु विवाह की यह मान्यता रही हैं कि विधवाओं का पुनर्विवाह नही हो सकता। इसका कारण यह है कि जो वस्तु एक बार दान कर दी जाती है उसका फिर दान नही हो सकता। परनतु कानून तथा समाज से विधवाओं को यह अधिकार मिला है तथा वे फिर से विवाह कर सकती है। हिन्दु विवाह अधिनियम, 1995 के अनुसार विधवा विवाह मान्य है।
- **बाल विवाहों मे कमी** (Decrease in the child marriages)**-** f"ाक्षा के प्रसार व कानूनी प्रयास के कारण बाल विवाह की दर मे बहुत कमी आ गई है कानूनी की निगाहों मे बाल विवाह आज एक अपराध है जिसके कारण दोनों पक्षों के अभिभावकों को जुर्माना व सजा हो सकती है।

- **विवाह–विच्छेद का प्रावधान एंव प्रचलन** (Provision and prevalence of divorce)**-** पहले हिन्दू विवाह मे पति–पत्नी का सम्बन्ध जन्म–जन्मान्तर का माना जाता था, परन्तु विवाह–विच्छेद को मान्यता मिलने से यह धार्मिक भावना समाप्त हो गई है। शायद यही कारण हैं कि आज हिन्दू समाज में विवाह–विच्छेद ही दर में वृद्धि हो गई हैं।
- **नातेदारी व्यवस्था में परिवर्तन**(Change in kinship system)**-** आधुनिक भारत में नातेदारी व्यवस्था भी परिवर्तन हो रही है। सामाजिक गति"ाीलता के परिणामस्वरूप नातेदारी का क्षेत्र काफी विस्तृत हो गया है इसलिए सुख–दुख के समय सम्बन्धित परिवार को जो नातेदारों से सहयोग प्राप्त होता था, वह काफी कम हो गया है। परिवार नियोजन ने भी नातेदारी के महत्व को काफी कम कर दिया है। बहुत से परिवार एक या दो ही बच्चों तक सीमिति होने लगे है। परिवार मे एक ही लडका या लडकी होने के परिणामस्वरूप भावी नातेदारों (जैसे–मामा, मामी, मौसा, मौसी, चाचा, चाची, ताऊ, ताई, फुफा,फुफी आदि) के बारे मे होने वाली अनभिज्ञता नातेदारी के महत्व को कम करती जा रही है।

- **सामाजिक–आर्थिक एंव औघोगिक संगठन में परिवर्तन**(Change in socio-Economicand industrial Organization)-

- पि"चमी संस्कृति के प्रभाव से गांव में अंग्रेजी ि"ाक्षा का प्रचलन हुआ। अंग्रेजी ि"ाक्षा पद्वति पर आधारित विद्यालयों में सभी जातियों के छात्र एक साथ बैठकर पढने लगे, जिससे छुआछूत का भाव समाप्त हो गया है। विभिन्न जातियों मे दूरी कम हुई है। सरकार द्वारा दी जाने वाली सुविधाऐं के परिणामस्वरूप अनुसूचित जातियों की सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार है। तथा उन पर लगाई गई सभी प्रकार की सामाजिक– आर्थिक एंव राजनीतिक निर्योग्यताएॅ समाप्त हो रही है। सामाजिक प्रतिबन्ध समाप्तप्राय हो गए है। तथा आज वैवाहिक, सामाजिक सहवास तथा व्यवसाय सम्बन्धी प्रतिबन्धों में ि"ाथिलता आई है। सरकार ने सभी को एक समान मौलिक अधिकार प्रदान करके अस्पृ"यता को समाप्त कर दिया है।
- उद्योग– धन्धों के विकास के कारण आर्थिक आधार पर सगंठन बने और इससे जातीय भेदभाव समाप्त होने लगा है। कुछ विद्वानों का तो यह कहना है कि भारत में जाति व्यवस्था वर्ग व्यवस्था मे परिवर्तित होने लगी है। व्यवसायों के आधार पर वर्ग–सगंठन विकसित हो रहे है। श्रमिक संघ आन्दोलनों ने श्रमिकों और कर्मचारियों के हितो की रक्षा करने मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
- म"ाीनों पर कार्य करने के कारण छुआछुत, खान–पान आदि के प्रतिबन्ध ि"ाथिल पड गए है तथा जातीय दूरी कम हो गई है। यातायात के साधनों के विकास से जनसम्पर्क मे वृद्वि हुई है और संस्कृतियों का आदान–प्रदान हुआ। इससे जाति प्रथा के बन्धन ढीले पड गए है। भारतीय सरकार ने बाल विवाह, विवाह एंव विवाह–विच्छेद सम्बन्धी अधिनियमों को परित करके जाति प्रथा मे घोर परिवर्तन किए है।

- उद्योग–धन्धो का विकास हो जाने से विभिन्न जातियों मे सेवाओं के विनिमय पर आधारित जजमानी प्रथा का महत्व कम हो गया है। शहरों में तो यह समाप्त हो गई है तथा गांव मे भी इसका महत्व न के बराबर होता जा रहा है।
- जातीय पंचायतों का महत्व कम हो रहा है। इनका स्थान वैधानिक पंचायतों द्वारा ले लिया गया है। इन पंचायतों ने ग्रामीण ने ग्रामीण जनता के स"ाक्तिकरण मे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। महिलाओं अनुसूचित जातियों एंव जनजातियों के सदस्यों हेतू आरक्षण से कमजोर वर्गो की स्थिति पहले से कही अच्छी हुई है। कुछ विद्वानों का मत है। कि भारत में लौकिकीकरण प"िचमीकरण औद्योगीकरण के कारण जातिवाद का महत्व भी कम हो रहा है परन्तु दूसरी ओर ऐसे विद्वान् भी है जिनका कहना है कि जातिवाद का महत्व भी कम हो रहा है परन्तु दूसरी ओर ऐसे विद्वान भी है जिनका कहना है कि जातिवाद पुनः एक नए सिरे से उभरकर भारतीय समाज मे काफी मजबूत होता जा रहा है। वे नौकरियों मे भाई–भतीजावाद, राजनीतिक दलों द्वारा टिकट देते समय जातीय समीकरणों को सामने रखा जाना, मन्त्रिमण्डलों के निर्माण के समय मन्त्री की जाति को महत्व देना इत्यादि तथ्यों का प्रस्तुतीकरण अपने तर्क की पुष्टि मे करते है।
- भारत औद्योगीकरण के तीव्र गति से विकास के परिणामस्वरूप औद्योगिक क्षेत्र मे भारी परिवर्तन हुए है। प्राचीन उद्योग–धन्धो गुड बनाना, चरखी चलाना,कपडा बुनना आदि मे परिवर्तन हो गया है अभी तक गांव मे केवल कृषि ही मुख्य उद्यम था किन्तु आज भारत मे उद्योग–धन्धो का विकास हो जाने से आजीविका के अनेक साधन हो गए है। दूसरी ओर ग्रामीण म"ाीनों का प्रयोग हो जाने से बेकारी शुरू हो गई है। औद्योगिक क्षेत्र मे परिवर्तन के परिणामस्वरूप ग्रामीण सामाजिक संगठन मे भी अनेक महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है। इससे ग्रामीण समाज मे तीनों प्रमुख स्तम्भों–ग्रामीण समाज जाति व्यवस्था तथा संयुक्त परिवार प्रणाली में महत्वपूर्ण परिवर्तन हुए है।
- आज गांव मे आर्थिक विकास के परिणामस्वरूप आर्थिक आधार पर सामाजिक वर्गो का निर्माण हो रहा है। पूॅजीपति वर्ग श्रमिक वर्ग बुद्विजीवी वर्ग मध्यम वर्ग आदि ऐसे वर्गो के कुछ उदाहरण है

- **शिक्षा के क्षेत्र में परिवर्तन**(Change in the Field Education)

- गांव मे ि"ाक्षा के क्षेत्र मे भी क्रान्तिकारी परिवर्तन हुए है। ि"ाक्षा सुविधाओं का काफी प्रचार–प्रसार हुआ है तथा सरकार की नीति के परिणामस्वरूप निम्न जातियों मे भी ि"ाक्षा का काफी प्रचलन हो गया है। इससे निम्न जातियों को नौकरी की सुविधाएं सरलता से प्राप्त हो जाती है और उनकी सामाजिक–आर्थिक स्थिति में सुधार होने लगा है।व्यावसायिक ि"ाक्षा का प्रचलन दिन–प्रतिदिन बढता जा रहा है। तथा सरकार ि"ाक्षा के निजीकरण की वकालत करने लगी है। ि"ाक्षा सुविधाओं में वृद्वि के परिणामस्वरूप रोजगार के अवसरो मे भी वृद्वि हुई है तथा लोगों का रहन– सहन ऊॅचा हुआ है।
    - ि"ाक्षा सुविधाओं के प्रचार–प्रसार के परिणामस्वरूप गांव मे साक्षरता की दर मे वृद्वि हुई है।

- निम्न जातियों पर f"k्षा संस्थाओं मे प्रवे"ा पर जो प्रतिबन्ध लगे हुए थे वे समाप्त हो गए है तथा सरकार f"k्षा संस्थाओं मे अनुसूचित जातियों तथा पिछडें वर्गो को आरक्षण की सुविधा उपलब्ध करा रही है। ताकि इन कमजोर वर्गो का शैक्षिक स्तर ऊँचा हो सके।
    1. व्यावसयिक f"k्षा की ओर रूचि मे वृद्वि होने लगी है तथा अधिक से अधिक लोग इसे रोजगार की दृष्टि से अधिक उपयोगी मानने लगे है।
    2. f"k्षा में विकास के परिणामस्वरूप भारत की व्यावसायिक संरचना मे परिवर्तन हुआ है तथा लोगों का रहन सहन पहले से ऊँचा हुआ है। उपर्युक्त विवेचन से स्पष्ट हो जाता है कि भारत मे परिवर्तन एंव रूपान्तरण के परिणामस्वरूप कोई भी पहलू ऐसा नही है जो अपनी स्थिति को यथावत् बनाए हुए है सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी प्रकार के पहलुओं मे आज परिवर्तन स्पष्ट रूप देखा जा सकता है।

1.11 भारतीय समाज में परिवर्तन एंव रूपान्तरण की प्रकियाएँ

आधुनिक भारत मे सामाजिक परिवर्तन का प्रमुख स्त्रोत नियोजन है क्योकि नियोजित सामाजिक परिवर्तन द्वारा ही भारतीय समाज अपने लक्ष्यों की ओर अग्रसर है। नियोजन के अतिरिक्त कुछ ऐसी बृहत प्रक्रियाएँ भी है जो दे"ा मे घटित हो रही है और जिनका प्रभाव सम्पूर्ण भारत पर पड रहा है। उनमे से प्रमुख प्रक्रियाएँ निम्न प्रकार है।

1. **जनतन्त्रीकरण** (Democratization)- सार्वभौमिक व्यस्क मताधिकार पर आधारित चुनाव के द्वारा प्रतिनिधित्व के सिद्वान्त, समानता, स्वतन्त्रता व भाईचारे के आद"र्ाे मे निहित और एक जवाबदेह व उत्तरदायी सरकार वाली व्यवस्था आज परम्परागत भारतीय समाज एंव सत्तात्मक ढॉचे को सर्वाधिक प्रभावित कर रही है।
2. **आधुनिकीकरण** (Modernization)- आधुनिकीकरण आधुनिकता के उन क्षेत्रों मे प्रसार की प्रक्रिया है जो अभी तक उसके प्रभाव क्षेत्र से बाहर हैं। इस भॉति, आधुनिकीकरण मूल्यों और दृष्टिकोणों के नि"चत दि"ाा मे रूपान्तरण की एक मासिक प्रक्रिया भी है। यह इसका सार–तत्व है इसके द्वारा पूर्व–आधुनिक समाज समूहवाद, नियतिवाद, रूढिवाद व धर्मान्धता से मुक्ति प्राप्त करता है। यह की दृष्टि से एक सापेक्षिक अवधारणा है क्योकि जिसे हम आज आधुनिक मानते है।वह कुछ देर बाद प्राचीन हो जाता है। भारतीय समाज में इस प्रक्रिया का प्रारम्भ अंग्रेजी शासनकाल में हुआ तथा इसने भारतीय समाज के सभी पक्षों को अत्यधिक प्रभावित किया है।
3. **पश्चिमीकरण** (Westernization)- प"चमीकरण की प्रक्रिया ने भी ग्रामीण समाज एंव संस्कृति को काफी प्रभावित किया है तथा यह कहा जाता है कि शायद ही ऐसा कोई क्षेत्र हो जिस पर इस प्रक्रिया का प्रभाव

न पडा हो। आजादी के बाद यह प्रभाव और भी अधिक बढा है। यह सच है कि पहले उच्च जातियों मे प"चमीकरण हुआ लेकिन धीरे–धीरे व कभी सीधे ही, निम्न जातियॉ संस्कृतिकरण की असारता को समझकर प"चमीकरण को अंगीकृत कर लेती है। आज सम्पूर्ण ग्रामीण समाज पर प"चमीकरण का प्रभाव स्पष्टतः देखा जा सकता है।

4. **नगरीकरण (Urbanization)-** नगरीकरण नगरीय बनने की प्रक्रिया है। भारत मे पिछले अनेक द"ाकों मे नगरीय जनसंख्या मे निरन्तर वृद्वि होती जा रही हैं। बढती हुई नगरीकरण की प्रक्रिया ग्रामवासियों की नगर की ओर बढती हुई दर और नगरीय तौर–तरको के ग्रामीणों क्षेत्रों मे विस्तार की व्यापकता मे प्रकट हो रही है।
5. **औद्योगीकरण (Industrialization)-** औद्योगीकरण केवल उत्पादन की तकनीक और ढंग के बदलने का नाम ही नही है अपितु यह आद"ों और मूल्यों के बदलने की प्रकिया भी है जिसे उद्योगवाद कहते है। दस्तकारी और परिवार के आधार पर स्थापित परम्परागत उत्पादन व्यवस्था के लोप होने पर उद्योगवाद के मूल्यों का भारतवासियों के जीवन मे समावे"ा स्वाभाविक ही है। आज भारत में काफी तीव्रता से औद्योगीकरण हो रहा है तथा इसके ग्रामीण सामाजिक संरचना एंव आर्थिक ढॉचे पर काफी गहरे प्रभाव पड रहे है ग्रामीण समाज के तीनों स्तम्भ–गांव जाति व्यवस्था तथा संयुक्त परिवार प्रणाली–इसके प्रभाव से काफी परिवर्तित हो गए है।
6. **लौकिकीकण(Secularization)-** लौकिकीरण की प्रक्रिया धीरे–धीरे धर्म को केवल धर्म के क्षेत्र तक ही सीमित करती जा रही है खान–पान वे"ा–भूषा व्यवसाय राजनितिक आदि उसके प्रभाव क्षेत्र से अलग हो रहे है ये सांसारिक बाते है भगवान से इनका क्या लेना देना, यह विचारधारा आज भारतीय समाज मे प्रचलित अन्धवि"वास को तोड रही है।
7. **संस्कृतिकरण(Sanskritization)-** संस्कृतिकरण भारतीय समाज में परिवर्तन की एक आन्तारिक प्रक्रिया है। इसके माध्यम से निम्न जातियॉ उच्च जातियों के शास्त्रीय संस्कार व कर्मकाण्ड अपनाकर सामाजिक संस्तरण मे उच्च स्थान का दावा करती है।
8. **राजनीतिकरण (Politicization)-** राजनीतिकरण के माध्यम से ग्रामीण जनता मे राजनीतिक घटनाओं और शक्तियों के प्रति जागरूकता बढी है चुनाव मे उनकी अपनी प्रभाविता का भी अहसास हुआ है। उनकी राजनीतिक सहभागिता बढी है।

1.12 अभ्यास प्रश्न

1. निम्नलिखित मे कोन सा भारतीय ग्रामीण समाज का परिवर्तन बोधक वक्तव्य है।

(क) आजकल संयुक्तपरिवार का विकास हो रहा है।

(ख) भारतीय समाज मे विवाह सम्बन्ध अधिक स्थिर हो रहे है।

(ग) वृद्व व्याक्तियों के प्रति आदर का भाव कम हो रहा है।
(घ) आजकल व्यक्ति वाद घर रहा है।

2. निम्नलिखित मे सं कौन सी प्रक्रिया भारतीय समाज मे हो रहें रूपान्तरण के लिए उत्तरदायी है।
(क) औद्योगीकरण (ख) नगरीकरण
(ग) पश्चिमीकरण (घ) उपर्युक्त सभी

3. निम्नलिखित मे सें कौन सा संयुक्त परिवार में होने वाले परिवर्तन का द्योतक है।
(क) कर्ता की निरंकुशता मे कमी (ख) स्त्रियों की प्रस्थिति में सुधार
(ग) बाल विवाहो की समाप्ति (घ) उपर्युक्त सभी

4. निम्नलिखित मे सें कौन सा भारतीय समाज का परिवर्तन बोधक वक्तव्य हैं
(क) विवाह का संक्षिप्तीकरण (ख) जजमानी प्रथा की समाप्ति
(ग) व्यक्तिवाद मे वृद्वि (घ) उपर्युक्त सभी

5. स्ट्रक्चर ऑफ हिन्दु सोसाईटी नामक पुस्तक के लेखक कौन है।
(क) एम.एन. श्रीनिवास (ख) एन.के. बोस
(ग) एम. एस. गोरे (घ) आई0 पी0 देसाई

6. सोसाईटी इन इण्डिया नामक पुस्तक के लेखक कौन है।
(क) एम0 एन0 श्रीनिवास (ख) एस.सी.दुबे
(ग) एम0एस0 गोरे (घ) आई0 पी0 देसाई

7. इण्डियाज चेंजिग विलेजज नामक पुस्तक के लेखक कौन है।
(क) एम0 एन0 श्रीनिवास (ख) एस.सी.दुबे
(ग) एम0एस0 गोरे (घ) आई0 पी0 देसाई

8. इण्डिया सोशल स्ट्रक्चर नामक पुस्तके लेखक कौन है।
(क) एम0 एन0 श्रीनिवास (ख) एस.सी.दुबे
(ग) एम0एस0 गोरे (घ) आई0 पी0 देसाई

9. सामाजिक सम्बन्धों मे होने वाले परिवर्तन ही सामाजिक परिवर्तन है यह परिभाषा किसकी है।
(क) आगवर्न एंव निगकॉक (ख) मैकाइवर एंव पेज
(ग) एडवर्ड टायलर (घ) सोरोकिन

10. सोसल एण्ड कल्चरल डायनामिक्स पुस्तक के लेखक कौन है।
(क) अगस्त काम्टे (ख) सोरोकिन
(ग) सेण्डरसन (घ) स्मिथ

1.13 सारांश

इकाई के अध्यन के बाद आप यह जान चुके है कि भारत मे अनेक सामाजिक परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाए क्रियाशील है इनसे होने वाले परिवर्तनों ने भारतीय संरचना को एक नवीन स्वस्थ प्रदान किया है इसलिए यह कहा जाता है कि भारतीय ग्रामीण संरचना विभिन्न प्रजातीय, धार्मिक भाषायी, जातीय, एंव क्षेत्रीय समूहो मे सामजिक सांस्कृतिक विशिष्टताओ की दृष्टि से एक जटिल

संरचना है। एम.एन. श्रीनिवास का कहना है कि भारतीय ग्रामीण समाज को एक लौकिक राज्य घोषित किया जाता है इसमें पापी जाने वाली विविधता को स्वीकार व सहन करना है। जो भारतीय ग्रामीण समाज मे भारतीय इतिहास के प्रारम्भ से ही रही है। पंचवर्षीय विकास योजनाओं तथा समानतावादी आद"ों के विकास द्वारा भारतीय सामाजिक जीवन के प्रतिमानो मे परिवर्तन आये है।

1.14 शब्दावली

संस्कृति में धर्म– धर्म, कला, विज्ञान, वि"वास, रीतिरिवाज,रहन–सहन,तथा मानव द्वारा निर्मित सभी वसतुए सम्मिलित की जाती है संस्कृति वह जटिल समग्रता है। जिसमें ज्ञान कला वि"वास आचार, कानून, प्रथा, और ऐसी ही दुसरी क्षमताओं और आद"ों का समावे"ा रहता है जिसे मानव समाज के सदस्य होने के रूप मे प्राप्त करता है

मानदण्डो के आधार पर हम किसी मानवीय व्यवहार को उचित या अनुचित ठहरा सकते है। मानव अपनी आव"यकताओं की पूर्ति के लिए समाज द्वारा स्वीकृत तरीको को अपनाता है, इन्हे ही मानदण्ड या प्रतिमान कहते है।

1.15 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. (ग) 2. (घ) 3. (घ) 4. (घ) 5. (ख) 6. (ख) 7. (ख) 8. (क) 9. (ख) 10. (ख)

1.15 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

गुप्ता एंव शर्मा भारतीय ग्रामीण समाज"ाास्त्र, साहित्य भवन पब्लिके"ान आगरा पी 155.164

जे.पी. सिंह समाज"ाास्त्र, अवधारणाएॅ एंव सिद्वान्त, तृतीय संस्करण पाइवेट लिमिटिड दिल्ली पी 345.

1.16 सहायक उपयोगी पाठ्य सामंग्री

एम. एन. श्रीनिवास (1966) आधुनिक भारत मे सामाजिक परिवर्तन, बकेले युनिवर्सटी कैलिर्फोनिया

विल्बर्ट ई0 मूर (1981) सामाजिक परिवर्तन, नई दिल्ली,

1.17 निवन्धात्मक प्रश्न

1. भारतीय गांव मे हो रहे परिवर्तन को स्पष्ट कीजिए।
2. भारतीय गांव मे किन–किन पहलुओं मे परिवर्तन हो रहा है स्पष्ट कीजिए।
3. भारतीय गांव मे हो रहे परिवर्तन तथा इसके लिए उत्तरदायी प्रक्रियाओं की विवेचना कीजिए।
4. सामाजिक परिवर्तन से आप क्या समझते हो। सामाजिक परिवर्तन की वि"ोषताए बताइयें।

इकाई – 2 : गांव मे संस्कृतिकरण, पश्चिमीकरण, आधुनिकीकरण
Sanskritization,Westernization & Modernization in Village

इकाई की रूपरेखा

2.0 उद्देश्य

2.1 प्रस्तावना

2.2 संस्कृतिकरण (अवधारणा)

- संस्कृतिकरण का अर्थ एंव परिभाषा
- संस्कृतिकरण की वि"ाषताएं
- संस्कृतिकरण की सहायक द"ााएं
- संस्कृतिकरण की अवधारणः एक आलोचनात्मक दृष्टिकोण

2.4 प"िचमीकरण (अवधारणा)

2.5 प"िचमीकरण का अर्थ एंव परिभाषा

2.6 प"िचमीकरण की वि"ाषताए

2.7 प"िचमीकरण के भारतीय ग्रामीण जीवन पर प्रभाव

2.8 आधुनिकीकरण (अवधारणा)

2.9 आधुनिकीकरण का अर्थ एंव परिभाषा

2.10 आधुनिकीकरण की वि"ाषताए

2.11 आधुनिकीकरण के परिणाम

2.12 आधुनिकीकरण पर समाज"ाास्त्रिों के विचार

2.13 सारां"ा

2.14 शब्दावली

2.15 अभ्यास प्र"नों के उत्तर

2.16 सन्दर्भ ग्रन्थसूची

2.17 सहायक उपयोगी पाठ्य सामंग्री

2.18 निबन्धात्मक प्र"न

2.1 उद्दे"य

इस अवधारणा के अध्ययन के उपरान्त आप –

- समझ पाएंगे कि संस्कृतिकरण, पर्ि"चमीकरण और आधुनिकीकरण क्या है।
- संस्कृतिकरण, पर्ि"चमीकरण और आधुनिकीकरण की प्रकियाओं द्वारा भारतीय गॉव में क्या परिवर्तन हुए है।
- गॉव के लोग संस्कृतिकरण, पर्ि"चमीकरण, आधुनिकीकरण द्वारा कितने प्रभावित हुए है।

2.2 प्रस्तावना

डॉ0 एम.एन. श्रीनिवास ने **संस्कृतीकरण (Sanskritization)-** नामक अवधारणा को प्रस्तावित किया संस्कृतीकरण की प्रक्रिया का प्रभाव दे"ा के विभिन्न भागों में देखा जा सकता हैं इस प्रक्रिया ने विभिन्न समूहों को भिन्न–भिन्न रूपों मे प्रभावित किया है। दक्षिणी भारत के कुर्ग लोगों के सामाजिक व धार्मिक जीवन के वि"लेषण में डा0 श्रीनिवास ने संस्कृतीकरण शब्द को सर्वप्रथम काम मे लिया। एक अवधारणा के रूप मे इसका प्रयोग परम्परागत भारतीय समाजिक संरचना व सांस्कृतिक गति"ीलता की प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए किया गया। मैसूर के कुर्ग लोगों का अध्ययन करते समय डॉ0 श्रीनिवास ने पाया कि निम्न जातियों के लोग ब्राहम्णों की कुछ प्रथाओं को अपनाने तथा स्वयं की कुछ प्रथाओं जैसे मांस खाने, शराब का प्रयोग एंव प"ु बलि, आदि छोडने मे लगे हुए थे। उनके ऐसा करने का उद्दे"य जातीय संस्तरण की प्रणाली में अपनी स्थिति को ऊचां उठाने का प्रयत्न कर रहे थे। वे ब्राहम्णों की जीवन–पद्वति का अनुकरण करके संस्तरण की प्रणाली मे एक दो पीढी में उच्च स्थिति की मांग प्रस्तुत करना चाहते थे। गति"ीलता की इस प्रक्रिया का वर्णन करने के लिए श्रीनिवास ने प्रारम्भ मे ब्राहम्णीकरण शब्द का प्रयोग किया। लेकिन बाद मे इसके स्थान पर आपने संस्कुतीकरण नामक शब्द का प्रयोग किया।

2.3 संस्कृतिकरण (अवधारणा)

डा0 श्रीनिवास ने अपनी पुस्तक Religion and Society among the Coorgs of South India मे जाति की प्रक्रिया को व्यक्त करने हेतू संस्कृतीकरण के प्रत्यय का प्रयोग किया। आपने लिखा है कि जाति प्रथा उस कठोर प्रणाली से काफी दूर है जिसमें प्रत्येक घटक जाति की स्थिति हमे"ाा के लिए निर्ि"चत कर दी जाती है। जाति प्रथा मे गति"ीलता सदैव सम्भव रही है और वि"ाषतः मध्य जातियों मे। श्रीनिवास ने संस्कृतीकरण को प्रारम्भ मे इस प्रकार से परिभाषित किया एक निम्न जाति एक या दो पीढियों मे शाकाहारी बनकर मद्यपान को छोडकर तथा अपने कर्मकाण्ड एंव देवगण का संस्कृतीकरण कर संस्तरण की प्रणाली मे अपनी स्थिति ऊंची उठाने मे समर्थ हो जाती है। संक्षेप मे वह जहां तक सम्भव है, ब्राहम्णी जीवन–प्रणाली को प्रायः अपना लिया जाता है यद्यिप सैद्वान्तिक रूप से यह वर्जित था।

- **संस्कृतिकरण का अर्थ परिभाषा**

  प्रो. श्रीनिवास ने अपनी इस परिभाषा में बाद में चलकर सं"ाेधन किया और इसे पुनः परिभाषित करते हुए लिखा संस्कृतिकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा कोई निम्न हिन्दू जाति या कोई जनजाति अथवा कोई अन्य समूह किसी उच्च और प्रायः द्विज जाति की दि"ाा मे अपने रीति–रिवाज कर्मकाण्ड, विचारधारा और पद्वति को बदलता है। सामान्यतः

ऐसे परिवर्तनों के बाद निम्न जाति, जातीय संस्तरण की प्रणाली में स्थानीय सुदाय मे उसे परम्परागत रूप से जो स्थिति प्राप्त है उससे उच्च स्थिति का दावा करने लगती है। सामान्यतः बहुत दिनों तक बल्कि वास्तव मे एक दो पीढियों तक दावा किये जाने के बाद ही उसे स्वीकृति मिलती है।

- **संस्कृतीकरण की विशेषताएँ**

संस्कृतीकरण की अवधारण को इसकी वि"ाषताओं के आधार पर और स्पष्ट रूप से समझा जा सकता है।

- **संस्कृतीकरण का सम्बन्ध निम्न जातियों से है।** जब निम्न जातियां द्विज जातियों या प्रभु जाति की प्रथाओं, परम्पराओं देवी देवताओ एंव जीवन शैली को अपनाकर जाति–संस्तरण मे ऊंचा उठने का प्रयत्न करती है तो उसे संस्कृतीकरण कहते है।
- **संस्कृतीकरण सामाजिक गतिशीलता को प्रकट करने वाली प्रकिया है।** यह संस्कृतीकरण करने वाली जाति मे केवल पदमूलक परिवर्तन को प्रकट करती है न कि संरचनात्कमक परिवर्तन को अर्थात् संस्कृतीकरण करने वाली जाति अपने आस–पास की जातियों से ऊपर उठ जाती है और दूसरी नीचे आ जाती है। पर यह सब अलग सोपान में ही होता है। स्वयं व्यवस्था में कोई परिवर्तन नही होता। इससे अलग–अलग जातियों तो ऊपर या नीचे गिरी परन्तु पूरा ढांचा वैसा ही बना रहा। इस बात को स्पष्ट करने के लिए श्रीनिवास ने इतिहास से अनेक उदाहरण दिये है।
- **सस्कृतीकरण केवल हिन्दू जातियों तक सीमित नही है** बल्कि जनजातियों तथा अर्द्व–जनजातीय सूमहो मे भी यह प्रक्रिया पायी जाती है। प"िचमी भारत के भीला, मध्य भारत के गोडों तथा ओरावों तथा हिमालय के पहाडी लोगों ने हिन्दुओं की जीवन–पद्वति का अनुकरण करने का प्रयास किया है। जो जनजाति संस्कृतीकरण करती है वह धीरे–धीरे एक जाति होने का दावा करने लगती और अपने को हिन्दु मानने लगती है।
- **संस्कृतीकरण की प्रकिया का सम्बन्ध किसी एक व्यक्ति या परिवार से नही है वरन् एक समूह से है।** यदि कोई अकेला व्यक्ति या परिवार की ऊपर की ओर गति"ाील होता है तो उसके लिए अपने बेटो के लिए बहुएं और बेटियों के लिए वर प्राप्त करने की कठिनाई पैदा हो जाती है। अतः संस्कृतीकरण एक व्यक्ति तथा परिवार द्वारा न किया जाकर एक समूह द्वारा किया जाता है।
- **संस्कृतीकरण के कई** आद"ा **हो सकते है** एक निम्न जाति ब्राहाण,क्षत्रिय, वै"य अथवा किसी प्रभु जाति को आर्द"ा मानकर उसके रीतिरिवाजों, प्रथाओं, खान–पान और

जीवन शैली को अपना सकती है। फिर भी एक जाति के लिए अपने से ऊपर की वे जातियों आद"l होती है जिनसे उनकी सबसे अधिक समीपता हो।

- जब किसी जातीय समूह का संस्कृतीकरण होता है तो वह किसी **उच्च जाति की प्रथाओ और जीवन–पद्वति को ही नही अपनाता** बल्कि साहित्य मे उपलब्ध कुछ नवीन विचारों एंव मूल्यों को भी स्वीकार कर लेता है संस्कृत के धर्म–ग्रन्थों मे पाये जाने वाले शब्दों जैसे पाप–पुण्य धर्म–कर्म माया संसार और मोक्ष का प्रयोग भी उनकी बातचीत मे होने लगता है।
- संस्कृतीकरण की प्रक्रिया एक सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो भारतीय इतिहास के प्रत्येक काल मे दिखायी देती हैं। श्रीनिवास ने वैदिक काल से लेकर आज तक के समय मे विभिन्न जातियों द्वारा ऊंचा उठने के प्रयासों का अनेक उदारणों द्वारा उल्लेख किया है।
- संस्कृतीकरण की प्रक्रिया के द्वारा सामाजिक पद मे परिवर्तन के लिए एक निम्न जाति दो या तीन पीढी पहले से अपना सम्बन्ध किसी उच्च जाति से जोडती है।
- डॉ. योगेन्द्र सिंह संस्कृतीकरण की प्रक्रिया को अग्रिम समाजीकरण कहते है अर्थात् इसमें एक निम्न जाति किसी उच्च जाति की संस्कृति को इस आ"ाा से अपनाती है। कि इसे जाति मे सम्मिलित कर लिया जायेगा।

- **संस्कृतीकरण की प्रकिया सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन की सूचक है।** इस सन्दर्भ में मिल्टन सिंगर लिखते है एम.एन. श्रीनिवास का संस्कृतीकरण का सिद्वान्त भारतीय सभ्यता मे सामाजिक और व संस्कृति मे होने वाले परिवर्तनों का उल्लेख करता है।
- संस्कृतीकरण की प्रक्रिया निम्न जातियो की इस महत्वाकांक्षा और प्रयत्न की सूचक है कि व उच्च जातियों की जीवन शैली को अपनी जातीय स्थिति को ऊंचा उठायें।
- श्रीनिवास कहते है कि संस्कृतीकरण की प्रक्रिया एक दुतरफा प्रक्रिया है अर्थात इसमें सदैव ही निम्न जातियों ऊंची जातियों की संस्कृति को ग्रहण नही करती वरन् उच्च जातिया भी निम्न जातियों की संस्कृति के कुछ तत्वों को ग्रहण करती है।
- डॉ. योगेन्द्र सिंह इसे विचारधारा को ग्रहण करने वाली प्रक्रिया कहते है जिसमें निम्न जाति उच्च जाति की पाप–पुण्य धर्म–कर्म, माया–संसार मोक्ष, आदि की विचारधारा को अपनाती है।

- संस्कृतीकरण अनेक अवधारणाओं का एक गुच्छा है अर्थात इसमें ब्राहाणीकरण पर संस्कृतिकग्रहण अग्रिम समाजीकरण, अनुकरण आदि सभी अवधारणाओं के तत्व मौजूद है।
- प्रभु जाति का अनुकरण संस्कृतीकरण में निम्न जातियों द्वारा केवल द्विज जातियों की जीवन विधि को ही नही अपनाया जाता वरन् उस गांव या क्षेत्र जाति चाहे वह ब्राहाण क्षत्रिय, वै"य या गैर द्विज जाति ही क्यों न ही का अनुकरण किया जाता है।

- **संस्कृतीकरण की सहायक** द"ााएं **(Favourable Conditions of Sanskritization)-**

श्रीनिवास ने संस्कृतीकरण की प्रक्रिया को प्रोत्साहन देने वाले कुछ स्त्रोतो या कारको का उल्लेख किया है। वे निम्नलिखित है।

- **राजनीतिक व्यवस्था**– संस्कृतीकरण के एक प्रमुख स्त्रोत के रूप मे राजनीतिक व्यवस्था का उल्लेख किया जा सकता है। इस व्यवस्था में वि"ोषतः नीचे के स्तरों पर अनि"िचतता पायी जाती थी। ऐतिहासिक दृष्टि से विचार करने पर हम पाते है कि क्षत्रिय वर्ण रहा है। जिसमे सभी किस्म के समूह सम्मिलित होते रहे है। इस सम्बन्ध मे एक प्रमुख आव"यकता यही रही है कि ऐसे समूह के पास राजनीतिक शक्ति होनी चाहिए। यही वह परिस्थिति है जिसमे संस्कृतीकरण का वि"ोष रूप से महत्व था जो भी व्यक्ति राजा या राज्य के प्रधान के रूप मे स्थिति प्राप्त करने मे सफल हो सका, उसके लिए क्षत्रिय बनना आव"यक था चाहे जन्म से उसकी जाति कोई भी क्यो न हो। चारण या भाट जाति ऐसे राजा के क्षत्रिय बनने मे सहायक होती थी जो उसका सम्बन्ध किसी क्षत्रिय क समान बदलना पडता था इन्ही के समान धार्मिक अनुष्ठान भी करने पडते थे।ऐसा करने के लिए उसे ब्राहणों का समर्थन प्राप्त करना पडता था। राजा या शासक और उसकी जाति संस्कृतीकरण के प्रभाव"ााली स्त्रोत रहे और जातियों के लिए संस्कृतिकृत जीवन–पद्वति का एक वि"िाष्ट प्रतिमान प्रस्तुत करते हैं।
- **बडे नगर, मन्दिर तथा तीर्थस्थान**– ये भी संस्कृतीकरण के अन्य स्त्रोत रहे है। ऐसे स्थानों पर एकत्रित जन समुदाय मे सांस्कृतिक विचारों तथा वि"वासों के प्रसार हेतू उचित अवसर उपलब्ध होते रहे है। भजन मण्डलियों हरि–कथा तथा पुराने व नये संन्यासियों ने संस्कृतीकरण के प्रसार मे वि"ोष रूप से योग दिया है बडे नगरों मे प्र"िाक्षित पुजारियों संस्कृत स्कूलो व महाविद्यलायों, छापेखाने तथा धार्मिक संगठनों ने इस प्रक्रिया मे सहायता पहुचायी है।
- **संचार तथा यातायत के साधन**– संचार तथा यातायत के साधनों ने भी संस्कृतीकरण को दे"ा के विभिन्न भागों तथा समूहों मे फैलने में योग दिया है। संस्कृतीकरण के फलस्वरूप यद्यिपि निम्न जातीय समूहों ने उच्च जातियों की जीवन–पद्वति और संस्कृति

मे महत्वपूर्ण परिवर्तन भी आये है। निम्न जातीय समूहों और उच्च जातियों मे सांस्कृतिक धरातल पर कुछ आदान–प्रदान भी हुआ है, लघु व दीर्घ परम्पराओं को आपस मे एक दूसरे से घुलने – मिलने का अवसर मिला है। फलस्वरूप एक ऐसी सरलीकृत तथा एकरूप संस्कृति का विकास हो सका जो अ"ाक्षित लोगों की आव"यकताओं के अनुरूप भी है।

- **आर्थिक सुधार**– दे"ा के विभिन्न भागों में कई निम्न जातियों ने नवीन आर्थिक सुविधाओं का लाभ उठाकर अपने जीवन के तरीके को उच्च जातियों के समान बनाने और किसी द्विज वर्ण समूह मे अपने को सम्मिलित करने का प्रयत्न किया है।

- **f"ाक्षा**– निम्न जातियों मे f"ाक्षा का प्रसार होने पर f"ाक्षित व्यक्तियों मे उच्च जातियों की जीवन शैली का अपनाने की लालसा जाग्रत हो जाती है।
- **सामाजिक सुधार आन्दोलन**– दे"ा के विभिन्न में निम्न जातियों की स्थिति को सुधारने एंव उनकी सामाजिक प्रतिष्ठा को ऊंचा उठाने के लिए अनेक सुधार आन्दोलन हुए है। आर्य समाज, प्रार्थना समाज और गांधीजी के अछूतोद्वार प्रयत्नों के परिणामस्वरूप निम्न जातियों की सामाजिक स्थिति में परिवर्तन हुआ और उन्होने अपना संसकृतीकरण किया है।

- **संस्कृतीकरण की अवधारणा : एक आलोचनात्मक दृश्टिकोण (Concept of sanskritization A critical view)-**

यद्यिप संस्कृतीकरण की अवधारणा ने जाति– प्रथा मे घटित होने वाले सामाजिक सांस्कृतिक परिवर्तनों के वि"लेषण में महत्वपूर्ण योग दिया है फिर भी इस अवधारणा मे अनेक कमियां है। कई विद्वानों ने इसकी कटु आलोचना की है। हम यहां संस्कृतीकरण की अवधारणा की कुछ कमियों पर विचार करेगें।

- **विषम एंव जटिल अवधारणा**– प्रो. श्रीनिवास स्वयं स्वीकार करते है कि संस्कृतीकरण एक विषम एंव जटिल अवधारणा है यह भी सम्भव है कि इसे एक अवधारणा मानने की अपेक्षा अनेक अवधारणाओं व्यापक सामाजिक और सांस्कृतिक प्रक्रिया के लिए यह केवल एक नाम है और हमारा प्रमुख कार्य इन पहुंचाने की अपेक्षा बाधक है उसे निस्संकोच और तुरन्त छोड देना चाहिएं।
- **स्पष्टता,** सुनि"चतता **व तर्कसंगतता का अभाव**– संस्कृतीकरण की अवधारणा मे स्पष्टता, सुनि"चतता व तर्कसंगतता का अभाव पाया जाता हैं। इसलिए यह तथ्यों के वि"लेषण व सिद्वान्त निर्माण मे उपयोगी नही कही जा सकती। श्रीनिवास ने लिखा है इसमे कोई सन्देह नही कि संस्कृतीकरण एक बेढगां शब्द है। भारतीय समाज के वि"लेषण मे एक उदाहरण के रूप मे संस्कृतीकरण की उपयोगिता इस अवधारणा की जटिलता है श्रीनिवास आगे लिखते है कि इस अवधारणा के बेढगां व अस्पष्ट होने के बावजूद भी वे इसका प्रयोग करते रहेंगे और वह भी बिना प"चाताप के।

- **परस्पर विरोधी बातें** – कुछ स्थानों पर प्रो. श्रीनिवास ने संस्कृतीकरण के सम्बन्ध मे परस्पर विरोधी बातें बतलायी है एक स्थान पर आप लिखते है आर्थिक उत्रयन के बिना भी संस्कृतीकरण हो सकता है एक अन्य स्थान पर आप लिखते है आर्थिक उत्रयन राजनीतिक शक्ति का संचयन ि"क्षा नेतृत्व तथा संस्तरण की प्रणाली मे ऊपर उठने की अभिलाषा आदि संस्कृतीकरण के लिए उपयुक्त कारण है संस्कृतीकरण के परिणामस्वरूप स्वतः ही किसी समूह को उच्च स्थिति प्राप्त नही हो जाती जातियों के निरन्तर संस्कृतीकरण का सम्भवत यह परिणाम निकले कि कालान्तर मे पूरे हिन्दू समाज मे सांस्कृतिक एंव संरचनात्मक परिवर्तन हो जायें।
- **श्रीनिवास** मानते है कि संस्कृतीकरण की प्रक्रिया द्वारा लम्बवत् सामाजिक गति"ील सम्भव है इस प्रक्रिया के द्वारा एक जाति जातीय संस्तरण में अपनी स्थिति को ऊंचा उठाने मे समर्थ हो जाती है। परन्तु यह सन्देहजनक है कि क्या वास्तव मे ऐसा होता है इस सम्बनध मे डॉ. डी.एन.मजूदार ने लिखा है कि सैद्वातिन्क और केवल सैद्वान्तिक रूप मे ही ऐसी स्थिति की कल्पना की जा सकती है जब हम वि"ाष्ट मामलों पर ध्यान देते है तो जाति गति"ीलता सम्बन्धी हमारा ध्यान और अनुभव ऐसी सैद्वान्तिक मान्यता की दृष्टि से सही नही उतरता चमार अपनी मूल सामाजिक स्थिति से अव"य कुछ आगे बढ पाये है। चाहे वे सम्प्रदाय के रूप में संगठित हो गये हों चाहे उन्होनें शराब पीना, विधवा विवाह, विवाह – विच्छेद यहॉ तक कि मांस खाना भी बन्द क्यो न कर दिया हो लेकिन क्या सामाजिक संस्तरण की प्रणाली मे लम्बवत उठने का कोई भी उदाहरण है क्या चमार उच्च जातियों के सदृ"ा हो गये है चमारो का फैलाव क्षैतिज प्रकार का है और यही बात अन्य निम्न जातियों के सन्दर्भ मे सही है निम्न जातियों जाति गति"ीलता को एक क्षैतिज गति के रूप मे देखती है जबिक ब्राहाणों और अन्य उच्च जातियों ने ऐसी गति"ीलता को ऊपर की और चढाने के रूप मे माना है।

संस्कृतीकरण की प्रकिया सारे दे"ा **मे दिखायी नही देती** – डी. एन. मजूदार का मत है कि सभी स्थानों मे

निम्न जातियों मे ऊंची जातियों की संस्कृति को अपनाने की प्रवृति नही पायी जाती है।

- हमें संस्कृतीकरण की प्रक्रिया के स्थान पर असंस्कृतीकरण की प्रक्रिया भी दिखायी देती है। जिसमें ब्राहाण तथा ऊंची जातियां अपने परम्परागत सांस्कृतिक मूल्यों वि"वासों, खान–पान, कर्मकाण्ड एवं जीवन शैली का त्याग रही है और शराब और मांस का प्रयोग कर रही है तथा निम्न जातियों के व्यवसाय को ग्रहण कर रही है। कई ब्राहाण व्यापार, वाणिज्य कृषि और अन्य व्यवसायों मे लगे हुए है कालिया ने तो ब्राहाणों द्वारा जनजातियों की संस्कृति को अपनाने जनजातिकरण का भी उल्लेख किया है इससे स्पष्ट है कि संस्कृतीकरण के स्थान पर असंस्कृतीकरण की प्रक्रिया अधिक दिखायी देती है।

- कुछ समाज”ाास्त्रियों का मत है कि संस्कृतीकरण परसंस्कृतिग्रहण का ही एक वि"ाष्ट रूप है। अतः परसंस्कृतिग्रहण ही इसके लिए उपयुक्त शब्द है।

2.4 प"चमीकरण (अवधारणा)

डॉ. एम.एन. श्रीनिवास ने भारतीय समाज में परिवर्तन की प्रक्रियाओं का अध्ययन करनें हेतू संस्कृतीकरण एंव प"चमीकरण कि अवधारणाओं को प्रस्तुत किया है। इसे दि”ाा मे प्रथम व्यवस्थित प्रयत्न माना जा सकता है। सामाजिक एंव सांस्कृतिक परिवर्तन का सिद्वान्त यह मानकर चलता है। कि परिवर्तन के स्त्रोत व्यवस्था के भीतर भी पाए जाते है तथा बाहर भी। संस्कृतीकरण की अवधारणा जाति–व्यवस्था के अन्तर्गत वास्तविक तथा आकांक्षित, सांस्कृतिक एंव सामाजिक गति”ाीलता को व्यक्त करती है। जबिक प"चमीकरण की अवधारणा उन परिवर्तनों से परिचित कराती है। जो प"चम व वि”ाषतः ग्रेट ब्रिटेन के साथ सांस्कृतिक सम्पर्क का परिणाम है। डाॅ. श्रीनिवास ने प"चमीकरण शब्द का प्रयोग उन परिवर्तनों को प्रकट करने के लिए किया है जो भारत मे 19वी व 20वी शताब्दी मे अंग्रेजी शासन काल की अविध में हुए।

2.5 प"चमीकरण का अर्थ व परिभाषा (Meaning of westernization)-

डॉ. श्रीनिवास ने प"चमीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए लिखा है। मैने प"चमीकरण शब्द का प्रयोग भारतीय समाज व संस्कृति मे उन परिवर्तनों के लिए किया है। जो सौ पचास वर्षो से अधिक समय के अंग्रेजी राज के परिणामस्वरूप उत्पत्र हुए है। और यह शब्द प्रौधोगिकी, संस्थाओं, वैचारिक और मूल्यों आदि विभिन्न स्तरों पर होने वाले परिवर्तनों का समावे”ा करता है।

लिंच **(Lynch)-** ने श्रीनिवास को उद्धृत करते हुए लिखा है। प"चमीकरण मे प"चमीकरण पो”ााक , खान–पान तौर–तरीके, "ाक्षा,विधियां और खेल मूल्यों आदि को सम्मिलित किया जाता है। इन भाषाओं से स्पष्ट है कि प"चमीकरण की अवधारणा के अन्तर्गत भारत में होने वाले वे सभी सांस्कृतिक परिवर्तन और संस्थात्मक नवीनताएं आ जाती है। जो इस दे”ा मे प"चमी दे”ाों प्रमुखतः इंग्लैण्ड के साथ राज के साथ राजनीतिक एवं सांस्कृतिक सम्पर्क के कारण आयी है। प"चमीकरण का तात्पर्य विविध प्रकार के परिवर्तनों से है, जैसे वस्त्र भोजन खाने के तरीके, रहन सहन के ढग आदि के परिवर्तन से। डाॅ. योगेन्द्र सिंह ने लिखा है कि मानवतावाद **(Humanitarianism)** तथा बुद्विवाद **(Rationalism)** पर जोर प"चमीकरण का एक अंग है जिसने भारत में संस्थागत या सामाजिक सुधारों का सिलसिला प्रारम्भ कर दिया। वैज्ञानिक, औद्योगिक एंव "ाक्षण संस्थाओं की स्थापना, राष्ट्रीयता का उदय दे”ा मे नवीन राजनीतिक संस्कृति और नेतृत्व सबके सब प"चमीकरण के उपोत्पाद**(by-products)** है। स्पष्ट है कि प"चमीकरण ने भारत मे मानवमावादी दृष्टिकोण को अपनाने तथा तार्किक ढंग से विचार करने के लिए लोगों को प्रेरित किया। प"चमीकरण का तात्पर्य केवल पा”चात्य रीति–रिवाजो व ढगों को अपनाना मात्र ही नही है। यह एक जटिल एंव सर्वव्यापक अवधारणा है। इसके अन्तर्गत विज्ञान तकनीकी, प्रयोग–सिद्व पद्वति, इत्यादि आते है प"मीकरण ने समतावादी और लेकिक **(Equalitarian and Secular)** दृष्टिकोण के विकास मे सहायता प्रदान की।

2.6 प"चमीकरण की वि"ोषताएं लक्षण **(Characteristics of westernization) –**

श्रीनिवास ने प"चमीकरण की निम्नांकित वि"ोषताओं का उल्लेख किया है।

- **नैतिक रूप से तटस्थ**– प"चमीकरण नैतिक रूप से तटस्थ अवधारणा है, अर्थात् यह नही बताती कि प"चम के प्रभाव के कारण गांव मे होने वाले परिवर्तन अच्छे है या बुरे। यह तो केवल परिवर्तनों को बतलाती है अच्छाई व बुराई के मूल्यों से यह अवधारणा स्वतन्त्र है।
- **एक व्यापक अवधारणा**– प"चमीकरण एक व्यापक अवधारणा है जिसमें भौतिक और अभौतिक संस्कृति से सम्बन्धित सभी परिवर्तन आ जाते है। इसके अन्तर्गत प"चम के प्रभाव के कारण उत्पत्र होने वाले वे सभी परिवर्तन आ जाते है जो प्रौद्योगिकी, धर्म परिवार व जाति राजनीति, प्रथाओं, आद"ाों, वि"वासो, मूल्यो, फै"ान, खान–पान रहन–सहन यातायात एंव संचार, कलाख साहित्य, ि"ाक्षा, न्याय, प्र"ाासन एंव अन्य संस्थाओं मे घटित हुए है। बी. कुप्पुस्वामी कहते है कि श्रीनिवास द्वारा काम मे ली गयी प"चमीकरण की अवधारणा मे निम्नलिखित बातें सम्मिलित है। (अ) व्यवहार सम्बन्धी पक्ष, जैसे खाना–पीना, वे"ा–भूषा, नृत्य, आदि। (ब) ज्ञान सम्बन्धी पक्ष, जैसे साहित्य, विज्ञान आदि। (स) मूल्य सम्बन्धी पक्ष, जैसे मानवतावाद समतावाद, लैकिकीकरण।
    - **एक वैज्ञानिक अवधारणा**– प"चमीकरण की अवधारणा चूंकि मूल्य की दृष्टि से एक तटस्थ अवधारणा है। अतः यह वैज्ञानिक अवधारणा है। इसके द्वारा हम किसी भी समाज में घटित होने वाले परिवर्तनों का वि"लेषण कर सकते है।
    - **अनेक प्रारूप**–प"चमीकरण के हमे अंग्रेजी, अमरीकी रूसी और विभिन्न यूरोपीय दे"ाों के प्रारूप आद"ा देखने को मिलेगें। सभी प्रारूपों मे कुछ तत्व तो समान रूप से पाये जाते है। चूकिं अंग्रेजी ने ही भारतीयों को प"चमी संस्कृति के विभिन्न सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक एंव भौतिक पक्षों से परिचित कराया अतः गांव मे अंग्रेजी आद"ा ही विद्यमान है। यद्यिप वर्तमान मे अमरीकी और रूसी प्रारूप भी प्रभाव"ााली होते जा रहे है।
    - **जटिल तथा बहुस्तरीय प्रकिया**– श्रीनिवास कहते है कि प"चमीकरण की प्रक्रिया एक जटिल प्रक्रिया है जिसका प्रभाव सामजिक, आर्थिक, राजनीतिक, धार्मिक, प्रौद्योगिकी एंव अन्य स्तरो पर देखा जा सकता है। एक समाज के विभिन्न पक्षों पर प"चमीकरण का प्रभाव भिन्न–भिन्न रहा है। कोई पक्ष अधिक प्रभावित व परिवर्तित हुआ है तो कोई कम। कुछ लोगों ने प"चमी खान–पान तथा वस्त्रों को अपनाया है तो कुछ ने प"चमी आद"ाों, मुल्यों और वि"वासों का तो कुछ ने प"चमी प्रौद्योगिकी को। समाज के सभी पक्षो पर प"चतीकरण का प्रभाव समान रूप से नही पडा है । भारत मे प"चमीकरण की गति सर्वत्र ही समान नही है मैसूर मे प"चमीकरण की दौड मे ब्राहाण सबसे आगे रहे है।
    - **चेतन और अचेतन प्रकिया** – प"चमीकरण का प्रभाव भारतीय समाज पर चेतन और अचेतन दोनों ही प्रकार से पडा है। कई प"चमी तत्वों को तो हम जान बूझाकर

प्रयत्नपूर्वक ग्रहण करते है। और कई हमें अप्रत्यक्ष तथा अचेतन रूप से प्रभावित करते है और वे हमारे व्यवहार तथा दैनिक जीवन के अंग बन जाते है।

2.7 पॅ"चमीकरण एंव समाजिक परिवर्तन कुछ प्रभाव (Westernization and Social Change Few Effects)-

भारत मे अंग्रेजो के लगभग 150 वर्षो के शासन के कारण भारतीय समाज एंव संस्कृति मे अनेक परिवर्तन हुए। भारतीयों के खान–पान, रहन–सहन, प्रथाओं, आर्थिक, धार्मिक, राजनीतिक एंव सामाजिक सस्थाओं तथा संस्कृति के क्षेत्र मे घटित होने वाले परिवर्तनों का हम यहॉ उल्लेख करेगें।

- **खान–पान व रहन–सहन में परिवर्तन (Change in food and living habits)-** अंग्रेजो के सम्पर्क के कारण गांव के खान–पान एंव रहन–सहन मे कई परिवर्तन हुए। परम्परात्मक व्यवस्था मे ब्राहाण एंव उच्च वर्ग के व्यक्ति शाकाहरी थे, वे मांस एंव मदिरा का सेवन नही करते थें कई प्रकार के कन्दमूलों, जैसे आलू, लहसुन, प्याज, चकुन्दर आदि का भी प्रयोग वे नही करते थे भोजन करने से पूर्व स्नान किया जाता और आंगन को लीपकर शुद्व करके, शुद्व वस्त्र पहनकर भोजन किया जाता था, किन्तु अंग्रेजी प्रभाव के कारण अब सभी जातियों के व्यक्ति मांस, मदिरा व अण्डे आदि का सेवन करने लगे और सभी प्रकार के करना और शुद्व वस्त्र धारण करना आव"यक नही समझा जाता। अब भोजन करते समय जूते उतारना आव"यक नही माना जाता। होटलों व जलपान गृहों मे बना भोजन, चाय कॉफी, बिस्कुट, केक, आइसक्रीम, मिठाई, नमकीन, आदि का भी अब लोग सेवन करने लगे जिनसे पहले परहेज रखा जाता था। सिगरेट व चुरूट आदि पीने का प्रचलन भी बढा। अब लोग धोती व कुर्ते के स्थान पर पेण्ट, कोट, शर्ट टाई व हैट का प्रयोग करने लगे व बाल रखने का प्रचलन बढा। स्त्रियों लहंगा व साडी के स्थान पर जीन्स, मैक्सी, गाउन, टापलेस वस्त्र, धारण करने लगी, जूडे एंव बॉय कट बाल रखने का प्रचलन बढां। सौन्दर्य प्रसाधनों का भी अधिकाधिक प्रयोग किया जाने लगा।

- **समाजिक जीवन एंव संस्थाओं मे परिवर्तन (Change in Social life and Institutions)-** पॅ"चमीकरण के कारण भारतीयों के सामाजिक जीवन एंव संस्थाओं मे भी अनेक परिवर्तन घटित हुए। जाति–प्रथा सयुक्त परिवार प्रणाली, विवाह, तथा स्त्रियों की सामाजिक प्रस्थिति मे परिवर्तन आया।

जति–प्रथा मे परिवर्तन– अंग्रेजो के आने से पूर्व भारत मे जाति–प्रथा का कठोर रूप पाया जात था व्यक्ति के जन्म से लेकर मृत्यु तक के कार्यकलापों का निर्धारण जाति ही करती थी,किन्तु जब अंग्रेज भारत मे आये तो उन्होने यहां बडे–बडे उद्योगों की स्थापना की, औद्योगीकरण व नगरीकरण की नीव रखी, यातायत एंव सचांर के नवीन साधनों जैसे रेल, बस, रिक"ाा, ट्राम, जहाज, वायुयान, सडके, डाक, तार, टेलीविजन, प्रेस, अखबारों, आदि से भारतीयों को परिचित कराया। अब विभिन्न जातियों के व्यक्ति एक ही कारखाने मे साथ–साि काम करने

लगें साथ–साथ यात्रा करने लगे इससे छुआछुत कम हुई तथा जातीय उच्चता व निम्नता की भावना ि"ाथिल हुईं। एक जाति के व्यक्ति दूसरी जाति के व्यवसाय को भी करने लगे। अन्तर्जातीय विवाहों को प्रचलन बढ, जजमानी सम्बन्ध समाप्त हुए और पैसा देकर दूसरी जातियों की सेवाएं खरीदी जाने लगी। व्यक्ति का मूल्यांकन अब जाति के आधार पर नही परन् उसके गुणों के आधार पर होने लगा। खान–पान सम्बन्धी जातीय निषेधों मे कमी आयी तथा जाति पंचायतो का महत्व घटा। प"िचम के वैधानिक एंव समानता के मूल्यो ने जातीय भेदभाव कम और समानता के विचारों का प्रसार अधिक किया।

विवाह मे परिवर्तन– परम्परात्मक हिन्दू समाज में एक व्यक्ति को अपनी ही जाति मे विवाह करना होता था, विधवाओं को पुनर्विवाह की स्वीकृति नही थी तथा बाल विवाह का अधिक प्रचलन था, बहुविवाह, कुलीन विवाह तथा कन्यादान की प्रथा थी और विवाह को एक धार्मिक संस्कार माना जाता था तथा तलाक का प्रचलन नही था। विवाह मे सपिण्ड, सप्रवर और सगोत्र के नियमो का पालन किया जाता था। किन्तु प"िचम के विचारो, मुल्यों और आद"ोंं ने विवाह के नियमो मे कई परिवर्तन किये, बाल विवाह कम हुए, बिलम्ब विवाह होने लगे। विधवाओ को पुनर्विवाह की छूट मिली, अन्तर्जातीय विवाह, प्रेम विवाह और कोर्ट मैरिज होन लगे। प्रवर, सपिण्डता और सगोत्र के नियम भी ढीले हुए। विवाह को धार्मिक संस्कार के स्थान पर समझौता मानने की प्रवृति बढी। पत्नी पति को परमे"वर न मानकर एक मित्र व सहयोगी समझने लगी। तलाको का प्रचलन बढा, कुलीन विवाह तथा बहुविवाह समाप्त हुए और एक विवाह को भी उत्तम माना जाने लगा इस प्रकार भारत मे विवाह संस्था परिवर्तित हुई।

परिवार मे परिवर्तन– भारत मे अंगेजो के आने से पूर्व संयुक्त परिवार ही परिवार का प्रमुख स्वरूप था जिसमें तीन–चार पीढियों के व्यक्ति एक साथ रहते भोजन व पूजन करते तथा जिनकी सम्पति सामूहिक होती थी और जिसका संचालन का वयोवृद्व व्यक्ति करता था, किन्तु प"िचमीकरण के प्रभाव के कारण परम्परात्मक संयुक्त परिवार प्रणाली मे परिवर्तन हुआ। प"िचम ने भारतीयों को व्यक्तिवाद भौतिकवाद अस्तित्ववाद और समानता के विचारों से परिचित कराया। फलस्वरूप परिवार के सदस्यों ने व्यक्तिगत अधिकारों एंव कर्ता के नियन्त्रण से स्वतन्त्रता की मांग की। दूसरो के लिए त्याग व बलिदान के स्थान पर लोगो में व्यक्तिगत स्वार्थ की भावना पनपी। इन सभी के सामूहिक प्रभाव के कारण संयुक्त परिवार पर विपरीत प्रभाव पडा और वे टूटने लगे तथा पति–पत्नी व बच्चों से निर्मित छोटे परिवार मे रहने की प्रवृति बढी।

स्त्रियों की स्थिति मे परिवर्तन– प"िचम के प्रभाव के कारण स्त्रियों की परम्परात्मक सामाजिक स्थिति मे परिवर्तन हुआ। स्त्रियों को भी ि"ाक्षा दी जाने लगी, इससे उनका मानसिक विकास हुआ, वे प"िचम के साहित्य के द्वारा मूल्यों और आद"ोंं से परिचित हुई तथा उनमें जागृति आयी। स्त्रियों की स्थिति को सुधारने के भी अनेक प्रयाय हुए। सती प्रथा का अन्त हुआ व बाल–विवाह कम हुए तथा विधवा–विवाह प्रारम्भ हुए। स्त्रियों का कार्य–क्षेत्र अब केवल घर ही नही रहा वरन् वे पुरूषों के समान सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, सांस्कृतिक सभी क्षेत्रों मे कार्य करने लगी और स्त्री–पुरूषों की समानता के विचार पनपे।

धार्मिक जीवन मे परिवर्तन– **(Changes in Religious life)-** अंग्रेजी शासन से पूर्व भारत मे अनेक धार्मिक अन्धवि"वास, कर्मकाण्ड, पाखण्ड, ढोग, आदि का प्रचलन था और धर्म के नाम पर यहां अनेक बुराइयां पनप रही थी। सती–प्रथा, बाल–विवाह, जाति–प्रथा, देवदासी –

प्रथा, छुआछुत, विधवा–पुनर्विवाह निषेध मानव–बलि, पर्दा–प्रथा, मृत्यूभोज, आदि बुराइयों का सम्पूर्ण भारत मे बोलबाला था और इन सभी की पुष्टि धार्मिक आधार पर की गयी थी। पा"चात्य ि"ाक्षा के प्रभाव एंव ईसाई धर्म के प्रचार के कारण इन धार्मिक बुराइयों की समाप्ति के लिए प्रयत्न किये गये और अनेक धार्मिक व सुधारवादी आन्दोलन भी हुए। जिनके परिणास्वरूप बहुत कुछ सीमा तक धार्मिक बुराईयां भी समाप्त हुई और धर्म मे रूढिवाद का अन्त हुआ।

राजनीतिक जीवन मे परिवर्तन (Changes in Political Life)- अंग्रेजो के आने से पूर्व भारत में रियासतें तथा राजे–रजवाडें थे और छोटे–छोटे भू–क्षेत्रों पर सामन्तो का शासन था। प्रत्येक गांव मे एक ग्राम–पंचायत होती थी जो गांव का शासन सम्बन्धी कार्य करती थी शासन कार्य मे धार्मिक नियमों का पालन किया जाता था। प्रत्येक सामन्त के शासन के अपने–अपने नियम थे। इस प्रकार अंग्रेजों से पूर्व भारत प्र"ाासनिक दृष्टि से कई टुकडों मे बटा हुआ था और सामन्त लोग परस्पर युद्व किया करते थे, किन्तुजब भारत मे अंग्रेजों का राज्य स्थापति हुआ तो उन्होने पंचायतों के अधिकार छीन लिए, शासन मे धार्मिक सिद्वान्तो का बहिष्कार किया तथा सम्पूर्ण भारत को एक राजनीतिक सत्ता के अधीन संगठित किया। दे"ा के विभिन्न भागों मे प्रचलित कानूनों को सहिताबद्व करवाया और एकसमान न्याय–व्यवस्था लागू की। सारे दे"ा के लए पुलिस फौज की व्यवस्था की गयी। यातायात एवं संचार के नवीन साधनों के कारण प्र"ाासन का कार्य सरल हो गया सन्दे"ावाहन व यातायत के नवीन साधनों, नयी ि"ाक्षा प्रणाली, प्रेस व अखबार एंव विदे"ाों से सम्पर्क के कारण भारतीयों मे राष्ट्रीयता की भावना एंव राजनीतिक जागृति पैदा हुई। भारत के विभिन्न क्षेत्रों मे निवास करने वाले लोग अपने धर्म, जाति प्रजातीय एंव प्रन्तीय भेदभाव भुलाकर संगठित हुए और भारत से अंग्रेजो को खदेड दिया। अंग्रेजो ने ही भारतीयों को आधुनिक प्रजातन्त्र और संसदीय प्रणाली से परिचित कराया तथा वर्तमान नौकर"ाही भी भारत को उन्ही की देन है। राजनीतिक क्षेत्र मे अंग्रेजो के कारण भारत को कई उपलब्धियां हुई। साथ ही भाषावाद, प्रान्तवाद, साम्प्रदायिकता एंव जातिवाद की भावनाओ ने भी यहां जोर पकडा।

साहित्य के क्षेत्र मे परिवर्तन – (Changes in the field of Literature)- प"िचमीकरण का भारतीय साहित्य पर भी प्रभाव पडा क्योकि अंग्रेजी साहित्य वि"व–प्रसिद्व समृद्व साहित्य है। अंग्रेजी भाषा के द्वारा भारतीय विद्वान वि"व के अन्य साहित्यकारों के बारे मे जानकारी प्राप्त करने समर्थ हुए और हिन्दी तथा अन्य प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य भी समृद्व हुए। अंग्रेजो भाषा के अनेक शब्दो का प्रयोग भारतीय द्वारा किया जाने लगा। हिन्दी मे कहानियों, उपन्यासों, लेखों तथा गद्य–साहित्य का प्रयोग बढा।

नृत्य तथा संगीत कला में परिवर्तन – अंग्रेजो के भारत मे आने से पूर्व नृत्य एवं संगीत का क्षेत्र सुकचित हो गया था और यह कुछ राघरानों तक ही समिति रह गया था, किन्तु प"िचमी प्रभाव के कारण नृत्य एंव संगीत के क्षेत्र मे जागृति आयीं। इस क्षेत्र में रवीन्द्रनाथ टैगोर प्रमुख व्यक्ति थे जिनके संगीत को रवीन्द्र संगीत के नाम से जाना जाता है। पा"चात्य संगीत से भारतीय शास्त्रीय संगीत तो अप्रभावित रहा, किन्तु सामान्य संगीत पर इसका बहुत अधिक प्रभाव पडा। फिल्मो मे पा"चाल्य धुन अधिक सुनने को मिलेगी।

ि"ाक्षा **के क्षेत्र मे परिवर्तन (Changes in educational field)-** परम्परात्मक भारत मे ि"ाक्षा की गुरूकुल प्रणाली प्रचलित थी। ि"ाक्षा सभी लोगों के लिए उपलब्ध नही थी वरन् एक

वि"ोष जाति (ब्राहाणों) तक ही सीमित थी। अन्य लोग अपने जातीय व्यवसाय की ही ि"ाक्षा ग्रहण करते थे और वह भी अपने परिवार में ही किन्तु जब अंग्रेज भारत मे आये तो उन्हे राजकाज चलाने के लिए अंग्रेजी पढे–लिखें बाबुओं की आव"यकता महसुस हुई और उन्होने अंग्रेजी ि"ाक्षण संस्थाएं स्थापित की। अंग्रेजो ने यहा सार्वभौमिक ि"ाक्षा प्रणाली प्रारम्भ की। अब सभी वर्गो एंव जातियों के व्यक्ति अंग्रेजी ि"ाक्षा प्राप्त करने लगे। इससे ि"ाक्षा का प्रसार हुआ। अंग्रेजी ि"ाक्षा प्राप्त व्यक्तियों को राजकीय सेवा मे प्राथमिकता दी गयी। इस ि"ाक्षा मे उदारवाद, धर्म–निरपेक्षवाद, विज्ञानवाद, प्रजातन्त्र, समानता व स्वतन्त्रता के आद"ार्ि निहित थे। अतः इस ि"ाक्षा को ग्रहण करने के बाद गांव के विचारों, आद"ार्ें, मूल्यों एंव जीवन–"ौली मे परिवर्तन आया। अंग्रेजी ि"ाक्षा के कारण धार्मिक एंव सामाजिक सुधार के आन्दोलन चलाये। वर्तमान मे की जाने वाली कृषि विज्ञान प्राप्त विद्वानों ने धार्मिक, इंजीनिरिगं, कानून, आदि की ि"ाक्षा और विभिन्न प्रकार का प्र"िाक्षण भी अग्रेजो की ही देन है।

आर्थिक क्षेत्र में परिवर्तन – (Changes in Economic Field)- अंग्रेजो के भारत मे आने से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था एक ग्रामीण अर्थव्यवस्था थी जो कृषि एंव कुटीर व्यवसायों पर आधारित थी। प्रत्येक गांव लगभग एक स्वतन्त्र आत्मनिर्भर इकाई था। गांवो में उत्पादन स्थानीय आव"यकताओं के अनुसार ही होता था। साप्ताहिक हाट एंव बाजारों या मेलों के अवसर पर आस–पास के लोग अपने द्वारा उत्पादित वस्तुओं को बेचने आ जाते थे। उत्पादन मानव व प"ाु शाक्ति के द्वारा छोटे पैमाने पर होता था, किन्तु अंग्रेजो ने भारत मे बडे कारखाने स्थापित किये जिनमें उत्पादन जड शक्ति द्वारा म"ाीनों की सहायता से तीव्र गति व बडे पैमाने पर होने लगे।

2.8 आधुनिकीकरण (अवधारणा)

भारत में आधुनिकीकरण की प्रकिया का प्रारम्भ ब्रिटेन के साथ हमारे सम्पर्को का परिणाम है। अंग्रेजो द्वारा भारत पर विजय की प्रकिया लगभग एक शताब्दी तक चलती रही। स्वाभाविक था कि वे अपने साम्राज्य की स्थापना के लिए और फिर उसे बनाए रखने के लिए कुछ नई तकनीकी और संरचनाओ का भारतीय धरा पर आरोपण करते। वही हुआ भी। उत्पादन मे नई म"ाीनी तकनीकी, व्यापर की नई बाजार प्रणाली, यातायात औश्र संचार के साधनों का विकास, कम्रचारी तन्त्र पर आधारित सिविल सेवा का अखिल भारतीय स्वरूप, औपचारिक और लिखित कानून की स्थापना, आधुनिक सैन्य संगठन, संगठित व प्र"ाक्षित पृथक न्यायिक व्यवस्था और आधुनिक औपचारिक ि"ाक्षा व्यवस्था वे महत्वपूर्ण कदम है जिन्होनें आधुनिकीकरण के लिए आव"यक पृष्ठभूमि तैयार की है।

2.9 आधुनिकीकरण का अर्थ व परिभाषा

आधुनिकीकरण एक बहुपक्षीय प्रकिया है जो आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक, वैयक्तिक आदि सभी क्षेत्रों में व्याप्त है। आर्थिक क्षेत्र में आधुनीकिकरण का अर्थ औधोगीकरण, अधिक उत्पादन, म"ाीनीकरण मुद्रा के महत्व तथा नगरीकरण में वृद्धि इत्यादि से है। राजनीतिक क्षेत्र में आधुनीकिरण का अर्थ ऐसे धर्मनिरपेक्ष एवं कल्याणकारी राज्य की स्थापना से है जिसमें सभी नागरिक कानून के समक्ष एक समान है तथा उनहे अपने विचार व्यक्त करने की, सरकार चुननें

की तथा सरकार बदलने की स्वतन्त्रता है। सामाजिक क्षेत्र में आधुनीकिकरण से अभिप्राय सामाजिक स्तरीकरण की एक खुली व्यवस्था से है जिसमें अर्जित पदों को महत्व दिया जाता है तथा बिना किसी भेदभाव के सभी नागरिकों को समान अवसर उपलब्ध होते है। वैयक्तिक क्षेत्र में आधुनीकिकरण का अर्थ ऐसी परिवर्तनों से है जिनके परिणामस्वरूप समतावादी और स्वतन्त्रतावादी दृष्टिकोण को प्रोत्साहन मिला है, वि"वव्यापी दृष्टिकोण का विकास होता है तथा जीवन के सभी पहलुओं (जैसे विवाह, धर्म, परिवार तथा व्यवसाय इत्यादि) में व्यक्तियों को पूर्ण स्वतन्त्रता मिल जाती है।

1. मूर के अनुसार – आधुनिकीकरण में जो तात्पर्य निहित है उससे आ"ाय किसी परम्परागत अथवा पूर्व आधुनिक समाज का प"िचमी वि"व के उन्नत, आर्थिक रूप से समृद्ध एवं राजनीतिक रूप से अपेक्षाकृत स्थायी राष्ट्रों में पाए जाने वाले तकनीकी के स्वरूपों में समग्र रूपान्तरण है। आधुनीकिकरण पर अधिकारी विद्वान माने जाने वाले विलबर्ट ई0 मूर की उपर्युक्त परिभाषा से आधुनिकीकरण के अर्थ के सम्बन्ध में तीन बाते स्पष्ट होती है – प्रथम, आधुनिकीकरण की प्रकिया का सम्बन्ध पूर्व औधोगिक परम्परागत समाजों से है क्योंकि वे ही प"िचमी राष्ट्रों की उन्नत तकनीकी को अपनाने का प्रयास कर रहे है। द्वितीय – इन परम्परागत राष्ट्रों के सम्मुख अनुसरण के लिए मॉडल के रूप में कोई न कोई विकसित और उन्नत राष्ट्र है। अधिकां"ात ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस और जापान इस मॉडल के रूप में प्रयोग किए गई है। तृतीय – यह भी स्पष्ट होता है कि आधुनिकीकरण केवल उत्पादन की तकनीक तक ही सीमित नही है वरन् यह एक समग्र अवधारण है जो उस तकनीक से सम्बन्धित सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक संरचनाओं को भी अपनाने की मॉग करती है। इस भॉति यह परम्परागत या अविकसित समाजों की उन्नत और विकसित समाजों में रूपान्तरण की प्रकिया है।

2. ईसनस्टेड के अनुसार –''आधुनिकीकरण सामाजिक तथा राजनीतिक व्यवस्था के उन स्वरूपों की तरफ परिवर्तन की एक प्रकिया है जो प"िचमी यूरोप में तथा उत्तरी अमेरिका में 17 वीं शताब्दी से 19 वीं शताब्दी में विकसित हुए तथा 19 वीं शताब्दी में यूरोप के अन्य दे"ाों तथा 20 वीं शताब्दी में दक्षिणी अमेरिका, ए"िाया तथा अफ्रीका के विभिन्न दे"ाों में फैल गई।''

2.10 – आधुनिकीकरण की प्रमुख वि"ोषताएं

आधुनिकीकरण की विभिन्न परिभाषाओं से इसकी अनेक वि"ोषताएं स्पष्ट होती है। इनमें से प्रमुख वि"ोषताएं इस प्रकार है

1. सर्वग्राही स्वरूप अथवा सार्वभौकिमता (Universal Form) – आधुनिकीकरण एक सार्वभौमिक प्रकिया है। एक समग्र अवधारणा (Total Concept) तथा वैज्ञानिक ज्ञान में निहित होने के नाते आधुनिकीकरण की प्रकिया सर्वग्राही स्वरूप रखती है। इसमें सामाजिक व्यवस्था के सभी उप विभागों में रूपान्तरण की प्रकिया प्रवाहित हो जाती है। परिवार व नातेदारी, ि"ाक्षा, अर्थव्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, नैतिक व्यवस्था यहॉ तक कि कला व मनोरंजन के स्वरूप भी आधुनिकीकरण से अछूते नही रहते।

2. दीर्घकालिक एवं जटिल प्रकिया (Longer term and Complex process) – ऐसी सर्वग्राही प्रकिया एक दिन या माह में घटित नही होती। यह दीर्घकालिक प्रकिया है। इतना ही नही, आधुनिकीकरण एक जटिल प्रकिया भी है। क्योंकि इसमें परिवर्तन की अनेक

शक्तियॉ एक साथ ही क्रिया"ाील हो उठती है तथा समाज के सभी क्षेत्रों में परिवर्तन एक सी दर और मात्रा में नही होता। जैसे आर्थिक क्षेत्रों में धार्मिक क्षेत्रों की अपेक्षा अधिक शीघ्र और व्यापक रूपान्तरण होने की सम्भावना होती है।

3. एक प्रकिया न कि एक सामाजिक स्थिति (A Process and not a social condition) – आधुनिकीकरण से तात्पर्य एक वि"ोष प्रकार के रूपान्तरण की प्रकिया से होता है। यह एक वि"ोष काल बिन्दु पर अवस्थित समाज वि"ोष की अवस्था को प्रकट नही करती। वस्तुतः इसकी प्रकृति प्रसारवादी होती है।

4. एक मॉडल की उपस्थिति (Presence of a Model) – आधुनिकीकरण समाज के सम्मुख एक स्पष्ट मॉडल होता है यह मॉडल ही उसके लिए प्रमुख प्रेरक का कार्य करता है। आधुनिकीकरण करने वाला समाज उस मॉडल के अनुरूप स्वंय को ढालने का प्रयास करता है। यह मॉडल प्रायः ब्रिटेन, अमेरिका, रूस या जापान में से कोई एक हो सकता है या इनका मिला जुला रूप हो सकता है।

5. आधुनिकीकरण सरल और अन्धा अनुकरण नही (Modernization is not simple and blind imitation)

आधुनिकीकरण किसी भी समाज का सीधा अनुकरण नही होता। कोई भी समाज एक स्याही सोख नही होता। परम्परागत सामाजिक व्यवस्था पर आधुनिक प्राद्योगिकी और उससे जुडी मूल्य व्यवस्था को ऊपर से जस का तस आरोपित नही किया जा सकता। प्रत्येक समाज उसे अपनी संस्कृति के अनुसार संसोधित तथा परिवर्तित करके ही ग्रहण करता है।

6. कुछ अनिवार्य पूर्वापेक्षाऍ (Some Important Prerequisites) – आधुनिकीकरण की सफलता के लिए कुछ अनिवार्य पूर्वापेक्षाऍ है जैसे – उन्नत और आधुनिक यातयात व संचार व्यवस्थाऍ, ज्ञान विान की उन्नत संस्थाएं, ऊर्जा के, पवन ऊर्जा के नए स्त्रोत, बैंकिग व साख की वित्तीय संस्थाए आदि।

7. एक वैचारिकी भी (Ideology) – आधुनिकीकरण एक आन्दोलन है इसलिए एक नि"चत वैचारिकी भी इसमें निहित है।यह वैचारिकी कुछ नि"चत मूल्य, उन्मेषों और व्यवहार प्रतिमानों की समन्वित व्यवस्था है।

8. सहगामी प्रकियाऐं (Associative Processes) – आधुनिकीकरण के साथ कुछ सहगामी प्रकियाऐं भी है जिनमें से तीन प्रमुख है – पि"चमीकरण, औधोगिकीकरण और लौककीकरण 19 वीं शताब्दी में एि"ाया और अफ्रीका के अधिकां"ा दे"ा पि"चमी यूरोपीय राष्ट्रों के साम्राज्य में रहे। अतः उन दे"ाों में पि"चमीकरण की प्रकिया घटित होना साम्राज्यवाद का स्वाभाविक परिणाम था। औद्योगिकीकरण, आधुनिकीकरण का एक आव"यक भाग है, वह समूचा आधुनिकीकरण नही है। लौकिकीकरण भी इस प्रकार धर्म के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के क्षेत्र को परिलक्षित करता है।

9. एक नियोजित सचेतन प्रकिया (A Planned conscious process) – नवोदित राष्ट्रों में आधुनिकीकरण के योजनाबद्ध प्रयास किए जा रहे है। इसलिए यह प्रकिया अधिकां"ातः लक्ष्यबद्ध चेतन प्रकिया है।

10. **कीमत अथवा लागत का तत्व भी निहित (Element of cost present)** – आधुनिकीकरण की प्रकिया में समाज को इच्छित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कुछ त्यागना भी पडता है। यह त्याग भौतिक व मानवीय दोनो ही प्रकार के संसाधनों के रूप में होता हैं इसके अतिरिक्त, परम्परागत संरचनाओं के टूटने से उत्पन्न असन्तुलन और अव्यवस्था का कष्ट भी झेलना पउता है। इस भॅाति यह कहा जा सकता कि आधुनिकीकरण में लागत का तत्व भी अनिवार्य रूप से जुडा है।

11. गति"ाीलता **(Mobility)** – आधुनिकीकरण की प्रकिया गति"ाीलता की एक प्रकया है। यह परिवर्तन से समन्धित एक अग्रगामी प्रकिया है। जैसे ही किसी परम्परागत कृषिप्रधान समाज में आधुनिकीकरण की प्रकिया घटित होनी शुरू होती है वैसे ही व्यक्तियों की जीवन द"ााओं में मौलिक परिवर्तन स्पष्ट रूप से दिखाई देने लगता है।

12. **अपरिवर्तनीयता (Unchangeability)** – आधुनिकीकरण की प्रकिया अपरिवर्तनीय है। जब एक बार किसी समाज में आधुनिकीकरण की प्रकिया प्रारम्भ हो जाती है तथा इसके परिणामस्वरूप औद्योगिकीकरण, नगरीकरण तथा शैक्षिक विकास में वृद्धि हो जाती है तो उस समाज का भूतकाल में वापिस जाना सामान्यतः सम्भव नही होता। इसमें समय समय पर थोडा बहुत व्यवधान उत्पन्न हो सकता है परन्तु यह प्रकिया अपरिवर्तनीय है तथा निर्दे"ात व इच्छित लक्ष्य की प्राप्ति की दि"ाा में निरन्तर होती रहती है।

1. **विकासवादी प्रवृति (Progressive Nature)** – क्रान्तिकारी प्रकिया होने के साथ साथ आधुनिकीकरण विकासवादी प्रकृति वाली भी है। इसे विकासवादी प्रकिया इसलिए कहा जाता है क्योंकि आधुनिकीकरण को होने में शताब्दियों का समय लगता है। यद्यपि विभिनन समाजों में आधुनिकीकरण की गति तथा मॉडल भिन्न भिन्न हो सकते है। तथापि इस प्रकिया के परिणामस्वरूप सभी समाज परम्परा से आधुनिकता की और अग्रसर होते है।

2.11 – भारत में आधुनिकीकरण के परिणाम (Consequences of Modernization in India)

भारत में आधुनिकीकरण का प्रारम्भ पि"चमीकरण की तरह अंग्रेजी शासनकाल में पि"चमी ि"ाक्षा, नवीन प्र"ाासनिक व्यवस्था तथा आधुनिक उधोगों के विकास के परिणामस्वरूप हुआ। तब से लेकर आज तक आधुनिकीकरण की प्रकिया निरन्तर हमारे समाज में हो रही है तथा इसका आद"ा प्रतिमान आज केवल इंग्लैण्ड ही नही है, अपितु यूरोप के अन्य दे"ा, अमेरिका, रूस, तथा जापन इत्यादि भी है। भारत में आधुनिकीकरण की प्रकिया के परिणामस्वरूप आने वाले प्रमुख परिवर्तन (अथवा इसके प्रमुख परिणाम) निम्नलिखित है।

1. **नवीन वर्गो का उदय (Rise of new Classes)** – आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप भारतीय ग्रामीण समाज में नवीन वर्गों, वि"ाेष रूप से मध्यम वर्ग तथा वि"ाष्टजन वर्ग का जन्म हुआ है। आधुनिक सुविधाओं के कारण सर्वप्रथम उच्च जातियों के लोगों ने व्यावसायिक लाभ ही नही उठाया अपितु नौकर"ााह एवं तकनीकी वि"ाेषज्ञों जैसे पदों पर नियुक्ति के कारण वे अपनी परम्परागत सत्ता को मजबूत बनाए रखने में सफल रहे। फिर भी इस नवीन मध्यम एवं वि"ाष्टजन वर्गो की भारतीय समाज को आगे बढाने में महत्वपूर्ण भूमिका रही है।

2. जनता का राजनीतिकरण (Politicization of masses) – आधुनिकीकरण के कारण आज भारतीय समजा के विभिनन वर्गो का राजनीतिकरण अत्यन्त तीव्रता से हो रहा है तथा इससे गॉव, जाति, धर्म इत्यादि में महत्वपूर्ण परिवर्तन हो रहे है। प्रजातन्त्र के आधुनिक मूल्यों को पंचायत तथा प्रादे"ाक एंव राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले सुदृढ बना रहे है तथा जनता के राजनीतिकरण में राजनीतिक दल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे है।

3. "ाक्षा एवं गति"ाीलता में वृद्धि (Increase in education and mobility) – आधुनिकीकरण के कारण "ाक्षा प्राप्ति से सम्बन्धित परम्परागत दृष्टिकोण एवं निषेध समापत हो रहे है तथा इससे "ाक्षा का विस्तार हुआ है और सामाजिक गति"ाीलता में वृद्धि हुई है। "ाक्षा सुविधाओं से निम्न जातियों में आत्मसम्मान बढा है तथा उन्हे आगे बढने से अधिक अवसर प्राप्त हुए है।

4. नगरीकरण (Urbanization) – आधुनिकीकरण ने नगरीकरण की प्रकिया को भी प्रोत्साहन दिया है क्योकि इससे परम्परागत व्यवसायों की समाप्ति ही नही हुई है अपितु गति"ाीलता एंव नौकरी की सम्भावनाओं में भी वृद्धि हुई है। साथ ही, क्योंकि अधिकां"ा उधोग नगरीय क्षेत्रों में ही खुले है अतः नगरों में ग्रामीण लोगों को रोजगार मिलने की सम्भावनाओं में वृद्धि हुई है।

5. लौकिकीकरण (Secularization) – आधुनिकीकरण तार्किक एंव वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सम्बन्धित है अतः इसने भारतीय समाज में लौकिकीकरण अथवा धर्मनिरपेक्षीकरण लाने में भी काफी सहायता दी है। आज भारत एक लौकिक राज्य है।

6. नियोजित सामाजिक परिवर्ततन (Planned social change) – आधुनिकीकरण केवल मात्र परिवर्तन की एक प्रकिया ही नही है अपितु इसका लक्ष्य आर्थिक सम्पन्नता एवं राजनीतिक स्थिरता लाकर दे"ा को विकसित दे"ाों की तरह ओगे बढाने में सहायता देना भी है। अतः इससे नियोजित सामाजिक परिवर्तन को प्रोत्साहन मिला है ताकि हम अपने लक्ष्यों को समयबद्ध योजनाओं द्वारा प्राप्त कर सकें।

7. समस्याओं में वृद्धि (Incraseb in Problems) – आधुनिकीकरण के अच्छे परिणामों के साथ साथ इसका एक दूसरा पक्ष भी है। इससे हमारे समाज में अनेक समस्याएं भी उत्पन्न हो गई है। उदाहरणार्थ इससे व्यक्तिवादिता में वृद्धि हुई है तथा संयुक्त परिवार एवं विवाह की संस्थाएं इससे प्रभावित हुई है। जनता में विकसित नवनी आ"ााओं एंव मॉगों में वर्तमान स्थिति के प्रति असन्तोष बढा है। नवीन तथा परम्परावादी मान्यताओं में संघर्ष ने भी मानसिक तनाव एवं असामंजस्य बढाने में सहायता दी है।

2.12 आधुनिकीकरण पर समाज"ाास्त्रियों के विचार

डा0 एस0सी0दुबे के विचार – दुबे का मत है कि भारतीय गॉव में परम्परा और आधुनिकता विरोधाभास के रूप में मौजूद है। हमने विकास की योजनाएं बनायी है और यह पाया है कि परम्पराएं उनमं बाधक सिद्ध हुई। जातीयता व साम्प्रदायिकता ने राष्ट्रीय दृष्टिकोण में रोड पैदा किया है। धर्म निरपेक्षता के मार्ग में पवित्रता और अपवित्रता की प्रचीन धारणा बाधक रही है। विवेक के विकास में धर्म और धार्मिक संस्कार तथा कर्मकाण्ड बाधक है। प्रदत्त व अर्जित पदों का तालमेल नही बैठ पाया है। परम्परा प्रदत्त पदों को चाहती है तो आधुनिकता अर्जित पदों

की पुष्टि करती है। आधुनिकता तटस्थता चाहती है तो परम्परा भावनात्मकता। हिन्दुओं के प्राचीन धर्म के सिद्धान्त जैसे कर्म का सिद्धान्त, जीवन चक्र का सिद्धान्त, संस्तरण, खण्डात्मकता, परलोकवाद, पवित्रता अपवित्रता की धारणा, पुरूषों की प्रधानता तथा कौटुम्बिकता, आदि को आधुनिकीकरण के लिए त्यागना होगा, कर्तव्यनिष्ठा और अनु"ाासन को अपनाना होगा। दुबे ने भारत के आधुनिकीकरण के त्यागना होगा, कर्तव्यनिष्ठा और अनु"ाासन को अपनाना होगा। दुबे ने भारत के आधुनिकीकरण में कई बाधाओं का भी उल्लेख किया है। आज का भारत परम्परा और आधुनिकता की दुविधा में फंस गया है। उसके सामने एक द्वन्द है कि वह किस सीमा तक परम्परा को छोडे एवं किस सीमा तक आधुनिकता को अपनाये।
74.3 प्रति"ात लोग जो गॉवों में रहते है, परम्परावादी है और गॉव में आज भी कई परम्पराऐं ऋग्वेद काल से चली आ रही है, दूसरी और गॉव आधुनिकता से बिल्कुल अछूते नही है। यातायात, रेल, मोटर, सडक, संचार, रेडियों, समाचार पत्र, "िाक्षा, प्र"ाासन, सामुदायिक योजनाएं, आदि ने वहॉ आधुनिकीकरण की प्रकिया को बढावा दिया है। गॉवों में भौतिक और सांस्कृतिक परिवर्तन ही नही हो रहे है, वरन् नये मूल्य सम्बन्ध व आकांक्षाए भी पनप रहे है। वर्तमान में गॉव समय के साथ साथ चल रहे है तथा जब वे रूढिवादिता के गढ नही रहे है। उन्हे भी परिवर्तन की हवा लगी है, अब उन्हे हम स्थिर और जड नही कर सकते।

गॉवों की समाज व्यवस्था भाईचारा, जाति एवं स्थानीयता पर आधारित थी। परिवार वं"ा एवं जाति से जुडा हुआ था, परन्तु अब उसका स्वरूप बदला है। वास्तव में देखे तो परम्परागत व समसामयिक ग्राम व्यवस्था में एकरूपता व स्थिरता दिखाई देती है, परन्तु उसके विभिन्न अंगो को सजीव रहने वाले आधारभूत सिद्धान्तों में दूरगामी परिवर्तन हुए है और वे नया रूप ग्रहण कर रहे है। डा0 दुबे ने परिवार, जाति, स्थानीयता, धर्म आदि के सन्दर्भ में भी आधुनिकीकरण का उल्लेख किया है। परिवार में व्यक्तिवाद उभर रहा है, जबकि पहले सामूहिकता को महत्व दिया जाता था। अब समूह में लिंग, आयु व सम्बन्ध के आधार पर अधिकारी का निर्धारण न होकर योग्यता, अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर होता है। संयुक्त परिवार के सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्ध न होकर योग्यता, अनुभव तथा ज्ञान के आधार पर होता है। संयुक्त परिवार के सदस्यों के पारस्परिक सम्बन्ध बदले है, स्त्रियों का परिवार में महत्व बढा है। जाति के क्षेत्र में विवाह, व्यवसाय, संस्तरण, कर्मकाण्ड, व पवित्रता की धारणा में परिवर्तन हुआ है, अन्तर्विवाह की धारणा यद्यपि अभी भी दृढ है। जातियों में छुआछूत को कम करने के आन्दोलन हुए है तथा नगरों में विभिन्न जातियों के मेलजोल के अवसर बढे है। गॉवों में भी जजमानी प्रथा व व्यवसाय में परिवर्तन हुए है। राजनीति में अन्तर्जातीय समझौते हुए है। अल्पसंख्यक उच्च जातियों के पास सत्ता और शक्ति है। साथ ही वे बहुसंख्यक निम्न जातियों के दबाव के सामने झुकी है और उनसे समझौते भी किये है। जातियों की पारस्परिक दूरी कम हुई है। जातियां नये रूप में संगठित हो रही है तथा उनके स्थानीय, प्रान्तीय और राष्ट्रीय संगठन बने है। धार्मिक वि"वास के क्षेत्र में भी परिवर्तन हुए है। कर्मकाण्ड व भाग्यवादिता में वि"वास कम हुआ है एवं नास्तिकता बढी है। नयी "िाक्षा प्रणाली, नयी अर्थव्यवस्था, प्र"ाासन, सामुदायिक विकास योजना, नगरीकरण, औद्योगीकरण, यातायात व संचार, प्रेस, अखबार तथा नये सामाजिक एवं धार्मिक आन्दोलनों ने उपरोक्त परिवर्तनों को संजोया है।

डा0 योगे"ा **अटल के विचार** – डा0 अटल की मान्यता है कि भारतीय गॉव में परम्परा व आधुनिकता साथ साथ चल रही है। वे इसे परिवारों के उदाहरण द्वारा इस प्रकार स्पष्ट करते है कि नयी ि"ाक्षा और नये व्यवसाय के कारण लोग शहरों में आकर रहते है तथा यहॉ उसकी परिवार व्यवस्था में भी परिवर्तन आते है। स्थानीय दूरी ने परिवारिक दूरी अधिक नही बढायी है और सदस्यगण विवाह, त्यौहार, उत्सव, जन्म, मृत्यु और छुट्टियों के अवसर मिलते है। विवाह पर खर्च चाहे केन्द्रीय परिवार करे, परन्तु विवाह निमन्त्रण पत्रिका पर पितृवं"ाीय कुल के बुजुर्ग के ना अंकित रहते है। करों ने भी परिवार के ढांचे को बदला है। आयकर के कारण दुकानों के खाते अलग अलग सदस्यों के नाम से चलते है। वे मकान और भूमि का बंटवारा कर देते है। घर और कार्यालय की परिस्थितियॉ भिन्न भिन्न है। ऑफिस से लौटकर नयी पो"ााक के साथ ही आधुनिकता को भी लोग खूंटी पर टांग देते है और धोती पहनकर भोजन करते है।

2.13 अभ्यास प्र"न

1. किसने कहा है कि मानवावाद तथा बुद्धिवाद परिचनीकरण का एक अंग है।
(a) श्री निवास (b) लिंच
(c) योगेन्द्र सिंह (d) एस0सी0 दूबे
2. मॉडरनाजे"ान ऑफ इण्डियन ट्रेडि"ान किसकी पुस्तक है।
(a) आन्द्रबेतेई (b) श्री निवास
(c) मजूमदार (d) योगेन्द्र सिंह
3. प"िचमीकरण का भारतीय समाज पर प्रभाव पडा है।
(a) चेतन रूप में (b) अचेतन रूप में
(c) अव्यक्तिक रूप में (d) चेतन तथा अचेतन रूप में
4. श्री निवास ने प"िचमीकरण की अवधारणा किस राज्य के माध्यम से बनायी है।
(a) मैसूर (b) तमिलनाडू
(c) विदर्भ (d) संयुक्त प्रान्त
5. आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन के लेखक कौन है।
(a) योगेन्द्र सिंह (b) आइजन स्टैड
(c) एस0एल0 शर्मा (d) श्रीनिवास
6. मार्डनाइजे"ान प्रोटेस्ट एण्ड चेज पुस्तक के लेखक है।
(a) योगेन्द्र सिंह (b) आइजन स्टैड
(c) मैकिम मैरिएट (d) ये सभी
7. आधुनिकीकरण को प्रोद्योगिक वृद्धि के रूप में किसने परिभाषित किया है।
(a) मोरिएन जे लेबी (b) डेनियल लर्नर
(c) योगेन्द्र सिंह (d) रूडोल्फ एण्ड रूडोल्फ
8. मार्डनाइजे"ान एण्ड एजूके"ान पुस्तक के लेखक है।
(a) डा0 राजकृष्णा (b) एस0सी0 दूबे
(c) सी0ई0 ब्लैक (d) बी0बी0 शाह
9. आधुनिकीकरण का क्षेत्र जीवन के सभी पहलुओ तक मानते है।
(a) एस0 सी0 दूबे (b) ए0 आर0 देसाई
(c) वी वी शाह (d) डी0एल0 धनागरे

10. आधुनिक के स्थान पर विकसित तथा परम्परा के स्थान पर अनुगामी खण्डों का प्रयोग किसने किया है।
(a) एस0सी0 दूबे (b) सील्स
(c) बैनडिक्स (d) यागे"ा अटल
11. गॉव में भारत की कितनी आबादी रहती है।
(a) 85 प्रति"ात (b) 72 प्रति"ात
(c) 65 प्रति"ात (d) 40 प्रति"ात
12. माइर्नाइजे"ान इण्डियन पीजेन्टस किसकी पुस्तक है।
(a) योगे"ा अटल (b) सुरेन्द्र जेटली
(c) एम0एन0श्रीनिवास (d) डी0एन0 मजूमदार
13. रिलीजन एण्ड द सोसाइटी एण्ड द अमंग द कुर्ग्स ऑफ साउथ इण्डिया पुस्तक के लेखक कौन है।
(a) एस0सी0 दूबे (b) एम0एन0 श्रीनिवास
(c) आन्द्रे बेतेई (d) कैथलिन गफ
14. संस्कृतिकरण अवधारणा को प्रस्तावित किया।
(a) एम0एन0 श्रीनिवास (b) एस0सी0 दूबे
(c) मैकिम मैरिएट (d) रैडफील्ड
15. संस्कृतिकरण के क्षत्रिय आद"ा की चर्चा की है।
(a) पोकाक (b) मिल्टर सिंगर
(c) योगेन्द्र सिंह (d) ए अयप्पन
16. कास्ट इन इण्डिया पुस्तक में हट्टन ने किस प्रभु जाति का हरिजनों के साथ संघर्ष का वर्णन किया है।
(a) जाट (b) गुर्जर
(c) कल्लर (d) ओक्का
17. अ"प"यता अपराध निवारण अधिनियम कब पारित हुआ।
(a) 1959 (b) 1955
(c) 1956 (d) 1957
18. वि"ोष विवाह अधिनियम कब पारित कियाग गया।
(a) 1954 (b) 1955
(c) 1956 (d) 1856
19. पुनः संस्कृतिकरण की अवधारणा का प्रयोग किसने किया है।
(a) एम0एन0 श्रीनिवास (b) योगेन्द्र सिंह
(c) रामकृष्ण मुकर्जी (d) राधा कमल मुकर्जी
20. सार्वभौमीकरण एवं स्थानीयकरण की अवधारणा किसने दी है।
(a) राबर्ड रैडफील्ड (b) मैकिम मैरिएट
(c) आन्द्रे बिताई (d) मिन्टर सिंगर

2.14 – सांरा"ा

प्रो0 श्यामाचरण दुबे ने समकालीन भारतीय समाज में आधुनिकीकरण का वि"लेषण किया है। इन्होने आधुनिकीकरण के सकारात्मक तथा नकारात्मक दोनों प्रकार के परिणामों की और हमारा ध्यान आकर्षित करने का प्रयास किया है। सकारात्मक परिणामों में उन्होने भारत का तीन युद्धों

का सफलतापूर्वक सामना करना, नेतृत्व संकट के समय प्रजातान्त्रिक व्यवस्था का बने रहना, कृषि और आद्यौगिक क्षेत्र में उत्पादन का कई गुना बढ जाना इत्यादि को सम्मिलित किया है। नकारात्मक परिणामों में उन्होने आर्थिक संकट, सरकारी सत्ता का कमजोर होना, हिंसा की वृद्धि, नैतिकता का पतन, भूखमरी और बेरोजगारी में वृद्धि, प्र"ाासन व्यवस्था मे भ्रष्टाचार इत्यादि को सम्मिलित किया है।

एफ0जी0 वैली के द्वारा अपनी पुस्तक Caste and Econimic Frontier 1957 में स्पष्ट किया गया है कि संस्कृतिकरण अवधारणाओं के एक पुंज को व्यक्त करता है और यह असंगत एवं ढीली अवधारणा है। संस्कृतिकरण की अवधारणा गॉव, खेडो, और नगरों में हो रहे सांस्कृतिक परिवर्तन के अन्तर्गत चल रही संस्कृति, संक्रमण की प्रकियाओं को समझने में भी असमर्थ है इसलिए भारतीय गॉव में चल रही संस्कृति संक्रमण की प्रकियाओं के वर्णन के लिए हमें एक अवधारणा के स्थान पर अनेक अवधारणाओं की आव"यकता है।

संस्कृतिकरण पि"चमीकरण और आधुनिकीकरण ऐसी अवधारणाए है जिनमें सैद्धान्तिक दृष्टि से नि"चतता का अभाव है लेकिन सत्यता पर जोर देने वाली अवधारणाओं के रूप में उनमें काफी उपयुक्तता और व्यवहार्यता है ये अवधारणाऐं अनुभविक अवलोकनों पर आधारित है और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कई पक्षों के सम्बन्ध में अवलोकनों पर आधारित है और सांस्कृतिक परिवर्तनों के कई पक्षों के सम्बन्ध में अन्तदृष्टि प्रदान करती है ये अवधारणाऐं सांस्कृतिक परिवर्तन का ही वि"लेषण कर पाती है, परन्तु सामाजिक सरंचना में होने वाले परिवर्तनों की व्याख्या नही भारतीय ग्रामीण समाज में चल रही परिवर्तन प्रकियाओं का वि"लेषण करने में सहायता प्रदान करने की दृष्टि से इन अवधारणाओं की उपयुक्तता काफी सीमित है।

2.15 – शब्दावली

सामाजिक व्यवस्था : कर्ता जब किसी किया को करता है तो उसका अभिस्थापन अभिप्रेरणा और मूल्यों द्वारा निर्धारित होती है कर्ता जब एक दूसरे के सम्पर्क में आते है तब उनमें अन्तः कियाऐं होती है और जब बार बार अन्तः कियाए होती है तब ये अन्तः कियाऐं प्रस्थिति, भूमिका व मानक के बीच होती है अपनी आव"यकताओं को पूरा करने के लिए कर्ता बार–बार मिलते है और इस तरह से सामाजिक संरचना का निर्माण होता है इस प्रकार सामाजिक व्यवस्था और कुछ न होकर व्यक्तियों के बीच होने वाली अन्तः कियाए है।

2.16 – अभ्यास प्र"नों के उत्तर

1ण C 2. D 3. D 4. A 5. D 6. B 7. A 8. B 9. B 10. C 11. B 12. B 13. B 14. A 15. A 16. C 17. B 18. A 19. B 20. B

2.17 – सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

डा0 धर्मवीर महाजन एवं डा0 कमले"ा महाजन (2014) समाज"ाास्त्र पेज 94–115
प्रो0 एम0एल0 गुप्ता, एवं बिमले"ा गुप्ता साहित्य भवन पब्लिके"ान पेज 112–126

2.18 – सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री

- एम0एन0 श्रीनिवास (1966) आधुनिक भारत में सामाजिक परिवर्तन, बर्कले यूनिवर्सिटी आफ कोलिफोर्निया प्रेस
- योगेन्द्र सिंह (1986) भारतीय परम्रा एवं आधुनिकता, जयपुर रावत पब्लिके"ान
- डी0 हेरीसन (1989) आधुनिकीकरण एवं विकास का समाज"ाास्त्र, नई दिल्ली

2.19 निबन्धात्मक प्र”न

1. संस्कृतीकरण की अवधारण स्पष्ट कीजिए।
2. आधुनिकीकरण से आप क्या समझते है आधुनिकीकरण की वि”ोषताओं का उल्लेख कीजिए।
3. आधुनिकीकरण से आप क्या समझते हो, भारतीय ग्रामीण समाज पर आधुनिकीकरण के द्वारा पडने वाले प्रभाव का उल्लेख कीजिए।
4. भारत में सामाजिक परिवर्तन का वि”लेषण किन प्रकियाओं के आधार पर किया जा सकता है।
5. पि”चमीकरण का अर्थ स्पष्ट करते हुए पि”चमीकरण की वि”ोषताओं का उल्लेख कीजिए।
6. आधुनिकीकरण का क्या अर्थ है ? यह भारतीय ग्रामीण समाज में सामाजिक परिवर्तन लाने में कहा तक उत्तरदायी है।
7. संस्कृतीकरण की प्रकिया भारत में जाति प्रथा को कैसे कैसे प्रभावित कर रही है। समझाइयें।

इकाई 3 : ग्रामीण सामाजिक समस्यांए (Rural Social Problems)

3.1 उद्दे”य
3.2 प्रस्तावना
3.3 ऋणग्रस्तता के कारण
- ऋणग्रस्तता के दुश्परिणाम
- ऋणग्रस्तता को दूर करने के प्रयास

3.4 विषमता की समस्या
- विषमता के आधार
- ग्रामीण भारत में विषमता
- विषमता दूर करने हेतु सुझाव

3.5 बेकारी की समस्या
- बेकारी की परिभाशा और अर्थ
- बेकारी के प्रकार
- ग्रामीण बेकारी के कारण
- बेकारी के दुश्प्रभाव

3 .6 ग्रामीण निर्धनता की समस्या
- ग्रामीण निर्धनता के कारण
- ग्रामीण निर्धनता के दुष्प्रभाव

3.7 ग्रामीण जनसंख्या की समस्या
- तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण
- ग्रामीण जनसंख्या की समस्या को हल करने के उपाय

3.8 मद्यपान कि समस्या
- मद्यपान के दुष्प्रभाव
- मद्यपान निवारण के उपाय

3.9 सारां”ा
3.10 शब्दावली
3.11 अभ्यास प्र”नों के उत्तर
3.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
3.13 सहायक उपयोगी पाठ्य सामग्री
3.14 निबन्धात्मक प्र”न

3.1 उद्दे”य

इस इकाई के अध्ययन के उपरान्त आप

- समझ सकेंगे भारत की प्रमुख ग्रामीण समस्याएं क्या है।
- प्रमुख भारतीय ग्रामीण समस्याएं कौन सी है।
- ग्रामीण सामाजिक समस्याओं का समाधान किस प्रकार सम्भव है।

3.2 – प्रस्तावना

गॉवों की प्रमुख गम्भीर समस्याओं में एक समस्या ऋणग्रस्तता की है। यहॉ प्राकृतिक साधनों की प्रचुरता, भूमि के उपजाऊपन, खनिज भण्डारों की बहुलता एवं जनसंख्या की वि”ाालता के बावजूद भी ग्रामीण अर्थव्यवस्था पतनोन्मुख है। यहॉ के किसान दरिद्रता और ऋण के बन्धन में जकडे हुए है। दे”ा में समृद्ध कृषि के सभी तत्वों, जैसे कृषि योग्य भूमि की बहुलता, विभिन्न फसलें पैदा करने वाली जलवायु, पानी की सुविधा, परिश्रमी कृषक, आदि के बावजूद भी कृषि पिछडी अवस्था में है और भारतीय ग्राम पर निर्धनता की छाया पडी हुई है। कुछ लोगो को तो दो वक्त की रोटी तक भी नसीब नही होती है। अपनी आव”यकताओं की पूर्ति के लिए ऋण लेना होता है। **यहॉ का किसान ऋण में ही पैदा होता है, जीवन बिताता है, मरता है और पीछे वालों के लिए ऋण ही छोड जाता है।**

3.3 – ऋणग्रस्तता के कारण (Causes of Indebtedness)

1. **कम आय** – ग्रामीण लोगों की आय इतनी कम है कि वे अपनी तथा स्वंय पर आश्रितों की मौलिक आव”यकताओं की पूर्ति नही कर पाते और इसके लिए उन्हे ऋण लेना होता है। उनके पास भूमि की मात्रा बहुत कम है। जो कुछ भूमि है वह भी पारिवारिक विभाजन के समय छोटे छोटे टुकडों में बॅट जाती है और वह कम उत्पादक हो जाती है।
2. **भूमि पर जनसंख्या का अधिक दबाव** – भारत में अन्य दे”ाों की तुलना में जनसंख्या अधिक है। कृषि योग्य भूमि की कमी और उस पर दिनों दिन बढती जनसंख्या का भार ग्रामीणों को ऋण लेने के लिए मजबूर करता है।
3. **कुटीर उधोगों का अभाव** – अंग्रेजों के आने से पूर्व गॉवों में कुटीर व्यवसायों की बहुलता थी। ग्रामीण लोग कृषि के साथ–साथ उधोगों से भी जीवन यापन करते थे, किन्तु औधोगीकरण के कारण ग्रामीण कुटीर व्यवसाया चौपट हो गए और किसानों के पास केवल भूमि ही जीवन यापन के साधन के रूप में रह गई। कृषि से अवका”ा के बाद अब वे खाली बैठे रहने लगे। इसका प्रभाव उनकी आय पर भी पडा।
4. कृषि की अनि”चितता – भारतीय कृषि वर्ष का जुआ है। अतिवृष्टि, अनावृष्टि, कीडे–मकौडों को प्रकोप एवं अन्य प्राकृतिक विनदांए कृषि उपज को नष्ट कर देती है और कठोर परिश्रम के बाद भी उसे कभी कभी तो कुछ भी हाथ नही लगता है।
5. **सामाजिक रीति रिवाज** – ग्रामीण लोग अनेक सामाजिक समस्याओं से जकडे हुए है। दहेज, मृत्यु–भोज, जन्म, त्यौहार, विवाहर आदि के खर्चो के लिए भी वे ऋण लेते है।

6. अ"िक्षा – अधिकां"ा ग्रामीण लोग अ"िाक्षित है। इसका लाभ साहूकार लोग उठाते है। उन्हे दिये जाने वाले ऋण का हिसाब वे नही कर पाते। ऋण पत्रां पर कुछ भी लिखकर उनसे अंगूठा करा लिया जाता है। इस ऋण को वे चुकान में असमर्थ होते है।

- **ऋणग्रस्तता के** दुष्परिणाम

ऋणग्रस्तता के परिणामस्वरूप ग्रामीण लोगों में अनेक बुराइंया पैदा हुई है। उन्हे भर पेट भोजन भी नही मिल पाता है। इससे वे रोगी बन जाते है और चिकित्सा की सुविधांए भी नही जुटा पाते। इन सभी का प्रभाव उनकी कार्यक्षमता पर पडता है। वे कृषि में उन्नत खाद, बीज, आदि का प्रयोग नही कर सकते। वे अकु"ाल श्रमिक का कार्य ही कर सकते है, दक्ष श्रमिक का नही क्योंकि वे साधनों के अभाव में ि"ाक्षा और प्र"िाक्षण प्राप्त नही कर सकते है। ऋणग्रस्तता बेगारी व दासता के लिए भी उत्तरदायी है।

- **ऋणग्रस्तता को दूर करने के प्रयास**

1. समस्त ग्रामीण ऋणों को समाप्त कर दिया जाए और राज्यका भूमिकर कम किया जाए।
2. ण भूमि सम्बन्धी अधिकार तथा ऋण सम्बन्धी सभी दावे रद्द कर दिए जाऐं।
3. ग्रामीण जीवन को संगठित करने के लिए पुनः एक नया प्रयास किया जाए जिसमें न कोई जमींदार हो, न ऋणी और न ही भूमिकर का भारी बोझ।
4. ग्रामीण क्षेत्रों में उत्पादन की शक्तियों को विकसित किया जाए। मानव की उत्पादक क्षमता में वृद्धि की जाए एवं कृषि के भार को कम किया जाए।

3.4 – विषमता की समस्या (The Problem of Inequality)

विषमता अथवा असमानता आधुनिक वि"व की एक प्रमुख सामाजिक समस्या है जिसके परिणामस्वरूप अनेक अन्य समस्याऐं उत्पन्न होती है। आज के युग की प्रमुख वि"ोषता यह है कि हर कहीं व्यक्ति अपने को समानता के सिद्धान्त से सम्बन्धित मानते है, जबकि वे अपने स्वंय के तथा अन्य लोगो के जीवन में विषमता या असमानता पाते है। वर्तमान युग की दो प्रमुख राजनीतिक विचारधारांए प्रजातन्त्र तथा समाजवाद दोनो ही सभी मनुष्यों की समानता पर आधारित है। परन्तु दोनो ही प्रकार की समाज व्यवस्था वालें समाजों में विषमता देखने को मिलती है। इतना अव"य है कि समय एवं स्थान के अनुसार विषमता के स्वरूप या प्रकार में भिन्नता पाई जाती है। औधोगीकरण के फलस्वरूप विषमता के कुछ पुराने स्वरूप लुप्त हो गई तथा उनके स्थान पर कुछ नये स्वरूप उभर का सामने आयें जहॉ यूरोप तथा उत्तरी अमेरिका में आर्थिक प्रगति के कारण निर्धनता के कम होने से विषमताएं प्रकट रूप से कम दिखाई देती है वहॉ ए"िाया के निर्धन दे"ाों में विषमताएं अधिक पाई जाती है, तीसरे वि"व के दे"ाों में जिनमें भारत भी एक है, असमानता या विषमा के परम्परागत स्वरूप आज भी देखने को मिलते है।

- विषमता **(असमानता) के आधार (Basis of Inequality)**

1. एक ही समाज के लोगो की आय में पर्याप्त भिन्नता देखने को मिलती है। आय सम्बन्धी इस भिन्नता के परिणामस्वरूप व्यक्तियों के भोजन, वस्त्र, मकान, आभूषण तथा जीवन स्तर में अन्तर पाये जाते है। इन अन्तरों के कारण विषमताएं उत्पन्न होती है।

2. व्यवसाय सम्बन्धी भेद भी कई प्रकार की विषमता के लिए उत्तरदायी है। व्यवसायों में ऊॅच–नीच का एक संस्तरण पाया जाता है। जहॉ किसी व्यवस्था को अधिक प्रतिषठित माना जाता है, वही किसी व्यवसाय हीनता की दृष्टि से भी देखा जाता है। विभिन्न व्यवसायों का इस प्रकार का मूल्यांकन इनमें लगे हुए व्यक्तियों में विषमता को पनपाता है।
3. ि"ाक्षा सम्बन्धी अन्तर विषमा को पनपाते है। साधन सम्पन्न लोगो के बच्चों को जहॉ पब्लिक स्कूलों में पढने की सुविधा उपलब्ध है, वहॉ गरीब लोगो के बच्चों को अभावमय स्थिति में सामान्य स्कूलों में पढना पडता है। जहॉ एक और कुछ गिने चुने लोगो उच्च एवं व्यावसायिक ि"ाक्षा प्राप्त करने तथा प्रतियोगी परीक्षाओं के माध्यम से उच्च पदों पर आसीन होने के अवसर प्राप्त है वहाॅ दूसरी और अधिकां"ा लोगो को ये अवसर समान रूप से उपलबध नही है।
4. शक्ति (Power) एवं सत्ता के वितरण में असमानता भी विषमता के लिए उत्तरदायी है। जिन लोगों के पास सैनिक शक्ति सत्ता और शासन की बागडोर होती है, उनकी स्थिति उन लोगो से ऊॅची होती है जो सत्ता एवं शक्तिविहीन होते है।
5. पद सम्बन्धी अन्तर के कारण भी विषमता पनपती है। आन्द्रे बिताई ने लिखा है कि पद का सम्बन्ध सम्पत्ति एवं शक्ति से नही वरन आदर और प्रतिष्ठा से है पद का निर्णय कई तरह से हो सकता है, जैसे परम्परागत भारत में यह संस्कार शुद्धता से होता था, मध्यवर्ती यूरोप में प्रतिष्ठा तथा शौर्य से या फिर प्रचीन चीन की तरह विद्धतापूर्ण उपलब्धि से। स्पष्ट है कि विभिन्न समाजों में पद सम्बन्धी अन्तर के आधार अलग अलग रहे है, परन्तु इतना अव"य है कि इस अन्तर के कारण विषमता पनपी है।
6. सम्पत्ति के आधार पर सभी समाजों में स्तरीकरण किया जाता है और सम्पत्ति काफी कुछ मात्रा में विषमता के लिए उत्तरदायी है।

- **गामीण भारत में सामाजिक विषमता (असामानता)**

भारतीय ग्रामीण समाज में विषमता के प्रमुख तीन आधार है – जाति व्यवस्था, वर्ग व्यवस्था, एवं भूस्वामित्व। जाति एवं वर्ग का उल्लेख हम पूर्व में कर चुके है। यहॉ भूस्वामित्व को भूमि कीा मात्रा के आधार पर इस प्रकार से वगीकृत किया जा सकता है।

1. सीमान्त किसान – ऐसे किसान जिनके पास एक हेक्टेयर से कम भूमि है। सीमान्त किसान दे"ा में 61.58 प्रति"ात है। 1995–96 में दे"ा में कुल जोतों का 62 प्रति"ात भाग इस श्रेणी में आता है।
2. लघु किसान – जिनके पास एक से दो हेक्टेयर तक भूमि है। दे"ा में 19 प्रति"ात है।
3. अर्द्ध मध्यम किसान – जिनके पास दो चार हेक्टेयर भूमि है। दे"ा में ऐसी जोतें 12.2 प्रति"ात है।
4. मध्यम किसान – जिनके पास 4 से 10 हेक्टेयर भूमि है इनका प्रति"ात 1.2 है। खेतिहर मजदूर, सीमान्त किसान एवं छोटे किसान मिलकर कुल ग्रामीण परिवारों के 75 प्रति"ात भाग का निर्माण करते है।

- **विषमता दूर करने कुछ प्रयत्न एवं सुझाव**

भारतीय ग्रामों में असमानता को दूर करने हेतु अपनाये गए कदम एवं सुझाव इस प्रकार है :

1. ग्रामीण भारत के स्वर्ण और अस्वर्ण जातियों में आज भी काफी विषमता देखने को मिलती है इसे दूर करने` लिए विषमता के सामाजिक एवं धार्मिक आधारों को कमजोर करना होगा।
2. आर्थिक विकास विषमता को दूर करने की दृष्टि से आव"यक है, परन्तु केवल इसे ही पर्याप्त नही माना जा सकता।
3. आर्थिक विकास के साथ साथ महत्वपूर्ण कानूनी एवं राजनीतिक परिवर्तन लाने की दृष्टि से प्रयत्न करना भी आव"यक है ताकि विषमता को दूर किया जा सके। टी0एच0 मा"ल ने इग्लैण्ड में पहले कानूनी समता, फिर राजनीतिक समता और अन्त में नागरिक समता के विकास का विस्तार से वर्णन किया है।
4. पिछडे हुए लोगो जैसे भूमिहीन किसानो, हरिजनों, जनजातियों या पददलित समूहों के लाभ के लिए कई विकास कार्यक्रम वि"ाषतः प्रारम्भ किए गए है। भारत में पिछडे वर्गो के लिए आरक्षण की नीति का उल्लेख किया जा सकता है।
5. विषमता को दूर करने एवं समता लाने के लिए भूमि एवं पूंजी का पुनर्वितरण जहॉ आव"यक है, वहॉ साथ ही आय का पुनर्वितरण भी जरूरी है। जिन क्षेत्रों में नीवन प्रोधौगिकी का सफलतापूर्वक प्रयोग किया जा सका है, वहॉ भू स्वामियों का मुनाफा अव"य बढा है, परन्तु साथ ही कृषि श्रमिकों की मजदूरी भी बढी है और कई स्थानों पर तो तेजी से तथा पर्याप्त मात्रा में।
6. कुटीर उधोग धन्धों का तेजी से विकास किया जाए। इस हेतु प्र"िाक्षण, प्रौधोगिक ज्ञान एवं वित्तीय सुविधाओं की व्यवस्था उन लोगो के लिए की जानी चाहिए जो वास्तव में जरूरतमन्द है।

3.5 – बेकारी की समस्या (अवधारणा) The Problem of Unemployment

बेकारी भी गॉवों की एक गम्भीर आर्थिक समया है। औधोगीकरण ने जहॉ अनेक सुविधाऐं प्रदान की है, वही ग्रामीण कुटीर व्यवसायों को नष्ट भी किया है और कृषि के अतिरिक्त शेष समय में ग्रामीणों द्वारा किए जाने वाले व्यवसायों को चौपट कर दिया, इससे गॉवों में बेकारी की समस्या पैदा हुई।

- **बेकारी की परिभाषा और अर्थ**

बेकारी शब्द की उत्पत्ति और सर्वमान्य परिभाषा उपलब्ध नही है। इसलिए ही प्रो0 पीगू कहते है "बेकारी उन विभिन्न शब्दों में से एक है जिनका साधारण व्यक्ति प्रयोग करते है तथा जिसका साधारण अर्थ लगभग सभी जानते है, परन्तु जिसकी ठीक व्याख्या करना कठिन है।

बेकारी की परिभाषा करते हुए फेयरचाइलड ने लिखा है "सामान्य द"ााओं तथा सामान्य वेतन दर पर व्यक्ति को बलपूर्वक और अनैच्छिक रूप से वेतन के काम से अलग कर देने की स्थिति।

जी0आर0मदान के अनुसार उस दे"ा में बेकार है जहॉ स्वस्थ शरीर वाले ऐसे व्यक्तियों को मजदूरी के सामान्य स्तर पर काम नही मिल पाता जो काम करना चाहते है।

- **बेकारी के प्रकार**

बेकारी के विभिन्न प्रकार निम्नलिखित है –

1. मौसमी तथा आकस्मिक बेकारी (Seasonal or Causal Unemployment) –अनेक व्यवसाय ऐसे है जिनमें वर्ष में उतार चढाव आते रहते है। कभी उनमें श्रमिकों की अधिक आव"यकता होती है तो कभी बिल्कुल आव"यकता नही रहती। उदाहरण के लिए चीनी उधोग नवम्बर में मई तक चलता है, ऊन उधोग सर्दियों में एवं बर्फ के कारखाने गर्मियों में ही चलते है।
2. प्रौद्योगिकी बेकारी (Technological Unemployment) – उधोगों में म"ीनीकरण एवं नवीन अविष्कारों के फलस्वरूप मानव शक्ति का प्रयोग घटा हैं अनेक उत्पादन के कार्य स्वचालित यन्त्रों के द्वारा होने लगे है और उनमं लगे व्यक्तियों की संख्या कम होती जा रही है। परिणामस्वरूप बेकारी बढती जा रही है।
3. अस्थायी बेकारी (Temporary Unemployment) – ि"ाक्षा या प्रि"ाक्षण समाप्त करने के बाद जब तक व्यक्ति को कोई कार्य नही मिला, उस समय तक वह बेकार रहता है किन्तु ज्योंही उसे किसी व्यवसाय में काम मिल जाता है, वह रोजगार प्राप्त व्यक्तियों की श्रेणी में आ जाता है।
4. घर्षण बेकारी (Friction Unemloyment) – इस प्रकार की बेकारी लोगो की रोजगार सम्बन्धी अवसरों की अनभिज्ञता, श्रमिकों में गति"ीलता का अभाव, म"ीनों की टूट फूट एवं उधोगों में कच्चें माल की कमी, आदि कारणों से उत्पन्न होती है।
5. चक्रीय बेकारी (Cyclic Unemployment) – इस प्रकार की बेकार सम्बनध व्यापारिक चक्रों से है। व्यापार में उतार चढाव के चक्र आते रहते है। जब किसी व्यवसाय में लाभ के अवसर अधिक होते है तो सभी लोग उसे अपनाने लगते है। किन्तु कुछ समय के बाद लाभ की मात्रा कम होने पर उसको छोडने लगते है।

- **ग्रामीण बेकारी के कारण (Causes of Rural Unempolyment)**

1. **आयु (Age Factor)**– आयु की दृष्टि से हम व्यक्त्यिों का विभाजन बालको युवकों और वृद्धों के रूप में कर सकते है। बालको एवं वृद्धों में बेकारी की समस्या युवा लोगो की अपेक्षा गम्भीर है। युवा वर्ग के लोगों को अनुभव की कमी के कारण नये व्यवसायों में प्राथमिकता नही दी जाती।
2. **व्यावसायिक योग्यता (Vocational Fitness)**– कई बार व्यक्ति यह नही जाता कि उसे क्या काम करना चाहिए उसकी क्या रूचि है, और वह किस काम को अधिक योग्यता से कर सकता है। कई बार व्यक्ति किसी भी काम को करने को तैयार हो जाता है।
3. **बीमारी और भारीरिक योग्यता (Illness and Disability)**– जो व्यक्ति स्थायी रूप से या कुछ समय के लिए बीमार होते है, उन्हे भी बेकारी का सामना करना होता है। कारखाना प्रणाली में म"ीनों के कारण होने वाली दुर्घटनाएं बढी है। म"ीन पर काम करते समय िक जाने या नींद आ जाने पर अंग भंग होने के अवसर रहते है, और ऐसे व्यक्ति बेकार हो जाते है।

4. **जनसंख्या में वृद्धि** – भारत में बेकारी का एक महत्वपूर्ण कारण जनसंख्या की तीव्र गति से वृद्धि है। हमारे यहॉ प्रतिवर्ष लगभग 1.70 करोड जनसंख्या बढ जाती है। 1961 में भारत की जनसंख्या 43 करोड थी जो 1971 में 54 करोड, 1981 में 68॰33 करोड तथा 1991 में 84॰64 करोड हो गई। 2001 में भारत की जनसंख्या लगभग 102॰87 करोड हो गई है। जनसंख्या बढने के साथ साथ काम की पूर्ति भी बढती है। परन्तु जिस अनुपात में दे"ा की जनसंख्या बढ रही है, उसी अनुपात में उधोग, व्यवसाय एवं रोजगार के अवसर नही बढ रहे है।
5. **सीमित भूमि** – जनसंख्या में तो वृद्धि हो रही है, किन्तु भूमि तो सीमित है। जनंख्या के बढने के कारण प्रति व्यक्ति कृषि योग भूमि में कमी आती है। भारत में संयुक्त परिवार प्रणाली का प्रचलन रहा है।

- **बेकारी के दुश्प्रभाव (Evil Effects of Unemployment)**

बेकारी एक अभि"ााप है। इसका सबसे बडा दुष्परिणाम गरीबी है जो कि सभी बुराईयों की जड है। बेकार व्यक्ति की सामाजिक प्रतिष्ठा गिर जाती है, उसमें हीनता की भावना पैदा होती है और वह शर्म महसूस करता है। परिवार, रि"तेदार एवं पडोस के लोग बेकार व्यक्ति को उचित सम्मान नही देते। यदाकदा बच्चे ऐसे पिता एवं पत्नी ऐसी पति के प्रति सम्मान खो देते है। बेकारी में पराश्रितता एवं गरीबी बढती है आक्रामक प्रवृति एवं चिडचिडापन पनपता है। जो मित्र मनोरंजन के समय साथ देते थे वे भी अलग हो जाते है। वैयक्तिक असन्तोष से पारिवारिक तनाव पैदा होता है। राजनीतिक असन्तोष एवं क्रान्ति पैदा होती है तथा स्वास्थय पर बुरा प्रभाव पडता है।

3.6. – ग्रामीण गरीबी की समस्या (अवधारणा)

गॉवों में गरीबी एक सामाजिक एवं आर्थिक समस्या है। इसकी उत्पत्ति और स्वरूप बडा जटिल है। ग्रामीण पुनरूत्थान करने वालों के सम्मुख यह एक सामाजिक, नैतिक और बौद्धिक चुनौती है। गरीबी के कारण लोगो को अच्छा भोजन, वस्त्र और निवास नही मिल पाता है।

गरीबी की परिभाषा करते हुए गिलिन एवं गिलिन लिखते है, "गरीबी वह द"ाा है जिसमें एक व्यक्ति या तो अपर्याप्त आय अथवा मूर्खतापूर्ण व्यय के कारण अपने जीवन स्तर को इतना ऊॅचा नही रख पाता कि उसकी शारीरिक एवं मानसिक क्षमता बनी रह सके और उसको तथा उसके प्राकृतिक आश्रितों को अपने समाज के स्तरों` अनुसार उपयोगी ढंग से कार्य करने के योग्य बनाये रख सके।

वीवर के अनुसार "गरीबी एक ऐसे जीवन स्तर के रूप में परिभाषित की जा सकती है जिसमें स्वास्थय और शरीर सम्बन्धी क्षमता नही बनी रहती।

- **ग्रामीण भारत में निर्धनता के प्रमख कारण**

1. **वैयक्तिक कारण** – प्राचीन समय में यह धारणा थी कि अपनी द"ाा के लिए व्यक्ति स्वंय उत्तरदायी है। जब कोई व्यक्ति बीमारी, दुर्घना, मानसिक अयोग्यात, नैतिक पतन, अविवेकपूर्ण खर्च, आदि से ग्रसित होता है तब गरीबी उत्पन्न होती है।

2. **बढती जनसंख्या** भारत में प्रतिवर्ष बढती जनसंख्या की बाढ ने भी गरीबी को बढा दिया है। जिस गति से यहॉ जनसंख्या बढती है, उसी गति से जीवन यापन के लिए साधनों और सुविधाओं में वृद्धि नही होती।
3. **बेकारी** – बेकार होने पर व्यक्ति को दूसरो पर निर्भर होना पडता है। पर्याप्त आय न होने पर वह अपना तथा अपने पर आश्रितों का भरण पोषण नही कर पाता। उत्पादन के साधनों के अभाव में भी बेकार व्यक्ति अर्जन नही कर सकता और उसे अपनी आव"यकताओं को घटाकर निम्न जीवन सतर बिताने के लिए विव"ा होना पडता है।
4. **कृषि का पिछडापन** – कृषि की गिरी हुई द"ाा तथा सिंचाई के साधनों के अभाव के कारण ग्रामीणों को कई बार भूखमरी का सामना करना पडता है। उन्नत खाद, बीज एवं साधनों के अभाव एवं परम्परागत खेती के तरीकों के कारण कृषि की उपज इतनी नही हो पाती कि किसान वर्ष भर के लिए अपने परिवार का भरण पोषण और कुछ बचत कर सके।
5. **सामाजिक कुप्रथाऐं** – हिन्दु समाज में दहेज, मृत्युभोज तथा विवाह से सम्बन्धित कई सामाजिक कुरीतियॉ प्रचलित है। इन रीति रिवाजों के कारण एक व्यक्ति को अपनी आर्थिक क्षमता न होने पर भी सामाजिक प्रतिष्ठा की रक्षा के लिए अधिक खर्च करना पडता है। इसके लिए उसे ऋण लेना होता है या अपनी भूमि व मकान तथा जायदाद को गिरवी रखना या बचेना होता है।

- **निर्धनता के दुश्प्रभाव**

ए0आर0देसाई कहते है, निर्धनता न केवल ग्रामीण लोगो के स्वास्थय तािा जीवन शक्ति पर ही प्रभाव डालती है बल्कि वह उनके सामाजिक व सांस्कृतिक पिछडेपन का कारण भी बनती है। यदि ग्रामीण लोग अ"िाक्षित, अन्धवि"वासी, असंस्कृत है तो इसका यही कारण है कि वे अथाह निर्धनता में डूबे हुए है और अपनी "िाक्षा की व्यवस्था नही कर सकते। इसी कारण वे "िाक्षा तथा सांस्कृतिक संस्थाओं द्वारा प्रदत्त प्राकृतिक तथा सामजिक जगत की वैज्ञानिक जानकारी को बिल्कुल नही प्रातप कर पाते है। उन्नति"ाील सामाजिक तथा सांस्कृतितक जीवन के लिए आर्थिक समृद्धि एक मौलिक पूर्वापेक्षित आव"यकता है।

- **भारत में निर्धनता समाप्त करने के लिए किए गए प्रयत्न**

1. **पंचवर्षीय योजनाएं** – दे"ा में अब तक नौ पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी है और दसवी, पंचवर्षीय योजना के भी तीन वर्ष पूरे हो चुके है। इन योजनाओं में मुद्रा स्फीति को रोकने, खाद्य सामग्री के अभाव को दूर करने, जीवन स्तर को उन्नत करने, कृषि में सुधार करने औद्याेगिक उत्पादन बढाने, कुटीर एवं लघु उधोगों को प्रोत्साहन देने एवं रोजगार के अवसर बढाने सम्बन्धित अनेक प्रयास किए गई है।
2. **कृषि का विकास** – निर्धनता को दूर करने के लिए सरकार ने कृषि के विकास को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है। इस सन्दर्भ में पडत भूमि को जोतने एवं बंजर भूमि को उपजाऊ बनाने का प्रयास किए गए है। किसानों को उन्नत किस्म के बीज, खाद एवं कृषि यन्त्र उपलब्ध कराए गए है जिससे कि उत्पादन में वृद्धि हो। सिंचाई के लिए कुओं, तालाबों नलकूपों छोटे एवं बडे बांधो का निर्माण कया गया है।

3. **परिवार नियोजन** – विभिनन परिवार नियोजन कार्यक्रमों द्वारा बढती जनसंख्या पर रोक लगाई गई है। वर्ष 2006–07 में दे"ा में कुल 387.1 लाख लोगो ने परिवार नियोजन के विभिन्न तरीकों को अपनाया।
4. **ग्रामीण विकास** – ग्रामों के विकास के लिए यहॉ सामुदायिक विकास योजनांए, प्रारम्भ की गई जिनके अर्न्तगत भूमि सुधार, सिंचाई की सुविधा, प"ुपालन, मुर्गीपालन, रेगिस्तान का विकास, स्वास्थय, ि"ाक्षा पीने का पानी, बिजली, सडकों एवं आवास की सुविधा का प्रबन्ध किया गया है।
5. **स्वर्ण जयन्ती शहरी रोजगार योजना** (SJSRY) शहरी क्षेत्रों में गरीबी निवारण के लिए 1 दिसम्बर 1997 से लागू यह योजना पूर्व में चल रही तीन योजनाओं को सम्मिलित करके बनाई गयी। 1. नेहरू रोजगार योजना (NRY), 2. गरीबों` लिए शहरी बुनियादी सेवाएं (UPSP) 3. प्रधानमंत्री की सम्बनधित शहरी गरीबी उन्मूललन योजना (PUIUPEP) इस नई योजना का उद्दे"य शहरी निर्धनों को स्वरोजगार करने के लिए उत्पादक परिसम्पत्तियों का निर्माण करना है। इस योजना की दो वि"ोष स्कीमें है।
6. **अन्नपूर्णा योजना** – 1 अप्रैल 2000 से प्रभावी इस योजना का उद्दे"य 65 वर्ष या उससे उपर के उन लोगो को जो राष्ट्रीय वृद्धावस्था पें"ान स्कीम के अन्तर्गत पें"ान प्राप्त करने के पात्र है, लेकिन जिन्हे पें"ान मिल नही रही है की आव"यकता को पूरा करने के लिए खाद्य सुरक्षा प्रदान करना है। इस योजना के अन्तर्गत प्रति व्यक्ति 10 किग्रा0 खाद्यान्न प्रतिमाह मुफ्त दिया जाता है।

- **निर्धनता समाप्त करने हेतु कुछ सुझाव**

1. **बेकारी को दूर करना** – बेकारी एवं गरीबी का सह सम्बन्ध है। ग्रामीण लोग वर्ष में 4–5 महीने बेकार बैठे रहते है, अतः ग्रामों में कुटीर व्यवसायां की व्यवस्था की जाए।
2. **जनसंख्या पर नियन्त्रण** – तीव्र गति से बढती जनसंख्या हमारे आर्थिक विकास को ि"ाथिल कर देती है। अतः भारतीय संस्कृति एवं समाज के अनुरूप परिवार नियोजन की विधियों का प्रयोग करके जनसंख्या का नियन्त्रण किया जाए।
3. **कृषि व्यव्स्थाओं में सुधार** – कृषि में परम्परागत तरीकों के स्थान पर नवीन तरीकों, उन्नत बी, खाद एवं सिंचाई के नवीन साधनों का उपयोग किया जाए। कृषि में हरित क्रान्ति को बढावा देकर कृषि उत्पादन बढाया जाए। कृषि मजदूरों की न्यूनतम मजदूरी तय की जाए। औद्याोगिक क्षेत्र में सरकार ने न्यूनतम मजदूरी अधिनियम पारित कर इस क्षेत्र में महत्वपूर्ण कदम उठाया है।
4. **तीव्र आर्थिक विकास** – भारत में आर्थिक विकास की गति धीमी रही है। इसके लिए हमें अधिकाधिक औद्योगीकरण एवं ग्रामीण उधोगों के विकास को बढावा देना होगा। इससे बेकारी की समस्या के हल होने के साथ साथ उत्पादन भी बढेगा।

3.7 ग्रामीण जनसंख्या की समस्या (अवधारणा)

जनसंख्या की दृष्टि से भारत वि"व का दूसरा दे"ा है। जहॉ प"िचमी दे"ाों की जनसंख्या घट रही है, वही भारत की जनसंख्या बढ रही है। सन् 1901 में भारत की जनसंख्या 23.83 करोड थी, वहीं यह 2001 में बढकर 102.87 करोड हो गई। यहॉ जनसंख्या का 72.2 प्रति"ात भाग गॉवों में तथा 27.8 प्रति"ाता भाग नगरों में रहता है अर्थात् वर्तमान मे ंदे"ा में 4 व्यक्तियों में से 3 गॉवों में तथा 1 नगर में रहता है। यहॉ प्रतिवर्ष लगभग एक करोड सत्तर लाख लोगों की वृद्धि होती है जो लगभग आस्ट्रेलिया की जनसंख्या के बराबर है। भारत में प्रतिवर्ष तीव्र गति से बढती जनसंख्या ने यहॉ के आर्थिक विकास, प्र"ाासन और सामाजिक कल्याण, आदिको प्रभावित किया है, बेकारी एवं गरीबी को जन्म दिया है। इसलिए ही कहा जाता है कि भारत में जन विस्फोट हो रहा है। शहरों की अपेक्षा गॉवों में जनसंख्या वृद्धि की दर अधिक है।

- **तीव्र जनसंख्या वृद्धि के कारण (Causes of Rapid Population Growth)**

ग्रामीण भारत में जन विस्फोट अथवा तीव्र जनसंख्या वृद्धि के निम्नांकित कारण है :

1. गरम जलवायु के कारण लडके व लडकियों में यौन परिपक्वता शीघ्र आ जाती है और वे कम आयु में ही प्रजनन के योग्य हो जाते है।
2. बाल विवाह का ग्रामों में अधिक प्रचलन है। कम आयु में विवाह के कारण स्त्रियों के प्रजननकाल का पूरा उपयोग होता है।
3. ग्रामों में मनोरंजन के साधनों के अभाव के कारण स्त्री ही प्रमुखतः मनोरंजन का साधन समझी जाती है।
4. ग्रामीण भारत में संयुक्त परिवार प्रथा का प्रचलन है। परिवार के वयोवृद्ध व्यक्ति यह चाहते है कि वे अपने जीवन काल में ही पौत्रों और प्रपौत्रों को देखें। अतः वे अपने बच्चों का शीघ्र विवाह कर देते है।
5. हिन्दुओं में पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व दिया गया है। अतः पुत्र प्राप्ति की आ"ाा में सन्तानों की सुख्या बढती जाती है।
6. हिन्दुओं में विवाह को अनिवार्य माना गया है। विवाह की सफलता सन्तानोत्पत्ति के आधार पर आंकी जाती है।
7. गॉवों में धीरे धीरे चिकित्सा की सुविधाएं बढ रही है। इसके परिणामस्वरूप मृत्यु दर में कमी आई है।
8. "िाक्षा के अभाव के कारण ग्रामीण लोग अधिक जनसंख्या के दुष्परिणामों से अपरिचित है। वे अनेक धार्मिक अन्धवि"वासों को पाले हुए है।
9. भाग्यवादी होने के कारण ग्रामीण लोग यह सोचते है कि हर जन्म लेने वाला प्राणी अपने साथ अपना भाग्य लेकर आता है। अतः उसके खाने पीने एवं पालन पोषण की हमें चिन्ता नही करनी चाहिए।

- **ग्रामीण जनसंख्याकी समस्या को हल करने के उपाय (सुझाव)**

भारत में जनसंख्या वृद्धि ने अनेक सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक समस्याओं को जन्म दिया है। आव"यकता इस बात की है कि इस बढती जनसंख्या को समय रहते नियन्त्रित किया जाए

अन्यथा हमें इसके भयंकर दुष्परिणाम भुगतने होंगे। जनसंख्या नियन्त्रण के लिए निम्नांकित उपाय अपनाये जा सकते है।

1. बाल विवाह को समाप्त कर विवाह की आयु में वृद्धि की जाए।
2. गॉवों में अधिकाधिक f"ाक्षा का प्रसार किया जाए ताकि ग्रामवासी स्वंय ही अधिक जनसंख्या के दोषों से परिचित हो सकें।
3. गर्भपात की छूट दी जाए जिससे अवांछित बच्चों को जन्म लेने से रोका जा सके।
4. आत्संयम को बढावा दिया जाए।
5. ग्रामों मनोरंजन के नवीन साधन उपलब्ध कराये जाएं।
6. भूमि व्यवस्था में सुधार लागू कर भूमि का उचित वितरण किया जाए।
7. ग्रामों में व्यवसायों की सुविधा और बहुलता को प्रोत्साह दिया जाए। इसके लिए ग्रामों का अधिकाधिक औद्योगीकरण किया जाए।
8. दे"ाान्तरण को बढावा दिया जाए। जो लोग विदे"ाो में जाना चाहते है, उन्हे इस बात की सुविधा दी जाए।

8. परिवार कल्याण के कार्यक्रमों को सुचारू रूप से लागू किया जाए।

3.8 मद्यपान की समस्या (अवधारणा)

गॉवों की एक समस्या मद्यपान की भी है। एक तरफ तो लोग गरीब है और दूसरी तरफ वे अपने पसीने की कमाई को शराब पीने में उडा देते है। शराब जब कभी उत्सवों व त्यौहारों के अवसर पर एवं स्वास्थय लाभ की दृष्टि से पी जाती है तब तो उचित मानी जा सकती है, किन्तु जब एक व्यक्ति आदतन रूप से शराब पीने लग जाता है और वह अपने धन की बर्बादी करने लगता है तो यह एक बुराई का रूप धारण कर लेती है।

शराब का प्रयोग लोग कई कारणों से करते है। कुछ लोगो की मान्यता है कि यह भोजन का कार्य करती है तो कुछ लोग इसे उत्सव, त्यौहार एवं आनन्द मनाने के समय का पेय मानते है। शराब को भूख जाग्रत करने वाला पदार्थ भी माना जाता है। कुछ लोग यौन इच्छाओं में तीव्रता लाने, लम्बे समय तक काम करने, रोगो की चिकित्सा के लिए, व्यापारिक समझौतों का ज"न मनाने, शान्ति प्राप्त करने एवं सामाजिक प्रथाओं का पालन करने, आदि कारणों से भी इसका प्रयोग करते है।

- **मद्यपान के दुष्प्रभाव (Evil Effects of Alocholism)**

शराब ने जहॉ मानव को तथाकथित शान्ति प्रदान की है, मित्रता के अवसर बढायें है, लोगो में जो"ा पैदा किया है वही दूसरी और इसने अनेक शारीरिक, मानसिक व आर्थिक बुराईयों को भी जन्म दिया है।

लम्बे समय तक शराब पीने वाले व्यक्ति को पेट में गैस बनने, जिगर सम्बन्धी बीमारी, नाडियों से सम्बन्धित खराबी, गठिया, पेलेग्राम नामक त्वचा रोग, बेहो"ाी, आदि बीमारियॉ घेर लेती है। शारीरिक एवं मानसिक दृष्टि से उसकी कार्यक्षमा घट जाती है। शराब अचेतना व भ्रम पैदा करती है। शराब पीकर लोग दूसरों के साथ गाली–गलौच एवं दुर्व्यवहार करते है।

शराब पीने के बाद व्यक्ति को हो"ा नही रहता है तो वह दुर्घटना का ि"ाकार हो जाता है। कारखाने में शराब पीकर काम करने पर हाथ पैर कटने व टकराने की दुर्घटना हो जाती है। शराब पीकर जब वाहन चलाये जाते है तो सडकों पर अनेक दुर्घटनाएं होती है।

- **मद्यपान निवारण के उपाय (Measures to get rid of Alcoholism)**

मद्यपान की समस्या को हल करने के लिए निम्नांकित उपाय अपनाये जाने चाहिए :

1. शराबियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान की जाए।
2. शराबियों की आर्थिक द"ाा सुधारी जाए।
3. बेकारी की समस्या को हल किया जाए।
4. स्कूलों में मानसिक स्वास्थय की ि"ाक्षा प्रदान की जाए तथा लोगो को शराब की बुराईयां से परिचित कराया जाए।
5. अधिक मात्रा में शराब पीने वालों की चिकित्सा की जाए और उन्हे रोका जाए।
6. कानून द्वारा पूर्ण न"ाबन्दी लागू की जाए।
7. लोगो को शराब छोडने की नैतिक प्रेरणा प्रदान की जाए। इस कार्य को समाज सुधारक, धर्म, गुरू, ि"ाक्षक एवं राजनेता भली प्रकार से कर सकते है।
8. ऐसी कठिनाईयां पैदा की जाएं कि आसानी से शराब उपलब्ध न हो।
9. शराब बेचने वाले होटलों व रेस्तरां पर पाबन्दी लगा दी जाए।
10. ऐसी पाटियों को बहिष्कार किया जाए जिनमें शराब का प्रयोग होता हो।
11. न"ाा निषेध विभाग में ऐसे व्यक्तियों की नियुक्ति की जाए जो स्वंय शराब नही पीते हों।
12. शराब पीकर वाहन चलाने, कारखाने में काम करने, आदि पर रोक लगाई जाए।
13. शराब की दुकानों की संख्या दिनो दिन घटायी जाए।

अभ्यास प्र"न

1. सामाजिक समस्या कहते है।

क. जिसका सम्बन्ध किसी व्यक्ति वि"ोष से हो।
ख. जो किसी समूह के लिए खतरनाक हो
ग. जिससे सामाजिक स्तरीकरण बढे
घ. जो समाज के अधिकां"ा लोगो के लिए हानिकारक हो

2. सामाजिक समस्या को मानवीय सम्बन्धों से सम्बन्धित समस्या माना है।

क. ववीर ने
ख. राव तथा सैल्जनिक ने
ग. वेबर ने
घ. नेल्सन ने

3. ऋणग्रस्तता की समस्या का कारण है।

क. कम आय
ख. कुटीर उधोगों का अभाव

ग. गिरा हुआ स्वास्थय
घ. उपर्युक्त सभी
4. विषमता का अर्थ है।
क. व्यक्ति को विकास के समान अवसर प्राप्त न हो पाना
ख. समाज में वि"ोषाधिकारों का पाया जाना
ग. समूह समूह में ऊॅच नीच पाया जाना
घ. उपर्युक्त सभी
5. विषमा का आधार निम्नलिखत में नही है –
क. आय
ख. ि"ाक्षा
ग. जादू
घ. जाति
6. किसने बेकार व्यक्ति उसी को माना है जो अपनी इच्छा होते हुए भी वेतन भोगी कार्य नही पा सकता।
क. डी मेलो
ख. कार्ल प्रिब्राम
ग. फ्लोरेन्स
घ. जी0आर0 मदान
7. बेकारी का प्रकार नही है –
क. मौसमी बेकारी
ख. प्रौद्योगिकी बेकारी
ग. अर्द्धबेकारी
घ. अनैच्छिक बेकारी
8. नगरीय क्षेत्र में किस प्रकार की बेकारी अधिक पाई जातो है –
क. मौसमी बेकारी
ख. ि"ाक्षित बेकारी
ग. अर्द्धबेकारी
घ. अस्थायी बेकारी
9. बेकारी के कारणों को व्यक्तिगत तथा अव्यक्तिगत में किसने बॉटा है।
क. इलीयट व मैरिल ने
ख. आगबर्न ने
ग. दुर्खीन ने
घ. मर्टन ने
10. ग्रामीण गरीबी की समस्या का कारण नही है।
क. अनुपजाऊ भूमि
ख. बेकारी
ग. अकाल
घ. जाति प्रथा

11. स्वर्ण जयंती भाहरी रोजगार योजना भारू हुई।

क. 1995 में

ख. 1996 में

ग. 1997 में

घ. 2000 में

12. अन्नपूर्णा योजना लागू हुई।

क. 1 अप्रैल 200 से

ख. 1 अप्रैल 1998 से

ग. 1 अप्रैल 2002 से

घ. 1 अप्रैल 2014 से

13. 2001 में भारत की जनसंख्या हो गइ।

क. 102.87 करोड

ख. 120.21 करोड

ग. 127.21 करोड

घ. 23.83 करोड

14. अस्पृ”यता की समस्या नही थी।

क. मध्ययुग में

ख. वैदिक युग में

ग. सल्तनत युग में

घ. मुगल युग में

15. हरिजन सेवक संघ की स्थापना हुई।

क. 1931 में

ख. 1932 में

ग. 1933 में

घ. 1934 में

16. नागरिक अधिकार संरक्षण कानून लागू हुआ।

क. 1976 में

ख. 1975 में

ग. 1980 में

घ. 1986 में

3.9 सारां”ा

इकाई के अध्ययन के बाद आप यह जान चुके है कि समाज के अधिकां”ा लोगो को प्रभावित करने वाली समस्या को ग्रामीण सामाजिक समस्या कहते है। सामाजिक समस्या ऐसी कष्टप्रद द”ाा है जो व्यक्ति व समाज के विकास में बाधक है। यह द”ाा आव”यकता पूर्ति में कठिनाई पैदा करती हैं सामाजिक समस्या के प्रति समाज मे जागरूकता पाई जाती है और इन्हे हल करने के लिए सामूहिक प्रयत्न जरूरी माने जाते है। ऋणग्रस्तता विषमता की समस्या, बेकारी

की समस्या, गरीबी की समस्या, मद्यपान आदि प्रमुख ग्रामीण सामाजिक समस्याएं है जिनसे मुक्ति के लिए सरकार व सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा प्रयास जारी है।

3.10 शब्दावली

विषमता – विषमता का अर्थ है कि व्यक्तियों को अपने व्यक्तित्व के पूर्ण विकास के अवसर प्राप्त नही होना, समाज में वि"ोषाधिकारों का पाया जाना, जन्म, जाति प्रजाति, व्यवसाय, धर्म, भाषा, आय सम्पत्ति के आधार पर अन्तर पाया जाना तथा इन आधारों पर समूह समूह के बीच ऊँच नीच का भेद मानना व सामाजिक दूरी बरतना।

शोषण : शोषण का तात्पर्य होता है कि व्यक्ति को उसके श्रम का पूरा लाभ न देना, अधिक काम लेकर कम दाम देना, व्यक्ति को उसके अधिकारों सें वंचित करना आदि। शोषण का अर्थ है सामाजिक, राजनैतिक, आर्थिक एवं शैक्षणिक दृष्टि से कुछ लोगों को वि"ोषाधिकार प्राप्त होना तथा शेष लोगों को उनसे वंचित रखना। इस प्रकार शोषण में सापेक्षिक वंचना की अवधारणा भी सम्मिलित है।

3.11 अभ्यास प्र"नों के उत्तर

1. घ 2. क 3. घ 4. घ 5. ग 6. क 7. घ 8. घ 9. क 10. घ 11. ग 12. क 13. क 14. ख 15 ख 16. क

3.12 संदर्भ ग्रन्थ सूची

ए0आर0देसाई – भारत में ग्रामीण समाज"ाास्त्र

गुप्ता शर्मा – भारतीय समाज"ाास्त्र P38 6-430

गुप्ता एवं शर्मा – समाज"ाास्त्र (2012) साहित्य भवन पब्लिके"ान, आगरा, P03-35

धर्मवीर महाजन एवं कमले"ा महाजन (2014) विवेक प्रका"ान, जवाहर नगर दिल्ली P3-35

3.13 सहायक/उपयोगी पाठ्यसामग्री

चौहान बृज राज 1989 : ग्रामीण भारत

शर्मा व मल्होत्रा, 1977 : समन्वित ग्रामीण विकास

3.14 निबन्धात्मक प्र"न

1. सामाजिक समस्या को परिभाषित करें, प्रमुख भारतीय सामाजिक समस्याओं की विवेचना कीजिए।
2. ग्रामीण भारत में ऋणग्रस्तता की समस्या की विवेचना कीजिए।
3. ग्रामीण भारत में विषमता की समस्या की विवेचना कीजिए, हमें कैसे दूर किया जा सकता है।
4. गरीबी को परिभाषित कीजिए। गरीबी को दूर करने हेतू सरकार ने क्या क्या प्रयत्न किए है।

इकाई -4 ग्रामीण पुनर्निर्माण
Rural Reconstruction

इकाई की रूपरेखा

4.1 इकाई के उद्देश्य
4.2 प्रस्तावना
4.3 ग्रामीण विकास की अवधारणा
4.4 ग्रामीण पुनर्निर्माण के उपागम एवं रणनीतियाँ
4-5 ग्रामीण विकास का गांधीवादी उपागम
4.6 ग्रामीण विकास के विविध कार्यक्रम एवं उनका मूल्यांकन
4.7 ग्रामीण विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका
4.8 ग्रामीण विकास से संबद्ध मुद्दे : पर्यावरण का क्षरण ,अशिक्षा ,निर्धनता ,ग्रामीण ऋणग्रस्तता एवं उभरती असमानताएं
4.9 सारांश
4.10 शब्दावली
4.11 निबंधात्मक प्रश्न
4.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
4.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

4.1 **इकाई के उद्देश्य**

इस इकाई के द्वारा हम निम्नलिखित तथ्यों से अवगत होंगे-

- ग्रामीण विकास के आशय से अवगत हो सकेंगे |
- भारत में ग्रामीण विकास हेतु विविध उपागम एवं रणनीतियों का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे |
- महात्मा गांधी का ग्रामीण पुनर्निर्माण सम्बन्धी दृष्टिकोण की अवधारणा से अवगत हो सकेंगे |
- भारत में ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से अवगत हो सकेंगे |
- ग्रामीण विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका की प्रासंगिकता का ज्ञान कर सकेंगे |
- भारत में ग्रामीण विकास से सम्बद्ध विविध समस्यायें एवं उनके समाधान की प्रक्रिया का वर्णन कर सकेंगे |

4.2 प्रस्तावना

एक कल्याणकारी देश के रूप में भारत अपनी आजादी के समय से ही एक कल्याणकारी देश रहा है और सभी सरकारी प्रयासों का बुनियादी उद्देश्य भारत के लोगों का हित-कल्याण करना रहा है। योजना स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारतीय नीति-निर्माण का एक मुख्य स्तंभ रही है और योजना की उपलब्धि ही देश की शक्ति है। ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन के उद्देश्य को लेकर ही नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाते रहे हैं और भारत में योजनाबद्ध विकास का यह मुख्य उद्देश्य रहा है। यह महसूस किया गया कि गरीबी उन्मूलन की चिरस्थायी कार्यनीति, प्रगति की प्रक्रिया में रोजगार के सार्थक अवसर बढ़ाने के सिद्धांत पर होनी चाहिए। गरीबी, अज्ञानता, रोगों तथा अवसरों की असमानता को दूर करना और देशवासियों को बेहतर तथा उच्च जीवन स्तर प्रदान करना ऐसी बुनियादी कार्यनीतियां हैं जिन पर विकास की सभी योजनाओं का ताना-बाना बुना गया है।

ग्रामीण विकास का अभिप्राय एक ओर जहां लोगों का बेहतर आर्थिक विकास करना है वहीं दूसरी ओर वृहत सामाजिक कायाकल्प भी करना है। ग्रामीण लोगों को आर्थिक विकास की बेहतर संभावनाएं मुहैया कराने के उद्देश्य से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की उत्तोत्तर भागीदारी सुनिश्चित करने, योजना का विकेन्द्रीकरण करने, भूमि सुधार को बेहतर ढ़ंग से लागू करने और ऋण प्राप्ति का दायरा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है। .

अक्तूबर, 1974 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में अस्तित्व में आया। 18 अगस्त, 1979 को ग्रामीण विकास विभाग का दर्जा बढ़ा कर उसे ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय का नाम दिया गया। 23 जनवरी, 1982 को इस मंत्रालय का नामकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय किया गया। जनवरी, 1985 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय को फिर से कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में बदल दिया गया जिसे बाद में, सितम्बर, 1985 के दौरान कृषि मंत्रालय का नाम दिया गया। 5 जुलाई, 1991 को इस विभाग को पुन: ग्रामीण विकास मंत्रालय का दर्जा दिया गया। 2 जुलाई, 1992 को इस मंत्रालय के अधीन बंजर भूमि विकास

विभाग के नाम से एक और विभाग का गठन किया गया। मार्च, 1995 के दौरान इस मंत्रालय का पुन: नाम बदलकर ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय रखा गया और इसमें तीन विभाग शामिल किये गये यथा - ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा बंजर भूमि विकास विभाग।

ग्रामीण विकास एवं बहुआयामी अवधारणा है जिसका विश्लेषण दो दृष्टिकोणों के आधार पर किया गया है - संकुचित एवं व्यापक दृष्टिकोण। संकुचित दृष्टि से ग्रामीण विकास का अभिप्राय है विविध कार्यक्रमों जैसे- कृषि,पशुपालन,ग्रामीण हस्तकला एवं उद्योग ,ग्रामीण मूल संरचना में बदलाव,आदि के द्वारा ग्रामीण क्षेत्रों का विकास करना |

4.3 ग्रामीण विकास की अवधारणा

वृहद दृष्टि से ग्रामीण विकास का अर्थ है ग्रामीण जनों के जीवन में गुणात्मक उन्नति हेतु सामाजिक,राजनीतिक,सांस्कृतिक,प्रोद्योगिक एवं संरचनात्मक परिवर्तन करना।

विश्व बैंक (1975)के अनुसार-ग्रामीण विकास एक विशिष्ट समूह- ग्रामीण निर्धनों के आर्थिक एवं सामाजिक जीवन को उन्नत करने की एक रणनीति है।बसन्त देसाई (1988) ने भी इसी रुप में ग्रामीण विकास को परिभाषित करते हुए कहा कि- ग्रामीण विकास एक अभिगम है जिसके द्वारा ग्रामीण जनसंख्या के जीवन की गुणवत्ता में उन्नयन हेतु क्षेत्रीय स्त्रोतों के बेहतर उपयोग एवं संरचनात्मक सुविधाओं के निर्माण के आधार पर उनका सामाजिक आर्थिक विकास किया जाता है एवं उनके नियोजन एवं आय के अवसरों को बढ़ाने के प्रयास किये जाते हैं|

क्रॅाप (1992) ने ग्रामीण विकास को एक प्रक्रिया बताया जिसका उद्देश्य सामूहिक प्रयासों के माध्यम से नगरीय क्षेत्र के बाहर रहने वाले व्यक्तियों के जनजीवन को सुधारना एवं स्वावलम्बी बनाना है। जान हैरिस (1986) ने यह बताया कि ग्रामीण विकास एक नीति एवं प्रक्रिया है जिसका आविर्भाव विश्वबैंक एवं संयुक्त राष्ट्र संस्थाओं की नियोजित विकास की नयी रणनीति के विशेष परिप्रेक्ष्य में हुआ है।

ग्रामीण विकास की उपरोक्त परिभाषाओं के विश्लेषण में यह तथ्य उल्लेखनीय है कि ग्रामीण विकास की रणनीति में राज्य की भूमिका को महत्वपूर्ण माना गया है। राज्य के हस्तक्षेप के वगैर ग्रामवासियों के निजी अथवा सामूहिक प्रयासों, स्वयंसेवी संगठनों के प्रयासों के आधार पर भी ग्रामीण जनजीवन को उन्नत करने

के प्रयास होते रहे हैं, इन प्रयासों को ग्रामीण विकास की परिधि में शामिल किया जा सकता है। किन्तु नियोजित ग्रामीण विकास प्रारुप में राज्य की भूमिका महत्वपूर्ण मानी गयी है। इन परिभाषाओं के विश्लेषण से दूसरा महत्वपूर्ण तथ्य यह भी उभरता है कि ग्रामीण विकास सिर्फ कृषि व्यस्था एवं कृषि उत्पादन के साधन एवं सम्बन्धों में परिवर्तन तक ही सीमित नहीं है बल्कि ग्रामीण परिप्रक्ष्य में सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिक, प्रौद्योगिक,संरचनात्मक सभी पहलुओं में विकास की प्रक्रियायें ग्रामीण विकास की परिधि में शामिल हैं।

4.4 ग्रामीण पुनर्निर्माण के उपागम एवं रणनीतियाँ

भारत में ग्रामीण विकास की रणनीति अलग-अलग अवस्थाओं में बदलती रही है। इसका कारण यह है कि ग्रामीण विकास के प्रति दृष्टिकोण बदलता रहा है। वस्तुतः ग्रामीण भारत को विकसित करने हेतु राज्य द्वारा अपनाये गये प्रमुख अभिगम (दृष्टिकोण) निम्नलिखित है

बहुद्देशीय अभिगम: बहुद्देशीय अभिगम की प्रमुख मान्यता यह थी कि गावों में लोगों के सामाजिक आर्थिक विकास हेतु यह आवश्यक है कि उनकी प्रवृत्तियों एवं व्यवहारों को बदलने का संगठित प्रयास किया जाय। इस दृष्टिकोण के आधार पर 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम की रणनीति अपनाई गयी जिसमें राज्य के सहयेाग से लोगों के सामूहिक एवं बहुद्देशीय प्रयास को शामिल करते हुए उनके भौतिक एवं मानव संसाधनों को विकसित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। इस प्रकार बहुद्देशीय उपागम के अन्तर्गत एक शैक्षिक एवं संगठनात्मक प्रक्रिया के रुप में सामाजिक आर्थिक विकास के अवरोधों को दूर करने पर बल दिया गया।

जनतांत्रिक विकेन्द्रीकरण अभिगम: इस दृष्टिकोण की प्रमुख मान्यता यह थी कि ग्रामीण विकास के लिए प्रशासन का विकेन्द्रीकरण एवं लोगों की जनतांत्रिक सहभागिता का बढ़ाया जाना आवश्यक है। इस अभिगम के अनुरुप भारत में पंचायती राज संस्थाओं का विकास किया गया एवं क्षेत्रीय स्तर पर स्थानीय विकास कार्यक्रमों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन के द्वारा ग्रामीण संरचना में परिर्वन की रणनीति अपनाई गयी।

अधोमुखी रिसाव (ट्रिकल डाउन) अभिगम: स्वतंत्रता के पश्चात् 1950 के आरम्भिक दशक में राज्य की रणनीति इन मान्यताओं पर आधारित थी कि जिस प्रकार बोतल के ऊपर रखी कुप्पी में तेल डालने पर स्वाभाविक रुप से उसकी पेंदी में पहुँच जाता है एवं तेल के रिसने की प्रक्रिया को कुछ देर जारी रखा जाय तो

बोतल भर जाती है उसी प्रकार आर्थिक लाभ भी ऊपर से रिसते हुए ग्रामीण निर्धनों तक पहुँच जायेगा। 1950 के आरम्भ में पाश्चात्य आर्थिक विशेषज्ञों ने यह मत दिया कि ग्रामीण विकास समेत सभी प्रकार का विकास आर्थिक प्रगति पर ही आधारित है इसलिए कुल राष्ट्रीय आय में वृद्धि करके ग्रामीण निर्धनता को दूर किया जा सकता है। एक दशक के अनुभवों के आधार पर उन्हें यह आभास हुआ कि उनकी रणनीति ग्रामीण निर्धनता को दूर करने में असफल रही है। तत्पश्चात् अर्थशास्त्रियों एवं समाजवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण बदला। नये दृष्टिकोण की मान्यता यह थी कि आर्थिक प्रगति के अलावा शिक्षा को माध्यम बनाना होगा एवं ग्रामीण जनता को शिक्षित करके उनमें जागरुकता लानी होगी। इस दृष्टिकोण पर आधारित प्रयास का परिणाम यह निकला कि शिक्षित ग्रामीणों ने हल चलाने एवं कृषि कार्य रकने से इन्कार कर दिया। उनकी अभिरुचि केवल श्वेत वसन कार्य (व्हाइट कलर वर्क) करने की बन गयी। तब 1960 में यह दृष्टिकोण पनपा कि लोगों की अभिवृत्तियों एवं उत्प्रेरकों में परिवर्तन किये वगैर ग्रामीण विकास सम्भव नहीं। 1960 के दशक के परिणामके आधार पर यह अनुभव हुआ कि कुछ प्रकार की आर्थिक प्रगति ने सामाजिक न्याय में वृद्धि की है किन्तु अन्य अनेक प्रकार की प्रगति ने सामाजिक असमानता को बढ़ाया है। 1970 के दशक में योजनाकारों एवं समाजवैज्ञानिकों का दृष्टिकोण बदला। इस नये दृष्टिकोण की मान्यता यह थी कि सामाजिक आर्थिक विकास के लाभ स्वतः रिसते हुए ग्रामीण निर्धनों तक पहुँचने की धारणा भ्रामक है। अतः ग्रामीण विकास हेतु भूमिहीनों,लघु किसानों एवं कृषि पर विशेष रुप से ध्यान केन्द्रित करना होगा। इस अभिगम के अन्तर्गत सामाजिक प्राथमिकताओं के निर्धारण एवं आर्थिक प्रगति एवं सामाजिक न्याय में संतुलन कायम रखने पर बल दिया गया।

जन सहभागिता अभिगमः जन सहभागिता उपागम की प्रमुख मान्यता यह थी कि ग्रामीण विकास की पूरी प्रक्रिया को जन सहभागी बनाना होगा। ग्रामीण विकास की पूरी प्रक्रिया को जन सहभागी बनाना होगा। ग्रामीण विकास के लिए किये जाने वाले प्रशासन को न सिर्फ लोगों के लिए बल्कि लोगों के साथ मिलकर किये जाने वाले प्रशासन के रुप में परिवर्तित करना होगा। ग्रामीण जनों से आशय यह है कि वे लोग जो विकास की प्रक्रिया से अछूते रह गये हैं तथा जो विकास की प्रक्रिया के शिकार हुए हैं अथवा ठगे गये हैं। सहभागिता का आशय यह है कि ग्रामीण विकास हेतु स्त्रोतों के आवंटन एवं वितरण में इन ग्रामीण समूहों की भागीदारी बढ़ाना। जनसहभागिता अभिगम पर आधारित रणनीति को क्रियान्वित

करने की दिशा में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के विस्तार॰ विभिन्न प्रकार की सहकारी समितियों के विकास स्वयंसेवी संस्थाओं संयुक्त समितियों, ग्राम पंचायतों, आदि को प्रोत्साहित करने के तमाम प्रयास किये गये।

लक्ष्य समूह अभिगम: ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के क्रियान्वयन से प्राप्त परिणामों के आधार पर यह अनुभव हो गया था कि ये कार्यक्रम ग्रामीण समुदाय में असमानता दूर करने में असफल रहे हैं। ग्रामीण विसंगतियों में सुधार हेतु यह दृष्टिकोण विकसित हुआ कि विविध समूहों- भूमिहीन मजदूरों, ग्रामीण महिलाओं, ग्रामीण शिशुओं, छोटे किसानों, जनजातियों, आदि को लक्ष्य बनाकर तदनुरुप विकास कार्यक्रम चलाने होंगे। इस दृष्टिकोण के आधार पर देा प्रकार के प्रयास किये गयेः (अ) भूमि सुधार के माध्यम से भूमिहीनों को भू-स्वामित्व दिलाने के प्रयास किये गये, एवं (ब) मुर्गीपालन, पशुपालन तथा अन्य सहयोगी कार्यक्रमों के जरिये रोजगार के अवसर विकसित किये गये। ग्रामीण महिलाओं एवं शिशुओं, जनजातियों तथा अन्य लक्ष्य समूहों के लिए पृथक-पृथक कार्यक्रम चलाये गये।

क्षेत्रीय विकास अभिगम: ग्रामीण विकास के क्षेत्रीय अभिगम की मान्यता यह थी कि भारत के विशाल भौगोलिक क्षेत्रों में अनेक गुणात्मक भिन्नतायें हैं। पर्वतीय क्षेत्र, मैदानी क्षेत्र, रेगिस्तानी क्षेत्र, जनजाति बहुल क्षेत्र आदि की समस्यायें समरुपीय नहीं हैं। अतः ग्रामीण विकास की रणनीति में क्षेत्र विशेष की समस्याओं को आधार बनाया जाना चाहिए। इस उपागम के अनुरुप अलग-अलग ग्रामीण क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक विकास कार्यक्रम निर्धारित किये गये तथा उनका क्रियान्वयन किया गया।

समन्वित ग्रामीण विकास अभिगम: 1970 के दशक के अन्त तक ग्रामीण विकास की रणनीतियों एवं कार्यक्रमों की असफलता से सबक लेते हुए एक नया दृष्टिकोण विकसित हुआ जो समन्वित ग्रामीण विकास अभिगम के नाम से जाना जाता है। इस अभिगम की मान्यता यह है कि ग्रामीण विकास के परम्परागत दृष्टिकोण में मूलभूत दोष यह था कि वे ग्रामीण निर्धनों के विपरीत ग्रामीण धनिकों के पक्षधर थे तथा उनके कार्यक्रमों एवं क्रियान्वयन पद्धतियों में कई अन्य कमियाॅ थीं जिसके परिणामस्वरुप अपेक्षित परिणाम नहीं मिल सका। समन्वित ग्रामीण विकास अभिगम के अन्तर्गत जहाँ एक ओर ग्रामीण जनजीवन के विविध पहलुओं- आर्थिक, सामाजिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य, प्रौद्योगिक को एक साथ समन्वित करके ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों के निर्धारण पर बल दिया गया वहीं दूसरी ओर विकस के लाभों के वितरण को महत्वपूर्ण माना गया।

इन विविध अभिगमों के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि भारत में ग्रामीण विकास के प्रति चिन्तन की दिशायें समय-समय पर बदलती रही हैं। इन परिवर्तित दृष्टिकोणों पर आधारित रणनीतियों एवं ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में भी तद्नरुप परिवर्तन होता रहा है।

स्वयं सेवा समूह एवं लघु वित्त अभिगम: 1990 के दशक के उत्तर्रार्द्ध से लेकर वर्तमान में ग्रामीण विकास की मुख्य रणनीति है स्वयं सहायता समूहों का निर्माण करना तथा वित्तीय संस्थाओं जैसे ग्रामीण बैंक, नाबार्ड, आदि द्वारा उन्हें लघु अनुदान प्रदान करते हुए स्वावलम्बी समूह के रूप में उनका विकास करना। इस दृष्टि से ग्रामीण निर्धन महिलाओं एवं पुरूषों के छोटे-छोटे समूह, जिसमें 10.15 सदस्य शामिल हैं, विभिन्न प्रकार के उद्यम में संलग्न हैं तथा एक स्वयं सहायता समूह के रूप में विकसित हो रहे हैं। इस अभिगम में वृहद् परियोजना एवं लागत की बजाय कम पूँजी एवं लघु परियोजनाओं को प्राथमिकता दी गई है।

4.5 ग्रामीण पुनर्निर्माण का गांधीवादी उपागम

ग्रामीण पुनर्निर्माण का आशय है गांवों को विकसित एवं रूपान्तरित करते हुए उसका पुनः निर्माण करना। ग्रामीण विकास के उपागम विविध हैं। मोटे तौर पर इन उपागमों को दो श्रेणियों में बाँटा जा सकता हैः संघर्षवादी एवं प्रकार्यवादी उपागम। संघर्षवादी प्रारूप में ग्रामीण पुनर्निर्माण की प्रक्रिया द्वन्द्वात्मक है। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में परिवर्तन के जरिये सम्पूर्ण ग्रामीण संरचना का पुनर्निर्माण संभव है जिसमें सामाजिक संघर्ष की भूमिका महत्वपूर्ण होती है। इसके विपरीत प्रकार्यवादी प्रारूप में सामाजिक संघर्ष की बजाय अनुकूलन एवं सामंजस्य के द्वारा ग्रामीण संरचना का रूपान्तरण एवं पुनर्निर्माण किया जाता है।

महात्मा गाँधी की ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना को दो प्रमुख आधारों पर समझा जा सकता हैः प्रथम यह कि गांधी किस प्रकार का ग्राम बनाना चाहते थे, दूसरा यह कि उनकी ग्रामीण पुनर्निर्माण योजना वर्तमान समाज में कितनी प्रासंगिक है; वस्तुतः गांधी की ग्रामीण पुनर्निर्माण की परिकल्पना उनके विचारों एवं मूल्यों पर आधारित है। गांधी के विचार, दर्शन एवं सिद्धान्त के प्रमुख अवयव हैं| सत्य के प्रति आस्था, अहिंसा की रणनीति, विध्वंस एवं निर्माण की समकालिकता, साधन की पवित्रता के माध्य से लक्ष्य की पूर्ति, गैर प्रतिस्पद्र्धात्मक एवं अहिंसक समाज का गठन धरातल बद्धमूल विकास वृहद् उद्योगों की वजाय कुटीर उद्योगों को प्रोत्साहन, श्रम आधारित प्रौद्योगिकी की

महत्ता, ग्रामीण गणराज्य एवं ग्राम स्वराज के आधार पर ग्राम स्वावलम्बन की स्थापना,इत्यादि।

गांधी की दृष्टि में विकेन्द्रित ग्रामीण विकास की रणनीति को ग्रामीण पुनर्निर्माण में आधारभूत बनाना अनिवार्य है। उन्होंने पंचायती राज के गठन पर बल दिया। गांधी ग्रामीण विकास को सम्पोषित स्वरूप प्रदान करना चाहते थे, इसलिए उन्होंने प्रकृति के दोहन की बजाय प्रकृति से तादात्म्य बनाने का सुझाव दिया। उनकी दृष्टि में नैतिक शिक्षा एवं प्रकृति से प्रेम करने की शिक्षा दी जानी चाहिए। सादा जीवन एवं उच्च विचार के अपने आदर्शों के अनुरूप उन्होंने लालच से बचने एवं अपनी आवश्यकताओं को सीमित करने का सुझाव दिया। उन्होंने यह कहा कि प्रकृति के पास इतना पर्याप्त स्रोत है कि वह संसार के समस्त प्राणियों की आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकती है किन्तु लालच को पूरा कर पाने में सम्पूर्ण पृथ्वी भी अपर्याप्त है।

गांधी की दृष्टि में ग्रामीण रूपान्तरण एवं ग्रामीण पुनर्निर्माण की सम्पूर्ण प्रक्रिया में गांव की स्वाभाविक विशिष्टता सुरक्षित बनाये रखना अनिवार्य है। ग्रामीण औद्योगिकरण के परिप्रेक्ष्य में उन्होंने खादी एवं ग्रामोद्योग को विकसित करने पर बल दिया। अपनी पुस्तक हिन्द स्वराज में गांधी ने ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा पोषित आधुनिक सभ्यता को आर्थिक क्लेश का प्रमुख कारक माना तथा इससे मुक्ति हेतु उन्होंने भारत की प्राचीन संस्कृति के मूल्यों-सत्यए अहिंसाए नैतिक प्रगति को पुनर्जीवित करते हुए मानव विकास की परिकल्पना की। खादी आन्दोलन को औपनिवेशिक संघर्ष का माध्यम बनाते हुए उन्होंने महिलाओं एवं समस्त ग्रामीण जनसमूहों को न सिर्फ आर्थिक एवं राजनीतिक सक्रिय भागीदार बनाया बल्कि उन्हें सशक्त एवं स्वावलम्बी बनाने का प्रयास भी किया।

गांधी की परिकल्पना में ग्रामीण उद्योग की परिधि में वे समस्त गतिविधियां, कार्य एवं व्यवसाय सम्मिलित हैं जिसमें ग्राम स्तर पर ग्रामीणों के लिए वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है, स्थानीय क्षेत्रों में उपलब्ध कच्चे माल का उपयेाग करते हुए सरल उत्पादन प्रक्रिया अपनाई जाती है, केवल उन्हीं उपकरणों का प्रयोग किया जाता है जो ग्रामीणों की सीमित आर्थिक क्षमता में सम्भव हैं, जिसकी प्रौद्योगिकी निर्जीव शक्ति-विद्युत, मोटर, इत्यादि की बजाय जीवित शक्तियों-मनुष्य, पशु, पक्षी द्वारा संचालित होती है तथा जिसमें मानव श्रम का विस्थापन नहीं किया जाता है।

गांधी ने आधुनिक मशीन आधारित उत्पादन प्रणाली की बजाय मानव श्रम आधारित उत्पादन प्रणाली पर बल दिया क्योंकि उनकी दृष्टि में भारत जैसी विशाल आबादी वाले देश में अधिकांश लोगों को रोजगार प्रदान करने का यह सर्वोत्तम विकल्प है। गांधी के ग्रामोद्योग की परिकल्पना ने जहाँ एक ओर हिंसारहित, शोषण विहीन, समानता के अवसर युक्त प्रकृति को संरक्षित एवं संपोषित करने वाले ग्रामीण उद्योगों के विकास का पथ प्रदर्शित किया वहीं दूसरी ओर उत्पादन की प्रक्रिया में मशीनों के प्रयोग, बाजार एवं साख से जुड़े प्रश्न समेत अनेक वाद-विवाद भी उत्पादन किया। स्वतंत्र भारत में बाजार के अनुभवों के आधार पर इस तरह के प्रश्न उभरे कि खादी एवं ग्रामोद्योग उत्पादों का बाजार अत्यन्त सीमित है, इनके उत्पादकों की आर्थिक दशा दयनीय है क्योंकि मशीन आधारित उत्पादकों से प्रतिस्पर्धा में वे पिछड़े हुए हैं, इत्यादि। इन प्रश्नों के उत्तर समय-समय पर गांधीवादी परिप्रेक्ष्य में संशोधित होते रहे हैं। आरम्भिक अवस्था में खादी हेतु बाजार का प्रश्न गांधी के लिए महत्वपूर्ण नहीं था। उन्होंने भारतीयों को खादी वस्त्र धारण करने का संदेश दिया जिसमें खादी के लिए बाजार से जुड़े प्रश्न का उत्तर सन्निहित था। 1946 में गांधी ने बाजार की मांग के अनुरूप वाणिज्यक खादी एवं हैण्डलूम के अलावे पावरलूम को भी स्वीकृति दी।

स्वतंत्र भारत में 1948 की प्रथम औद्योगिक नीति से लेकर 1991 की नई लघु उद्यम नीति तक ग्रामीण रोजगार सृजन एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था को समृद्ध करने हेतु खादी एवं ग्रामोद्योग को प्रोत्साहित किया गया। किन्तु व्यावहारिक स्तर पर गांधीवादी उपागम पर आधारित ग्रामीण औद्योगिकरण की प्रक्रिया भारत में ग्रामीण निर्धनता एवं बेरोजगारी उन्मूलन में पूर्णतः सफल नहीं हो सकी तथा विविध समस्यायें अभी भी बनी हुई हैं,जैसे-

- खादी उत्पादकों की आय इतनी कम है कि इसके जरिये वे निर्धनता रेखा से उपर उठने में असमर्थ हैं। हाल ही में महिला विकास अध्ययन केन्द्र, गुजरात द्वारा किये गये सर्वेक्षण से प्राप्त तथ्य इस निष्कर्ष की पुष्टि करते हैं।
- खादी उत्पादकों के लिए बाजार एक प्रमुख समस्या बनी हुई है।
- कोआपरेटिव संस्थाओं के जरिये खादी एवं अन्य कुटीर उत्पादों के बाजारीकरण एवं उत्पादक सम्बन्धी संस्थागत प्रयास प्रायः असफल ही रहे हैं।

गांधी के ग्रामीण पुनर्निर्माण की रणनीति का आविर्भाव एक विशिष्ट ऐतिहासिक एवं सामाजिक आर्थिक परिपे्रक्ष्य में हुआ। यद्यपि ग्रामीण औद्योगिकरण की गांधीवादी परिकल्पना व्यवहार में बहुत सफल नहीं रही किन्तु इसका यह आशय नहीं कि गांधी का दृष्टिकोण अप्रासंगिक है। आधुनिकता के पक्षधर पंडित जवाहर लाल नेहरू ने यह स्वीकार किया कि तीव्र प्रगति हेतु आधुनिक मशीनों का उपयोग आवश्यक है किन्तु भारत की बहुसंख्यक आबादी के परिप्रेक्ष्य में गांधी का मानव श्रम पर आधारित प्रौद्योगिकी को प्रोत्साहित करने सम्बन्धी दृष्टिकोण अत्यन्त प्रासंगिक है।

4.6 ग्रामीण विकास के विविध कार्यक्रम एवं उनका मूल्यांकन

राज्य द्वारा ग्रामीण विकास के क्षेत्र में लागू किये गये कार्यक्रमों को मोटे तौर पर चार भागों में बाँटा जा सकता हैः (अ) आय बढ़ाने वाले कार्यक्रम (ब) रोजगार उन्मुख कार्यक्रम (स) शिक्षा एवं कल्याण कार्यक्रम (द) क्षेत्रीय कार्यक्रम। भारत में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विविध पंचवर्षीय योजनाओं के अन्तर्गत अनेकानेक ग्रामीण विकास कार्यक्रम चलाये गये|

ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का मूल्याँकन: भारत में ग्रामीण विकास के विविध प्रयासों की सफलता एवं असफलता की समीक्षा करने पर यह स्पष्ट होता है कि ग्रामीण समाज एवं विशेषकर ग्रामीण निर्धनों पर ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की बहुत सीमित सफलता प्राप्त हुई है। ग्रामीण विकास की नीतियों॰ कार्यक्रमों के निर्धारण एवं क्रियान्वयन में कमियों के कारण ग्रामीण रुपान्तरण की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण परिणाम नहीं दृष्टिगोचर होता। कुछ महत्वपूर्ण कार्यक्रमों के लक्ष्यों एवं उपलब्धियों के आधार पर उनका मूल्याँकन किया जा सकता है।इस क्रम में निम्नलिखित का अध्ययन किया जाना अनिवार्य है

- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम
- संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना
- काम के बदले अनाज योजना
- स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना
- राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम)NSAP)

4.7 ग्रामीण विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका

सहकारी समिति व्यक्तियों का एक स्वायत्त संगठन है जिसके सदस्य स्वेच्छया संयुक्त होकर अपनी सामान्य आर्थिक॰ सामाजिक एवं सांस्कृतिक आवश्यकताओं एवं आकांक्षाओं की पूर्ति साझा स्वामित्व एवं जनतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यमों के आधार पर करते हैं।

भारत में औपचारिक सहकारी समितियों का प्रादुर्भाव 1904 में प्रमुखतः साख समितियों के रूप में हुआ तथा 1912 से गैर साख सहकारी समितियाँ गठित होने लगीं। 1928 में रायल कमीशन आॅन एग्रीकल्चर ने सहकारिता के महत्व को स्पष्ट करते हुए कहा कि यदि सहयोग असफल होगा तो इसका आशय यह है कि ग्रामीण भारत में सर्वोत्तम आकांक्षाएं असफल होंगी। कृषक समाज के सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन में सहकारी संस्थाओं को एक महत्वपूर्ण अभिकरण माना गया।

स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् सहकारिता को भारत की नियोजित आर्थिक विकास प्रक्रिया की रणनीति में शामिल किया गया तथा विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारी क्षेत्रों का विस्तार होता गया। प्रथम पंचवर्षीय योजना में कृषि, बाजार, कुटीर उद्योग, प्रसंस्करण उद्योग तथा आन्तरिक व्यापार इत्यादि क्षेत्रों में सहकारी संगठन विविध आर्थिक गतिविधियों के माध्यम बने। प्रथम पंचवर्षीय योजना में सहकारी योजना समिति के इस सुझाव को स्वीकार किया गया कि भारत के 50 प्रतिशत गांवों में 30 प्रतिशत ग्रामीण आबादी को आगामी दस वर्षों में सहकारी क्षेत्रों से सम्बद्ध किया जाय। द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कोआपरेटिव क्रेडिट सोसायटीज की संख्या 5 मिलियन से बढ़कर 15 मिलियन तक हो गई। तृतीय पंचवर्षीय योजना में सामाजिक स्थायित्व एवं आर्थिक संवृद्धि हेतु सहकारिता को महत्वपूर्ण कारक के रूप में स्वीकारा गया। चतुर्थ पंचवर्षीय येाजना में कृषि सहकारी समितियों एवं उपभोक्ता सहकारी समितियों ने सहकारिता आन्दोलन को प्रमुख रूप से आगे बढ़ाया। पंचम पंचवर्षीय योजना में क्षेत्रीय असंतुलन को दूर करने, सीमांत कृषकों एवं दुर्बल समूहों आदि लक्ष्यों पर केन्द्रीकरण करके सहकारी संस्थाओं को सुदृढ़ बनाने का प्रयास किया गया। छठवीं पंचवर्षीय योजना में सहकारी संस्थाओं की सफलताओं एवं असफलताओं के मिश्रित परिणाम परिलक्षित हुए। सातवीं पंचवर्षीय योजना में सहकारी इकाईयों के गठन, पिछड़े राज्यों में विशेष कार्यक्रम बनाने तथा लोक वितरण प्रणाली का विस्तार करने की रणनीति बनाई गई। आठवीं पंचवर्षीय योजना में यह अनुभव किया गया कि सरकार की आर्थिक नीतियों में कृषि सहकारी समितियों की भूमिका महत्वपूर्ण बनी रहेंगी। नवीं एवं दसवीं पंचवर्षीय योजनाओं में कृषि उत्पादों के बाजारीकरण,

बाजार की संरचना के निर्माण, कृषि प्रसंस्करण इकाईयों की स्थापना से लेकर गैर कृषि क्षेत्रों में सहकारी संस्थाओं की भूमिका का विस्तार हुआ। ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में भी सहकारी समितियाँ ग्रामीण क्षेत्रों की विविध गतिविधियों में संलग्न हैं।

वैश्वीकरण के नये दौर की चुनौतियों से निबटने हेतु भारत सरकार ने अप्रैल 2002 में सहकारिता की राष्ट्रीय नीति बनाई जिसमें देश भर में सहकारी समितियों के चतुर्दिक विकास हेतु सहायता प्रदान करने को प्रमुखता दी गई है। इस नीति के अनुसार जनसहभागिता एवं सामुदायिक प्रयास की आवश्यकता वाले सहकारी संस्थाओं को स्वायत्तए जनतांत्रिक एवं उत्तरदायी बनाने हेतु आवश्यक सहकारी सहायता की जायेगी। सरकार का हस्तक्षेप सहकारी समितियों में समय से चुनाव कराने, लेखा जोखा करने तथा इसके सदस्यों के हितों की सुरक्षा करने तक ही सीमित रहेगा। सहकारी समितियों के प्रबन्धन एवं कार्यों में कोई सरकारी दखलन्दाजी नहीं होगी। भारत सरकार ने सन् 2002 में नया बहुराज्यीय सहकारी समिति अधिनियम पारित किया है जिसका लक्ष्य सहकारी संस्थाओं को पूर्ण प्रकार्यात्मक स्वायत्तता प्रदान करना तथा इनका जनतांत्रिक प्रबन्धन करना है। भारत की सहकारी नीति अन्तर्राष्ट्रीय सहकारिता के मान्य नियमों एवं आदर्शों-पंजीकरण को सरल बनानेए संशोधन करनेए आदि को प्रतिबिम्बित करती है। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में सहकारी समितियाँ अपने स्रोतों एवं संसाधनों को बढ़ाने हेतु स्वतंत्र हैं तथा उनका दायित्व भी अपेक्षाकृत बढ़ गया है।

ग्रामीण विकास में सहकारी संस्थाओं की भूमिका महत्वपूर्ण है। सहकारी संस्थाएं कृषि एवं गैर कृषि समेत विविध क्षेत्रों में उल्लेखनीय उपलब्धियाँ हासिल की हैं। उदाहरणार्थ 1940 के दशक में दुग्ध के वितरक व्यापारियों एवं ठेकेदारों द्वारा दुग्ध उत्पादकों का शोषण किया जाता था। इस शोषण के विरोध में गुजरात के कैरा जिला में सहकारी आन्दोलन शुरू हुआए जिसके सुखद अनुभवों से प्रभावित होकर देश के विभिन्न हिस्सों में अबतक 75000 डेयरी कोपरेटिव सोसायटी की स्थापना हो चुकी हैए जिसमें लगभग 10 मिलियन सदस्य हैं। विविध अध्ययनों से प्राप्त तथ्य यह प्रदर्शित करते हैं कि डेयरी कोआपरेटिव ने रोजगार के श्रृजनए बाजारीकरण एवं वितरण सभी दृष्टि से ग्रामीण क्षेत्र में संपोषित विकास किया है। सहकारी संस्था के अनुशासन, परिश्रम, सफाई, उन्नत प्रौद्योगिकी, महिलाओं की सक्रिय भागीदारी, जनतांत्रिक नियंत्रण, इत्यादि विशेषताओं के आधार पर अमूल डेयरी सफलता का पर्याय बन गया। इसी प्रकार कृषि एवं अन्य क्षेत्रों में भी

कोआपरेटिव सोसायटी का उल्लेखनीय योगदान रहा है। किन्तु दूसरी ओर यह भी एक तथ्य है कि उपभोक्ता क्षेत्रों से जुड़ी अनेक सहकारी समितियाँ सीमित व्यक्तियों को ही लाभान्वित करती रही हैं॰ आम जनों को इनका लाभ अपेक्षित रूप में नहीं मिल सका है।

वैश्वीकरण के नये दौर में सहकारी संस्थाओं के समक्ष नई चुनौतियाँ उत्पन्न हुई हैं। उदाहरणार्थ डेयरी उद्योग में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों एवं निजी पूँजीपतियों द्वारा अत्यधिक पूँजीनिवेश के परिणामस्वरूप बाजार की नियंत्रण प्रणाली पर डेयरी सहकारी समितियों का प्रभूत्व नहीं रह गया बल्कि गुणवत्ता॰ सफाई॰ प्रसंस्करण के मानदंड॰ इत्यादि में प्रतिस्पद्र्धा बढ़ी है तथा बाजार व्यवस्था पर निजी पूँजी का वर्चस्व बढ़ा है। इस नये परिपे्रक्ष्य में सहकारी संस्थाओं को और अधिक सक्षम बनना होगा ताकि वे प्रतिस्पद्र्धा में अपना अस्तित्व सुरक्षित रख सकें।

4.8 ग्रामीण विकास से सम्बद्ध मुद्दे

ग्रामीण विकास एक बहुआयामी प्रक्रिया है। भारत में ग्रामीण विकास के अबतक के प्रयास के बावजूद कुछ समस्यायें बनी हुई हैं| जैसे- पर्यावरण का क्षरण,अशिक्षा/ निरक्षरता, निर्धनता, ऋणग्रस्तता, उभरती असमानता, इत्यादि। इन मुद्दों को भलीभाँति विश्लेषित कर ग्रामीण विकास की भावी रणनीति को अनुकूल बनाया जा सकता है।

;क) पर्यावरण का क्षरण- विकास के भौतिकवादी प्रारूप ने भूमि, वनों, प्राकृतिक संसाधनों के अंधाधुंध उपभोग एवं दोहन को बढ़ाया है जिसके परिणाम स्वरुप पर्यावरण का संतुलन बिगड़ा है। मानव एवं अन्य प्राणियों-पशु, पक्षी आदि के समक्ष पर्यावरण के क्षरण के परिणामस्वरूप कई समस्यायें उभरी हैं एवं पर्यावरण को संरक्षित करने हेतु वैश्विक एवं राष्ट्रीय प्रयास किये जा रहे हैं। मानव द्वारा पर्यावरण के दोहन ने निम्न समस्यायें उत्पन्न की हैंः वैश्विक गर्मी, ओजोन परत में छिद्र होना, ग्रीन हाउस गैसों का उत्सर्जन, समुद्र के स्तरों में उभार, जल प्रदूषण, उर्जा संकट, वायु प्रदूषण से जुड़ी ब्याधियाँ जैसे अस्थमा में वृद्धि, लीड का विषाणुपन, जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा संशोधित खाद्यानों के उत्पादन सम्बन्धी विवाद, प्लास्टिक एवं पोलीथिन के प्रयोग,गहन खेती॰ रासायनिक उर्वरकों के अधिकाधिक प्रयोग के परिणामस्वरूप भूमि का प्रदूषण एवं बंजर होना॰ नाभिकीय अस्त्र एवं नाभिकीय प्रकाश से जुड़ी दुर्घटनाएँ, अति जनसंख्या की त्रासदी॰ ध्वनि प्रदूषण, बड़े-बड़े बांध के निर्माण से उत्पन्न पर्यावरणीय प्रभाव, अति

उपभोग की पूँजीवादी संस्कृति, वनों का कटाव, विषैली धातुओं के प्रयोग, क्षरण न होने वाले कूड़े करकट का निस्तारण, इत्यादि। भारत में चिपको आन्दोलन, नर्मदा बचाओ आन्दोलन जैसे अनेक जनआन्दोलन किये गये हैं जिनमें पुरूषों एवं महिलाओं दोनों की सक्रिय भागीदारी परिलक्षित होती है। सुन्दरलाल बहुगुणाए मेधा पाटकर, गौरा देवी,सुनीता नारायण आदि के वैयक्तिक योगदान के अतिरिक्त कुछ स्वयंसेवी संगठनों की भूमिका उल्लेखनीय है।

अशिक्षा/निरक्षरता: अशिक्षा वस्तुतः सामाजिक-आर्थिक विकास से सम्बन्धित सभी मुददों की जननी है जिसके परिणामस्वरूप निर्धनता, बेकारी, बाल श्रम, बालिका भ्रूण हत्या, अति जनसंख्या, जैसी अनेक समस्यायें गहरी हुई हैं। सामाजिक विकास के पैमाने में शिक्षा को एक महत्वपूर्ण सूचक के रूप में स्वीकारा गया है। भारत में हाल के दशकों में राष्ट्रीय साक्षरता मिशन, सर्वशिक्षा अभियान, निःशुल्क प्राथमिक शिक्षा का अधिकार अधिनियम, अपरान्ह भोजन, दुर्बल समूहों को स्कालरशीप, वित्तीय सहायता, दाखिला में आरक्षण, जैसे अनेक सरकारी प्रयास किये गये हैं। दूसरी ओर अनेक गैर सरकारी संस्थाएं भी शिक्षा अभियान में सक्रिय भूमिका निभा रही हैं। इन सबके बावजूद विविध अध्ययनों से प्राप्त तथ्य यह प्रदर्शित करते हैं कि भारतए टर्कीए इरान जैसे देशों में अभी भी निरक्षरों की संख्या काफी अधिक है जबकि श्रीलंका, म्यांमार, वियतनाम जैसे देशों ने अल्प समय में उच्च साक्षरता दर हासिल कर लिया है।

ग्रामीण निर्धनता: दुर्बल समूहों के उत्थान एवं गरीबी निवारण के विविध प्रयासों के बावजूद भारत में निर्धनता का उन्मूलन नहीं हो सका है। सन् 2005 के विश्व बैंक के आकलन के अनुसार भारत में 41प्रतिशत अर्थात 456 मिलियन व्यक्ति अन्तर्राष्ट्रीय गरीबी रेखा से नीचे (प्रतिदिन 1 डालर से कम आय वाले) है । 1981 में भारत में निर्धन व्यक्तियों की संख्या अन्तर्राष्ट्रीय मानकों के अनुसार 60 प्रतिशत थी जो 2005 तक घटकर 41 प्रतिशत हुई है। भारत सरकार के योजना आयोग के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि भारत में निर्धनों की आबादी 1977.78 में 51ण3 प्रतिशत थी जो 1993.94 में घटकर 36 प्रतिशत हुई तथा 2004.05 में 27 प्रतिशत आबादी ही निर्धन है। नेशनल काउंसिल फार एप्लायड इकोनोमिक रिसर्च के आकलन के अनुसार सन् 2009 में यह पाया गया कि भारत के कुल 222 मिलियन परिवारों में से पूर्णरूपेण निर्धन (जिनकी वार्षिक आय 45000 रूपये से कम थी) 35 मिलियन परिवार हैंए जिनमें लगभग 200 मिलियन व्यक्ति सम्मिलित हैं। इसके अतिरिक्त 80 मिलियन परिवारों की वार्षिक आय 45000 से 90000 रूपये के बीच है।

हाल ही में जारी की गई विश्व बैंक की रिपोर्ट में यह अनुमान लगाया गया है कि भारत में निर्धनता उन्मूलन के प्रयासों के बावजूद सन् 2015 तक 53 मिलियन व्यक्ति (23 प्रतिशत आबादी) पूर्णरूपेण निर्धन बने रहेंगे जिनकी आय 1 मिलियन डालर प्रतिदिन से कम होगी।

भारत में निर्धनता के तथ्य यह भी प्रदर्शित करते हैं कि निर्धनता की आवृत्ति जनजातियों, अनुसूचित जातियों में सर्वाधिक हैं। यद्‌यपि इस निष्कर्ष पर आम सहमति है कि भारत में हाल के दशकों में निर्धनों की सख्ंया घटी है किन्तु यह तथ्य अभी भी विवादस्पद बना हुआ है कि निर्धनता कहाँ तक कम हुई है। इस विवाद का मूल कारण विभिन्न अभिकरणों के द्‌वारा आकलन की पृथक-पृथक रणनीति अपनाया जाना है। न्यूयार्क टाइम्स ने अपने अध्ययन में यह दर्शाया है कि भारत में 42 प्रतिशत बच्चे कुपोषण के शिकार हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन के आकलन के आधार पर विश्व बैंक ने यह निष्कर्ष दिया कि विश्व के सामान्य से कम भार वाले शिशुओं का 49 प्रतिशत तथा अवरूद्‌ध विकास वाले शिशुओं का 34 प्रतिशत भारत में रहता है।

इन तथ्यों से यह स्पष्ट है कि भारत में ग्रामीण विकास के तमाम प्रयासों के बावजूद ग्रामीण निर्धनता की समस्या का उन्मूलन नहीं हो पाया है। ग्रामीण विकास की भावी रणनीति में निर्धनता की समस्या को प्राथमिकता प्रदान करते हुए विकास कार्यक्रमों का क्रियान्वयन करना होगा।

स्वास्थ्य समस्यायें: ग्रामीण विकास के तमाम प्रयास के बावजूद ग्रामीण जनों हेतु स्वास्थ्य एवं चिकित्सा की पर्याप्त सुविधाएँ उपलब्ध नहीं है। ग्रामीण दूर दराज के क्षेत्रों में न सिर्फ विशेषज्ञ चिकित्सकों बल्कि सामान्य चिकित्सकों का भी अभाव है। परिणामस्वरूप ग्रामीण जनों की स्वास्थ्य की दशाएं दयनीय हैं। लगभग 75 प्रतिशत स्वास्थ्य संरचना, चिकित्सक एवं अन्य स्वास्थ्य सम्बन्धी स्रोत नगरों में उपलब्ध हैं जहाँ 27 प्रतिशत आबादी निवास कर रही है। ग्रामीण एवं नगरीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य दशाओं के अन्तराल के कई अन्य सूचक हैं

भारत में सन् 2000 तक सबके लिए स्वास्थ्य का लक्ष्य निर्धारित किया गया था, किन्तु यह लक्ष्य अभी तक प्राप्त नहीं किया जा सका है। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जैसे कार्यक्रमों के जरिये भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान की जा रही हैं। समाजकार्य की दृष्टि से ग्रामीण आबादी की स्वास्थ्य की आवश्यकताओं को पूरा करने हेतु वर्तमान जीव चिकित्सा प्रारूप (बायोमेडिकल माडल) की बजाय समाज सांस्कृतिक स्वरूप (सोसियोकल्चरल माडल) अपेक्षाकृत

अधिक प्रासंगिक होगा। राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति के विस्तृत संशोधित प्रारूप में ग्रामीण नगरीय असमान संरचना के पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दीर्घकालीन योजना बनानी होगी तथा ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को अधिक सशक्त करना होगा।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता : भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था में ग्रामीण ऋणग्रस्तता एक गम्भीर समस्या है। ऋणग्रस्तता का आशय है ऋण से ग्रस्त व्यक्ति के लिए ऋण चुकाने की बाध्यता का होना। ग्रामीण भारत में निर्धन किसानों एवं मजदूरों द्वारा अपनी आवश्यकताओं के कारण लिया जाने वाला कर्ज जब बढ़ जाता है एवं वे अपनी कर्ज अदायगी में असमर्थ हो जाते हैं तो यह स्थिति ग्रामीण ऋणग्रस्तता की समस्या उत्पन्न करती है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता वस्तुतः हमारी कमजोर वित्तीय संरचना की सूचक है जो यह प्रदर्शित करती है कि हमारी आर्थिक व्यवस्था जरूरतमंद किसानों, भूमिहीनों एवं कृषक मजदूरों तक पहुँचने में दुर्बल है।

ग्रामीण ऋणग्रस्तता का प्रादुर्भाव कैसे होता है| इस प्रश्न का विश्लेषण यह है कि ग्रामीण कृषक एवं मजदूर कृषि कार्य हेतु अथवा अपने परिवार के भरण-पोषण, शादी-विवाहए बीमारी के इलाज एवं अन्य कार्य हेतु ऋण लेते हैं। अल्प आयए पारिवारिक व्यय, इत्यादि के कारण वे ऋण को चुकाने में असमर्थ हो जाते हैं तथा उन ऋणों पर सूद बढ़ता जाता है। वित्तीय संस्थाओं की जटिल औपचारिकताओं को पूरा न कर पाने एवं समय पर तत्काल ऋण प्राप्त न होने, आदि कारणों की वजह से निर्धन किसान एवं मजदूर निजी सूदखोरों एवं महाजनों से कर्ज लेते हैं जिनके द्वारा मनमाना सूद लेनेए बेगार करानेए जैसे अनेक शोषण किया जाता है तथा ऋणग्रस्तता की समस्या पीढ़ी दर पीढ़ी बनी रहती है। रायल कमीशन आॅन लेबर, 1928 ने ब्रिटिश काल में किसानों की दशा पर अपनी रिपोर्ट में यह व्यक्त किया कि 'भारतीय किसान ऋण में पैदा होता है| ऋण में जीवन व्यतीत करता है तथा अपनी आगामी पीढ़ी को भी ऋणग्रस्तता की विरासत सौंप जाता है।''

मोटे तौर पर ग्रामीण ऋणग्रस्तता के निम्नलिखित कारक हैं-

- ❖ कम आय
- ❖ शिक्षा का अभाव
- ❖ ऋण का अनुत्पादक व्यय एवं उपभोग में अपव्यय
- ❖ विरासत में प्राप्त ऋणग्रस्तता
- ❖ विवादों में धन की बर्बादी

- ❖ दुर्बल वित्तीय समावेश
- ❖ बैंकिग सुविधाओं एवं सेवाओं की दुर्बल बाजार प्रणाली
- ❖ कर्ज देने की दोषपूर्ण प्रणाली
- ❖ मा ॅनसून की अनिश्चितता
- ❖ सामाजिक प्रथाओंअपव्यय में रिवाजों-रीति/
- ❖ कृषि उत्पादों की उच्च लागत

➢ ऋणग्रस्तता के परिणाम

- ❖ बंधक जमीन अथवा वस्तुओं को बेचने की बाध्यता
- ❖ सूदखोरों द्वारा शोषण
- ❖ श्रम की क्षमता में कमी
- ❖ ग्रामीण समाज में भेदभाव का बढ़ना
- ❖ सामाजिक विघटन जैसे आत्म हत्या एवं अपराध में वृद्धि
- ❖ भूस्वामी एवं भूमिहीन के रूप में समाज का विभाजन
- ❖ सामाजिकबाधा में विकास आर्थिक-
- ❖ बधुआ मजदूरी की समस्या का उद्भव
- ❖ भारतीय अर्थव्यवस्था का ह्रास

ऋणग्रस्तता पर नियंत्रण हेतु किये गये प्रयास में समय-समय पर राज्य एवं केन्द्र सरकारों ने ऋण माफ किया।

कृषि ऋण माफी योजना 2008 के अन्तर्गत भारत सरकार ने बैंक एवं वित्तीय संस्थाओं को 10000 करोड़ रूपये का अनुदान दिया ताकि वे देश भर में कृषि ऋण को माफ करते हुए अपनी भरपाई भी कर सकें।

- ❖ केन्द्र सरकार द्वारा सन् 1990.91 में कृषि एवं ग्रामीण ऋण सहायता योजना लागू की गई।
- ❖ ग्रामीण क्षेत्रों में कोआपरेटिव सोसाइटीए क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकए वाणिज्यिक बैंकए इत्यादि समेत कई संस्थागत वित्तीय एवं साख एजेन्सी विकसित की गई।
- ❖ सूदखोरी पर वैधानिक एवं प्रशासनिक रूप से नियंत्रण किया गया।
- ❖ सन् 1985 में विस्तृत फसल बीमा योजना लागू की गई।
- ❖ सन् 1998 में किसान क्रेडिट कार्ड कार्यक्रम चलाया गया।
- ❖ सन् 2000 में राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना क्रियान्वित की गई।
- ❖ सन् 2004 में कृषि क्षेत्र आय बीमा योजना लागू किया गया।

- सन् 2004 में राष्ट्रीय कृषक आयोग गठित किया गया।
- लघु किसान विकास अभिकरण कार्यक्रम चलाया गया।
- राज्य स्तर पर किसान ऋण माफी योजना लागू की गई।
- लघु वित्त योजनाए स्वयं सहायता समूहों को बैंक से जोड़ने का प्रयास किया गया।
- ग्रामीण निर्धनों एवं भूमिहीन श्रमिकों के आर्थिक उत्थान हेतु महात्मा गांधी नेशनल रूरल इम्प्लायमेंट गारंटी कार्यक्रम सन् (मनरेगा)2006 में लागू किया गया।

भारत सरकार के श्रम एवं नियोजन मंत्रालय से जारी प्रपत्र यह प्रदर्शित करते हैं ग्रामीण ऋणग्रस्तता वस्तुतः ग्रामीण विकास में एक महत्वपूर्ण बाधा/अवरोध है। ग्रामीण ऋणग्रस्तता न सिर्फ सामाजिक आर्थिक अवसरों में असमानता को बढ़ाती है बल्कि ग्रामीण क्षेत्रों में संवृद्धि प्रक्रिया को बाधित करती है तथा ऋणग्रस्त परिवारों में कुंठा एवं अवसाद के कारण जनतांत्रिक प्रक्रियाओं में सहभागिता हेतु उनमें अन्तरपीढ़िगत विकलांगता उत्पन्न करती है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरो की रिपोर्ट यह प्रदर्शित करती है कि भारत में ऋणग्रस्तता से ग्रसित अवसादों के कारण 2005 में आत्म हत्या करने वाले व्यक्तियों में सीमांत किसानों एवं कृषक मजदूरों की संख्या 15 प्रतिशत से अधिक थी। नेशनल सैम्पल सर्वे आर्गानाइजेशन के आंकड़े यह दर्शाते हैं कि सन् 2002 में भारत के कुल कृषक परिवारों का 49 प्रतिशत ऋणग्रस्त है।

उभरती असमानताएँ: बर्लिन की दीवार के ध्वस्तीकरण (1989) एंव वैश्वीकरण (1991) के दौर में विश्व भर में लगभग 3 बिलियन पूँजीपति वैश्विक अर्थव्यवस्था में शामिल हुए हैं। पूँजी के वर्चस्व ने भारत समेत विश्व के स्तर पर असमानता की खाई को बढ़ाया है। भारत के आम जन निर्धन हैं किन्तु भारत को उभरती आर्थिक एवं राजनीतिक शक्ति के रूप मे पहचान मिली है। कम आय के बावजूद भारत के दक्ष तकनीकी समूह ने विकसित एवं पूँजीपति देशों के समक्ष एक विकट चुनौती उत्पन्न किया है।

विश्व की कुल आबादी में भारत लगभग 16 प्रतिशत आबादी का प्रतिनिधित्व करता है। भारत में लगभग 35 प्रतिशत आबादी अन्तर्राष्ट्रीय मानक प्रतिदिन 1 डालर से कम आय के अनुसार निर्धन हैं। 2001 के आंकड़ों के अनुसार यदि अन्तर्राष्ट्रीय निर्धनता रेखा को प्रतिदिन 2 डालर से कम आय पर निर्धारित कर दिया जाय तो भारत की 86 प्रतिशत आबादी निर्धनता रेखा के नीचे आ

जायेगी। भारत में उभरती हुई असमानता के कई कारक हैं सर्वप्रथम, भारत के कुल राष्ट्रीय उत्पाद में औद्योगिक एवं सेवा क्षेत्र तीव्रता से बढ़ा है किन्तु श्रमिकों की हिस्सेदारी अपेक्षित रूप में नहीं बढ़ी है। द्वितीय उच्च विकास दर के बावजूद संगठित उद्योगों में रोजगार के नये अवसर स्थिर हो गए हैं। असंगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर अवश्य बढ़े हैं किन्तु असंगठित क्षेत्रों से अर्जित की गई आय इतनी अल्प है कि निर्धनता रेखा से ऊपर लाने में असमर्थ है।

4.9 सारांश

सूचना प्रौ़द्योगिकी के नये दौर में कम्प्यूटर, इंटरनेट, मोबाइल जैसे अत्याधुनिक उपकरणों ने असमानता का नया प्रतिमान उभारा है| जिसे डिजिटल डिवाइड के रूप में पुकारा जाता है। सूचना प्रौद्योगिकी में कुशलता के आधार पर एक नया अभिजन वर्ग उभरा है जो इंटरनेट का उपयोग न कर पाने वाले समूहों की अपेक्षा विकास का वास्तविक लाभार्थी बना है। सूचना प्रौद्योगिकी में दक्ष एवं कुशल व्यक्तियों को अकुशल व्यक्तियों की अपेक्षा कई गुणा अधिक वेतन पर बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में नौकरियाँ उपलब्ध हुई हैं। सूचना प्रौद्योगिकी ने सामाजिक असमानता के परम्परागत आधारों- जमीन जायदाद, औद्योगिक स्वामित्व, सम्पत्ति एवं पूंजी आदि में एक नया आयाम जोड़ा है।

4.10 शब्दावली

- **ग्रामीण विकास:** एक बहुआयामी प्रक्रिया है। भारत में ग्रामीण विकास से तात्पर्य उन मुद्दों से है जिनके कारण ग्रामीण विकास संभव नहीं हो पा रहा है जैसे -: पर्यावरण का क्षरण,अशिक्षा,निरक्षरता / निर्धनता, ऋणग्रस्तता, उभरती असमानता, इत्यादि।

- **सूचना प्रौद्योगिकी:-** मैकमिलन डिक्शनरी ऑफ़ इनफ़ोर्मेशन टेक्नोलॉजी में सूचना प्रौद्योगिकी को परिभाषित करते हुए यह विचार व्यक्त किया गया है कि कंप्यूटिंग और दूरसंचार के संमिश्रण पर आधारित माईक्रोमौखिक द्वारा इलेक्ट्रानिक्स-, चित्रात्मक, मूलपाठ विषयक और संख्या संबंधी सूचना का अर्जन, संसाधन (प्रोसेसिंग), भंडारण और प्रसार है।

- **ग्रामीण पुनर्निर्माण:-**ग्रामीण पुनर्निर्माण से आशय यह है कि ग्रामीण क्षेत्र में व्याप्त पुरानी असमान्यताओं को समाप्त करके पुनः वक्त एवं समय की मांग के अनुरूप ग्रामीण विकास किया जाना |

4.11 निबंधात्मक

१. ग्रामीण विकास से क्या समझतें है ?

२. ग्रामीण पुनर्निर्माण की अवधारणा की व्यख्या कीजिये ?

३. ग्रामीण पुनर्निर्माण में सूचना प्रोद्यौगिकी की महत्ता पर् प्रकाश डालिए ?

४. ग्रामीण विकास के उपागमों की व्यख्या कीजिये ?

५. ग्रामीण पुनर्निर्माण में आ रही बाधाओं का वर्णन कीजिये |

4.12 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

❖ Deaton, A. and Dreze, J. (2002) “Poverty and Inequality in India”, Econimic and Political Weekly, September 7, 3729-48

❖ Dreze, Jean and Sen, Amartya (2002) India : Development and Participation, New Delhi: Oxford University Press.

❖ Desai, Vasant (1988) Rural development : Experiment in Rural Development, Bombay : Himalaya Publishing House.

❖ Harris, John (1986) Rural Development : Theories of Peasant Economy and Agrarian Change, Hutchinson, ELBS.

4.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

❖ Kothari, Rajani (1974) India and the Alternative framework for Rural Development, Development Dialogue, Uppasala: DHF.

❖ Mohanty, Siba Sankar (2007) "Rural Indebtedness in India: An Obstacle for Development, Counter Currents, Org. 13 July, 2007.

इकाई 5 **सामुदायिक विकास कार्यक्रम**

Community Development Programmes

इकाई की रूपरेखा

5.1 उद्दे"य
5.2 प्रस्तावना
5.3 सामुदायिक विकास योजना का अर्थ एवं परिभाषाऐं
5.4 सामुदायिक विकास योजना के उद्दे"य
5.5 सामुदायिक विकास योजनाओं का वर्तमान स्वरूप
5.6 बोध प्र"न–01
5.7 ग्रामीण पुनर्निर्माण में सामुदायिक विकास की भूमिका
5.8 सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवर्तन
5.9 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम
5.9.1 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का महत्व
5.9.2 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के मार्ग में बाधाऐं
5.10 भारत में सामुदायिक विकास के विभिन्न कार्यक्रम
5.11 बोध प्र"न–02
5.12 सारां"ा
5.13 प्रयुक्त शब्दावली
5.14 अभ्यास प्र"न
5.15 अभ्यास प्र"नों के उत्तर
5.16 निबन्धात्मक प्र"न
5.17 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
5.18 सहायक उपयोगी ग्रन्थ

5.1 उद्दे"य

इस इकाई के अध्ययन के प"चात आप यह जान सकेंगे कि–

–सामुदायिक विकास कार्यक्रम से क्या अभिप्राय है ?
–सामुदायिक विकास योजनाओं के क्या उद्दे"य हैं ?
–सामुदायिक विकास योजनाओं का वर्तमान स्वरूप कैसा है ?
–ग्रामीण पुनर्निर्माण में इन कार्यक्रमों की भूमिका कितनी प्रभावी है ?
–इन कार्यक्रमों से ग्रामीण सामाजिक संरचना में कौन–कौन से परिवर्तन आये हैं ?
–समन्वित ग्रामीण विकास की अवधारणा क्या है ?
–भारत में चल रहे सामुदायिक ग्रामीण विकास कार्यक्रम कौन से हैं ?

सामुदायिक विकास कार्यक्रम :

वर्तमान समय में सामुदायिक विकास का संबंध ग्रामीण विकास से जोड़ा गया है। इसका उद्दे"य गांवों में जीवन–निर्वाह की मुख्य द"ााओं में सुधार करना है। सामुदायिक संगठन तथा विकास का तात्पर्य भी यही है कि समाज की स्थानीय क्रियाओं द्वारा प्रगति हो। इसी को दूसरे दे"ाों में कई नामों से जाना जाता है, जैसे–ग्रामीण पुनर्निर्माण, ग्रामोद्योग, जन ि"ाक्षा तथा सामुदायिक संगठन या सामुदायिक विकास। भारत में प्रथम योजना के प्रारम्भ में इसे 'ग्रामीण पुनर्निर्माण' या 'ग्रामोद्धार' का नाम दिया गया था।

2 अक्टूबर, सन 1952 में 'सामुदायिक विकास और विस्तार सेवा कार्यक्रम' का प्रारम्भ हुआ। इस योजना को संयुक्त राष्ट्र अमेरिका की सहायता से भारत में लागू किया गया। दे"ा में 55 सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को प्रारम्भ किया गया। इसी समय 'अन्न उपजाओ जांच समिति' ने गांव के सर्वांगीण विकास के लिये एक ऐसे राष्ट्रीय विस्तार संगठन की स्थापना की सिफारि"ा की जो घर–घर पहुंच सके और ग्रामीण विकास कार्य में उन्हें सहभागी बना सके। इस प्रकार की सिफारि"ाों से जहां सामुदायिक विकास योजना को विकसित होने में सहायता मिली, वहीं राष्ट्रीय विस्तार सेवाखण्ड' की भी स्थापना की गयी। इस प्रकार सामुदायिक विकास कार्यक्रम दो भागों में विभाजित हो गया–

(1) सामुदायिक विकास योजना। तथा

(2) राष्ट्रीय विस्तार सेवा।

सामुदायिक विकास योजना अथवा ग्रामीण विकास कार्यक्रमों पर चर्चा करने से पहले हमें सामुदायिक विकास का अर्थ और उसके उद्दे"यों को समझना होगा।

5.2 प्रस्तावना

सामुदायिक विकास वह प्रक्रिया है जिसमें स्थानीय जनता का प्रयास सरकारी संगठन से मिलकर अपनी आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों में उन्नति लाये और इन समुदायों को राष्ट्रीय जीवन के साथ जोड़ा जाये, ताकि वे समग्र विकास में योगदान दे सकें। भारत जैसे वि"ााल दे"ा के चहुँमुखी विकास के लिये ग्रामीण विकास पर ध्यान केन्द्रित करना नितान्त आव"यक है, क्योंकि हमारे दे"ा की लगभग दो–तिहाई जनसंख्या ग्रामीण क्षेत्रों में निवास करती है। जब तक ग्रामीण समाज को उन्नति के पथ पर अग्रसर नहीं किया जायेगा, उनकी स्थिति में सुधार नहीं किया जायेगा और ग्रामीण समाज को समन्वित और सतत विकास की प्रक्रिया से नहीं जोड़ा जायेगा, जब तक दे"ा में समग्र व समावे"ाी विकास की कल्पना भी नहीं की जा सकती। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुये ही, स्वतंत्रता प्राप्ति के प"चात से विकास कार्यक्रमों व पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास को महत्व प्रदान किया गया है। इसका परिणाम यह हुआ है कि भारतीय ग्रामीण समाज में स्वतंत्रता के प"चात से अनेक विकासवादी परिवर्तन आये हैं, फिर भी कुछ दिक्कतें अभी भी विद्यमान हैं। प्रस्तुत इकाई के माध्यम से ग्रामीण भारत में

सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की कार्यप्रणाली व उपलब्धियों पर प्रका"ा डाला गया है।

5.3 सामुदायिक विकास योजना का अर्थ एवं परिभाषाऐं

सामुदायिक विकास योजना का सामान्य अर्थ किसी समुदाय का विकास करना है। इस विकास के अन्तर्गत मूलतः आर्थिक, सामाजिक तथा सांस्कृतिक पक्ष स्वतः आ जाते हैं। दूसरे शब्दों में, समुदाय की प्रगति इस प्रकार से की जाये कि उसका सर्वांगीण विकास हो सके। सामुदायिक विकास योजना को अनेक विद्वानों ने परिभाषित करने का प्रयास किया है–

ए0 आर0 देसाई के अनुसार, 'सामुदायिक विकास योजना वह पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजना गांव के सामाजिक तथा आर्थिक जीवन का स्थानान्तरण करने की एक प्रकिया प्रारम्भ करना चाहती है।'

कारल सी0 टेलर के अनुसार, 'सामुदायिक योजना वह प्रणाली है, जिसके द्वारा व्यक्ति, जो स्थानीय गांवों में रहते हैं, अपनी आर्थिक एवं सामाजिक द"ााओं को उन्नत करने में सहायता देने के लिये प्रवृत्त होते हैं तथा भौतिक उन्नति के विकास में प्रभाव"ाली कार्यकारी समूह बनाते हैं।'

योजना आयोग कहता है, 'यह स्वयं ग्रामवासियों द्वारा आयोजित तथा कार्यान्वित किया हुआ एक अनुदान प्राप्त आत्मनिर्भर कार्यक्रम है, सरकार तो केवल टैक्नीकल मार्गद"ान और आर्थिक सहायता प्रदान करती है।'

संयुक्त राश्ट्र संघ के अनुसार, 'सामुदायिक विकास योजना एक प्रक्रिया है जो संपूर्ण समुदाय के लिए, उसके पूर्ण सहयोग के लिये, आर्थिक और सामाजिक विकास की परिस्थितियों को उत्पन्न करती है और जो पूर्ण रूप से समुदाय की प्रेरणा पर निर्भर करती है।'

उपर्युक्त परिभाषाओं से स्पष्ट होता है सामुदायिक विकास एक समन्वित प्रणाली है जिसके द्वारा ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिए प्रयत्न किया जाता है। इस योजना का आधार जन–सहभाग तथा स्थानीय साधन हैं। एक समन्वित कार्यक्रम के रूप में इस योजना में जहां एक ओर ि"ाक्षा, प्र"ाक्षण, स्वास्थ्य, कुटीर उद्योगों के विकास, कृषि, संचार तथा समाज सुधार पर बल दिया जाता है, वहीं यह ग्रामीणों के विचारों, दृष्टिकोण तथा रूचियों में भी इस तरह परिवर्तन लाने का प्रयत्न करती है, जिससे ग्रामीण अपना विकास स्वयं करने के योग्य बन सकें। इस दृष्टिकोण से सामुदायिक विकास योजना को सामाजिक–आर्थिक पुनर्निर्माण तथा आत्म–निर्भरता में वृद्धि करने वाली एक ऐसी पद्धति कहा जा सकता है जिसमें सामाजिक, आर्थिक तथा सांस्कृतिक वि"ोषताओं का समावे"ा है।

5.4 सामुदायिक विकास योजना के उद्दे"य

सामुदायिक विकास योजना के मुख्य उद्दे"य निम्नलिखित है–

(1) ग्रामीण समुदाय का सर्वांगीण विकास करना।

(2) ग्रामीण व्यक्ति में सामुदायिक भावना का प्रचार व प्रसार करना।

(3) ग्रामीण व्यक्तियों में उत्तरदायित्व की भावना, आत्म–ज्ञान और स्थानीय समूहों में कार्य करने की प्रवृति का विकास करना।

(4) स्थानीय संस्थाओं को उत्साहित करना जिससे वे ग्रामीण पुनर्निर्माण के कार्य में सहायता कर सकें।

(5) उत्पादन की पद्धतियों का विकास करना।

(6) आवागमन एवं सन्दे"ा वाहन के साधनों में वृद्धि करना।

(7) ि"ाक्षा का पर्याप्त प्रसार व प्रचार करना।

(8) ग्रामीण स्वास्थ्य तथा स्वच्छता का ध्यान रखना।

(9) ग्रामीण व्यक्तियों को आत्मनिर्भर व प्रगति"ाील होने की प्रेरणा देना।

(10) कृषि कार्यों में आधुनिक एवं वैज्ञानिक उपकरणों के प्रयोग पर बल देना और उसके महत्व को समझना।

(11) कुटीर उद्योग–धन्धों को प्रोत्साहित करना।

(12) रोजगार के नये अवसर खोजना।

(13) सहकारिता का प्रचार व प्रसार करना।

(14) सामुदायिक विकास कार्यक्रम को सफल बनाने का प्रयास करना।

(15) स्त्रियों की द"ाा में सुधार करना।

इस प्रकार सामुदायिक विकास योजना का उद्दे"य सम्पूर्ण ग्रामीण जीवन का सर्वांगीण विकास करना तथा ग्रामीण समुदाय की प्रगति एवं श्रेष्ठतम जीवन–स्तर के लिए पथप्रद"ान करना है।

5.5 सामुदायिक विकास योजनाओं का वर्तमान स्वरूप

सामुदायिक विकास योजना में कार्य करने की इकाई को खण्ड (Block) कहते हैं। प्रत्येक खण्ड में लगभग 100 गांव होते हैं जिनकी जनसंख्या 60–70 हजार होती है। खण्ड का एक मुख्य अधिकारी होता है तथा सामान्यतः उसके अधीन 8 प्रसार अधिकारी होते हैं और विभिन्न प्रकार के कार्यों के लिये 10 ग्राम–सेवक होते हैं। इसके साथ ही साथ महिला व बाल्य–कार्यों की देखरेख के लिये दो ग्राम–सेविकायें भी होती हैं। एक ग्राम–सेवक के अधीन छह–सात हजार की आबादी आती है। इकाई खण्ड के समस्त अधिकारी तथा सेवकों का मुख्य उद्दे"य सामुदायिक जीवन का पुनर्निर्माण करना है।

सामुदायिक विकास खण्डों के संगठन निम्नलिखित होते हैं–

(1) **केन्द्रीय स्तर पर**—केन्द्रीय स्तर पर समस्त कार्यक्रम खाद्यान्न व कृषि तथा सामुदायिक विकास और सहकारिता के मंत्रालय के अधीन होता है। यह मंत्रालय सामुदायिक विकास कार्यक्रम की नीतियों को निर्धारित करता है। वैसे आधारभूत नीति को प्रतिपादित करने का दायित्व केन्द्रीय समिति पर होता है। इसके अध्यक्ष प्रधानमंत्री होते हैं। इस समिति का गठन योजना आयोग (वर्तमान में निति आयोग) के सदस्यों तथा खाद्य व कृषि और सामुदायिक विकास तथा सहकारी मंत्रियों को लेकर होता है।

(2) **राज्य स्तर पर**—राज्य स्तर पर एक 'राज्य विकास समिति' होती है जिसका अध्यक्ष मुख्यमंत्री होता है। विभिन्न विभागों से सम्बन्धित मंत्री इसके सामान्य सदस्य होते हैं। विकास आयुक्त इसका मंत्री होता है। जिला स्तर पर विकास कार्यक्रमों को संचालित करने का उत्तरदायित्व जिला—परिषद पर होता है। इसके सदस्य समस्त खण्ड पंचायत समितियों के प्रधान तथा राज्य विधान—सभा तथा लोकसभा के सदस्य होते हैं।

(3) **खण्ड स्तर पर**—खण्ड स्तर पर सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्यों को संचालित करने का दायित्व खंड पंचायत समितियों पर है। समिति के सदस्य निर्वाचित सरपंच तथा कुछ स्त्रियां और अनुसूचित जातियों के कुछ प्रतिनिधि होते हैं। इन्हें मनोनीत किया जाता है। इसमें एक खण्ड विकास अधिकारी व अधीनस्थ कर्मचारी होते हैं जो कृषि, ि"ाक्षा, सहकारिता, सिंचाई आदि के कार्य के वि"ोषज्ञ होते हैं। इसके अतिरिक्त कुछ युवक क्लब, किसान, स्वयं—सेवी संस्थायें, महिला मण्डल आदि पंचायत कार्यों में सहयोग देते हैं।

सामुदायिक विकास योजना के संगठन के विभिन्न स्तरों को निम्नलिखित ढंग से द"ार्या जा सकता है—

सामुदायिक विकास में प्र"ाासनिक स्थिति
कार्यकारी अधिकारी

स्तर	प्र"ाासनिक प्रधान तथा सम्बद्ध कर्मचारी	प्र"ाासन में सहायक सलाहकार संस्था
1— केन्द्र	सामुदायिक विकास का मंत्रालय	केन्द्रीय सलाहकार समिति
2— राज्य	राज्य विकास आयुक्त	राज्य विकास समिति
3— जिला	जिला विकास अधिकारी	जिला विकास अधिकारी
4— प्रायोजना	प्रायोजना अधिकारी	प्रायोजनासलाहकार समिति
5— खण्ड	उप प्रायोजना अधिकारी	खण्ड सलाहकार समिति

जिला विकास या योजना अधिकारी (जिला स्तर)

समन्वय अधिकारी	उनके अधीन कार्यकर्ता
1. जिला सूचना अधिकारी	1. जिला कृषि अधिकारी
2. जिला स्वास्थ्य अधिकारी	2. जिला सहकारिता अधिकारी
3. अधि”ाासी अभियंता (सिंचाई)	3. जिला प”ाु अधिकारी
4. जिला गन्ना अधिकारी	4. सहायक पंचायत अधिकारी
5. जिला वन अधिकारी	5. जिला प्रान्तीय रक्षादल अधिकारी
6. जिला विद्यालय निरीक्षक	6. जिला महिला कल्याण अधिकारी
7. जिला उद्योग अधिकारी	7. हरिजन कल्याण अधिकारी

प्रायोजना अधिकारी और उनके अधीनस्थ प्रायोजना स्तर

1. उप विकास अधिकारी (कृषि)
2. उप विकास अधिकारी (ग्राम सहयोग)
3. उप विकास अधिकारी (कृषि अभियंत्रण तथा सिंचाई)
4. उप विकास अधिकारी (ि”ाक्षा एवं प्रि”ाक्षण)

5.6 बोध प्र”न–01

1. सामुदायिक विकास योजना का अर्थ समझाइये।
2. सामुदायिक विकास योजना के उद्दे”य कौन–कौन से हैं ?
   सामुदायिक विकास योजना के प्र”ाासकीय स्वरूप को स्पष्ट कीजिऐ।

5.7 ग्रामीण पुनर्निर्माण में सामुदायिक विकास योजनाओं की भूमिका

सामुदायिक विकास योजना के माध्यम से ग्रामीण आर्थिक–सामाजिक जीवन को परिवर्तित करने में काफी सहायता मिली है। इस दृष्टि से सामुदायिक विकास योजना की भूमिका को निम्नलिखित तथ्यों से जाना जा सकता है–

(1) खण्ड स्तर के अधिकारी तथा ग्राम सेवक किसानों को कृषि सम्बन्धी जानकारी व प्रि”ाक्षण देते हैं।

(2) कृषि व्यवसाय में कैसे प्रगति करें इसके उपाय बताते हैं, जैसे अच्छे बीज, खाद, वैज्ञानिक उपकरण आदि का प्रयोग करना। अच्छी फसल कैसे उत्पन्न करें और कैसे फसल की कीटाणुओं से रक्षा करें, इसके भी तरीके बताये जाते हैं।

(3) व्यर्थ में पड़ी भूमि का प्रयोग, प्र"िक्षण, साग–सब्जी को अधिक से अधिक कैसे उगाया जाऐ, इसके उपाय बताना।

(4) इन योजनाओं ने बंजर–भूमि को उपयोगी बनाया है। इससे कृषक को आर्थिक लाभ हुआ है और उत्पादन में वृद्धि भी हुई है। भूमिहीन श्रमिकों को कार्य मिला है। ग्रामीण जनता के रहन सहन का स्तर भी सुधरा है।

(5) कुटीर उद्योग धन्धों के विकास ने सराहनीय कार्य किया है।

(6) इस योजना के माध्यम से स्वास्थ्य और स्वच्छता की जानकारी भी ग्रामीणों को दी जाती है।

(7) "िक्षा का प्रचार व प्रसार किया जाता है, जैसे–रात्रि पाठ"ाालाओं को चलाना, पुस्तकालय और वाचनालय की स्थापना करना। युवक–मण्डल और कृषक–संघों की स्थापना करना, विभिन्न प्रकार के प्र"िक्षण केन्द्रों और "िाविरों की स्थापना करना।

(8) इन योजनाओं से ग्रामीण यातायात और संचार के साधनों में प्रगति हुई है।

(9) इसने पंचायत सहकारी समिति को सुचारू रूप से कार्यान्वित किया है।

(10) यह योजनाऐं, हरिजन, अनुसूचित जातियां, पिछड़े वर्ग तथा निर्धन स्त्रियों के कल्याण के लिए काफी महत्वपूर्ण भूमिका अभिनीत कर रही हैं।

(11) इसके अतिरिक्त ये गांव में मनोरंजन का भी प्रबन्ध करती हैं, जैसे–प्रद"र्ानी और चलचित्रों, मेले और हाट की व्यवस्था करना।

उपर्युक्त तथ्यों से यह ज्ञात होता है कि सामुदायिक विकास योजनाओं का ग्रामीण पुनर्निर्माण में महत्वपूर्ण स्थान है। इस योजना के माध्यम से गांव के आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रतिमान में काफी परिवर्तन हुए हैं। कृषक वैज्ञानिक खेती से परिचित हुआ है। उत्पादन में बृद्धि हुई है। इनके रहन–सहन के स्तर में भी परिवर्तन आया है। इन्होंने अन्धवि"वास और रूढ़ियों को तोड़ने का प्रयास किया है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम ग्रामीण पुनर्निर्माण में एक वि"िाष्ट स्थान रखता है।

5.8 सामुदायिक विकास कार्यक्रम एवं ग्रामीण सामाजिक संरचना में परिवर्तन

समुदायिक विकास कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप ग्रामीण भारत में अनेक परिवर्तन हुए हैं। परिवर्तन की अनेक प्रक्रियाओं ने भी ग्रामीण सामाजिक संरचना को परिवर्तित करने में सहायता प्रदान की है। भारतीय गांवों में परिवर्तन"ाील परिदृ"य का वि"लेषण निम्नलिखित शीर्षकों के अन्तर्गत किया जा सकता है–

(1) **परिवार एव बन्धुत्व व्यवस्था में परिवर्तन**–ग्रामीण रोजगार के नए अवसरों और ग्रामीण युवकों के नगरों की ओर प्रवास से परिवारों की संरचना पर प्रभाव पड़ा है। संयुक्त परिवार का यह परम्परागत रूप (जहां कई पीढ़ियां एक परिवार प्रमुख के शासन में, सामान्य सम्पत्ति, एक ही निवास स्थान और एक ही रसोई के आधार पर जीवन यापन करते हैं), बदल रहा है। इसके स्थान पर एकाकी परिवारों का उदय हो रहा है।

जहां तक बन्धुत्व सम्बन्धों का प्र"न है, इनका सांस्कारिक स्वरूप ढीला हुआ है। ये सम्बन्ध लचीले हुए हैं। लेन–देन की प्रथा में भी ढिलाई आई है, परन्तु विभिन्न

स्वार्थों की पूर्ति के लिए बन्धुत्व व्यवस्था भारतीय गांवों में एक सामाजिक ताने बाने के रूप में अधिक क्रिया"ील हो उठी है। उदाहरणार्थ, इन सम्बन्धों को नौकरी पाने, पदोन्नति या किसी सरकारी कार्यालय में कोई काम करवाने या चुनाव में जीतने के लिए प्रयोग किया जाने लगा है।

(2) **जाति संरचना में परिवर्तन**–नियोजित कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप और वि"ाषतः अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों एवं कमजोर वर्गों के लिए चलाये गये कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप जाति व्यवस्था में गहरे परिवर्तन हुए हैं। निम्न जातियों में जाति चेतना का उदय हो रहा है। मध्यम श्रेणी की जातियां राजनीतिक दृष्टि से अधिक सक्रिय हो उठी हैं। उच्च जातियों का परम्परागत प्रभुत्व कम होने लगा है और उनकी प्रभुता को मध्यम श्रेणी की जातियों से चुनौती मिल रही है। क्षेत्रीय आधार पर प्रभु जाति की अवधारणा क्रिया"ील होती दिखाई देती है अर्थात वह जाति प्रभुता ग्रहण करने लगती है जो क्षेत्र वि"ाष में संख्या के आधार पर या आर्थिक व राजनीतिक सत्ता के आधार पर शक्ति"ााली हो। एम0 एन0 श्रीनिवास के अध्ययन से पता चलता है कि चुनाव के समय वह जाति संगठन वोट बैंक के रूप में सक्रिय हो जाते हैं।

(3) **नए वर्गों का उदय**–परम्परागत दृष्टि से भारतीय गांव में भूस्वामियों, व्यापारियों, कृषकों एवं भूमिविहीन कृषि मजदूरों के वर्ग थे। परन्तु इनके बीच सम्बन्ध मालिक और आसामी सम्बन्ध प्रतिमान के आधार पर थे। भूमि सुधार कानूनों व विकास के अन्य कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप कुछ नए हित समूहों का उदय हो रहा है जो वर्ग चेतना के आधार पर क्रिया"ील हैं, जैसे–गांव में युवा सभाएं, स्त्री सभाएं, कृषक संघ, मजदूर संघ आदि।

(4) भाक्ति व सत्ता की संरचना में परिवर्तन–परम्परागत रूप से भारतीय ग्रामों में शक्ति और संरचना एक बन्द व्यवस्था का रूप प्रकट करती है जहां शक्ति पद क्रम सोपान में एक क्रम से दूसरे क्रम में गति"ीलता करना प्रायः असम्भव ही है। इसके अतिरिक्त प्रस्थिति संयोजन की स्थिति भी दिखाई देती है अर्थात उच्च जाति ही उच्च वर्ग है और वही शक्ति के सर्वोच्च पद भी ग्रहण किए हुए है। परन्तु पंचायती राज के लागू किये जाने से, सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार मिलने से तथा विकास के अन्य कार्यक्रमों के परिणामस्वरूप यह परम्परागत शक्ति संरचना टूटने लगी है।

(5) कृशि विविधोकरण पर सरकार का जोर–उन्नत बीज, उन्नत खाद और सिंचाई के उपलब्ध नए साधनों ने भारतीय ग्रामों में हरित क्रान्ति का श्रीगणे"ा किया है। पंजाब, हरियाणा, पि"चमी उत्तर प्रदे"ा और तमिलनाडु इस दि"ाा में अग्रणी हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग किया जाना और नकद फसल बोने का प्रयास ही ग्रामीण कृषि व्यवस्था को मजबूत बना सकते हैं। हरित क्रान्ति से किसानों की हालत में सुधार हुआ है। फसलों के विविधीकरण से जिसमें फूलों की खेती, डेयरी, मुर्गीपालन, मत्स्य पालन, दलहन और तिलहन प्रमुख हैं, किसानों को अपने उत्पाद पर अच्छी कमाई के अवसर मिलने लगे हैं। फलस्वरूप उनकी आकांक्षाएं जागी हैं और वे समाज के प्रतिष्ठा शक्ति व समृद्धि के पदों में अपना

हिस्सा पाने के लिए आवाज उठाने लगे हैं। परिणामतः परम्परागत सामाजिक संरचना में तनाव, दरार व टूटन की स्थिति पैदा होने लगी है।

(6) **आद"ार्ों एवं मूल्यों में परिवर्तन**—ग्रामीण संस्कृति भी परिवर्तन के दौर से गुजर रही है। भारतीय ग्रामों में जहां नियोजन के परिणामस्वरूप कुछ समृद्धि आई है, हरित क्रान्ति घटित हुई हैं। वहां भौतिक सुख—सुविधाओं का महत्व बढ़ गया है। नगरों की सभी सुविधाऐं, जैसे— ि"ाक्षा, यातायात, संचार माध्यम, उपभोग की ब्रान्डेड वस्तुऐं तथा मनोरंजक साधन अपनाने में ग्रामवासी पीछे नहीं रहना चाहते । फलस्वरूप गांव का आम आदमी पहले जैसा गांव का गंवार नहीं है। वह अपने हित साधन में चतुर और गुटबाजी में कु"ाल व्यक्ति बनता जा रहा है।

5.9 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम

कार्यक्रम का अर्थ—सरकार सामुदायिक ग्रामीण विकास के लिए अनेक कार्यक्रम गांवों में चला रही है। सभी कार्यक्रमों का यह उद्दे"य है कि ग्रामीण समाज के सामाजिक—आर्थिक ढांचे को समय की आव"यकतानुसार परिवर्तित किया जाये। इस दृष्टि से सभी ग्रामीण—कार्यक्रमों एवं योजनाओं का अपना महत्व है और सभी ने विकास कार्यों में अहम भूमिका अभिनीत की है। चाहे वह सामुदायिक विकास योजना, सहकारी समितियाँ, सर्वोदयी कार्यक्रम, पंचायत या भूदान आन्दोलन हो। ये सभी कार्यक्रम ग्रामीण समाज की बहुआयामी समस्याओं के समाधान हेतु कार्यरत हैं।

सामुदायिक ग्रामीण विकास कार्यक्रमों की कड़ी में '**समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम**' एक ऐसा कार्यक्रम है जो ग्रामीण समाज के अछूते प्राकृतिक सम्पदा तथा मानव"ाक्ति का उपयोग ग्रामीण विकास के लिये करता है। वास्तव में इन कार्यक्रमों ने उन समस्त कार्यक्रमों को अपने में समाहित कर लिया है जो व्यवस्थित ढंग से विकास कार्य में कार्यरत नहीं थे। इस कार्यक्रम का अर्थ ग्रामीण क्षेत्रों में निर्दिष्ट गरीब परिवारों की पर्याप्त सहायता करना और उनकी आय को इस सीमा तक बढ़ाना है कि वे सदैव के लिए गरीबी रेखा से ऊपर हो सकें।

कार्यक्रम संबंधी नीति—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का सम्पूर्ण उत्तरदायित्व राज्य सरकारों पर है। प्रत्यक्ष रूप से केन्द्र सरकार का कार्य राज्यों को दि"ाा निर्दे"ान करना, नीति—निर्धारण करना, कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करना, उनके मध्य सामंजस्य स्थापित करना, तकनीकी सहायता, प्र"िाक्षण एवं शोध सबंधी कार्यों में सहायता करना और महत्वपूर्ण कार्यों में वित्तीय सहायता करना है।

कार्यक्रम का आरम्भ—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की संकल्पना का प्रस्ताव सर्वप्रथम 1976—77 के केन्द्रीय बजट में रखा गया और इसे कुछ सीमा तक लागू किया गया। 2 अक्टूबर 1980 से यह कार्यक्रम दे"ा के समस्त विकास खण्डों में लागू किया गया। ग्रामीण निर्धनों को सीधे लाभ पहुंचाने वाली यह दे"ा की पहली और सबसे वि"ाल योजना है।

कार्यक्रम का उद्दे"य—वास्तव में एकीकृत या समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्दे"य यह है कि विकास का लाभ उन वर्गों को प्राप्त हो सके

जो शताब्दियों से आर्थिक अभाव में जीवन यापन कर रहे हैं और दरिद्रता के अभि"ााप से ग्रसित हैं। इस योजना का उद्दे"य क्षेत्रीय आर्थिक असमानता को दूर करना है। इसी के साथ ही ग्रामीण गरीबी और भुखमरी को समाप्त करना है। इस कार्यक्रम में कृषि, डेरी–व्यवस्था, मछली व्यवसाय, खादी, ग्रामीण लघु उद्योग, दस्तकारी, ि"ाल्पकारी, लघु व्यवसाय और नौकरियां आती हैं।

गरीब परिवारों के आर्थिक स्तर को उठाने के लिए भारत सरकार ने ठोस कदम उठाये हैं। जिन परिवारों की 4,800 रू0 (अब 6,400रू0) से कम वार्षिक आय है, उन्हें सरकार विभिन्न प्रकार की सहायता देती है। इस प्रकार के परिवारों में से एक व्यक्ति को नौकरी के अवसर प्रदान करती है। उन्हें आर्थिक सहायता देकर अपना कार्य करने की प्रेरणा देती है। लगभग 35 करोड़ से अधिक व्यक्ति इस दे"ा में गरीबी रेखा के नीचे रहते हैं। इसमें से भी 30 करोड़ व्यक्ति ग्रामीण समाज में रहते हैं। इस योजना में परिवार को एक इकाई के रूप में लिया जाता है। इस कार्यक्रम को 20 सूत्रीय कार्यक्रम के तहत प्राथमिकता दी गई है।

इस योजना में कुछ और कार्यक्रम भी सम्मिलित कर लिये गये हैं, जैसे–

(1) ग्रामीण युवकों को स्व रोजगार के प्रि"ाक्षण (Training of Rural Youth for Self Employment-TRYSEM)

(2) राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार योजना (National Rural Employment Programme- N.R.E.P.)

(3) ग्रामीण क्षेत्रों की महिलाओं और बच्चों का विकास (Development of Women and Children in Rural Area-DWCRA)

(4) ग्रामीण भूमिहीन श्रमिकों को रोजगार देने की गारन्टी (Rural Landless Employment Guarantee Programme-RLEGP)

(5) काम के बदले अनाज का कार्यक्रम (Food for Work Programme-FFWP)

(6) कु"ालता विकास कार्यक्रम (Skill Development Programme)

यह कार्यक्रम जिला ग्राम विकास एजेन्सी (DRDA) द्वारा कार्यान्वित किया जाता है। राज्य स्तर पर राज्य के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समन्वय समिति इसके सभी पहलुओं की समीक्षा करती है। इसके मार्गद"ान के लिए एक प्रबन्ध समिति होती है जिसमें जनता के प्रतिनिधि (जैसे सांसद, विधानसभा और जिला परिषद के सदस्य, जिला विकास विभागों, विकास बैंकों और अग्रणी बैंकों के अध्यक्ष, तथा स्त्रियों, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के प्रतिनिधि) शामिल होते हैं। केन्द्रीय स्तर पर ग्राम विकास विभाग इस कार्यक्रम के मार्गद"ान, नीति–निर्धारण और नियंत्रण के लिए पूरी तरह से जिम्मेदार है।

5.9.1 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का महत्व

निम्नलिखित बिन्दुओं के आधार पर इसके महत्व को जाना जा सकता है–

(1) ग्रामीण निर्धन व्यक्तियों को गरीबी की रेखा से ऊपर उठाने का संकल्प।

(2) यह कार्यक्रम ग्रामीण समाज की बेकारी व अर्ध बेकारी को दूर करने की सबसे वि"ाल योजना है।

(3) इस योजना का महत्व इसलिए भी अधिक है कि यदि सम्पूर्ण ग्रामीण समाज को विकास और प्रगति के मार्ग पर लाना चाहती है जिससे गांव के निर्धन व्यक्तियों को अधिक से अधिक लाभ प्राप्त हो सके।

(4) इस कार्यक्रम का महत्व इससे भी ज्ञात होता है कि शताब्दियों से शोषित अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए सरकार कार्य करती है। उन्हें लाभान्वित करने का प्रयास करती है।

(5) गांव के निर्धन वर्ग के जीवन–स्तर को ऊँचा करने के लिए यथासम्भव प्रयास करती है जिससे विभिन्न वर्गों के मध्य जो आर्थिक–सामाजिक विषमताएं हैं, वे समाप्त हो सकें।

(6) सीमान्त किसानों, कृषि श्रमिकों, ग्रामीण कारीगरों तथा अन्य व्सक्तियों को आर्थिक सहायता प्रदान करती है जिससे वे स्वावलम्बी बन सकें।

(7) बेरोजगार ग्रामीण व्यक्तियों को प्रेरित करके उन्हें कामकाजी बनाने हेतु प्रयास करती है। उन्हें विभिन्न कार्यों में प्र"ाक्षण दिया जाता है, जिससे वे अपनी जीविका अर्जित कर सकें।

(8) कृषक के पास जब किसी भी प्रकार का काम नहीं रहता है तो उन्हें काम दिया जाता है और पारिश्रमिक के स्थान पर अनाज दिया जाता है अर्थात काम के बदले अनाज दिया जाता है जिससे कि इनकी रोजी रोटी चल सके।

(9) कुटीर उद्योग–धन्धों को आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था है।

(10) ग्रामीण व्यक्तियों को अन्धवि"वासों और रूढियों के घेरे से निकालकर उन्हें आधुनिक बनाने का प्रयास किया जाता है। इन्हें वैज्ञानिक दृष्टि प्रदान करने का प्रयास किया जाता है।

(11) गांव के व्यक्तियों को विभिन्न कार्यों में प्र"ाक्षण देकर उन्हें स्वरोजगार करने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

(12) कृषि संबंधी अनेक कार्यों की जहां जानकारी दी जाती है वहीं इसकी सहभागी रूप में सदस्यता भी दी जाती है।

(13) इस कार्यक्रम के महत्व को इससे भी आंका जा सकता है कि ग्रामीणों को इस प्रकार से प्रोत्साहित और प्र"ाक्षित किया जाता है कि वे विभिन्न विकास कार्यक्रमों में स्वतः भागीदार बनें और गांव के सर्वांगीण विकास के प्रहरी बने।

(14) यह कार्यक्रम प"ुपालन, मत्स्य पालन, डेयरी, दस्तकारी, वानिकी आदि कार्यों में भी सहायता करता है।

(15) उत्पादन में वृद्धि करने की दृष्टि से किसानों को सहकारी अनुदान तथा बैंक ऋण की भी व्यवस्था की गई है। इस सहायता और अनुदान से कृषक अच्छी खाद बीज तथा म"ीन के अनेक उपकरणों को क्रय करता है।

5.9.2 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के मार्ग में बाधाऐं

अन्य विकास कार्यक्रमों की तरह समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम के मार्ग में भी अनेक बाधाऐं आई हैं, जिनमें से प्रमुख इस प्रकार हैं–

(1) **परिवारों के चयन में कठिनाई**–निर्धनता रेखा के नीचे रहने वाले परिवारों का चयन करना एक कठिन कार्य है। इसमें पक्षपात के कारण वास्तव में निर्धन व्यक्तियों को इनका कई बार लाभ नहीं मिल पाता है।

(2) **कार्यक्रम के प्रति जानकारी का अभाव**–जिन लोगों के लिए कार्यक्रम चलाया गया है उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं है। जानकारी के अभाव में वे इसका पूरा लाभ नहीं उठा पाते हैं।

(3) **f"ाक्षा का अभाव**–f"ाक्षा के अभाव के कारण ग्रामीण लोग इन कार्यक्रमों को ठीक प्रकार से नहीं समझते हैं। इसलिये वे इसमें वि"ोष सहयोग भी नहीं दे पाते हैं।

(4) **सरकारी सहायता का दुरूपयोग**–सार्वजनिक जीवन में फैले हुये भ्रष्टाचार के कारण सरकारी सहायता का दुरूपयोग होता है। एक तो सहायता ही बहुत कम मिलती है और दूसरे भ्रष्टाचार के कारण लाभार्थियों को काफी खर्चा करके सुविधाएं प्राप्त होती हैं।

(5) **व्यवसाय सम्बन्धी व्यावसायिक ज्ञान का अभाव**–लाभार्थियों में व्यवसाय सम्बन्धी ज्ञान नहीं होता। उनमें व्यावहारिक ज्ञान का भी अभाव पाया जाता है। इसके कारण वे ऋण लेने के बावजूद अपने पैरों पर खड़े नहीं हो पाते। अतः वे सुविधाओं का पर्याप्त लाभ नहीं उठा पाते।

(6) **अल्प–कालीन सरकारें**–राज्यों में अल्प–कालीन सरकार होने के कारण भी विकास कार्य व्यवस्थित रूप से न तो कार्यान्वित हो पाते हैं और न ही सरकारें इनमें रूचि लेती हैं। सरकार का सारा समय अपनी सत्ता को बचाने में ही व्यतीत हो जाता है।

(7) **मूल्यांकन का अभाव**–सामान्यतः बड़े अधिकारी गांव के किसी एक स्थान पर बैठकर सम्पूर्ण कार्यक्रम का मूल्यांकन करते हैं। इससे वास्तविक प्रगति की जानकारी नहीं हो पाती।

(8) **निष्ठा का अभाव**– ग्रामीण समाज का विकास व उन्नति इस बात पर बहुत कुछ निर्भर है कि दे"ा के निवासियों की निष्ठा व भावना कैसी है। दे"ा और ग्रामीण समाज का विकास सामूहिक निष्ठा भावना पर आधारित है।

5.10 भारत में सामुदायिक विकास के विभिन्न कार्यक्रम

राष्ट्रीय पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में ग्रामीण विकास को महत्व प्रदान करने की दृष्टि से हाल के वर्षों में सुधार के कदम उठाए गए हैं, ताकि असंतुलन को दूर किया जा सके। ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्रामीण क्षेत्रों में विभिन्न कार्यक्रमों द्वारा स्थायी विकास लाने के लिए बड़ी मात्रा में पूंजी लगाई है। सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण गरीब समर्थित नीति में ग्रामीण गरीबों को उनके अपने परिपूर्ण विचार और क्षेत्रीय परिस्थितियों के उनके अनुभवों को लेकर शुद्ध साधन की तरह विकास रणनीति का अभिन्न हिस्सा बनाया गया है। इस प्रक्रिया में समाज के सबसे पिछड़े वर्ग को उच्च प्राथमिकता दी गई है। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास को कायम रखने के लिए ग्रामीण विकास के प्रावधान में भारी मात्रा में वृद्धि की गई है। वर्ष 2001–02 में ग्रामीण विकास के लिए बजट प्रावधान 12,265 करोड़ रूपये का था इसकी तुलना में वर्ष 2002–03 में बजट का प्रावधान 13,650 करोड़ रूपये रखा गया। वर्ष 2003–04 के लिए इसमें वृद्धि करके यह 14,070 करोड़ रूपये कर दिया गया और वर्ष 2004–05 के लिए यह बढ़ाकर 15,998 करोड़ रूपये किया गया। वित्त वर्ष 2005–06 के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय का स्वीकृत परिव्यय 24,480 करोड़ रूपये है।

भारत में ग्रामीण विकास हेतु अनेक कार्यक्रम चलाए जा रहे हैं, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित हैं–

(1) **प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना**

100 प्रति"ात केन्द्र द्वारा प्रायोजित प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना दिसम्बर, 2000 में प्रारम्भ की गई। इस योजना का उद्दे"य 1,000 से अधिक जनसंख्या वाले प्रत्येक गांव को 2003 तक तथा 500 से अधिक जनसंख्या वाले गांवों को दसवीं योजना के अंत तक यानि 2007 तक अच्छी बारहमासी सड़कों से जोड़ना है। पहाड़ी राज्यों की बावत (उत्तर पूर्व सिक्किम, हिमाचल प्रदे"ा, जम्मू क"मीर व उत्तराखण्ड) और रेगिस्तानी क्षेत्रों में 250 के लगभग आबादी वाले गांवों को सड़कों से जोड़ने का लक्ष्य है।

मार्च 2004 के अन्त तक 14,377 करोड़ रूपये के अनुमानित खर्च से 35,000 सड़क निर्माण कार्यों को मन्जूरी दी जा चुकी है और इनमें से 20,651 सड़कों का निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। अन्य निर्माण कार्य विकास के विभिन्न चरणों में हैं। अभी तक कुल मिलाकर 9,882 करोड़ रूपये खर्च हो चुके हैं।

(2) **ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम**

ग्रामीण निवास स्थानों में पेयजल सुविधाऐं राज्य स्कन्ध न्यूनतम आव"यकता कार्यक्रम के तहत प्रदान की जाती हैं। केन्द्र द्वारा प्रायोजित त्वरित ग्रामीण जलापूर्ति कार्यक्रम के तहत सहायता प्रदान कर केन्द्र सरकार राज्य सरकारों के प्रयासों को बल प्रदान करती है। साथ ही राज्यों को जलापूर्ति योजनाओं के नियोजन तथा क्रियान्वयन के लिए अधिकार दिए गए हैं।

जलापूर्ति क्षेत्र में अब तक 50,000 करोड़ रूपये का निवे"ा किया जा चुका है। 25 मई 2005 तक विभिन्न राज्यों से मिली सूचना के अनुसार अभी 4,587 ग्रामीण बस्तियों में पेयजल नहीं पहुंचा है जबकि पेयजल सुविधा से अं"ातः सम्पन्न ग्रामीण बस्तियों की संख्या 55,470 है। 28 जून, 2005 तक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2004–05 के दौरान 20,297 वंचित और 47,899 आंि"ाक रूप से वंचित बस्तियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध करा दी गई है। 99 प्रति"ात बस्तियों में पेयजल सुविधा उपलब्ध है। अब यह सुधार कार्यक्रम दे"ाभर में 'स्वजलधारा' के नाम से चलाया जा रहा है।

(3) **केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम**

ग्रामीण स्वच्छता राज्य का विषय होने के कारण ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम राज्य क्षेत्र के न्यूनतम आव"यक कार्यक्रम के तहत राज्य सरकारों द्वारा क्रियान्वित किया जाता है। केन्द्र द्वारा प्रायोजित ग्रामीण स्वच्छता कार्यक्रम के जरिये वित्तीय तथा तकनीकी सहायता प्रदान करके केन्द्र सरकार, राज्य सरकारों के प्रयासों को मजबूत करती है।

सम्पूर्ण स्वच्छता योजना के तहत 30 राज्यों/केन्द्र"ाासित प्रदे"ाों में अब तक 507 परियोजनाऐं स्वीकृत की गई हैं जिनकी कुल लागत 5,087.33 करोड़ रूपये है। इसमें केन्द्र का हिस्सा 3,047 करोड़ रूपये, राज्यों का हिस्सा 1,33.52 करोड़ रूपये और लाभान्वित पंचायतों का हिस्सा 908.81 करोड़ रूपये है। वर्ष 2003–04 तक 80,87,130 शौचालयों का निर्माण किया गया।

(4) **इन्दिरा आवास योजना**

गांवों में रहने वालों की आवास सम्बन्धी आव"यकताओं की पूर्ति के लिए मई, 1985 में जवाहर योजना की उप–योजना के रूप में इन्दिरा आवास शुरू की गई। 01 जनवरी, 1996 से यह स्वतंत्र योजना के रूप में लागू है। इस योजना का लक्ष्य गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले अनुसूचित जातियों/जनजातियों, मुक्त बंधवा मजदूर और गैर–अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजातियों की श्रेणियों में आने वाले ग्रामीण गरीबों को आवासीय इकाइयों के निर्माण और मौजूदा अनुपयोगी कच्चे मकानों को सुधारने में मदद करना है, जिसके लिए उन्हें सहायता अनुदान दिया जाता है। वर्ष 1995–96 में इन्दिरा आवास योजना के लाभ युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं या निकटतम संबंधी को भी दिये जाने लगे हैं। योजना की 03 प्रति"ात रा"ि ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले विकलांग व्यक्तियों के लिए आरक्षित की गई है।

इस योजना के अन्तर्गत 1985–86 से 2004–05 तक 129 लाख मकानों का निर्माण किया जा चुका है, जिस पर 23,149.06 करोड़ रूपये खर्च हो चुका है।

ग्रामीण आवास के लिए 2005–06 के दौरान 2,775 करोड़ रूपये उपलब्ध कराए गए हैं। इन्दिरा आवास योजना के अन्तर्गत वर्ष 2005–06 के लिए 14.54 लाख मकानों के निर्माण/ परिष्कार हेतु 757.40 करोड़ रूपये आवटित किए गए हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान 31 मई, 2005 तक इन्दिरा आवास योजना के तहत पहली किस्त के रूप में 921.08 करोड़ रूपये जारी किए गए।

(5 **स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना**

एक समग्र स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयन्ती के नाम से 1 अप्रैल, 1999 को शुरू हुई। इस योजना में पूर्व से चल रहे निम्नांकित छह विषयों का विलय किया गया—समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम, ग्रामीण युवाओं को स्वरोजगार प्र"ाक्षण, कार्यक्रम ट्राइसेम, ग्रामीण क्षेत्र में महिला एवं बाल विकास, कार्यक्रम डवाकरा, ग्रामीण दस्तकारों को उन्नत औजार किट आपूर्ति कार्यक्रम, गंगा कल्याण योजना, दस लाख कुंआ योजना। योजना का उद्दे"य गरीबों की पारिवारिक आय को बढ़ाना तथा आधारभूत स्तर पर लोगों की स्थानीय जरूरतों व संसाधनों को सुगमता प्रदान करना है। योजना का बुनियादी मकसद गरीबी रेखा से नीचे के हर स्वरोजगारी को आय पैदा करने के लिए सहायता देना है। स्वर्ण जयन्ती स्वरोजगार योजना पंचायती राज संस्थाओं, बैंकों और स्वयंसेवी संगठनों की सक्रिय भागीदारी के साथ जिला ग्रामीण विकास एजेन्सियों के जरिये क्रियान्वित की जा रही है। योजना पर खर्च की जाने वाली रा"ा केन्द्र और राज्य सरकारों में 75:25 के अनुपात में वहन की जाती है।

इस कार्यक्रम के तहत शुरू से अब तक 19.94 लाख स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा चुका है, जिसमें 55.98 लाख स्वरोजगारी शामिल हैं। इन स्वरोजगारियों में 27.14 लाख स्वयं सहायता समूह के सदस्य और 28.58 लाख व्यक्तिगत स्वरोजगारी शामिल हैं। इन्हें कुल 11,790.73 करोड़ रूपये की सहायता दी गई है। इन कुल स्वरोजगारियों में 38.74 प्रति"ात अनुसूचित जाति और जनजाति से सम्बद्ध हैं और 39.94 प्रति"ात महिलाऐं है। वर्ष 2005—06 के दौरान इस योजना के लिए 960 करोड़ रूपये की केन्द्रीय सहायता का प्रावधान किया गया है।

(6) **ग्रामीण विकास और पर्यावरण का अभिनव कार्यक्रम**

किफायती, पर्यावरण—अनुकूल, वैज्ञानिक रूप से परीक्षित और प्रभावी स्वदे"ाी व आधुनिक डिजाइनों में प्रौद्योगिकियों और सामग्रियों के उपयोग को बढ़ावा देने के उद्दे"य से 01 अप्रैल, 1999 से ग्रामीण आवास और पर्यावरण विकास का अभिनव कार्यक्रम शुरू किया गया है। इस योजना का उद्दे"य ग्रामीण इलाकों में नवीन व प्रमाणित आवास प्रौद्योगिकियों, डिजाइनों और सामग्रियों को बढ़ावा देना/प्रचारित करना है। वर्ष 2002—03 के दौरान 10 करोड़ रूपये का प्रावधान रखा गया है, जिसमें से 0.32 करोड़ रूपये विभिन्न परियोजनाओं पर खर्च किए गए हैं।

(7) **जवाहर ग्राम समृद्धि योजना**

यह योजना 01 अप्रैल, 1999 से लागू हुई, ताकि पूर्व में चल रही जवाहर रोजगार योजना, 1986 को पुनःगठित, सुव्यवस्थित और व्यापक स्वरूप प्रदान किया जा सके। इस योजना को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में मिला दिया गया है। इस योजना का मौलिक उद्दे"य गांवों में मांग पर आधारित सामुदायिक अवसंरचना का सृजन करना है। इसका प्राथमिक उद्दे"य ग्रामीण क्षेत्रों में बेरोजगार एवं अल्प बेरोजगार व्यक्तियों के लिए लाभकारी रोजगार अवसरों का सृजन करना है। इस योजना को दिल्ली और चण्डीगढ़ को छोड़ समग्र दे"ा में सभी ग्राम पंचायतों में लागू किया गया है।

(8) जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्र"ाासन

01 अप्रैल, 1999 से केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजना जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्र"ाासन शुरू की गई। योजना का उद्दे"य जिला ग्रामीण विकास एजेंसियों को स"ाक्त बनाना तथा इन्हें इनके क्रियान्वयन के लिए अधिक व्यावसायिक बनाना है। जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्र"ाासन के लिए रा"ि का आवंटन केन्द्र व राज्यों के बीच 75:25 के आधार पर होता है। वर्ष 2002–03 के दौरान जिला ग्रामीण विकास एजेंसी प्र"ाासन के लिए 229 करोड़ रूपये का बजट प्रावधान किया गया है।

(9) **राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम एवं अन्नपूर्णा**

राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम 15 अगस्त, 1995 को अस्तित्व में आया था। यह केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम राष्ट्रीय वृद्धावस्था पें"ान योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना से मिलकर बनाया गया, जिसका मकसद वृद्धों को सामाजिक सुरक्षा देना और घर के मुखिया की मौत के मामले में सहायता करना था। राष्ट्रीय वृद्धावस्था पें"ान योजना में 65 वर्षीय उपेक्षित वृद्ध को प्रति माह 75 रूपये की सहायता देने का प्रावधान किया गया था और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना घर के पालनकर्ता की मौत पर घर वालों को कुल 10 हजार रूपये लाभ पहुंचाने का लक्ष्य रखा गया।

(10) जन सहयोग और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उत्कर्श (कपार्ट)

ग्रामीण विकास में स्वैच्छिक क्रियाकलापों के प्रोत्साहन, प्रवर्तन और सफलता के उद्दे"य से तथा ग्रामीण समृद्धि में वृद्धि के लिये नई प्रौद्योगिकी के इस्तेमाल पर ध्यान केन्द्रित करने के लिये सरकार ने जन–सहयोग और ग्रामीण प्रौद्योगिकी उत्कर्ष परिषद (कपार्ट) की स्थापना की। यह ग्रामीण विकास विभाग के तहत एक पंजीकृत संस्था है।

कपार्ट की नौ प्रादे"िाक समितियां/प्रादे"िाक केन्द्र हैं, जो जयपुर, लखनऊ, अहमदाबाद, भुवने"वर, पटना, चण्डीगढ़, हैदराबाद, गुवाहाटी और धारवाड़ में स्थित हैं। प्रादे"िाक समितियों को अपने अपने प्रदे"ाों में स्वयंसेवी संस्थाओं की 20 लाख रूपये तक के परिव्यय वाली परियोजनाओं को मंजूरी देने की शक्तियां प्राप्त हैं। कपार्ट अपनी स्थापना से लेकर 2003 तक 701.63 करोड़ रूपये की लागत से 21,621 परियोजनाओं को मंजूरी दे चुका है और 545.85 करोड़ रूपये जारी किए जा चुके हैं।

(11) **एकीकृत बंजर–भूमि विकास कार्यक्रम**

एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम वर्ष 1989–90 से चलाया जा रहा है। 01 अप्रैल, 1995 से यह कार्यक्रम चलाया जा रहा है। 01 अप्रैल, 2000 से यह पूर्णतया केन्द्र द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम है। योजना में संसाधनों का बंटवारा केन्द्र और राज्य में 92:8 के अनुपात में है। इस कार्यक्रम में बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों में लोगों की भागीदारी बढ़ाने के साथ–साथ ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार उत्पन्न करने में भी मदद मिलती है।

इस कार्यक्रम का मुख्य उद्दे"य ग्राम/सूक्ष्म जलसंभर योजनाओं पर आधारित एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम का क्रियान्वयन करना है। भूमि क्षमता, स्थल

परिस्थितियों तथा स्थानीय जरूरतों को ध्यान में रख कर भागीदार इन योजनाओं को बनाते हैं।

मार्च 2002 तक 423 एकीकृत बंजर भूमि विकास परियोजनाओं को 28 राज्यों के 297 जिलों में लागू किया गया है, जिसका कुल परिव्यय 1,868,58 करोड़ रूपये 37. 22 लाख हैक्टेयर के कुल परियोजना क्षेत्र में विभिन्न चरणों के लिये रखा गया।

(12) **सूखा संभावित क्षेत्र कार्यकम**

सूखा संभावित क्षेत्र कार्यक्रम 1977–78 में रेगिस्तानी व ठंडे दोनों क्षेत्रों में, गर्म रेगिस्तानी क्षेत्रों के राजस्थान, गुजरात और हरियाणा तथा ठंडे रेगिस्तानों के ग्रामीण क्षेत्र जम्मू–क"मीर और हिमाचल प्रदे"ा से शुरू हुआ था। वर्ष 1995–96 से इस योजना का विस्तार आन्ध्र प्रदे"ा और कर्नाटक के कुछ और जिलों में हुआ।

वर्तमान में इस कार्यक्रम में सात राज्यों के 40 जिलों के 234 खंड शामिल हैं। वर्ष 1995–96 तक विभिन्न कार्यक्रमों के अन्तर्गत राज्यों में 6,712 जलसंभर परियोजनाओं को स्वीकृत किया गया है। इनमें से पूरी परियोजना की कीमत 1233 परियोजनाओं के लिए जारी की गई है। शेष 5,479 परियोजनाएं क्रियान्वयन के विभिन्न चरणों में हैं। 8,712 परियोजनाओं द्वारा लगभग 33.56 लाख हैक्टेयर भूमि को सही किया गया।

5.11 बोध प्र"न–02

1. सामुदायिक विकास योजना ग्रामीण पुनर्निर्माण में किस प्रकार सहायक है ?
2 समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम की अवधारणा समझाइये।
3. सामुदायिक ग्रामीण विकास के प्रमुख कार्यक्रमों का परिचय प्रस्तुत कीजिए।

7.12 सारां"ा

भारतीय ग्रामीण समाज में चल रहे सामुदायिक विकास कार्यक्रमों की स्थिति को संतोषजनक माना जा सकता है। इन्होंने ग्रामीण पुनर्निर्माण में योगदान दिया है, ग्रामीणों की सामाजिक, आर्थिक व व्यवसायगत स्थिति में सुधार किया है, उनके दृष्टिकोण व मान्यताओं में सकारात्मक परिवर्तन किया है और उन्हें आगे बढ़ने की प्रेरणा दी है। भारत का एक बड़ा वर्ग जहां इन कार्यक्रमों का प्र"ांसक रहा है, वहीं कुछ लोग इन कार्यक्रमों को असफल मानते हैं और यहां तक कहते हैं कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों ने ग्रामीण भारत में नौकर"ााही के भ्रष्टाचार को प्रोत्साहित किया है। इस कार्यक्रम का निरन्तर मूल्यांकन करने हेतु केन्द्रीय योजना आयोग (वर्तमान में निति आयोग) द्वारा कार्यक्रम मूल्यांकन संगठन गठित किया गया। इस संगठन ने समय समय पर अपने प्रतिवेदनों में कार्यकम की सफलताओं व असफलताओं को इंगित किया है। ग्रामीण समाज"ाास्त्रियों एस0 सी0 दुबे, बैजनाथ सिंह व महीपाल ने अपने अध्ययनों के माध्यम से ग्रामीण भारत में सामुदायिक

विकास कार्यक्रमों पर प्रका"ा डाला है। कुल मिलाकर ग्रामीण विकास के दृष्टिकोण से सामुदायिक विकास कार्यक्रमों का प्रभाव मिला जुला रहा है।

5.13 प्रयुक्त शब्दावली

सामुदायिक विकास : सामुदायिक विकास एक समन्वित प्रणाली है जिसके द्वारा ग्रामीण जीवन के सर्वांगीण विकास के लिये प्रयत्न किया जाता है। इस योजना का आधार जन सहभाग तथा स्थानीय साधन हैं।

समन्वित ग्रामीण विकास : ग्रामीण क्षेत्रों में निर्दिष्ट निर्धन परिवारों की पर्याप्त सहायता करना और उनकी आय को इस सीमा तक बढ़ाना कि वे सदैव के लिये निर्धनता रेखा से ऊपर आ सकें, समन्वित ग्रामीण विकास कहलाता है।

5.14 अभ्यास प्र"न

1. भारत में सामुदायिक विकास और विस्तार सेवा कार्यक्रम कब शुरू हुआ–
   (क) 2 अक्टूबर, 1950 में (ख) 2 अक्टूबर, 1951 में
   (ग) 2 अक्टूबर, 1952 में (घ) 2 अक्टूबर, 1953 में
2. सामुदायिक विकास कार्यक्रम की नीतियों का निर्धारण कौन करता है–
   (क) गृह मंत्रालय (ख) वित्त मंत्रालय
   (ग) सामुदायिक विकास व सहकारिता मंत्रालय (घ) इनमें से कोई नहीं
3. 'राज्य विकास समिति' का अध्यक्ष कौन होता है–
   (क) राज्यपाल (ख) मुख्यमंत्री
   (ग) राज्य विकास आयुक्त (घ) राज्य कृषि मंत्री
4. 10वीं पंचवर्षीय योजना की कार्य अवधि क्या है–
   (क) 1999–2004 (ख) 2000–2005
   (ग) 2001–2006 (घ) 2002–2007
5. भारत में 'स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना' कब प्रारम्भ की गई थी–
   (क) 1998 में (ख) 1999 में
   (ग) 2000 में (घ) 2001 में
6. भारत में 'ग्रामीण विकास और पर्यावरण का अभिनव कार्यक्रम' कब प्रारम्भ किया गया था–
   (क) 1998 में (ख) 1999 में
   (ग) 2000 में (घ) 2001 में
7. 'इन्दिरा आवास योजना' कब प्रारम्भ की गई थी–
   (क) 1985 में (ख) 1986 में
   (ग) 1987 में (घ) 1988 में
8. 'एकीकृत बंजर भूमि विकास कार्यक्रम' कब प्रारम्भ किया गया था–
   (क) 1986–87 से (ख) 1987–88 से

(ग) 1988–89 से (घ) 1989–90 से

9. 'कपार्ट' की इस समय कितनी प्रादेशिक समितियां कार्य कर रही हैं–

(क) 8 (ख) 9

(ग) 10 (घ) 11

5.15 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. (ग) 02 अक्टूबर, 1952 में 2.(ग) सामुदायिक विकास व सहकारिता मंत्रालय 3. (ख) मुख्यमंत्री 4. (घ) 2002–2007 5. (ख) 1999 में 6. (ख) 1999 में 7. (क) 1985 में 8. (घ) 1989–90 से 9. (ख) 9

5.16 निबन्धात्मक प्रश्न

1. सामुदायिक विकास कार्यक्रम से आप क्या समझते हैं ? ग्रामीण भारत में इस योजना के उद्देश्यों पर प्रकाश डालिये।
2. सामुदायिक विकास कार्यक्रमों ने ग्रामीण भारतीय समाज में किन परिवर्तनों को उत्पन्न किया है ? बताइये।
3. भारत वर्ष में चल रहे प्रमुख सामुदायिक विकास कार्यक्रमों पर प्रकाश डालिये।

5.17 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

–चौहान, बी0 आर0, 'भारत में ग्रामीण समाज' (1988), ए0 सी0 ब्रदर्स, उदयपुर।

–दोषी, एस0 एल0 एण्ड पी0 सी0 जैन, 'रूरल सोशियोलॉजी' (1999), रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।

–दुबे, एस0 सी0, 'भारतीय ग्राम (अनु0 : योगेश अटल, 1996), वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली।

–दुबे, एस0 सी0, 'इण्डियाज चेंजिंग विलेजेज' (1958), लंदन, रूट्स एण्ड कीगल पाल।

–महीपाल, 'ग्राम नियोजन' (2016), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत।

–सिंह, बैजनाथ, 'सामुदायिक ग्रामीण विकास' (2016), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत।

5.18 सहायक उपयोगी ग्रन्थ

–आहूजा, राम, 'भारतीय समाज' (2004), रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।

–देसाई, ए0 आर0, 'भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र' (1997), रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर।

–मुकर्जी, आर0 एन0 एवं जी0 सी0 कुलश्रेष्ठ, 'भारतीय ग्रामीण समाजशास्त्र' (2003), प्रकाश बुक डिपो, बरेली।

इकाई- 6 पंचायती राज और लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

इकाई की संरचना

6.0 उद्देश्य
6.1 प्रस्तावना
6.2 पंचायती राज
6.3 स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में पंचायती राज
6.4 स्वतंत्रता पूर्व भारत में पंचायती राज
6.5 स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में पंचायती राज
6.6 पंचायतों के विकास के लिए गठित समितियाँ
6.6.1 बलवंत राय मेहता समिति
6.6.2 अशोक मेहता समिति
6.6.3 जी0वी0के0 समिति
6.6.4 डॉ0 एल0एम0 सिंघवी समिति
6.6.5 सरकारिया आयोग और पी0 के0 थुंगर समिति
6.7 तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम
6.7.1 तिहत्तरवें संविधान संशोधन की मुख्य बातें
6.7.2 तिहत्तरवें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताऐं
6.8 लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण
6.9 सारांश
6.10 शब्दावली
6.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
6.12 सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची
6.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
6.14 निबंधात्मक प्रश्न

6.0 उद्देश्य

इस इकाई का अध्ययन करने के उपरान्त आप-

- स्वातंत्रता से पहले और स्वसतंत्रता के बाद भारत में पंचायतों की स्थिुति के संबंध में जान पायेंगे।
- स्थानीय स्वशासन के बारे में जान पायेंगे।
- स्थानीय स्वशासन को वैधानिक रुप देने के लिए संविधान में 73वें संविधान संशोधन के विषय में जान पायेंगे।
- 73वें संविधान संशोधन के पिछे सोच के कारणों का ज्ञान होगा।

- 73वें संविधान संशोधन के द्वारा संविधान में मौजुद मुख्य बिन्दुओं की जानकारी मिलेगी।

6.1 प्रस्तावना

शासन प्रणालियों के विकास क्रम में मनुष्य ने अनेक प्रकार की शासन प्रणालियों को अपनाया। शासन प्रणालियों का कोई भी स्वरूप- चाहे वह तानाशाही शासन हो, राजशाही शासन, सैनिक शासन, साम्यवादी शासन या लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, ये सभी शासन प्रणालियाँ भौगोलिक परिस्थितियों के परिणाम ना होकर व्यक्ति के विचारों और सिद्धान्तों का परिणाम हैं। शासन प्रणालियों के विकास क्रम में ज्यादातर समय राजशाही व तानाशाही शासन प्रणाली का रहा, किन्तु एक बेहतर जीवन की खोज में व्यक्ति का संघर्ष लगातार जारी रहा। जिसका परिणाम यह हुआ कि व्यक्ति ने अपने ऊपर शासन के लिए स्वयं को शासक बनाने का निश्चय किया और लोकतंत्र या प्रजातंत्र शासन प्रणाली का स्वरूप सामने आया। लोकतंत्र में भी सबसे निचले स्तर तक के व्यक्ति के हाथों में सत्ता की पहुँच हो और वो शासन के कार्यों में अपनी भागीदारी सुनिश्चित कर सके इसके लिए शासन-सत्ता का एक जगह केन्द्रीकरण ना करके इसके विकेन्द्रीकरण को अपनाया गया। सत्ता विकेन्द्रीकरण की सोच ने स्थानीय स्वशासन को जन्म दिया और सबसे निचले स्तर पर पंचायती और नगरीय शासन का स्वरूप सामने आया। लोकतंत्रीय शासन प्रणाली में ही सत्ता का विकेन्द्रीकरण संभव है। आज हम सभी भारत में पंचायती राज और नगरीय शासन से अच्छी तरह परिचित हैं।

6.2 पंचायती राज

पंचायती राज का इतिहास कोई नया नहीं अपितु यह आदिकाल से हमारी पुरातन धरोहर है। भारतीय ग्रामीण व्यवस्था में सामुदायिकता की भावना प्राचीन काल से विद्यमान रही है। इसी सामुदायिकता व परम्परागत संगठन के आधार पर पंचायत व्यवस्था का जन्म हुआ। इसीलिए हमारे देश में पंचायतों की व्यवस्था भी सदियों से चली आ रही है। भारतीय संस्कृति के विकास के साथ-साथ पंचायती व्यवस्था का जन्म और विकास हुआ। पंचायत शब्द पंच+आयत से बना है। 'पंच' का अर्थ है, समुदाय या संस्था तथा 'आयत' का अर्थ है विकास या विस्तार। अतः सामूहिक रूप से गाँव का विकास ही पंचायत का वास्तविक अर्थ है। ये संस्थाऐं हमारे समाज की बुनियादी संस्थाऐं हैं और किसी न किसी रूप में ये संस्थाऐं हमारी संस्कृति व शासन-प्रणाली का अभिन्न हिस्सा रही हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के विकास, प्रशासन व न्याय की जिम्मेदारी इन्हीं संस्थाओं की थी। राजा, महाराजा भी स्थानीय स्तर पर काम-काज के

संचालन हेतु इन्हीं संस्थाओं पर निर्भर रहते थे। स्थानीय स्तर पर सत्ता एक व्यक्ति के हाथ में न रह कर सामूहिक रहती थी। इसीलिए इन्हें गणतन्त्र की स्थानीय इकाईयों के रूप में मान-सम्मान दिया जाता था। ग्राम पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में शासन प्रबन्ध, शान्ति और सुरक्षा की एकमात्र संस्थाऐं रही हैं। डाक्टर राधाकुमुद मुखर्जी ने लिखा है कि ये समस्त जनता की सामान्य सभा के रूप में अपने सदस्यों के समान अधिकारों, स्वतंत्रताओं के लिए निर्मित होती हैं, ताकि सब में समानता, स्वतंत्रता तथा बुधुत्व का विचार दृढ़ रहे। अतः यह कहा जा सकता है कि हमारे देश में पंचायती राज का गौरवशाली अतीत रहा है।

प्राचीन काल में पंचायतों का स्वरूप कुछ और था। यद्यपि इन संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा नहीं प्राप्त था लेकिन गांवों से जुड़े विकास व न्याय सम्बन्धित निर्णयों के लिए ये संस्थाऐं पूर्ण रूप से जिम्मेदार थीं। प्राचीन काल में गाँवों में पंच परमेश्वर की प्रणाली मौजूद थी। गाँव में सर्वसहमति से चुने गये पाँच गणमान्य व बुद्धिमान व्यक्तियों को गाँव में न्याय व्यवस्था बनाये रखने व गाँव के विकास हेतु निर्णय लेने का अधिकार था और उन्हें तो पंच परमेश्वर तक कहा जाता था। पंच परमेश्वर द्वारा न्याय को सरल और सुलभ बनाने की प्रथा काफी मजबूत थी। उस समय ये पंच एक संस्था के रूप में कार्य करते थे। गाँव के झगड़े, गाँव की व्यवस्थायें सुधारना जैसे मुख्य कार्य पंच परमेश्वर संस्था किया करती थी। उसके कायदे-कानून लिखित नहीं होते थे फिर भी उनका प्रभाव समाज पर ज्यादा होता था। पंचों के फैसले के खिलाफ जाने की कोई सोच भी नहीं सकता था। पंचों का सम्मान बहुत था व उनके पास समाज का भरोसा और ताकत भी थी। लोग पंचों के प्रति बड़ा विश्वास रखते थे और उनका निर्णय सहज स्वीकार कर लेते थे। पंच परमेश्वर भी बिना किसी पक्षपात के निर्णय किया करती थी। मुंशी प्रेमचन्द ने अपनी कहानी पंच परमेश्वर द्वारा प्राचीन काल में स्थापित इस पंच प्रणाली को काफी सरल तरीके से समझाया है। प्राचीन काल में जातिगत व कबाइली पंचायतों का भी जिक्र भी मिलता है। इन पंचायतों के प्रमुख गाँव के विद्वान व कबीले के मुखिया हुआ करते थे। इन पंचायतों में कोई भी निर्णय लेने हेतु तब तक विचार-विमर्श किया जाता था जब तक कि सर्वसहमति से निर्णय न हो जाये।

6.3 स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में पंचायत व्यवस्था

राजा-महाराजा काल में स्थानीय स्वशासन को काफी महत्व दिया गया। उनके द्वारा भी जनता को सत्ता सौंपने की प्रथा को अपनाया गया। भारत जैसे विशाल देश को एक केन्द्र से शासित करना राजाओं व सम्राटों के लिए सम्भव नहीं था। अतः राज्य को

सूबों, जनपदों, ग्राम समितियों अथवा ग्राम सभाओं में बॉटा गया। वेदों, बौद्ध ग्रन्थों, जातक कथाओं, उपनिषदों आदि में इस व्यवस्था के रूप में पंचायतों के आस्तित्व के पूर्ण साक्ष्य मिलते हैं। मनुस्मृति तथा महाभारत के 'शांति-पर्व' में ग्राम सभाओं का उल्लेख है। रामायण में इसका वर्णन जनपदों के नाम से आता है। महाभारत काल में भी इन संस्थानों को पूर्ण स्वतन्त्रता प्राप्त थी। वैदिक कालीन तथा उत्तर-वैदिक कालीन इतिहास के अवलोकन में यह बात स्पष्ट हो गई है कि प्राचीन भारत का प्रत्येक ग्राम एक छोटा सा स्वायत्त राज्य था। इस प्रकार के कई छोटे-छोटे गाँवों और छोटे-छोटे प्रादेषिक संघ मिलकर बड़े संघ बन जाते थे। संघ, पूर्णतः स्वावलम्बी थे तथा एक-दूसरे से बड़ी अच्छी तरह जुड़े हुए तथा सम्बन्धित थे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी गाँवों के छोटे-छोटे गणराज्यों की बात कही गई है। सर चार्ल्स मेटकाफ ने तो पंचायतों को गाँव के छोटे-छोटे गणतन्त्र कहा था जो स्वयं में आत्मनिर्भर थे। बौद्ध व मौर्य काल के समय पंचायतों के आस्तित्व की बात कही गई है। बौद्ध काल के संघों की कार्य-पद्धति ग्राम राज्य की प्रथा को दर्शाती है। बौद्ध संघों के शासन की प्रणाली वस्तुतः भारत की ग्राम पंचायतों तथा ग्राम संघों से ही ली गई थी। गुप्त काल में भी ग्राम समितियां, पंचायतों के रूप में कार्य करती थीं। चन्द्रगुप्त के दरबार में रहने वाले यूनानी राजदूत मैगस्थनीज के वृतान्त से उसके बारे में काफी सामग्री मिलती है। मैगस्थनीज के वृतान्त से उस समय के नगर प्रशासन तथा ग्राम प्रशासन पर खासा प्रकाश पड़ता है। नगरों का प्रशासन भी पंचायत-प्रणाली से ही होता था और पाटलिपुत्र का प्रशासन उसकी सफलता का सूचक है। मैगस्थनीज के अनुसार नगर प्रशासन भी ग्राम प्रशासन की भांति ही होता था। नगर का शासन एक निर्वाचित संस्था के हाथ में होता था, जिसमें 30 सदस्य होते थे। सदस्य 6 समितियों में विभक्त होते थे। प्रत्येक समिति अलग-अलग विषयों का प्रबन्धन करती थी। कुछ विषय अवश्य ऐसे थे जो सीधे राजकीय नियंत्रण में होते थे।

प्राचीन काल में राजा लोग महत्वपूर्ण निर्णय लेते समय इन पंचायतों से पूर्ण विचार-विमर्श करते थे। स्थानीय स्वशासन की ये संस्थाऐं, स्थानीय स्तर पर अपना शासन खुद चलाती थीं। लोग अपने विकास के बारे में खुद सोचते थे, अपनी समस्याऐं स्वयं हल करते थे एवं अपने निर्णय स्वयं लेते थे। वास्तव में जिस स्वशासन की बात हम आज कर रहे हैं, असली स्वशासन वही था। यह कह सकते हैं कि हमारे गाँव का काम गाँव में और गाँव का राज गाँव में था। पंचायतें हमारे गाँव समाज की ताकत थी।

ग्रामों के इस संगठनों की सफलता का रहस्य केवल यह था कि ग्रामीण अपने अधिकारों की अपेक्षा कर्तव्यों की अधिक चिंता करते थे। इस तरह भारत के ग्रामों के

संगठन की परम्परा उत्पन्न हुई, पनपी और इसमें दीर्घकाल तक की सफलता से देश के ग्रामीणों को समृद्ध, सुसम्पन्न तथा आत्मनिर्भर बनाया। पंचायतों के कारण ही काफी समय तक विदेशी अपना आर्थिक प्रभुत्व जमाने में असमर्थ रहे।

मध्य काल में पंचायतों के विकास पर खास ध्यान नहीं दिया गया। इस दौरान समय-समय पर विदेशियों के आक्रमण भारत में हुए। मुगलों के भारत में आधिपत्य के साथ ही शासन प्रणाली में नकारात्मक बदलाव आये । लोगों की अपनी बनाई हुई व्यवस्थाऐं चरमराकर धराशायी हो गई। समस्त सत्ता व शक्ति बादशाह व उसके खास कर्मचारियों के हाथों में केन्द्रित हो गयी। यद्यापि मुगल बादशाह अकबर द्वारा स्थानीय स्वशासन को महत्व दिया गया और उस समय ग्राम स्तरीय समस्त कार्य पंचायतों द्वारा ही किया जाता था। लेकिन अन्य शासकों के शासनकाल में पंचायत व्यवस्था का धीरे-धीरे विघटन का दौर शुरू हुआ जो ब्रिटिश काल के दौरान भी अंग्रेजों की केन्द्रीकरण की नीति के कारण चलता रहा। पंच-परमेश्वर प्रथा की अवहेलना से पंचायतों व स्थानीय स्वशासन को गहरा झटका लगा, जिसके परिणाम स्वरूप जो छोटे-छोटे विवाद पहले गाँव में ही सुलझ जाया करते थे, अब वह दबाये जाने लगे व सदियों से चली आ रही स्थानीय स्तर पर विवाद निपटाने की प्रथा का स्थान कोर्ट-कचहरी ने लेना शुरू किया। जिन प्राकृतिक संसाधनों की सुरक्षा व उपयोग गाँव वाले स्वयं करते थे वे सब अंग्रेजी शासन के अर्न्तगत आ गये और उनका प्रबन्धन भी सरकार के हाथों चला गया। स्थानीय लोगों के अधिकार समाप्त हो गये।

कुल मिला कर यह कहा जा सकता है कि स्थानीय स्वशासन की परम्परा प्राचीन काल में काफी मजबूत थी। स्थानीय स्वशासन की संस्थाऐं जन-समुदाय की आवाज हुआ करती थी। वर्तमान की पंचायत व्यवस्था का मूल आधार हमारी पुरानी सामुदायिक व्यवस्था ही है। यद्यपि मध्यकाल व ब्रिटिश काल में पंचायती राज व्यवस्था लडखड़ा गई थी, लेकिन भारत की स्वतन्त्रता के पश्चात स्थानीय स्वशासन को मजबूत बनाने के लिए पुनः प्रयास शुरू हुए और पंचायती राज व्यवस्था भारत मे पुनः स्थापित की गई। जिसके बारे में आप आगे विस्तार से अध्याय करेंगे।

6.4 स्वतंत्रता पूर्व भारत में पंचायती राज

स्वतन्त्रता पूर्व पंचायतों की मजबूती व सुधार हेतु विशेष प्रयास नहीं हुए जिस कारण पंचायती राज व्यवस्था लड़खड़ाती रही। मध्य काल में मुस्लिम राजाओं का शासन भारत के विभिन्न हिस्सों में फैल गया। यद्यपि स्थानीय शासन की संस्थाओं का मजबूती के लिए विशेष प्रयास नहीं किये गये, परन्तु मुस्लिम शासन ने अपने हितों में पंचायतों का काफी उपयोग किया। जिसके फलस्वरूप पंचायतों के मूल स्वरूप को

धक्का लगा और वे केन्द्र के हाथों की कठपुतली बन गये। सम्राट अकबर के समय स्थानीय स्वशासन को पुनः मान्यता मिली। उस काल में स्थानीय स्वशासन की इकाइयाँ कार्यशील बनी। स्थानीय स्तर पर शासन के सारे कार्य पंचायतें ही करती थीं और शासन उनके महत्व को पूर्णतः स्वीकार करता था। लेकिन मुस्लिम काल के इतिहास को अगर समग्र रूप में देखा जाए तो इस काल में स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं को मजबूती नहीं मिल सकी।

ब्रिटिश काल के दौरान भी प्राचीन पंचायत व्यवस्था लड़खड़ाती रही। अंग्रजों शासन काल मे सत्ता का केन्द्रीकरण हो गया और दिल्ली सरकार पूरे भारत पर शासन करने लगी। केन्द्रीकरण की नीति के तहत अंग्रेज तो पूरी सत्ता अपने कब्जे में करके एक-क्षत्र राज चाहते थे। भारत की विकेन्द्रीकरण की व्यवस्था उन्हें अपने मनसूबों को पूरा करने में एक रुकावट लगी। इसलिये अंग्रेजों ने हमारी सदियों से चली आ रही स्थानीय स्वशासन की परम्परा व स्थानीय समुदाय की ताकत का तहस-नहस कर शासन की अपनी व्यवस्था लागू की। जिसमें छोटे-छोटे सूबे तथा स्थानीय स्वशासन की संस्थाऐं कमजोर बना दी गयी या पूरी तरह समाप्त कर दी गयी। धीरे-धीरे सब कुछ अंग्रेजी सरकार के अधीन होता गया। सरकार की व्यवस्था मजबूत होती गयी और समाज कमजोर होता गया। परिणाम यह हुआ कि यहाँ प्रशासन का परम्परागत रूप करीब-करीब समाप्त-प्राय हो गया और पंचायतों का महत्व काफी घट गया। अंग्रेजी राज की बढ़ती ताकत व प्रभाव से आम आदमी दबाव में था। समाज में असंतोष बढ़ने लगा, जिसके कारण 1909 में ब्रिटिश सरकार द्वारा एक विकेन्द्रीकरण कमीशन की नियुक्ति की गयी। 1919 में ''मांटेस्क्यू चेम्सफोर्स सुधार'' के तहत एक अधिनियम पारित करके पंचायतों को फिर से स्थापित करने का काम प्रान्तीय शासन पर छोड़ दिया। अंग्रेजों की नियत तब उजागर हुई, जब एक तरफ पंचायतों को फिर से स्थापित करने की बात कही गई और दूसरी तरफ गाँव वालों से नमक बनाने तक का अधिकार छुड़ा लिया। इसी क्रम में 1935 में लार्ड वैलिंग्टन के समय भी पंचायतों के विकास की ओर थोड़ा बहुत ध्यान दिया गया लेकिन कुल मिलाकर ब्रिटिशकाल में पंचायतों को फलने-फूलने के अवसर कम ही मिले।

हम नब्बे के दशक में भारत सरकार द्वारा पंचायतों को नया स्वरूप देने के उद्देश्य से भारतीय संविधान में किये गये 73वें संशोधन अधिनियम के बारे में पढ़ेंगे। प्राचीन समय में भी देश के गांवों का पूरा कामकाज पंचायतें ही चलाती थीं। लोग इस संस्था को गहरी आस्था व सम्मान की की दृष्टि से देखते थे, इसलिये इसका निर्णय भी सब को मान्य होता था। इसी धारणा को ध्यान में रख कर व सामान्य व्यक्ति की शासन

में भागीदारी को सुनिश्चित करने के लिए पंचायतों को संवैधानिक स्थान देने की आवश्यकता हुई। जिसके लिए संविधान का 73वॉ संविधान संशोधन किया गया। जिसका विस्तृत अध्ययन आप इस इकाई में करेंगे।

6.5 स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद भारत में पंचायती राज

स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात पंचायतों के पूर्ण विकास के लिये प्रयत्न शुरू हुए। राष्ट्रपिता महात्मा गाँधी स्वराज और स्वावलम्बन के लिये पंचायती राज के प्रबलतम समर्थक थे। गाँधी जी ने कहा था- ''सच्चा स्वराज सिर्फ चंद लोगों के हाथ में सत्ता आ जाने से नहीं बल्कि इसके लिये सभी हाथों में क्षमता आने से आयेगा। केन्द्र में बैठे बीस व्यक्ति सच्चे लोकतन्त्र को नहीं चला सकते। इसको चलाने के लिये निचले स्तर पर प्रत्येक गाँव के लोगों को शामिल करना पड़ेगा।'' गाँधी जी की ही पहल पर संविधान में अनुच्छेद- 40 शामिल किया गया। जिसमें यह कहा गया कि राज्य ग्राम पंचायतों को सुदृढ़ करने हेतु कदम उठायेगा तथा पंचायतों को प्रशासन की इकाई के रूप में कार्य करने के लिये आवश्यक अधिकार प्रदान करेगा। यह अनुच्छेद राज्य का नीति निर्देशक सिद्धान्त बना दिया गया। इसके अतिरिक्त ग्रामीण क्षेत्र के विकास के लिये विभिन्न कमीशन नियुक्त किये गये, जिन्होंने पंचायती राज व्यवस्था को पुर्नजीवित करने में महत्वपूर्ण कार्य किया।

भारत में सन् 1952 में सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्थापित किये गये। किन्तु प्रारम्भ में सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को कोई महत्वपूर्ण सफलता नहीं मिल सकी, इसका मुख्य कारण जनता का इसमें कोई सहयोग व रुचि नहीं थी। सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सरकारी कामों के रुप में देख गया और गाँववासी अपने उत्थान के लिए स्वयं प्रयत्न करने के स्थान पर सरकार पर निर्भर रहने लगी। इस कार्यक्रम के सूत्रधार यह आशा करते थे कि जनता इसमें आगे आये और दूसरी ओर उनका विश्वास था कि सरकारी कार्यवाही से ही यह कार्यक्रम सफल हो सकता है। कार्यक्रम जनता ने चलाना था, लेकिन वे बनाये उपर से जाते थे। जिस कारण इन कार्यक्रमों में लोक कल्याण के कार्य तो हुए लेकिन लोगों की भागीदारी इनमें नगण्य थी। ये कार्यक्रम लोगों के कार्यक्रम होने के बजाय सरकार के कार्यक्रम बनकर रह गये। सामुदायिक विकास कार्यक्रम के असफल हाने के कारणों का अध्ययन करने के लिए एक कमेटी गठित की गयी, जिसका नाम बलवन्त राय मेहता समिति था।

6.6 पंचायतों के विकास के लिए गठित समितियाँ

पंचायतों के विकास के लिए समय-समय पर अनेक समितियां गठित की गयी-

6.6.1 बलवंत राय मेहता समिति

1957 में सरकार ने पंचायतों के विकास पर सुझाव देने के लिए श्री बलवंत राय मेहता की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की। इस रिपोर्ट में यह सिफारिश की गयी कि सामुदायिक विकास कार्यक्रमों को सफल बनाने के लिए पंचायती राज संस्थाओं की तुरन्त स्थानपा की जानी चाहिए।
राजस्थान वह पहला राज्य है जहाँ पंचायती राज की स्थापना की गयी। 1958 में सर्वप्रथम पंडित जवाहर लाल नेहरू ने 2 अक्टूबर को राजस्थान के नागौर जिले में पंचायती राज का दीपक प्रज्जवलित किया और धीरे-धीरे गाँवों में पंचायती राज का विकास शुरू हुआ। सत्ता के विकेन्द्रीकरण की दिशा में यह पहला कदम था। 1959 में आन्ध्र प्रदेश में भी पंचायती राज लागू किया गया। 1959 से 1964 तक के समय में विभिन्न राज्यों में पंचायती राज संस्थाओं को लागू किया गया और इन संस्थाओं ने कार्य प्रारम्भ किया। लेकिन इस राज से ग्रामीण तबके के लोगों का नेतृत्व उभरने लगा जो कुछ स्वार्थी लोगों की आँखों में खटकने लगा, क्योंकि वे शक्ति व अधिकारों को अपने तक ही सीमित रखना चाहते थे। फलस्वरूप पंचायती राज को तोड़ने की कोशिशें भी शुरू हो गयी। कई राज्यों में वर्षों तक पंचायतों में चुनाव ही नहीं कराये गये। 1969 से 1983 तक का समय पंचायती राज व्यवस्था के ह्यस का समय था। लम्बे समय तक पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव नहीं करवाये गये और ये संस्थाऐं निष्क्रीय हो गयी।

6.6.2 अशोक मेहता समिति

1. समिति ने दो स्तरों वाले ढाँचे- जिला परिषद को मजबूत बनाने और ग्राम पंचायत की जगह मण्डल पंचायत की सिफारिश की। अर्थात पंचायती राज संस्थाओं के दो स्तर हों, जिला परिषद व मंडल परिषद।
2. जिले को तथा जिला परिषद को समस्त विकास कार्यों का केन्द्र बनाया जाए। जिला परिषद ही आर्थिक नियोजन करें और जिले में विकास कार्यों में सामन्जस्य स्थापित करें और मंडल पंचायतों को निर्देशन दें।
3. पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन में जिला परिषद को मुख्य स्तर बनाने और राजनैतिक दलों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया।
4. पंचायतों के सदस्यों के नियमित चुनाव की सिफारिश की। राज्य सरकारों को पंचायती चुनाव स्थगित न करने व चुनावों का संचालन मुख्य चुनाव आयुक्त के द्वारा किये जाने का सुझाव दिया।
5. कमेटी ने यह सुझाव भी दिया कि पंचायती राज संस्थाओं को मजबूती प्रदान करने के लिये संवैधानिक प्रावधान बहुत ही आवश्यक हैं।
6. पंचायती राज संस्थाऐं समिति प्रणाली के आधार पर अपने कार्यों का सम्पादन करें।
7. राज्य सरकारों को पंचायती राज संस्थाओं के अधिकारों का अतिक्रमण नहीं करना चाहिए।

8. देश के कई राज्यों ने इन सिफारिशों को नहीं माना, अतः तीन स्तरों वाले ढाँचे को ही लागू रखा गया।

इस प्रकार अशोक मेहता समिति ने पंचायती राज व्यवस्था में सुधार लाने के लिए अत्यन्त महत्वपूर्ण शिफारिशें की, किन्तु ग्राम पंचायतों को समाप्त करने की उनकी शिफारिश पर विवाद पैदा हो गया। ग्राम पंचायतों की समाप्ति का मतलब था, ग्राम विकास की मूल भावना को ही समाप्त कर देना। समिति के सदस्य सिद्धराज चड्डा ने इस विषय पर लिखा कि ''मुझे जिला परिषदों और मंडल पंचायतों से कोई आपत्ति नहीं है, किन्तु समिति ने ग्राम सभा की कोई चर्चा नहीं की, जबकि पंचायती राज संस्थाओं की आधारभूत इकाई तो ग्राम सभा को ही बनाया जा सकता था।''

6.6.3 जी0वी0के0 समिति

पंचायतों के सुदृढ़ीकरण(विकास) की प्रक्रिया में सन् 1985 में 'जी0वी0के0 राव समिति' गठित की गयी। समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को अधिक अधिकार देकर उन्हें सक्रिय बनाने पर बल दिया। साथ ही यह सुझाव भी दिया कि योजना निर्माण और उसके संचालन करने के लिये जिला मुख्य इकाई होना चाहिये। समिति ने पंचायतों के नियमित चुनाव की भी सिफारिश की।

6.6.4 डॉ0 एल0एम0 सिंघवी समिति

1986 में डॉ0 एल0एम0 सिंघवी समिति का गठन किया गया। सिंघवी सामिति ने 'गाँव पंचायत' (ग्राम-सभा) की सिफारिश करते हुये संविधान में ही नया अध्याय जोड़ने की बात कही, जिससे पंचायतों की अवहेलना ना हो सके। इन्होंने ने गाँव के समूह बना कर न्याय पंचायतों के गठन की भी सिफारिश की।

6.6.5 सरकारिया आयोग और पी0 के0 थुंगर समिति

1988 में सरकारिया आयोग बैठाया गया, जो मुख्य रुप से केन्द्र व राज्यों के संबंधों से जुड़ा था। इस आयोग ने भी नियमित चुनावों और ग्राम पंचायतों को वित्तीय व प्रशासनिक शक्तियाँ देने की सिफारिश की। 1988 के अंत में ही पी0 के0 थुंगर की अध्यक्षता में संसदीय परामर्श समिति की उपसमिति गठित की गयी। इस समिति ने पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा देने की शिफारिश की।

भूतपूर्व प्रधानमन्त्री स्व. राजीव गाँधी की सरकार ने गाँवों में पंचायतों के विकास की ओर अत्यधिक प्रयास करने शुरू किये। श्री राजीव गाँधी का विचार था कि जब तक गाँव के लोगों को विकास प्रक्रिया में भागीदार नहीं बनाया जाता, तब तक ग्रामीण विकास का लाभ ग्रामीण जनता को नहीं मिल सकता। पंचायती राज के द्वारा वे गाँव वालों के खासकर अनुसूचित जाति, जनजाति तथा महिलाओं की सामाजिक व आर्थिक स्थिति में बदलाव लाना चाहते थे। उन्होंने इस दिशा में कारगर कदम उठाते हुये 64वां

संविधान विधेयक संसद में प्रस्तुत किया। लोक सभा ने 10 अगस्त 1988 को इस विधेयक को अपनी मंजूरी दे दी। मगर राज्य सभा में सिर्फ पांच मतों की कमी रह जाने से यह पारित न हो सका। फिर 1991 में तत्कालीन सरकार ने 73वां संविधान संशोधन विधेयक को संसद में पेश किया। लोक सभा ने 2 दिसम्बर 1992 को इसे सर्व सम्मति से पारित कर दिया। राज्य सभा ने अगले ही दिन इसे अपनी मंजूरी दे दी। उस समय 20 राज्यों की विधान सभाऐं कार्यरत थीं। 20 राज्यों की विधान सभाओं में से 17 राज्यों की विधान सभाओं ने संविधान संशोधन विधेयक को पारित कर दिया। 20 अप्रैल 1993 को राष्ट्रपति ने भी इस विधेयक को मंजूरी दे दी। तत्पश्चात 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 24 अप्रैल से लागू हो गया।

6.7 तिहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम

स्वतन्त्रता पश्चात देश को सुचारू रूप से चलाने के लिये हमारे नीति निर्माताओं द्वारा भारतीय संविधान का निर्माण किया गया। इस संविधान में नियमों के अनुरूप व एक नियत प्रक्रिया के अधीन जब भी कुछ परिवर्तन किया जाता है या उसमें कुछ नया जोड़ा जाता है अथवा हटाया जाता है तो यह संविधान संशोधन अधिनियम कहलाता है। भारत में सदियों से चली आ रही पंचायत व्यवस्था जो कई कारणों से काफी समय से मृतप्रायः हो रही थी, को पुर्नजीवित करने के लिये संविधान में संशोधन किये गये। ये संशोधन तिहत्तरवां व चौहत्तरवां संविधान संशोधन अधिनियम कहलाये। तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पंचायती राज व्यवस्था की स्थापना की गयी। इसी प्रकार चौहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा भारत के नगरीय क्षेत्रों में नगरीय स्वशासन की स्थापना की गयी। इन अधिनियमों के अनुसार भारत के प्रत्येक राज्य में नयी पंचायती राज व्यवस्था को आवश्यक रूप से लागू करने के नियम बनाये गये। इस नये पंचायत राज अधिनियम से त्रिस्तरीय पंचायत व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने व स्थानीय स्तर पर उसे मजबूत बनाने के प्रयत्न किये जा रहे हैं। इस अधिनियम में जहाँ स्थानीय स्वशासन को प्रमुखता दी गयी है व सक्रिय किये जाने के निर्देश हैं, वहीं दूसरी ओर सरकारों को विकेन्द्रीकरण हेतु बाध्य करने के साथ-साथ वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिये वित्त आयोग का भी प्रावधान किया गया है।

73वां संविधान संशोधन अधिनियम अर्थात "नया पंचायती राज अधिनियम" प्रत्यक्ष प्रजातन्त्र को जनता तक पहुँचाने का एक उपकरण है। गाँधी जी के स्वराज के स्वप्न को साकार करने की पहल है। 'पंचायती राज' स्थानीय जनता का, जनता के लिये, जनता के द्वारा शासन है।

6.7.1 तिहत्तरवें संविधान संशोधन अधिनियम की मुख्य बातें

लोकतंत्र को मजबूत करने के लिये नई पंचायत राज व्यवस्था एक प्रशंसनीय पहल है। महात्मा गाँधी जी का कहना था कि, ''देश में सच्चा लोकतंत्र तभी स्थापित होगा जब भारत के लाखों गाँवों को अपनी व्यवस्था स्वयं चलाने का अधिकार प्राप्त होगा। गाँव के लिये नियोजन की प्राथमिकता का चयन लोग स्वयं करेंगे। ग्रामीण अपने गाँव विकास सम्बन्धी सभी निर्णय स्वयं लेंगे। ग्राम विकास कार्यक्रम पूर्णतया लोगों के होंगे और सरकार उनमें अपनी भागीदारी देगी।'' गाँधी जी के इस कथन को महत्व देते हुये तथा उनके ग्राम-स्वराज के स्वप्न को साकार करने के लिये भारतीय सरकार ने पंचायतों को बहुत से अधिकार दिये हैं। तिहत्तरवें संविधान अधिनियम में निम्न बातों को शामिल किया गया है-

1. 73वें संविधान संशोधन के अर्न्तगत पंचायतों को पहली बार संवैधानिक दर्जा प्रदान किया गया है। अर्थात पंचायती राज संस्थाऐं अब संविधान द्वारा मान्यता प्राप्त संस्थाऐं हैं।
2. नये पंचायती राज अधिनियम के अनुसार ग्राम सभा को संवैधानिक स्तर पर मान्यता मिली है। साथ ही इसे पंचायत व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना दिया गया है।
3. यह तीन स्तरों- ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत पर चलने वाली व्यवस्था है।
4. एक से ज्यादा गाँवों के समूहों से बनी ग्राम पंचायत का नाम सबसे अधिक आबादी वाले गाँव के नाम पर होगा।
5. इस अधिनियम के अनुसार महिलाओं के लिये त्रिस्तरीय पंचायतों में एक तिहाई सीटों पर आरक्षण दिया गया है।
6. अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़े वर्गों के लिये भी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण दिया गया है। आरक्षित वर्ग के अलावा सामान्य सीट से भी ये लोग चुनाव लड़ सकते हैं।
7. पंचायतों का कार्यकाल पांच वर्ष तय किया गया है तथा कार्यकाल पूरा होने से पहले चुनाव कराया जाना अनिवार्य किया गया है।
8. पंचायत 6 माह से अधिक समय के लिये भंग नहीं रहेगी तथा कोई भी पद 6 माह से अधिक खाली नहीं रहेगा।
9. इस संशोधन के अर्न्तगत पंचायतें अपने क्षेत्र के आर्थिक विकास और सामाजिक कल्याण की योजनायें स्वयं बनायेंगी और उन्हें लागू करेंगी। सरकारी कार्यों की निगरानी अथवा सत्यापन करने का भी अधिकार उन्हें दिया गया है।
10. 73वें संविधान संशोधन के अर्न्तगत पंचायतों को ग्राम सभा के सहयोग से विभिन्न जनकल्याणकारी योजनाओं के अर्न्तगत लाभार्थी के चयन का भी अधिकार दिया गया है।
11. हर राज्य में वित्त आयोग का गठन होता है। यह आयोग हर पांच साल बाद पंचायतों के लिये सुनिश्चित आर्थिक सिद्धान्तों के आधार पर वित्त का निर्धारण करेगा।
12. उक्त संशोधन के अर्न्तगत ग्राम प्रधानों का चयन प्रत्यक्ष रूप से जनता द्वारा तथा क्षेत्र पंचायत प्रमुख व जिला पंचायत अध्यक्षों का चयन निर्वाचित सदस्यों द्वारा चुना जाना तय है।

13. पंचायत में जबाबदेही सुनिश्चित करने के लिये छः समितियों (नियोजन एवं विकास समिति, शिक्षा समिति तथा निर्माण कार्य समिति, स्वास्थ्य एवं कल्याण समिति, प्रशासनिक समिति, जल प्रबन्धन समिति) की स्थापना की गयी है। इन्हीं समितियों के माध्यम से कार्यक्रम नियोजन एवं क्रियान्वयन किया जायेगा।
14. हर राज्य में एक स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना की गयी है। यह आयोग निर्वाचन प्रक्रिया, निर्वाचन कार्य, उसका निरीक्षण तथा उस पर नियन्त्रण भी रखेगा।

अतः संविधान के 73वें संशोधन ने नयी पंचायत व्यवस्था के अन्तर्गत न केवल पंचायतों को केन्द्र एवं राज्य सरकार के समान एक संवैधानिक दर्जा दिया है अपितु समाज के कमजोर व शोषित वर्ग को विकास की मुख्य धारा से जुड़ने का भी अवसर दिया है।

6.7.2 तिहत्तरवें संविधान संशोधन की मुख्य विशेषताऐं

73वां संविधान संशोधन अधिनियम पंचायती राज से संबंधित है, जिसमें पंचायतों से संबंधित व्यवस्था का पूर्ण विधान किया गया है। इसकी निम्नलिखित विशेषताऐं हैं-

1. संविधान में ''ग्राम सभा'' को पंचायती राज की आधारभूत इकाई के रुप में स्थान मिला है।
2. पंचायतों की त्रीस्तरीय व्यवस्था की गयी है। ग्राम स्तर पर ग्राम पंचायत, क्षेत्र स्तर पर (ब्लाक स्तर) क्षेत्र पंचायत व जिला स्तर पर जिला पंचायत की व्यवस्था की गयी है।
3. प्रत्येक स्तर पर पंचायत के सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष मतदान के द्वारा की जाने की व्यवस्था है। लेकिन क्षेत्र व जिला स्तर पर अध्यक्षों के चुनाव चुने हुए सदस्यों में से, सदस्यों द्वारा किये जाने की वयवस्था है।
4. 73वें संविधान संशोधन में अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति के लिए उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या में उसके प्रतिशत के अनुपात से सीटों के आरक्षण की व्यवस्था है। महिलाओं के लिए कुल सीटों का एक तिहाई भाग प्रत्येक स्तर पर आरक्षित किया गया है। अनुसूचित जातियों व अनुसूचित जनजातियों के लिए उनकी जनसंख्या के अनुपात में ही आरक्षण की व्यवस्था है। प्रत्येक स्तर पर अध्यक्षों के कुल पदों का एक-तिहाई भाग महिलाओं के लिए आरक्षित किया गया है।
5. अधिनियम में पंचायतों का कार्यकाल(पॉच वर्ष) निश्चित किया गया है। यदि कार्यकाल से पहले ही पंचायत भंग हो जाय तो 6 माह के भीतर चुनाव कराने की व्यवस्था है।
6. अधिनियम के द्वारा पंचायतों से संबंधित सभी चुनावों के संचालन के लिए राज्य चुनाव आयोग को उत्तरदायी बनाया गया है।
7. अधिनियम के द्वारा प्रत्येक राज्य में राज्य वित्त आयोग का गठन किया गया है, ताकि पंचायतों के पास पर्याप्त साधन उपलब्ध हो। जिससे विभिन्न विकास कार्य किये जा सकें।

6.8 लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण

उपरोक्त किये गये अध्ययन में जब हम पंचायत और तिहत्तरवें संविधान संशोधन के संबंध में बता रहे हैं, तो हम लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण की ही बात कर रहे हैं, कैसे? इसे समझने से पहले हम 'लोकतंत्र' और 'विकेन्द्रीकरण' को समझते हैं। लोकतंत्र अर्थात जनतंत्र, अर्थात प्रजातंत्र, इसे कई नामों से पुकारा जाता है। लोकतंत्र अर्थात लोगों का तंत्र या शासन। विकेन्द्रीकरण का अर्थ है कि किसी भी चीज के एक जगह केन्द्रीत ना करते हुए उसे अलग-अलग जगह पर स्थापित करना ताकि वह लोगों की पहुँच में हो। हम बता चुके हैं कि पंचायतें हमारे देश में प्राचीन काल से ही विद्यमान हैं। किन्तु पंचायतों का स्वरूप और उनकी कार्यप्रणाली कैसी रहे, इसका निर्धारण शासन व्यवस्था के स्वरूप पर निर्भर करता है। भारत सहित विश्व के तमाम देशों में समय और आवश्यकता के अनुरूप शासन व्यवस्थाओं का स्वरूप भी बदला है। आज विश्व के अधिकतम देशों में लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था है और इस शासन व्यवस्था को कई आन्दोलनों और संघर्षों के उपरान्त प्राप्त किया गया। लोकतंत्रात्मक शासन व्यवस्था किसी भी देश के लोगों की अपनी शासन व्यवस्था है, जिसके माध्यम से वे शासन-सत्ता में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करते हैं। लोकतंत्रीय शासन व्यवस्था में 'विकेन्द्रीकरण' शासन संचालन का एक माध्यम है। विकेन्द्रीकरण के द्वारा हम अंतिम व्यक्ति तक शासन को पहुँचा सकते हैं और अंतिम व्यक्ति शासन में अपनी आवश्यकताओं के अनुरूप अपनी भागीदारी कर सकता है। लोकतंत्रिक विकेन्द्रीकरण भी शासन की एक व्यवस्था है, जिसमें शासन को एक जगह केन्द्रीत ना करके उसे राज्य, जिले, क्षेत्र और गांवों तक बांटा जा सकता है। आजादी के बाद भारत ने लोकतंत्रिय शासन व्यवस्था को अपनाया और लोकतोत्रिक विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को साकार रूप देने के लिए संविधान में 73वां और 74वां संविधान संशोधन कर पंचायतों और नगर निकायों के माध्यम से सत्ता का विकेन्द्रीकरण किया। यह सत्ता का विकेन्द्रीकरण लोकतांत्रिक आधार पर है, जिसे हम लोकतांत्रिक विकेन्द्रीकरण कहते हैं। आज भारत में संविधान के माध्यम से पंचायतों को कानूनी स्वरूप मिल गया है। जिले, ब्लाक और गांवों में सीधे चुनावों के द्वारा लोगों को अपना प्रतिनिधि चुनने के अधिकार है और शासन में भागीदारी का अधिकार है। ग्राम स्तर के लोग अपनी आवश्यकताओं और प्राथमिकताओं के आधार पर कोई भी योजना बना सकते हैं और उसकी निगरानी कर सकते हैं।

अभ्यास प्रश्न-

1. 1919 के किस सुधार के तहत एक अधिनियम पारित करके पंचायतों को फिर से स्थापित करने का काम प्रान्तीय शासन पर छोड़ दिया?
2. पंचायतों को संवैधानिक दर्जा देने के लिए संविधान में.............. संविधान संशोधन किया गया।
3. भारत में किस सन् में सामुदायिक विकास कार्यक्रम स्थापित किये गये?
4. बलवंत राय समिति का गठन कब किया गया?
5. पंचायतों के विकास के लिए गठित किस समिति ने त्री-स्तरीय पंचायती राज की बात कही?
6. राजस्थान वह पहला राज्य है, जहाँ पंचायती राज की स्थापना की गयी। सत्य/असत्य
7. राजस्थान के किस जिले में 2 अक्टूबर 1958 को पंचायती राज की शुरूआत की गयी?
8. किस समिति ने पंचायतों की दो स्तरीय व्यवस्था की सिफारिश की थी?
9. के0जी0वी0 राव समिति कब गठित की गयी?
10. किस समिति ने गाँव के समूह बना कर न्याय पंचायतों के गठन की सिफारिश की थी?

6.9 सांराश

वैदिक काल से चली आ रही पंचायत व्यवस्था देश में लगभग मृतप्राय हो चुकी थी, जिसे गाँधी जी, बलवन्त राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, जी0के0वी0 राव समिति, एल0एम0 सिंघवी रिपोर्ट के प्रयासों ने नवजीवन दिया। जिसके फलस्वरूप 73वां संविधान संशोधन विधेयक संयुक्त संसदीय समिति की जाँच के बाद पारित हुआ। 73वें संविधान संशोधन से गाँधी जी के ग्राम स्वराज के स्वप्न को एक नई दिशा मिली है। गाँधी जी हमेशा से गाँव की आत्मनिर्भता पर जोर देते रहे। गाँव के लोग अपने संसाधनों पर निर्भर रह कर स्वयं अपना विकास करें, यही ग्राम स्वराज की सोच थी। 73वें सविधान संशोधन के पीछे मूलधारणा भी यही थी कि स्थानीय स्तर पर विकास की प्रक्रिया में जनसमुदाय की निर्णय स्तर पर भागीदारी हो। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम वास्तव में एक मील का पत्थर है जिसके द्वारा आम जन को सुशासन में भागीदारी करने का सुनहरा मौका प्राप्त हुआ है। पंचायतों के माध्यम से हम विकेन्द्रीकरण की प्रक्रिया को साकार रूप दे सकते हैं।

6.10 शब्दावली

सुदृढ़िकरण- सुधार और मजबूत करने की प्रक्रिया।

प्रबलतम- मजबूत।

स्वावलम्बन- आत्मनिर्भरता।

नगण्य- नहीं के बराबर (अनुपस्थित)।

हस्तांतरण- एक स्थान से दुसरे स्थान पर।

त्रीस्तरीय - तीन स्तर पर (गाम पंचायत, क्षेत्र पंचायत व जिला पंचायत)

6.11 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

1. मांटेस्क्यू चेम्सफोर्स सुधार, **2.** 73वां संविधान संशोधन, **3.** 1952, **4.** 1960, **5.** बलवंत राय मेहता समिति, **6.** सत्य, **7.** पंडित जवाहर लाल नेहरू, नागौर जिला, **8.** अशोक मेहता समिति, **9.** 1985, **10.** सिंघवी समिति

6.12 सन्दर्भ ग्रन्थ-सूची

1- 73वां संविधान संशोधन अधिनियम।

2- पंचायत सन्दर्भ सामाग्री, हिमालयन एक्शन रिसर्च सेन्टर।

6.13 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1- भारत में पंचायती राज– के0के0 शर्मा।

2. रोल ऑफ पंचायत इन वैलफेयर स्टेट– अब्राहम मैथ्यू।

3. भारत में स्थानीय शासन– एस0 आर0 माहेश्वमरी।

4. भारतीय प्रशासन– अवस्थी एवं अवस्थी।

6.14 निबंधात्मक प्रश्न

- पंचायती राज से आप क्या समझते हैं? इसके इतिहास और संवैधानिक पहलुओं की व्याीख्याण करें।
- 73वें संविधान संशोधन अधिनियम की उपयोगिता पर विस्तााार से चर्चा कीजिए।

इकाई -7 हरित क्रांति एवं ग्रामीण व्यवस्था पर इसका प्रभाव
Green Revolution & Its Impact on Indian Economy

7.1 इकाई के उद्देश्य
7.2 प्रस्तावना
7.3 ग्रामीण विकास विभाग का इतिहास
7.4 हरित क्रांति की उपलब्धियां
7-5 उन्नत बीजों के प्रयोग में वृद्धि
7.6 बहु-फसली कार्यक्रम
7.7 आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग
7.8 कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना
7.9 मृदा परिक्षण
7.10 भूमि संरक्षण कार्यक्रम
7-11 कृषि शिक्षा का विस्तार
7.12 नवीन प्रोद्योगिकी तथा कृषि का आधुनिकीकरण
7.13 हरित क्रांति का प्रभाव
7.14 ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण
7.15 हरित क्रांति की प्रगति
7.16 सारांश
7.17 शब्दावली
7.18 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
7-19 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री
7.20 निबंधात्मक प्रश्न

7.1 इकाई के उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप :-

ग्रामीण विकास विभाग के इतिहास से अवगत होंगें |

हरित क्रांति की उपलब्धियों को जान सकेंगें |

उन्नत बीजों के प्रयोग में वृद्धि की स्थिति समझ सकेंगे |

नई विकास नीति का अध्ययन कर सकेंगे |

बहु-फसली कार्यक्रम का ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे |

नवीन प्रोद्योगिकी तथा कृषि के आधुनिकीकरण के प्रभाव को समझ सकेंगें |
ग्रामीण महिला सशक्तिकरण की अवधारणा से अवगत होंगें |
हरित क्रांति का प्रभाव एवं प्रगति से अवगत होंगें |

7.2 प्रस्तावना

भारत प्रारंभ से ही एक कल्याणकारी देश रहा है और सभी सरकारी प्रयासों का बुनियादी उद्‌देश्य भारत के लोगों का हित-कल्याण करना रहा है। योजना स्वतंत्रता प्राप्ति के समय से ही भारतीय नीति-निर्माण का एक मुख्य स्तंभ रही है और योजना की उपलब्धि ही देश की शक्ति है। ग्रामीण गरीबी के उन्मूलन के उद्‌देश्य को लेकर ही नीतियां और कार्यक्रम बनाए जाते रहे हैं और भारत में योजनाबद्‌ध विकास का यह मुख्य उद्‌देश्य रहा है। यह महसूस किया गया कि गरीबी उन्मूलन की चिरस्थायी कार्यनीति, प्रगति की प्रक्रिया में रोजगार के सार्थक अवसर बढ़ाने के सिद्‌धांत पर होनी चाहिए। गरीबी, अज्ञानता, रोगों तथा अवसरों की असमानता को दूर करना और देशवासियों को बेहतर तथा उच्च जीवन स्तर प्रदान करना ऐसी बुनियादी कार्यनीतियां हैं जिन पर विकास की सभी योजनाओं का ताना-बाना बुना गया है।

ग्रामीण विकास का अभिप्राय एक ओर जहां लोगों का बेहतर आर्थिक विकास करना है वहीं दूसरी ओर वृहत सामाजिक कायाकल्प भी करना है। ग्रामीण लोगों को आर्थिक विकास की बेहतर संभावनाएं मुहैया कराने के उद्‌देश्य से ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में लोगों की उत्तोत्तर भागीदारी सुनिश्चित करने, योजना का विकेन्द्रीकरण करने, भूमि सुधार को बेहतर ढंग से लागू करने और ऋण प्राप्ति का दायरा बढ़ाने का प्रावधान किया गया है।

भारत में हरित क्रान्ति की शुरुआत सन १९६६-६७ से हुई। हरित क्रान्ति प्रारम्भ करने का श्रेय नोबल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर नारमन बोरलॉग को जाता हैं। हरित क्रान्ति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्‌धि करना हैं।

हरित क्रान्ति भारतीय कृषि में लागू की गई उस विकास विधि का परिणाम है, जो 1960 के दशक में पारम्परिक कृषि को आधुनिक तकनीकि द्‌वारा प्रतिस्थापित किए जाने के रूप में सामने आई। क्योंकि कृषि क्षेत्र में यह तकनीकि एकाएक आई, तेजी से इसका विकास हुआ और थोड़े ही समय में इससे इतने आश्चर्यजनक परिणाम निकले

कि देश के योजनाकारों, कृषि विशेषज्ञों तथा राजनीतिज्ञों ने इस अप्रत्याशित प्रगति को ही 'हरित क्रान्ति' की संज्ञा प्रदान कर दी। हरित क्रान्ति की संज्ञा इसलिये भी दी गई, क्योंकि इसके फलस्वरूप भारतीय कृषि निर्वाह स्तर से ऊपर उठकर आधिक्य स्तर पर आ चुकी थी।

7.3 ग्रामीण विकास विभाग का इतिहास

अक्तूबर, 1974 के दौरान ग्रामीण विकास विभाग खाद्य और कृषि मंत्रालय के अंग के रूप में अस्तित्व में आया। 18 अगस्त, 1979 को ग्रामीण विकास विभाग का दर्जा बढ़ा कर उसे ग्रामीण पुनर्गठन मंत्रालय का नाम दिया गया। 23 जनवरी, 1982 को इस मंत्रालय का नामकरण ग्रामीण विकास मंत्रालय किया गया। जनवरी, 1985 के दौरान ग्रामीण विकास मंत्रालय को फिर से कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधीन एक विभाग के रूप में बदल दिया गया जिसे बाद में, सितम्बर, 1985 के दौरान कृषि मंत्रालय का नाम दिया गया। 5 जुलाई, 1991 को इस विभाग को पुन: ग्रामीण विकास मंत्रालय का दर्जा दिया गया। 2 जुलाई, 1992 को इस मंत्रालय के अधीन बंजर भूमि विकास विभाग के नाम से एक और विभाग का गठन किया गया। मार्च, 1995 के दौरान इस मंत्रालय का पुन: नाम बदलकर ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय रखा गया और इसमें तीन विभाग शामिल किये गये यथा - ग्रामीण रोजगार तथा गरीबी उन्मूलन विभाग, ग्रामीण विकास विभाग तथा बंजर भूमि विकास विभाग।

वर्ष 1999 में ग्रामीण क्षेत्र तथा रोजगार मंत्रालय का एकबार फिर नाम बदलकर ग्रामीण विकास मंत्रालय रखा गया। यह मंत्रालय व्यायपक कार्यक्रमों का कार्यान्वमयन करके ग्रामीण क्षेत्रों में बदलाव लाने के उद्देशय से एक उत्प्रेरक मंत्रालय का कार्य करता आ रहा है। इन कार्यक्रमों का उद्देश्य गरीबी उन्मूलन, रोजगार सृजन, अवसंरचना विकास तथा सामाजिक सुरक्षा है। समय के साथ-साथ कार्यक्रमों के कार्यान्वअयन में प्राप्त अनुभव के आधार पर तथा गरीब लोगों की जरूरतों का ध्या‍ेन रखते हुए कई कार्यक्रमों में संशोधन किये गये और नये कार्यक्रम लागू किये गए। इस मंत्रालय का मुख्यं उद्देश्य ग्रामीण गरीबी को दूर करना तथा ग्रामीण आबादी विशेष रूप से गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे लोगों को बेहतर जीवन स्तपर मुहैया करना है। इन उद्देश्यों की पूर्ति ग्रामीण जीवन और कार्यकलापों के विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित कार्यक्रमों को तैयार करके, उनका विकास करके तथा उनका कार्यान्वयन करके की जाती है।

इस बात का सुनिश्चित करने के उद्देश्य से कि आर्थिक सुधारों का लाभ समाज के सभी वर्गों को मिले ग्रामीण क्षेत्रों में जीवन स्तिर के लिए महत्वपूर्ण सामाजिक तथा आर्थिक अवसंरचना के पांच कारकों की पहचान की गई। ये कारक इस प्रकार हैं- स्वास्थ्य , शिक्षा, पेयजल, आवास तथा सड़कें। इन क्षेत्रों में किये जा रहे प्रयासों को और बढ़ाने के लिए सरकार ने प्रधान मंत्री ग्रामीण योजना (पीएमजीवाई) शुरू की और ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रधान मंत्री योजना (पीएमजीवाई) के निम्नऔलिखित भागों को कार्यान्वित करने का दायित्व सौंपा गया, यथा - पेयजल आपूर्ति, आवास निर्माण तथा ग्रामीण सड़कों का निर्माण करना।

नौवीं योजना अवधि के दौरान कई गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों का पुनर्गठन किया गया ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में रह रहे गरीब लोगों को उत्त्रोत्तर लाभ देने के लिए कार्यक्रमों की दक्षता बढ़ाई जा सके। एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम (आईआरडीपी), ग्रामीण क्षेत्रों में महिला और बाल विकास कार्यक्रम (डीडब्यूद सीआरए), ग्रामीण दस्तऔकारों को बेहतर औजारों की आपूर्ति से संबंधित कार्यक्रम (एसआईटीआरए), स्वे-रोजगार के लिए ग्रामीण युवाओं के प्रशिक्षण से संबद्ध कार्यक्रम (टी० आर० वाई० एस० ई० एम०), गंगा कल्याणी योजना (जीकेवाई) तथा मिलियन कूप स्कीम (एम० डब्यू० क० एस०) का विलय समग्र स्व-रोजगार योजना में किया गया जिसे स्वर्णजयंती ग्राम स्वय-रोजगार योजना (एस० जी० एस० वाई०) का नाम दिया गया।

स्थानीय लोगों की जरूरतों और उनकी आकांक्षाओं को ध्या्न में रखते हुए पंचायती राज संस्थालओं का सहयोग इस कार्यक्रम के कार्यान्वकयन में लिया गया। ये संस्थाएं योजना तथा उसके कार्यान्वयन के विकेन्द्री कृत विकास का रूप हैं। मंत्रालय राज्यो सरकारों से जोर देकर यह कह रहा है कि वे पंचायती राज संस्थालओं को अपेक्षित प्रशासनिक तथा वित्तीहय शक्तियां शीघ्रतिशीघ्र दें जैसाकि भारत के 73वें संविधान संशोधन में कहा गया है। 25 दिसम्बैर, 2002 को पेयजल क्षेत्र के अधीन 'स्वा-जलधारा' नामक नया कार्यक्रम शुरू किया गया जिसके अधीन पेयजल परियोजनाएं तैयार करने, उन्हें कार्यान्वित करने, उनका संचालन करने तथा उनका रखरखाव करने की शक्तियां पंचायतों को देने का प्रावधान है। पंचायती राज संस्थाओं का विकास प्रक्रिया में और सहयोग लेने के उद्देश्यन से माननीय प्रधान मंत्री द्वारा 27 जनवरी, 2003 को 'हरियाली' नामक एक नया कार्यक्रम शुरू किया गया। हरियाली नामक कार्यक्रम शुरू करने का उद्देश्य बंजर भूमि विकास कार्यक्रमों अर्थात् आईडब्यूडीपी, डीपीएपी और डीडीपी के कार्यान्व्यन में पंचायती राज संस्थाओं का सहयोग लेना है।

7.4 हरित क्रांति की उपलब्धियाँ

हरित क्रान्ति के फलस्वरूप देश के कृषि क्षेत्र में महत्वपूर्ण प्रगति हुई। कृषि आगतों में हुए गुणात्मक सुधार के फलस्वरूप देश में कृषि उत्पादन बढ़ा है। खाद्यान्नों मे आत्मनिर्भरता आई है। व्यवसायिक कृषि को बढ़ावा मिला है। कृषकों के दृष्टिकोण में परिवर्तन हुआ है। कृषि आधिक्य में वृद्धि हुई है। हरित क्रान्ति के फलस्वरूप गेहूँ, गन्ना, मक्का तथा बाजरा आदि फ़सलों के प्रति हेक्टेअर उत्पादन एवं कुल उत्पादकता में काफ़ी वृद्धि हुई है। हरित क्रान्ति की उपलब्धियों को कृषि में तकनीकि एवं संस्थागत परिवर्तन एवं उत्पादन में हुए सुधार के रूप में निम्नवत देखा जा सकता है- (अ) कृषि में तकनीकि एवं संस्थागत सुधार रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग|

नवीन कृषि नीति के परिणामस्वरूप रासायनिक उर्वरकों के उपभोग की मात्रा में तेजी से वृद्धि हुई है। 1960-1961 में रासायनिक उर्वरकों का उपयोग प्रति हेक्टेअर दो किलोग्राम होता था, जो 2008-2009 में बढ़कर 128.6 किग्रा प्रति हेक्टेअर हो गया है। इसी प्रकार, 1960-1961 में देश में रासायनिक खादों की कुल खपत 2.92 लाख टन थी, जो बढ़कर 2008-2009 में 249.09 लाख टन हो गई।

7.5 उन्नतशील बीजों के प्रयोग में वृद्धि

देश में अधिक उपज देने वाले उन्नतशील बीजों का प्रयोग बढ़ा है तथा बीजों की नई नई किस्मों की खोज की गई है। अभी तक अधिक उपज देने वाला कार्यक्रम गेहूँ, धान, बाजरा, मक्का व ज्वार जैसी फ़सलों पर लागू किया गया है, परन्तु गेहूँ में सबसे अधिक सफलता प्राप्त हुई है। वर्ष 2008-2009 में 1,00,000 क्विंटल प्रजनक बीज तथा 9.69 लाख क्विंटल आधार बीजों का उत्पादन हुआ तथा 190 लाख प्रमाणित बीज वितरित किये गये। सिंचाई सुविधाओं का विकास

नई विकास नीति के अन्तर्गत देश में सिंचाई सुविधाओं का तेजी के साथ विस्तार किया गया है। 1951 में देश में कुल सिंचाई क्षमता 223 लाख हेक्टेअर थी, जो बढ़कर 2008-2009 में 1,073 लाख हेक्टेअर हो गई। देश में वर्ष 1951 में कुल संचित क्षेत्र 210 लाख हेक्टेअर था, जो बढ़कर 2008-2009 में 673 लाख हेक्टेअर हो गया। पौध संरक्षण

नवीन कृषि विकास विधि के अन्तर्गत पौध संरक्षण पर भी ध्यान दिया जा रहा है। इसके अन्तर्गत खरपतवार एवं कीटों का नाश करने के लिये दवा छिड़कने का कार्य

किया जाता है तथा टिड्डी दल पर नियन्त्रण करने का प्रयास किया जाता है। वर्तमान में समेकित कृषि प्रबन्ध के अन्तर्गत पारिस्थितिकी अनुकूल कृमि नियंत्रण कार्यक्रम लागू किया गया है।

7.6 बहुफ़सली कार्यक्रम

बहुफ़सली कार्यक्रम का उद्देश्य एक ही भूमि पर वर्ष में एक से अधिक फ़सल उगाकर उत्पादन को बढ़ाना है। अन्य शब्दों में भूमि की उर्वरता शक्ति को नष्ट किये बिना, भूमि के एक इकाई क्षेत्र से अधिकतम उत्पादन प्राप्त करना ही बहुफ़सली कार्यक्रम कहलाता है। 1966-1967 में 36 लाख हेक्टेअर भूमि में बहुफ़सली कार्यक्रम लागू किया गया। वर्तमान समय में भारत की कुल संचित भूमि के 71 प्रतिशत भाग पर यह कार्यक्रम लागू है।

7.7 आधुनिक कृषि यंत्रों का प्रयोग

नई कृषि विकास विधि एवं हरित क्रान्ति में आधुनिक कृषि उपकरणों, जैसे- ट्रैक्टर, थ्रेसर, हार्वेस्टर, बुलडोजर तथा डीजल एवं बिजली के पम्पसेटों आदि ने महत्वपूर्ण योगदान दिया है। इस प्रकार कृषि में पशुओं तथा मानव शक्ति का प्रतिस्थापन संचालन शक्ति द्वारा किया गया है, जिससे कृषि क्षेत्र के उपयोग एवं उत्पादकता में वृद्धि हुई है।

7.8 कृषि सेवा केन्द्रों की स्थापना

कृषकों में व्यवसायिक साहस की क्षमता को विकसित करने के उद्देश्य से देश में कृषि सेवा केन्द्र स्थापित करने की योजना लागू की गई है। इस योजना में पहले व्यक्तियों को तकनीकि प्रशिक्षण दिया जाता है, फिर इनसे सेवा केंद्र स्थापित करने को कहा जाता है। इसके लिये उन्हें राष्ट्रीयकृत बैंकों से सहायता दिलाई जाती है। अब तक देश में कुल 1,314 कृषि सेवा केन्द्र स्थापित किये जा चुके हैं। कृषि उद्योग निगम

सरकारी नीति के अन्तर्गत 17 राज्यों में कृषि उद्योग निगमों की स्थापना की गई है। इन निगमों का कार्य कृषि उपकरणों व मशीनरी की पूर्ति तथा उपज प्रसंस्करण एवं भण्डारण को प्रोत्साहन देना है। इसके लिये यह निगम किराया क्रय

पद्धति के आधार पर ट्रैक्टर, पम्पसेट एवं अन्य मशीनरी को वितरित करता है। विभिन्न निगमों की स्थापना

7.9 मृदा परीक्षण

कार्यक्रम के अनतर्गत विभिन्न क्षेत्रों की मिट्टी का परीक्षण सरकारी प्रयोगशालाओं में किया जाता है। इसका उद्देश्य भूमि की उर्वरा शक्ति का पता लगाकर कृषकों को तदुनरूप रासायनिक खादों एवं उत्तम बीजों के प्रयोग की सलाह देना है। वर्तमान समय में इन सरकारी प्रयोशालाओं में प्रतिवर्ष सात लाख नमूनों का परीक्षण किया जाता है। कुछ चलती फिरती प्रयोगशालाएं भी स्थापित की गईं हैं, जो गांव-गांव जाकर मौके पर मिट्टी का परीक्षण करके किसानों को सलाह देतीं हैं।

7.10 भूमि संरक्षण कार्यक्रम

कृषि योग्य भूमि को क्षरण से रोकने तथा ऊबड़-खाबड़ भूमि को समतल बनाकर कृषि योग्य बनाया जाता है। यह कार्यक्रम उत्तर प्रदेश, राजस्थान, गुजरात तथा मध्य प्रदेश में तेजी से लागू है। कृषि शिक्षा एवं अनुसन्धान की स्थापना की गई है |

7.11 कृषि शिक्षा का विस्तार

सरकार की कृषि नीति के अन्तर्गत कृषि शिक्षा का विस्तार करने के लिये पन्तनगर में पहला कृषि विश्वविद्यालय स्थापित किया गया है। आज कृषि और इससे सम्बन्धित क्षेत्रों में उच्च शिक्षा के लिये 4 कृषि विश्वविद्यालय, 39 राज्य कृषि विश्वविद्यालय और इम्फाल में एक केन्द्रीय विश्वविद्यालय है। कृषि अनुसन्धान हेतु 'भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद' है, जिसके अन्तर्गत 53 केन्द्रीय संस्थान, 32 राष्ट्रीय अनुसंधान केन्द्र, 12 परियोजना निदाशाल 64 अखिल भारतीय समन्वय अनुसन्धान परियोजनायें है।

इसके अतिरिक्त देश में 527 कृषि विज्ञान केन्द्र हैं, जो शिक्षण एवं प्रशिक्षण का कार्य कर रहे हैं। कृषि शिक्षा एवं प्रशिक्षण की गुणवत्ता बनाये रखने के लिये विभिन्न संस्थाओं के कम्प्यूटरीकरण और इन्टरनेट की सुविधा प्रदान की गई है। (ब) कृषि उत्पादन में सुधार उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि

हरित क्रान्ति अथवा भारतीय कृषि में लागू की गई नई विकास विधि का सबसे बड़ा लाभ यह हुआ कि देश में फ़सलों के क्षेत्रफल में वृद्धि, कृषि उत्पादन तथा उत्पादकता में वृद्धि हो गई। विशेषकर गेहूँ, बाजरा, धान, मक्का तथा ज्वार के उत्पादन में आशातीत वृद्धि हुई। जिसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्नों में भारत आत्मनिर्भर-सा हो गया। 1951-1952 में देश में खाद्यान्नों का कुल उत्पादन 5.09 करोड़ टन था, जो क्रमशः बढ़कर 2008-2009 में बढ़कर 23.38 करोड़ टन हो गया। इसी तरह प्रति हेक्टेअर उत्पादकता में भी पर्याप्त सुधार हुआ है। वर्ष 1950-1951 में खाद्यान्नों का उत्पादन 522 किग्रा प्रति हेक्टेअर था, जो बढ़कर 2008-2009 में 1,893 किग्रा प्रति हेक्टेअर हो गया। हाँ, भारत मे खाद्यान्न उत्पादनों में कुछ उच्चावचन भी हुआ है, जो बुरे मौसम आदि के कारण रहा जो यह सिद्ध करता है कि देश में कृषि उत्पादन अभी भी मौसम पर निर्भर करता है। कृषि के परम्परागत स्वरूप में परिवर्तन

हरित क्रान्ति के फलस्वरूप खेती के परम्परागत स्वरूप में परिवर्तन हुआ है और खेती व्यवसायिक दृष्टि से की जाने लगी है। जबकि पहले सिर्फ पेट भरने के लिये की जाती थी। देश में गन्ना, कपास, पटसन तथा तिलहनों के उत्पादन में वृद्धि हुई है। कपास का उत्पादन 1960-1961 में 5.6 मिलियन गांठ था, जो बढ़कर 2008-2009 में 27 मिलियन गांठ हो गया। इसी तरह तिलहनों का उत्पादन 1960-1961 में 7 मिलियन टन था, जो बढ़कर 2008-2009 में 28.2 मिलियन टन हो गया। इसी तरह पटसन, गन्ना, आलू तथा मूंगफली आदि व्यवसायिक फ़सलों के उत्पादन में भी वृद्धि हुई है। वर्तमान समय में देश में बाग़बानी फ़सलों, फलों, सब्जियों तथा फूलों की खेती को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि बचतों में वृद्धि

उन्नतशील बीजों, रासायनिक खादों, उत्तम सिंचाई तथा मशीनों के प्रयोग से उत्पादन बढ़ा है। जिससे कृषकों के पास बचतों की उल्लेखनीय मात्रा में वृद्धि हुई है। जिसको देश के विकास के काम में लाया जा सका है। अग्रगामी तथा प्रतिगामी संबंधों में मजबूती

7.12 नवीन प्रौद्योगिकी तथा कृषि का आधुनीकरण

कृषि तथा उद्योग के परस्पर सम्बन्ध को और भी मजबूत बना दिया है। पारम्परिक रूप में यद्यपि कृषि और उद्योग का अग्रगामी सम्बन्ध पहले से ही प्रगाढ़ था, क्योंकि कृषि क्षेत्र द्वारा उद्योगों को अनेक आगत उपलब्ध कराये जाते हैं। परन्तु इन दोनों में

प्रतिगामी सम्बन्ध बहुत ही कमज़ोर था, क्योंकि उद्योग निर्मित वस्तुओं का कृषि में बहुत ही कम उपयोग होता था। परन्तु कृषि के आधुनीकरण के फलस्वरूप अब कृषि में उद्योग निर्मित आगतों, जैसे- कृषि यन्त्र एवं रासायनिक उर्वरक आदि, की मांग मे भारी वृद्धि हुई है, जिससे कृषि का प्रतिगामी सम्बन्ध भी सुदृढ़ हुआ है। अन्य शब्दों में कृषि एवं औद्योगिक क्षेत्र के सम्बन्धों मे अधिक मजबूती आई है।

इस तरह स्पष्ट है कि हरित क्रान्ति के फलस्वरूप देश में कृषि आगतों एवं उत्पादन में पर्याप्त सुधार हुआ है। इसके फलस्वरूप कृषक, सरकार तथा जनता सभी में यह विश्वास जाग्रत हो गया है कि भारत कृषि पदार्थों के उत्पादन के क्षेत्र में आत्मनिर्भर ही नहीं हो सकता, बल्कि निर्यात भी कर सकता है।

देश में योजना काल में कृषि के क्षेत्र में पर्याप्त विकास हुआ है। कुल कृषि क्षेत्र बढ़ा है, फ़सल के स्वरूप में परिवर्तन हुआ है, सिंचित क्षेत्र बढ़ा है, रासायनिक खादों के उपयोग में वृद्धि हुई है तथा आधुनिक कृषि यन्त्रों का उपयोग होने लगा है। इन सब बातों के होते हुये भी अभी तक देश में कृषि का विकास उचित स्तर तक नहीं पहुँच पाया है, क्योंकि यहाँ प्रति हेक्टेअर कृषि उत्पादन अन्य विकसित देशों की तुलना में कम है। अभी अनेक कृषि उत्पादों का आयात करना पढ़ता है। क्योंकि उनका उत्पादन मांग की तुलना में कम है। कृषि क्षेत्र का अभी भी एक बढ़ा भाग असिंचित है। कृषि में यन्त्रीकरण का स्तर अभी भी कम है, जिससे उत्पादन लागत अधिक आती है। कृषकों को विभागीय सुविधाएँ पर्याप्त मात्रा में नहीं मिलती हैं, जिससे कृषि विकास में बाधा उत्पन्न होती है। अतः इस बात की आवश्यकता है कि कृषि में तकनीकि एवं संस्थागत सुधारों को अधिक कारगर ढंग से लागू कर कृषि क्षेत्र का और अधिक विकास किया जाये। हरित क्रान्ति का विस्तार

केन्द्रीय बजट 2010-2011 में कृषि क्षेत्र के विकास के लिये बनाई गयी कार्य योजना के पहले घटक में ग्राम सभाओं तथा किसान परिवारों के सक्रिय सहयोग से देश के पूर्वी क्षेत्र बिहार, छत्तीसगढ़, पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल तथा उड़ीसा में हरित क्रान्ति के विस्तार के लिये 400 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। कमियाँ तथा समस्याएँ

7.13 हरित क्रान्ति का प्रभाव

देश में हरित क्रान्ति के फलस्वरूप कुछ फ़सलों के उत्पादन में पर्याप्त वृद्धि हुई है, खाद्यान्नो के आयात मे कमी आई है, कृषि के परम्परागत स्वरूप मे परिवर्तन आया

है, फिर भी इस कार्यक्रम में कुछ कमियाँ परिलक्षित होती हैं। हरित क्रान्ति की प्रमुख कमियों एवं समंस्याओं को निम्न रूप मे प्रंस्तुत किया जा सकता है-

प्रभाव - हरित क्रान्ति का प्रभाव कुछ विशेष फ़सलों तक ही सीमित रहा, जैसे- गेहूँ, ज्वार, बाजरा। अन्य फ़सलो पर इसका कोई प्रभाव नही पड़ा है। यहाँ तक कि चावल भी इससे बहुत ही कम प्रभावित हुआ है। व्यापारिक फ़सलें भी इससे अप्रभावित ही हैं।

पूंजीवादी कृषि को बढ़ावा - अधिक उपजाऊ किस्म के बीज एक पूंजी-गहन कार्यक्रम हैं, जिसमें उर्वरकों, सिंचाई, कृषि यन्त्रों आदि आगतों पर भारी मात्रा मे निवेश करना पड़ता है। भारी निवेश करना छोटे तथा मध्यम श्रेणी के किसानों की क्षमता से बाहर हैं। इस तरह, हरित क्रान्ति से लाभ उन्हीं किसानों को हो रहा है, जिनके पास निजी पम्पिंग सेट, ट्रैक्टर, नलकूप तथा अन्य कृषि यन्त्र हैं। यह सुविधा देश के बड़े किसानों को ही उपलब्ध है। सामान्य किसान इन सुविधाओं से वंचित हैं।

संस्थागत सुधारों की आवश्यकता पर बल नहीं - नई विकास विधि मे संस्थागत सुधारों की आवश्यकता की सर्वथा अवहेलना की गयी है। संस्थागत परिवर्तनो के अन्तर्गत सबसे महत्वपूर्ण घटक भू-धारण की व्यवस्था है। इसकी सहायता से ही तकनीकी परिवर्तन द्वारा अधिकतम उत्पादन प्राप्त किया जा सकता है। देश में भूमि सुधार कार्यक्रम सफल नही रहे हैं तथा लाखों कृषकों को आज भी भू-धारण की निश्चितता नहीं प्रदान की जा सकी है। श्रम-विस्थापन की समस्या - हरित क्रान्ति के अन्तर्गत प्रयुक्त कृषि यन्त्रीकरण के फलस्वरूप श्रम-विस्थापन को बढ़ावा मिला है। ग्रामीण जनसंख्या का रोज़गार की तलाश मे शहरों की ओर पलायन करने का यह भी एक कारण है।

आय की बढ़ती असमानता - कृषि में तकनीकी परिवर्तनों का ग्रामीण क्षेत्रों में आय-वितरण पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। डॉ॰ वी. के. आर. वी. राव के अनुसार, "यह बात अब सर्वविदित है कि तथाकथित हरित क्रान्ति, जिसने देश मे खाद्यान्नों का उत्पादन बढ़ाने मे सहायता दी है, के साथ ग्रामीण आय मे असमानता बढ़ी है, बहुत से छोटे किसानों को अपने काश्तकारी अधिकार छोड़ने पड़े हैं और ग्रामीण क्षेत्रों मे सामाजिक और आर्थिक तनाव बढ़े हैं।"

आवश्यक सुविधाओं का अभाव - हरित क्रान्ति की सफलता के लिए आवश्यक सुविधाओं यथा- सिंचाई व्यवस्था, कृषि साख, आर्थिक जोत तथा सस्ते आगतों आदि के अभाव मे कृषि-विकास के क्षेत्र मे वांछित सफलता नहीं प्राप्त हो पा रही है।

क्षेत्रीय असन्तुलन - हरित क्रान्ति का प्रभाव पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र तथा तमिलनाडु आदि राज्यों तक ही सीमित है। इसका प्रभाव सम्पूर्ण देश पर ना फैल पाने के कारण देश का सन्तुलित रूप से विकास नहीं हो पाया। इस तरह, हरित क्रान्ति सीमित रूप से ही सफल रही है।

7.14 ग्रामीण महिलाओं का सशक्तिकरण

ग्रामीण भारत के विकास के लिए महत्वापूर्ण है। महिलाओं को विकास की मुख्येधारा में लाना भारत सरकार का मुख्य दायित्व रहा है। इसलिए गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों में महिलाओं के योगदान का भी प्रावधान किया गया है ताकि इस समाज के इस वर्ग के लिए पर्याप्त निधियों की व्यवस्था की जा सके। संविधान (73वां) संशोधन अधिनियम, 1992 में महिलाओं के लिए चुनिन्दा पदों के आरक्षण की व्यावस्था है। भारत के संविधान में आर्थिक विकास तथा सामाजिक न्याय से संबंधित विभिन्न कार्यक्रमों को तैयार करके निष्पादित करने का दायित्वा पंचायतों को सौंपा है, और कई केन्द्रि प्रायोजित योजनाएं पंचायतों के जरिये कार्यान्वित की जा रही हैं। इस प्रकार, पंचायतों की महिला सदस्यों और महिला अध्यहक्षों, जो बुनियादी रूप से पंचायतों की नई सदस्यां हैं, को अपेक्षित कौशल प्राप्त, करना होगा और उन्हें नेतृत्व का निर्वाह करने तथा निर्णय में सहभागी होने के लिए अपनी उचित भूमिकाओं को निभाने हेतु उचित प्रशिक्षण देना होगा। पंचायती राज संस्थाओ के चुनिंदा प्रतिनिधियों को प्रशिक्षण देने का दायित्वू बुनियादी रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यं क्षेत्र प्रशासनों का है। ग्रामीण विकास मंत्रालय राज्यों /संघ राज्य क्षेत्रों को भी कुछ वित्तीय सहायता मुहैया कराता है ताकि प्रशिक्षण कार्यक्रमों के स्तर को बेहतर बनाया जा सके और पंचायती राज संस्थ्ाओं के चुने हुए सदस्यों और कार्यकर्ताओं के लिए क्षमता निर्माण पहलें की जा सकें।

मंत्रालय दो अंतर्राष्ट्रीय संगठनों अर्थात् सेंटर ऑन इंटीग्रेटिड रूरल डेवलेपमेंट ऑफ एशिया एंड पेसिफिक (सीआईआरडीएपी) तथा एफ्रो-एशियन रूरल डेवलेपमेंट ऑर्गनाइजेशन (एएआरडीओ) के लिए नोडल विभाग है।

ग्रामीण विकास विभाग द्वारा स्व-रोजगार सृजन योजना तथा मजदूरी रोजगार योजना, ग्रामीण गरीबों के लिए मकानों के प्रावधान और लघु सिंचाई साधन योजना, बेसहारा लोगों के लिए सामाजिक सहायता योजनाओं और ग्रामीण सड़क निर्माण योजना का क्रियान्वयन किया जाता है। इसके अलावा, इस विभाग द्वारा डीआरडीए प्रशासन, पंचायती राज संस्थाओं, प्रशिक्षण तथा अनुसंधान, मानव संसाधन विकास, स्वैच्छिक कार्य विकास आदि के लिए सहायक सेवाएं एवं अन्य गुणवत्ता संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं ताकि कार्यक्रमों का समुचित कार्यान्वयन हो सके। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा संचालित मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं - महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई), इंदिरा आवास योजना तथा स्वर्णजयंती ग्राम स्वग-रोजगार योजना (एसजीएसवाई), अब राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के नाम से ज्ञात (एनआरएलएम), राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) तथा ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं का प्रावधान (पीयूआरए) किया गया है ।

भूमि संसाधन विभाग द्वारा देश में बंजर भूमि का विकास करके बायोमास उत्पादन बढ़ाने से संबंधित योजनाओं का कार्यान्वन किया जाता है। इस विभाग द्वारा सहायता सेवाएं तथा अन्य गुणवत्ताई युक्त् कार्य भी किये जाते हैं जैसे भूमि सुधार, राजस्वन पद्धति की बेहतरी तथा भू-अभिलेख। यह विभाग देश में मरू क्षेत्रों और सूखे प्रवण क्षेत्रों का विकास भी करता है। भूमि संसाधन विभाग के मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं - राष्ट्रीय भू-अभिलेख आधुनिकीकरण कार्यक्रम (एनएलआरएमपी) तथा एकीकृत वाटर शेड प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्यूएमपी)। इनका उद्देश्य अवक्रमित भूमि की बंजर भूमि में मिट्टी तथा नमी संरक्षण और उत्पादकता को बढ़ाना है ताकि लोगों की आय को बढ़ाया जा सके।

पेयजल तथा सफाई व्यवस्था का प्रावधान और ग्रामीण गरीबों को सफाई सुविधाएं देने का प्रावधान पेयजल आपूर्ति विभाग के मुख्य कार्यकलाप हैं। पेयजल आपूर्ति विभाग के मुख्य कार्यक्रम इस प्रकार हैं - सम्पूर्ण स्वच्छता अभियान (टीएससी) तथा राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम (एनआरडीडब्यूभपी)।

7.15 हरित क्रान्ति की सफलता के लिये सुझाव

- **संस्थागत परिवर्तनों को प्रोत्साहन** - हरित क्रान्ति की सफलता के लिए भूमि सुधार कार्यक्रमों को प्रभावी और विस्तृत रूप से लागू किया जाना चाहिए। बटाईदारों को स्वामित्व का अधिकार दिलाया जाना चाहिए। सीमा निर्धारण से प्राप्त अतिरिक्त भूमि को भूमिहीन कृषकों में वितरित किया जाना चाहिए। चकबन्दी का प्रभावी बनाकर जोतों के विभाजन पर प्रभावी रोक लगायी जानी चाहिए।
- **कृषि वित्त की सुविधा -** कृषि वित्त की सुविधाएँ बढ़ाते समय छोटे किसानों को रियायती दर पर साख की सुविधा उपलब्ध करायी जानी चाहिए, ताकि वे आवश्यक उन्नत बीज, रासायनिक खाद तथा कृषि उपकरण क्रय कर सकें।
- **रोज़गार के अवसरों में वृद्धि -** श्रम प्रधान तकनीकों को अपनाया जाना चाहिए तथा ग्रामीण क्षेत्रों में बेकारी की समस्या के समाधान के लिए कुटीर एवं ग्राम उद्योगों का तेजी से विस्तार किया जाना चाहिए।
- **सिंचाई के साधनों का विकास -** देश में सिंचाई की सुविधाओं का पर्याप्त विकास किया जाना चाहिए, ताकि कृषक अधिक उपज देने वाली किस्मों का पूरा लाभ उठा सकें। इस सन्दर्भ में लघु सिंचाई परियोजनाओं के विस्तार पर ध्यान दिया जाना चाहिए।
- **अन्य संरचनात्मक सुधारों का विस्तार -** कृषि के विकास के लिये आवश्यक बिजली, परिवहन सहित अन्य संरचनात्मक सुविधाओं का विकास किया जाना चाहिए। तभी हरित क्रान्ति अन्य फ़सलों तथा क्षेत्रों तक फैल सकेगी।
- **हरित क्रान्ति का अन्य फसलों तक फैलाव -** हरित क्रान्ति की सफलता के लिये यह आवश्यक है कि इसका विस्तार चावल तथा अन्य फसलों की खेती तक किया जाये। चावल के साथ दालें, कपास, गन्ना, तिलहन, जूट आदि व्यापारिक फसलों के सम्बंध में भी उत्पादन वृद्धि संतोषजनक नहीं रही है। अतः इन फसलों को भी हरित क्रान्ति के प्रभाव क्षेत्र में शामिल किया जाना चाहिए।
- **छोटे खेत और छोटे किसानों को सम्बद्ध करना -** छोटे खेतों तथा छोटे किसानों को भी हरित क्रान्ति से सम्बद्ध करना चाहिए। इसके लिये आवश्यक है कि- (अ) भूमि सुधार कार्यक्रमों को शीघ्रता और प्रभावी ढंग से लागू किया जाना चाहिए, (ब) छोटे-छोटे किसानों को उन्नत बीज, खाद आदि आवश्यक

चीजों को ख़रीदने के लिये उदार शर्तों एवं दरों पर साख सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए, (स) साधारण कृषि उपकरणों की ख़रीद के सम्बन्ध मे दी गयी सुविधाओं के अतिरिक्त बड़ी-बड़ी फार्म मशीनरी यथा-ट्रैक्टर, हार्वेस्टर आदि को सरकार की ओर से किराए पर दिया जाना चाहिए, (द) बहुत छोटी-छोटी जोतों वाले किसानों को सहकारी खेती को अपनाने के लिये प्रेरित किया जाना चाहिए।

- **समन्वित फार्म नीति -** हरित क्रान्ति की सफलता के लिये समन्वित फार्म नीति अपनायी जानी चाहिए, ताकि फार्म तकनीकि व आगतों के मूल्यों के सम्बन्ध में एक उचित नीति अपनाई जा सके तथा कृषकों को उन्न्तशील बीज, खाद, कीटनाशक तथा कृषि यन्त्र एवं उपकरण उचित मूल्य पर समय पर उपलब्ध हो सकें। इसके अतिरिक्त सरकार को समस्त कृषि उपजों की बिक्री का प्रबन्ध किया जाना चाहिए तथा उचित मूल्य पर कृषि उत्पादों को ख़रीदने की गारन्टी भी देनी चाहिए।
- **नयी राष्ट्रीय कृषि नीति-**केन्द्र सरकार ने 'नयी राष्ट्रीय कृषि नीति' की घोषणा 28 जुलाई 2000 को की थी। इस नीति में सरकार ने 2020 तक कृषि के क्षेत्र में प्रतिवर्ष 4 प्रतिशत वृद्धि का लक्ष्य रखा है। नयी कृषि नीति का वर्णन 'इन्द्रधनुष क्रान्ति' के रूप में किया गया है, जिसमें सभी प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से देश के कृषि क्षेत्र में विभिन्न क्रान्तियों जैसे- 'हरित क्रान्ति' (खाद्यान्न उत्पादन), 'श्वेत क्रांति' (दुग्ध उत्पादन), 'पीली क्रांति' (तिलहन उत्पादन), 'नीली क्रांति' (मत्स्य उत्पादन), 'लाल क्रांति' (मांस/टमाटर उत्पादन), 'सुनहरी क्रांति' (सेब उत्पादन), 'भूरी क्रांति' (उर्वरक उत्पादन), 'ब्राउन क्रांति' (गैर परम्परागत ऊर्जा स्रोत), 'रजत क्रांति' (अण्डे/मुर्गी) एवं 'खाद्यान्न श्रंखला क्रंति' (खाद्यान्न/सब्जी/फलों को सड़ने से बचाना) को एक साथ लेकर चलना होगा, इसी को 'इन्द्रधनुषी क्रान्ति' कहा गया है।

7.16 सारांश

ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा निम्नलिखित प्रमुख कार्यक्रमों को ग्रामीण क्षेत्रों में संचालित किया जा रहा है ,

- महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा) |

- ❖ राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) स्वरोजगार और कौशल विकास के लिए योजना |
- ❖ प्रधान मंत्री आवास योजना ग्रामीण (पीएमएवाईजी) बीपीएल परिवारों को आवास उपलब्ध कराने के लिए योजना |
- ❖ प्रधान मंत्री ग्राम सड़क योजना (पीएमजीएसवाई) गुणवत्तापूर्ण सड़कों के निर्माण के लिए योजना |
- ❖ राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम (एनएसएपी) सामाजिक पेंशन के लिए योजना |
- ❖ एकीकृत जलग्रहण प्रबंधन कार्यक्रम (आईडब्ल्यूएमपी) भूमि की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए योजना |

इसके अलावा, मंत्रालय के पास ग्रामीण पदाधिकारियों, सूचना, शिक्षा और संचार, निगरानी और मूल्यांकन, क्षमता के विकास के लिए योजनाएं हैं। वर्तमान में कृषि कार्य हेतु आवंटित बजट 86000 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2016-17 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के योजना मद के तहत प्रदान की गई है।9000 करोड़ रुपये की अतिरिक्त राशि विभाग को आरई चरण में आवंटित की गई है जिससे योजना मद 95000 करोड़ रुपये तक बढ़ाने का प्रावधान है। 105447.88 करोड़ रुपये वित्त वर्ष 2017-18 के लिए ग्रामीण विकास विभाग के योजना मद के तहत प्रदान की गई है।

अधिक उपज देने वाली किस्मों एवं उत्तम सुधरे हुये बीजों पर निर्भर करती है। इसके लिये देश में 400 कृषि फार्म स्थापित किये गये हैं। 1963 में राष्ट्रीय बीज निगम की स्थापना की गई है। 1963 में राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम की स्थापना की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य कृषि उपज का विपणन, प्रसंस्करण एवं भण्डारण करना है। विश्व बैंक की सहायता से राष्ट्रीय बीज परियोजना भी प्रारम्भ की गई, जिसके अन्तर्गत कई बीज निगम बनाये गये हैं। भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारिता विपणन संघ (नेफेड) एक शीर्ष विपणन संगठन है, जो प्रबन्धन, विपणन एवं कृषि सम्बंधित चुनिन्दा वस्तुओं के आयात निर्यात का कार्य करता है। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक की स्थापना कृषि वित्त के कार्य हेतु की गई है। कृषि के लिये खाद्य निगम एवं उर्वरक साख गारन्टी निगम, ग्रामीण विद्युतीकरण निगम आदि भी स्थापित किए गए हैं।

7.17 शब्दावली

हरित क्रांति :- हरित क्रान्ति से अभिप्राय देश के सिंचित एवं असिंचित कृषि क्षेत्रों में अधिक उपज देने वाले संकर तथा बौने बीजों के उपयोग से फसल उत्पादन में वृद्धि करना हैं।

7.18 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. पंचायतों का सशक्तीकरण – राकेश चतुर्बेदी 2003 ''उद्योग नगर प्रकाशन, ए–32, अशोक नगर, गाजियाबाद।
2. 'विकेन्द्रीकरण' व्यवस्था में ग्राम–पंचायतों, क्षेत्र पंचायतों तथा जिला पंचायतों को प्रदत्त प्रशासनिक एवं वित्तीय अधिकार : 1998 सूचना एवं जनसम्पक्र विभाग यू.पी. लखनऊ।
3. नागरिक चार्टर : पंचायती राज निदेशालय, उ.प्र. छठा तल जवाहर भवन लखनऊ।
4. पंचायती राज सशक्तीकरण हेतु क्षमता विकास : सहभागी शिक्षण केन्द्र लखनऊ तथा पंचायती राज मंत्रालय : भारत सरकार एवं प्रिया, नई दिल्ली।
5. सामाजिक अनुसंधान (शोध) : एम एल गुप्ता डी.डी. शर्मा – साहित्य भवन हास्पिटल रोड आगरा–282003
6. हिस्ट्री ऑफ पंचायती राज इन इंडिया : एच.टी.टी.पी./वीकीपीडिया ओ.आर.जी. इन
7. रिथिकिंग दा रोटेशन टर्म ऑफ रिर्जवड सीटस् फॉर वीमन इन पंचायती राज : डा. नुपुर तिवारी–कॉमन वेल्थ जनरल ऑफ लोकल गवनरनेन्स – Wikipedia, 2009

8.Deaton, A. and Dreze, J. (2002) "Poverty and Inequality in India", Econimic and Political Weekly, September 7, 3729-48

9. Dreze, Jean and Sen, Amartya (2002) India : Development and Participation,
New Delhi: Oxford University Press.

10 Desai, Vasant (1988) Rural development : Experiment in Rural Development,
Bombay : Himalaya Publishing House.

11. Harris, John (1986) Rural Development : Theories of Peasant Economy and Agrarian Change, Hutchinson, ELBS.

7.19 सहायक/उपयोगी पाठ्य सामग्री

1 पंचायती राज सशक्तीकरण हेतु क्षमता विकास : सहभागी शिक्षण केन्द्र लखनऊ तथा पंचायती राज मंत्रालय : भारत सरकार एवं प्रिया, नई दिल्ली।

2 सामाजिक अनुसंधान (शोध) : एम एल गुप्ता डी.डी. शर्मा – साहित्य भवन हास्पिटल रोड आगरा–282003

3 Kothari, Rajani (1974) India and the Alternative framework for Rural Development, Development Dialogue, Uppasala: DHF. Mohanty, Siba Sankar (2007) "Rural Indebtedness in India: An Obstacle for Development, Counter Currents, Org. 13 July, 2007.

7.20 निबंधात्मक प्रश्न

१. हरित क्रांति से क्या समझते है ?
२. हरित क्रांति की प्रगति एवं प्रभाव का वर्णन कीजिये |
३. महिला सशक्तीकरण में हरित क्रांति की भूमिका पर प्रकाश डालिए |

इकाई 8 वर्तमान ग्रामीण विकास कार्यक्रम
Recent Rural Development Programmes

इकाई की रूपरेखा

8.1 उद्देश्य
8.2 प्रस्तावना
8.3 ग्रामीण विकास की अवधारणा
8.4 विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास
8.5 बोध प्रश्न–01
8.6 ग्रामीण विकास कार्यक्रम
8.7 ग्रामीण विकास के वर्तमान कार्यक्रम
8.8 ग्रामीण विकास की अनुपम योजना
8.9 बोध प्रश्न–02
8.10 सूचना प्रौद्योगिकी तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम
8.11 ग्रामीण विकास की रणनीतियां
8.12 ग्रामीण विकास की रणनीतियां : एक नजर में
8.13 बोध प्रश्न–03
8.14 सारांश
8.15 प्रयुक्त शब्दावली
8.16 अभ्यास प्रश्न
8.17 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर
8.18 निबन्धात्मक प्रश्न
8.19 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची
8.20 सहायक उपयोगी ग्रन्थ

8.1 उद्देश्य

इस इकाई के अध्ययन के पश्चात आप यह जान सकेंगे कि–

–ग्रामीण विकास से क्या अभिप्राय है ?

–पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास की क्या स्थिति रही है ?

–स्वतंत्रता के बाद से भारत में ग्रामीण विकास के कौन–कौन से कार्यक्रम प्रारम्भ किये गये ?

–वर्तमान समय में ग्रामीण विकास के कौन कौन से कार्यक्रम चल रहे हैं ?

–महात्मा गांधी नरेगा क्या सफल योजना है ?

–ग्रामीण विकास में सूचना तकनीकी की क्या भूमिका है ?

–ग्रामीण विकास की रणनीतियां क्या हैं ?

8.2प्रस्तावना

ग्रामीण विकास का विचार उतना ही प्राचीन है, जितनी कि कृषि, क्योंकि ग्रामीण विकास का पर्यायवाची कृषि विकास को माना जाता था। देखने में आ रहा है कि समय के साथ–साथ ग्रामीण विकास के विचार में भी परिवर्तन आया है। ग्रामीण समाज के जानकार व लेखक बैजनाथ सिंह अपनी पुस्तक 'सामुदायिक ग्रामीण विकास' में लिखते हैं कि चूंकि गांव में कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी है, इसलिये कृषि विकास के लिये इससे सम्बन्धित योजनाओं, जैसे–सिंचाई व विद्युत सुविधाओं का विकास व प्रसार करना ही ग्रामीण विकास है।

किन्तु यह ग्रामीण विकास की संकुचित अवधारण है क्योंकि विकास के लिए केवल रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था हो जाना ही पर्याप्त नहीं है। ि"ाक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, संचार, स्वच्छता व पेयजल की व्यवस्था करना भी अनिवार्य है। अतः ग्रामीण विकास में निर्धनता और आय की असमानता को दूर करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना व सम्पत्ति और सेवाओं की असमानताओं में कमी करना सम्मिलित है। इन्हीं बातों को दृष्टिगत रखते हुए ही स्वतंत्रता के प"चात से भारत सरकार द्वारा ग्रामीण विकास के कार्यक्रमों का निर्माण व क्रियान्वयन किया जा रहा है, ताकि दो तिहाई ग्रामीण जनसंख्या वाले इस दे"ा में ग्रामीण विकास के मोर्चे पर हम पिछड़ न सकें। प्रस्तुत इकाई में विकास के विभिन्न नवीनतम कार्यक्रमों, पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास की स्थिति व ग्रामीण विकास की रणनीतियों पर चर्चा की गई है व ग्रामीण विकास में सूचना तकनीकी की भूमिका का मूल्यांकन भी किया गया है।

8.3 ग्रामीण विकास की अवधारणा

ग्रामीण क्षेत्र से अर्थ उन क्षेत्रों से है जहां पर कृषि रीड़ की हड्डी है और कार्य"ाील जनसंख्या का अधिकतर भाग या तो कृषक है या कृषि मजदूर है। चूंकि ग्रामीण क्षेत्रों में दे"ा की लगभग तीन चौथाई जनसंख्या निवास करती है इसलिए विकास का अर्थ ही ग्रामीण विकास है।

ग्रामीण विकास का विचार उतना ही पुराना है जितनी कि कृषि है। क्योंकि ग्रामीण विकास का पर्यायवाची कृषि विकास माना जाता था। हां, कृषि विकास ग्रामीण विकास का हृदयस्थल है लेकिन संपूर्ण शरीर नहीं है। देखने में आ रहा है कि समय के साथ–साथ ग्रामीण विकास के विचार में भी बदलाव आया है। चूंकि गांव में कृषि ग्रामीण अर्थव्यवस्था की धुरी है इसलिए कृषि विकास के लिए इससे सम्बन्धित योजनाओं जैसे सिंचाई व विद्युत सुविधाओं का विकास व प्रसार करना ही ग्रामीण विकास है। लेकिन ग्रामीण विकास की यह संकुचित अवधारणा थी क्योंकि

विकास के लिए रोटी, कपड़ा व मकान ही काफी नहीं है। रहन–सहन में गुणवत्ता लाना भी आव''यक है जिसके लिए पेट पूजन के अलावा ि''ाक्षा, चिकित्सा, सड़क, संचार, स्वच्छ पानी, स्वच्छता आदि भी जरूरी है। इसलिए ग्रामीण विकास में गरीबी अैर आय की असमानता को दूर करना, रोजगार के अवसरों को बढ़ाना व सम्पत्ति और सेवाओं की असमानताओं में कमी करना शामिल है।

अतः ग्रामीण विकास वह प्रक्रिया है जिसका उद्दे''य गरीबी एवं असमानता को दूर करने के लिए ग्रामीण मिल–जुल कर अपनी सोच समझ से सहभागिता के आधार पर प्रयास करते हैं। वैसे तो ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में बचत, विनियोग व राष्ट्रीय उत्पादन आदि के घटकों का सन्दर्भ दिया जाता है, लेकिन ग्रामीण विकास की वृहत आयाम के रूप में संकल्पना की जाती है। इसलिए विकास का अभिप्राय ि''ाक्षा, जीवन–अवधि में वृद्धि, ि''ा''ाु मृत्यु दर की कमी, पेय जलापूर्ति, स्वच्छता, रोजगार, आधारभूत सुविधाओं को बढ़ाना शामिल है। इस प्रकार ग्रामीण विकास केवल कृषि और उद्योग धन्धों के विकास तक ही सीमित न रहकर ि''ाक्षा, पोषण, स्वास्थ्य, आधारभूत सुविधाओं व परिवार नियोजन आदि क्षेत्रों को बढ़ावा देकर ग्रामीण जीवन–स्तर में सुधार लाता है।

उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट है कि व्यापक सन्दर्भ में ग्रामीण विकास की संकल्पना ग्रामों का समग्र एवं व्यापक रूपान्तरण है जो स्वयं में एक बहुआयामी और बहुउद्दे''ीय अनवरत प्रक्रिया है। इसके उद्दे''यों को संक्षेप में निम्नलिखित रूप में व्यक्त किया जा सकता है–

1. उत्पादन में बढ़ोत्तरी और रोजगार अवसरों का सृजन।
2. आधुनिक निवे''ाों और सेवाओं की उचित मात्रा में प्राप्ति और उनकी समाज के सभी वर्गों को समान सुलभता।

3– आय का समान वितरण और समाज के विभिन्न वर्गों को विकास के समान अवसर उपलब्ध कराना।

4– जन–कल्याण और रहन–सहन के स्तर में सुधार।

5– गरीब जनों की विकास कार्यक्रमों के निर्धारण और क्रियान्वयन में सक्रिय सहभागिता सुनि''चत करने का प्रयास करना।

6– स्वप्रेरित और स्वावलम्बी विकास सुनि''चत करना।

7– पर्यावरणीय जागृति उत्पन्न करना और जीवन में गुणात्मक सुधार करना।

संक्षेप में ग्रामीण विकास से अर्थ परिणामात्मक सुधार (जैसे रोजगार के साधनों का सृजन) के साथ–साथ गुणवत्ता सुधार (जैसे ि''ाक्षा आदि) भी लाना है। संक्षेप में कहा जाये तो ग्रामीण विकास का विचार बहुआयामी है। इसमें कृषि विकास के अतिरिक्त उद्योग–धन्धों की स्थापना, सामाजिक सुविधाओं और अवस्थापना जैसे सड़क, संचार, विद्युत, विपणन, जलापूर्ति, बैंक, जन कल्याण सेवाएं व बीमारी नियंत्रण, पोषण में सुधार, प्रौढ़ साक्षरता जैसे कार्यक्रम भी सम्मिलित हैं। इसका सम्बन्ध आर्थिक प्रगति से न होकर ग्रामीण गरीबों जैसे गरीब कृषक, खेतिहर मजदूर, दस्तकार व अन्य दुर्बल वर्गों के शारीरिक और सामाजिक कल्याण में प्रगति से भी

है। इस प्रकार ग्रामीण विकास ग्रामीणों की सहभागिता के आधार पर उनके रहन–सहन में सुधार और उनको आत्मनिर्भर बनाने की प्रक्रिया से सम्बन्धित है।

विभिन्न पंचवषीय योजनाओं में ग्रामीण विकास :

प्रथम पंचवर्षाय योजना

प्रथम पंचवर्षीय योजना का उद्दे"य जनता की भागीदारी से जनता के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और बेहतर जीवन के लिए अवसर प्रदान करना था। लोगों की भागीदारी सुनि"चत करने के लिए ग्राम स्तर पर कोई एजेंसी/संगठन होने की बात भी इस योजना में कही गई थी। लोकतांत्रिक संस्थाओं का जिक्र भी इस योजना में किया गया था। इस योजना के प्रारूप के अनुसार स्थानीय नियोजन आव"यक है। संक्षेप में इस योजना में विकेन्द्रीकृत नियोजन लोगों की भागीदारी के साथ करने पर बल दिया गया था। सकारात्मक बात इस योजना की यह रही कि इस योजना के दौरान सामुदायिक विकास व राष्ट्रीय विस्तार सेवा कार्यक्रम शुरू हुए जिनका उद्दे"य ग्रामीणों के सामाजिक व आर्थिक स्तर में बढ़ोत्तरी करना था।

द्वितीय पंचवर्षीय योजना

द्वितीय पंचवर्षीय योजना ने भी लोकतांत्रिक योजना में सामुदायिक सहयोग व सहभागिता के महत्व को पहचाना। इस योजना में इस मुद्दे पर प्रका"ा डाला गया था कि गांव की औसतन जनसंख्या कितनी होनी चाहिए ताकि गांव की उचित योजना बन सके। इसी ध्येय को ध्यान में रखकर इस योजना में इस बात पर जोर दिया गया कि गांव की जनसंख्या का पुनरावलोकन करने की जरूरत है ताकि प्रभावी गांव इकाई व जीवंत पंचायत स्थापित हो सके। स्थानीय शासन विभागों के मंत्रियों की 1954 में हुई बैठक में यह बात कही गई थी कि एक पंचायत की जनसंख्या 1000 से 1500 के बीच हो तो उचित होगा। इस योजना के अन्तर्गत गांव स्तर पर कार्यकलाप चित्रण की भी बात कही गयी। यह मुद्रा प्रभावी नियोजन के लिए जरूरी है क्योंकि पंचायतों/प्र"ाासन के विभिन्न स्तरों पर कार्यों का बंटवारा उनकी क्षमता को ध्यान में रखकर करना चाहिए। गांव, ब्लॉक, टाउन, तहसील स्तरों पर योजना बनाने की बात भी इस योजना के अन्तर्गत कही गयी थी। योजना बनाने के लिए जिला स्तर पर जिला विकास समिति व ब्लॉक स्तर पर विकास समिति बनाने की बात भी कही गयी थी। ये दोनों व्यवस्थाएं ग्राम नियोजन के लिये उचित कदम थे।

कुल मिलाकर कहें कि इस योजना में ग्राम नियोजन, ब्लॉक नियोजन व जिला नियोजन की बात पर जोर दिया गया तथा इसके लिये संस्थाओं के गठन की भी बात कही गई थी लेकिन ये सब अलग–अलग तरीके से कहा गया और कुल मिलाकर यह प्रयास एकीकृत रूप में संपूर्ण योजना प्रक्रिया का हिस्सा नहीं बन सका। इसी दौरान 1957 में बलवंत राय मेहता समिति ने सामुदायिक विकास और राष्ट्रीय विस्तार सेवा का मूल्यांकन कर अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया जिसमें तीन स्तरीय (ग्राम, ब्लॉक व जिला) पंचायती राज व्यवस्था स्थापित करने की सिफारि"ा की थी तथा राज्य सरकारों से पंचायतों को जरूरी संसाधन, अधिकार व शक्तियां

प्रदान करने की भी सिफारि"ा इस समिति ने प्रस्तुत की थी ताकि ये संस्थाएं अपने स्तर पर हस्तांतरित कार्यों का सम्पादन उचित प्रकार से कर सकें।

तृतीय पंचवर्षीय योजना

तृतीय पंचवर्षीय योजना में भी पंचायती राज संस्थाओं के विकेंद्रीकृत नियोजन में भागीदार होने की बात दोहराई गयी थी ताकि ये योजनाऐं लोगों के द्वारा, लोगों के लिए स्थानीय संसाधनों के आधार पर बनाई जा सकें व लागू भी की जा सकें। लेकिन इस योजना अवधि में भी विभिन्न स्तरों पर संस्थाएं बनाने की बात, जो दूसरी पंचवर्षीय योजना के दस्तावेज में कही गई थी, फलीभूत नहीं हो सकी।

चौथी पंचवर्षीय योजना

1. ग्रामीण रोजगार के कार्यक्रम ;ब्म्द्ध	1971–72	ग्रामीण विकास हेतु नए रोजगार बढ़ाना।
2. सूखा आ"ांकित क्षेत्र प्राकृतिक कार्यक्रम	1972–73	सूखाग्रस्त ग्रामीण इलाकों में संसाधनों को विकसित करना।
3. पायलट गहन ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम	1972–73	गांव में निर्माण कार्य।

पांचवी पंचवर्षीय योजना

1. समेकित बाल विकास योजना	1975–76	बच्चों एवं गर्भवती महिलाओं के शारीरिक, मानसिक एवं बौद्धिक विकास हेतु।
2. ग्रामीण युवा स्वरोजगार हेतु प्र"ाक्षण (ट्राइसेम)	1976–77	ग्रामीण युवाओं को तकनीकी प्र"ाक्षण देना।
3. मरूस्थल विकास कार्यक्रम	1977–78	मरूभूमि विस्तार प्रकिया नियंत्रण पर्यावरण संतुलन बनाये रखने हेतु।
4. अंत्योदय योजना	1977–78	गरीबी रेखा के नीचे वाले परिवारों को आर्थिक सहायता पहुंचाना।
5. काम के बदले अनाज योजना	1978–79	विकास प्रक्रियाओं के काम हेतु खाद्यान्न देना।
6. प्रौढ़ ि"ाक्षा कार्यक्रम	1978–79	प्रौढ़ों को साक्षर कर जाग्रत करना।

छठी पंचवर्षीय योजना

1. ट्राइसेम;ज्त्ल्ैम्डद्ध	1979–80	गरीब परिवार के युवाओं (18–35) को तकनीकी प्र"ाक्षण हेतु लाभ।

2.	समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम (IRDP)	1980–81	ग्रामीण परिवारों को गरीबी रेखा से ऊपर उठाना।
3.	राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार कार्यक्रम (NREP)	1980–81	ग्रामीण गरीबों को लाभकारी रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना।
4.	ग्रामीण क्षेत्रों में महिला तथा बाल विकास (डवाकरा)	1982–83	ग्रामीण परिवारों की महिलाओं को स्वरोजगार के उपयुक्त अवसर प्रदान करना।
5.	ग्रामीण भूमिहीन रोजगार गारंटी कार्यक्रम	1983–84	भूमिहीन कृषकों व श्रमिकों को रोजगार उपलब्ध कराना।

सातवीं पंचवर्षीय योजना

1.	इंदिरा आवास योजना	1985–86	अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों तथा मुक्त कराए गए बंधुआ श्रमिकों के लिए मकानों का निर्माण करना।
2.	कि”ाोरी बालिका योजना	1985–86	बालिकाओं के समग्र विकास को सुनि”चत करने हेतु वि”ोष सुविधाऐं देना।
3.	व्यापक फसल बीमा योजना	1985–86	विभिन्न फसलों का बीमा कराने हेतु।
4.	जवाहर रोजगार योजना	1989–90	गांव में गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले बेरोजगार स्त्री व पुरूषों को अतिरिक्त लाभकारी रोजगार देना।
5.	सामाजिक सुरक्षा बीमा योजना	1988–89	दुर्घटना होने के प”चात् आर्थिक राहत देने हेतु।

आठवीं पंचवर्षीय योजना

1.	राष्ट्रीय महिला कोष	1992–93	गरीब महिलाओं की ऋण संबंधी जरूरतों को पूरा करना।
2.	रोजगार आ”वासन ग्रामीणों योजना (EAS)	1993–94	गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले को अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध

		कराना।
3. डवाकरा (DWCRA)	1992–93	ग्रामीण महिलाओं को समूह में संगठित कर आत्मनिर्भर बनाने हेतु।
4. उन्नत टूलकिट्स योजना (SITRA)	1993–93	ग्रामीण ि"ाल्पियों के कौ"ाल में सुधार तथा उनका शहरों की ओर पलायन रोकना, आय में बृद्धि करना।
5. प्रधानमंत्री रोजगार योजना (PMRY)	1994–95	ग्रामीण एवं शहरी ि"ाक्षित बेरोजगार युवकों को स्वयं उद्योग सेवा/व्यवसाय स्थापित करने हेतु ऋण उपलब्ध कराना।

नौवीं पंचवर्षीय योजना

1. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना (JGSY)	1999–2000	गांवों में रोजगार तथा परिसम्पत्तियों का सृजन करना।
2. राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना	1999–2000	किसानों को उनकी फसल की बर्बादी से सुरक्षा प्रदान करना।
3. स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना	1999–2000	गांवों में गरीब लोगों को स्वरोजगार अपनाने हेतु प्रेरित करना।
4. अंत्योदय अन्न योजना	2000–2001	आर्थिक विपन्न लोगों को सस्ती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराना।
5. जिला निर्धनता उन्मूलन योजना	2000–2001	सर्वाधिक गरीबी वाले जिलों में गरीबी निवारण हेतु रोजगार के अवसर पैदा करना।
6 राजीव गांधी ग्रामीण विद्युतीकरण योजना	2005–2006	निर्धनता रेखा से नीचे के परिवारों को नि:"ाुल्क विद्युत कनेक"ान देना।

दसवीं पंचवर्षीय योजना

दसवीं पंचवर्षीय योजना में भी नवीं पंचवर्षीय योजना में कही बात दोहराई गई थी कि पंचायतों को कारगर योजना बनाने व उन्हें लागू करने के लिये जरूरी कार्य, संसाधन और कर्मी हस्तांतरित करने की जरूरत है। राज्य सरकारों ने जिला नियोजन समितियों के गठन व उनको कार्य"ाील करने के लिए कोई कदम नहीं उठाए। इसके अतिरिक्त, जिला नियोजन समिति से पहली प्रक्रिया जो ग्राम सभा से लेकर जिला परिषद तक योजना बनाने के लिए करनी है, उस तरफ भी कुछ राज्य जैसे केरल को छोड़कर कोई खास प्रयास नहीं हुआ। दसवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान ही विकेंद्रीकरण की ओर एक महत्वपूर्ण कदम मई 2004 में पंचायती राज

मंत्रालय का गठन था। इस मंत्रालय के अस्तित्व में आने के बाद विकेंद्रीकृत शासन, योजना व विकास को नई शक्ति प्रदान करने का अवसर प्राप्त हुआ। मंत्रालय के गठन के बाद नियोजन के क्षेत्र में अनेक सकारात्मक चीजें घटित हुईं।

ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना

वर्ष 2005 में ग्यारहवीं पचवर्षीय योजना के लागू होने के समय पंचायती राज मंत्रालय ने वी0 रामचन्द्रन की अध्यक्षता में एक वि"ाषज्ञ दल का गठन किया जिसका उद्दे"य जमीनी स्तर पर नागरिकों की बुनियादी न्यूनतम जरूरतों की पूर्ति के लिए सभी पंचायत स्तरों पर जिला और उप–जिला योजनाएं तैयार करने के संबंध में अध्ययन कर अपनी सिफारि"ों प्रस्तुत करना था। पंचायती राज मंत्रालय और योजना आयोग ने वि"ाषज्ञ दल की रिपोर्ट को स्वीकार करने के बाद अगस्त, 2006 में ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में जिला योजनाओं के बारे में विस्तृत दि"ाा–निर्दे"ा जारी किये। इस योजना में जोर देकर कहा गया है कि विकास प्रक्रिया की समावे"िाता के लिए यह अत्यन्त आव"यक है कि आव"यक जन सेवाओं की प्रदायगी के नियोजन, कार्यान्वयन और पर्यवेक्षण में स्थानीय जन प्रतिनिधियों को पूरी तरह से शामिल किया जाए। इस योजना में स्थानीय नियोजन, कार्यान्वयन और मॉनीटरिंग के केन्द्र में स्थानीय सरकारों को रखने के लिए आव"यक सुधारों के बारे में विस्तार से बताया गया है। योजना में इस बात पर भी बल दिया गया है कि हर जिले को जिला विकास योजना तैयार करनी होगी जिसमें उसके शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों की योजनाओं को समेकित किया जाएगा और साथ ही विभिन्न योजनाओं के क्षेत्रीय आवंटन भी शहरी होंगे। इसमें आगे यह सुझाव भी दिया गया है कि तीन अवधियों –

(1) दीर्घकालीन योजना 20–25,

(2) अल्पावधिक एकीकृत विकास योजनाऐं, और

(3) वि"िाष्ट परियोजनाओं और स्कीमों से संबंधित योजनाओं के लिए अंततः संबद्ध योजनाओं की जरूरत है।

8.5 बोध प्र"न–01

---

1. ग्रामीण विकास की अवधारणा स्पष्ट कीजिए।
2. विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास पर प्रका"ा डालिये।

8.6 ग्रामीण विकास के कार्यक्रम

भारतवर्ष में चल रहे ग्रामीण विकास कार्यक्रमों का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत है–

(1) **प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास)**

प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना (ग्रामीण आवास) 4 अप्रैल, 2000 को शुरू की गई। इस योजना के तहत इंदिरा आवास योजना समूचे दे"ा में लागू की गई। इस योजना के तहत वित्त मंत्रालय ने सीधे राज्य सरकारों को धनरा"िा जारी की। वर्ष

2001–02 के दौरान ग्रामोदय योजना के लिए 406.85 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया, जिसमें से 291.51 करोड़ रूपये वित्त मंत्रालय द्वारा जारी किए गए। इसके बाद भी प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना की योजना आयोग द्वारा पुनः समीक्षा की गई है। इस पुनः समीक्षा के क्रियाकलापों को आगे बढ़ाने व उससे प्रतिसूचना लेकर राज्यों व योजना आयोग ने आधारभूत न्यूनतम सेवा कार्यक्रम के अन्तर्गत वर्ष 2002–03 में सीधे व्यवस्था करने का फैसला किया।

(2) **समग्र आवास योजना**

पहली अप्रैल, 1999 से समग्र आवास योजना की शुरूआत की गई है। यह एक व्यापक आवास योजना है, जिसका उद्दे"य आवास, स्वच्छता और पेयजल की समग्र व्यवस्था करना है। समग्र आवास योजना का मुख्य उद्दे"य ग्रामीण क्षेत्रों के सम्पूर्ण पर्यावरण के साथ–साथ लोगों के जीवन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। विभिन्न ग्रामीण विकास गतिविधियों, जैसे– आवास निर्माण, स्वच्छता सुविधाऐं तथा पेयजल योजनाओं का अभिसरण तथा उपयुक्त प्रौद्योगिकी के निरंतर प्रवे"ा तथा अभिनव विचारों द्वारा इनका क्रियान्वयन इस योजना का वि"ाष्ट उद्दे"य है।

प्रथम चरण में इस योजना को 24 राज्यों में 25 जिलों के प्रत्येक विकास खंड तथा एक केन्द्र"ाासित प्रदे"ा में लागू किया गया। इस योजना के अन्तर्गत इच्छित लाभार्थी ग्रामीण गरीब हैं, जो वि"ोषकर गरीबी–रेखा से नीचे हैं। वर्ष 1999–2000, 2000–01 और 2002–03 के दौरान इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन के लिए क्रम"ाः 2. 67 करोड़ रूपये, 3.05 करोड़ रूपये और 0.32 करोड़ रूपये जारी किए गए।

(3) **खाद्यान्न बैंक योजना**

केन्द्र सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर 'खाद्यान्न बैंकों' को स्थापित करने की घोषणा वर्ष 2001 में की गई, योजना को वर्ष 2002 में लागू कर दिया गया है। दे"ा में खाद्यान्नों के समृद्ध भण्डार के बावजूद भुखमरी से चिन्तित सरकार द्वारा ग्राम पंचायत स्तर पर खाद्यान्न बैंकों को स्थापित करने के प्रमुख उद्दे"य से इस योजना को प्रारम्भ करने का विचार किया गया।

योजना के अन्तर्गत दे"ा भर में 1.14 लाख गांवों में 1100 करोड़ रूपये से इन खाद्यान्न बैंकों हेतु केन्द्र सरकार द्वारा 100 करोड़ रूपये की धनरा"ाि का 10 लाख टन गेहूं और चावल निः"ाुल्क उपलब्ध कराने की व्यवस्था की गई है तथा इस योजना के अन्तर्गत शीध्र ही अतिरिक्त गांवों को आच्छादित करने का इरादा भी व्यक्त किया गया है।

(4) **किसान ऋण कार्ड धारकों के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना**

किसान ऋण कार्ड धारकों के लिए मृत्यु या अपंगता की स्थिति में बीमा सुरक्षा प्रदान करने के लिए व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना 10 अक्टूबर 2001 से शुरू की गई। इसके तहत इन कार्ड धारकों की दुर्घटना में मुत्यु या स्थाई अपंगता की स्थिति में 50,000 रूपये तथा आं"ािक विकलांगता के लिए 25,000 रूपये की क्षतिपूर्ति की जाएगी। यह पॉलिसी 70 वर्ष तक की आयु वाले किसान ऋण धारकों के लिए है। प्रीमियम 17.85 रूपये प्रति व्यक्ति प्रतिवर्ष है। जबकि तीन साल की पॉलिसी के लिए प्रीमियम 45 रूपये प्रति व्यक्ति होगा।

(5) **काम के बदले अनाज कार्यक्रम**

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने जनवरी, 2001 में सूखा प्रभावित राज्यों के ग्रामीण इलाकों में काम के बदले अनाज कार्यक्रम शुरू किया। यह कार्यक्रम रोजगार गारन्टी योजना के तहत शुरू किया गया। बाद में इस योजना का विस्तार कर उसे केरल और बिहार के बाढ़/भारी वर्षा प्रभावित क्षेत्रों में भी लागू किया गया। इस कार्यक्रम के तहत अतिरिक्त संसाधन के तौर पर अनाज (गेहूं और चावल) के निः"ुल्क आवंटन की व्यवस्था है।

(6) **भूमि सुधार कार्यक्रम**

स्वतंत्रता के बाद से अपनाई गई भूमि सुधार नीति का लक्ष्य समाजवादी सामाजिक ढांचे की व्यवस्था के लिए कृषि सम्बन्धों का पुनर्गठन, भूमि सम्बन्धों में शोषण समाप्त करना, किसान को जमीन प्रदान करने के सदियों पुराना लक्ष्य प्राप्त करना, ग्रामीण गरीबों के भूमि धारण के अधिकार को बढ़ाना, कृषि उत्पादन को बढ़ाना तथा कृषि अर्थ व्यवस्था का विविधीकरण करना है। प्रारम्भ से सितम्बर 2001 तक दे"ा में 73.00 लाख एकड़ भूमि घोषित की गई, जिसमें से लगभग 64.95 एकड़ भूमि को अधिग्रहीत किया गया और 53.79 एकड़ भूमि 55.84 लाख लाभार्थियों में वितरित की गई, जिनमें से 36 प्रति"ात लोग अनुसूचित जातियों से सम्बन्धित थे तथा 15 प्रति"ात लोग अनुसूचित जनजाति के थे।

8.7 ग्रामीण विकास के वर्तमान कार्यक्रम

आजकल राष्ट्रीय प्रसार योजना या विकास कार्यक्रम को ग्राम समुदाय की महसूस की जाने वाली जरूरतों के आधार पर न बनाकर या समग्र विकास की परियोजना के रूप में न लेकर केन्द्र या राज्य स्तर से कार्यक्रमों का निर्माण व संचालन किया जाता है। इन कार्यक्रमों का विवरण निम्नवत है–

1. जवाहर रोजगार योजना : यह योजना वर्ष 1989 से क्रियान्वित की जा रही है। इसके उद्देश्य हैं–ग्रामीण क्षेत्र में बेरोजगार और अल्प रोजगार वाले पुरूष व महिलाओं दोनों के लिए अतिरिक्त रोजगार सृजन करना **व** सामुदायिक व सामाजिक परिसंपत्तियों का सृजन करना। इस योजना की वर्तमान व्यवस्था निम्नवत है–

(क) यह योजना एक केन्द्र प्रायोजित योजना के रूप में केन्द्र और राज्य के बीच 80:20 के अनुपात में लागत वहन करने के आधार पर क्रियान्वित की जाती है।

(ख) जिले को आवंटित निधियों का 65 प्रति"ात हिस्सा ग्राम पंचायत को, 15 प्रति"ात क्षेत्र पंचायत को तथा 20 प्रति"ात जिला ग्राम्य विकास अभिकरण द्वारा अंतर/खंड/ग्राम कार्यों पर उपयोग किया जाता है।

(ग) ग्राम पंचायतों में निधियों का आवंटन जनसंख्या के आधार पर किया जाता है।

(घ) योजनांतर्गत श्रम एवं सामग्री का अनुपात 60:40 रखा जाता है।

जवाहर रोजगार योजना का एक अलग खाता बैंक शाखा में खोलकर यह धनरा"ि रखी जाती है। ग्राम पंचायत अधिकारी व ग्राम प्रधान के संयुक्त हस्ताक्षर से चैक द्वारा यह धनरा"ि आहरित की जाती है।

इस योजनांतर्गत कराए जाने वाले प्रमुख कार्य हैं–सिंचाई, तालाब, सड़क, पुलिया, मछली पालन, तालाब, ड्रेस, पाठ"ााला भवन, छात्रावास प्र"िाक्षण केन्द्र, पर्यावरण सुरक्षा, भूमि एवं जल संरक्षण, प"ुपालन सुधार, चरागाह विकास नवीकरण आदि। ग्राम पंचायतों की बैठक के माध्यम से योजनाओं का चयन किया जाता है।

योजना के कियान्वयन में कमियां–निम्नलिखित दोष इस योजना में अब तक परिलक्षित हुए हैं–

1. अधिकां"ा कार्य मिट्टी, वृक्षारोपण एवं हैंड पंप के कराए गए हैं जो ग्रामीण क्षेत्र में भौतिक सत्यापन के समय उपलब्ध नहीं हैं अथवा आं"ािक रूप से नहीं पाए जा रहे हैं। इस प्रकार के कार्यों में धन के दुरूपयोग की अधिकाधिक संभावनाऐं हैं।
2. ग्राम स्तर पर अभिलेखों का रखरखाव सही नहीं है, फलतः एक ही मिट्टी के कार्य को कई बार प्रस्तावित व निर्मित दिखाकर धन का दुरूपयोग किया जा रहा है।
3. प्रधान द्वारा समय से धन के व्यय का सदुपयोग नहीं किया जा रहा है।
4. ग्राम प्रधान द्वारा इस योजना से कराए गए कार्यों की कोई व्यवस्था सुनि"िचत नहीं है। अतः बहुत बड़ी धनरा"ा से बहुत थोड़ा कार्य हो रहा है।

2. दस लाख कूप योजना

यह योजना केन्द्र द्वारा पुनर्निर्धारित योजना है। 80 प्रति"ात धनरा"ा केन्द्र तथा 20 प्रति"ात धनरा"ा राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध कराई जाती है। योजना का उद्दे"य सिंचन क्षमता तथा कृषि उत्पादन में वृद्धि करना है। इस योजना के लक्षित वर्ग अनुसूचित जाति/जनजाति, मुक्त बंधुआ श्रमिक, लघु एवं सीमांत कृषक हैं। दो–तिहाई भाग लक्षित वर्ग के व्यक्तियों को उपलब्ध कराना है। सामूहिक लाभों की भूमि विकास एवं जल निकासी आदि की योजनाओं में योजना के अंतर्गत कम से कम दस कृषक होने चाहिए, जिसमें पांच कृषक अनुसूचित जाति तथा 25 प्रति"ात भूमि अनुसूचित जाति की होनी चाहिए। चूंकि योजना का उद्दे"य सिंचन क्षमता में वृद्धि करना है, इसलिए व्यक्तिगत ट्यूबवैल स्थापित कराकर लाभार्थियों को उपलब्ध करा दिया जाए। इसमें 50 प्रति"ात अनुसूचित जाति तथा 50 प्रति"ात लघु सीमांत कृषकों को भी लाभ दिया जाए।

3. सुनि"िचत रोजगार योजना

भारत सरकार द्वारा गैर–कृषि गांव के गरीब परिवारों को लाभदायक व श्रमपूरक रोजगार उपलब्ध कराना इस योजना का मूल उद्दे"य है। इच्छुक गरीब परिवार को इस योजना में लाभ देने के लिए विकास खण्ड द्वारा पंजीकृत किया जाता है तथा परिवार के दो व्यक्तियों को वर्ष में 100 दिन का रोजगार उपलब्ध कराने की व्यवस्था कराने का दायित्व विभिन्न कार्यकारी संस्थाओं को दिया गया है। यह कार्यकारी संस्थाऐं इस योजना के अन्तर्गत पंजीकृत श्रमिकों के कार्य न कराकर ठेकेदारी से कार्य कराती हैं जिसके फलस्वरूप योजना का मूल स्वरूप ही नष्ट हो जाता है। वास्तव में इस योजना का उद्दे"य यह था कि स्थानीय मजदूरों को ग्राम में ही रोजगार उपलब्ध हो, ताकि शहरों की तरफ इनका पलायन रोका जा सके, परन्तु ठेकेदारी प्रथा में ठेकेदार बाहरी मजदूरों को लाकर मनमाने तरीके से कार्य

कराते हैं। इस प्रकारी की कमी को दूर करने के लिए यह आव"यक है कि कार्यान्वयन पंचायती राज संस्थाओं के माध्यम से किया जाए। सुनि"चत रोजगार योजना की 80 प्रति"ात धनरा"ा ग्राम पंचायत एवं क्षेत्र पंचायत के माध्यम से व्यय किया जाना अनिवार्य किया जाए। शेष 20 प्रति"ात धनरा"ा बड़े कार्यों के लिए जिला स्तर पर रोककर शासन द्वारा निर्धारित मानकों के अनुरूप कार्य कराया जाना चाहिए।

4. एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम

यह योजना दो अक्टूबर, 1980 से क्रिग्रान्वित की जा रही है। योजना का मूल उद्दे"य ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले परिवारों को विभिन्न कार्यक्रमों के अंतर्गत लाभान्वित कराकर गरीबी रेखा से ऊपर उठाना है। वर्तमान समय में गरीबी रेखा की सीमा प्रति परिवार रू0 11,000.00 वार्षिक आय निर्धारित की गई है। लाभार्थियों का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक के माध्यम से वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में ही किया जाता है। वित्त पोषण की व्यवस्था के अन्तर्गत ग्राम पंचायत की खुली बैठक में चयनित लाभार्थी की ऋण पत्रावली विकास खंड स्तर से तैयार कर सेवा क्षेत्र से संबंधित बैंक शाखा में प्रेषित की जाती है। बैंक शाखाओं का यह दायित्व है कि प्रार्थना पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अंदर उसका निस्तारण करें। लाभार्थियों को नकद भुगतान किया जाता है। वर्तमान समय में लाभार्थी अपनी इच्छानुसार परिसंपत्ति क्रय करता है। क्रय के प"चात उसका समायोजन बैंक शाखा को प्रस्तुत करता है। इस योजना के क्रियान्वयन में निम्नलिखित कमियां हैं–

1. बैंक शाखाओं में प्रेषित पत्रावलियों का निस्तारण निर्धारित समय सीमा अर्थात 15 दिन के अंदर नहीं किया जाता है, जिससे लाभार्थी समय से लाभान्वित नहीं हो पाता।
2. विभिन्न वर्गों के लिए आरक्षित प्रति"ात के कारण वास्तविक लाभार्थी लाभान्वित नहीं हो पाते।
3. गरीबी की सीमा वर्तमान आर्थिक व्यवस्था में कम है।
4. समाज के अनुदानखोर के रूप में एक वर्ग प्रभावी है, जो लाभ प्राप्त करने के लिए सदैव उत्सुक रहता है।

5. ट्रैनिंग आफ रूरल यूथ्स फॉर सेल्फ इम्पलॉयमेंट (ट्राइसेम)

यह कार्यक्रम एकीकृत ग्राम्य विकास योजना का उपकार्यक्रम है। यह कार्यक्रम केन्द्र तथा राज्य सरकार की समान भागीदारी से 15 अगस्त, 1979 से प्रारंभ किया गया है। इसी कार्यक्रम में एकीकृत ग्राम्य विकास योजना के अन्तर्गत चयनित परिवार के युवाओं को विभिन्न ट्रेड्स में प्र"ाक्षण दिया जाता है ताकि वे स्वतः स्ववेतन परिवार में नियोजित होकर आय में वृद्धि कर गरीबी रेखा से ऊपर उठ सकें। इस योजनांतर्गत युवाओं को प्र"ाक्षण जिला ग्राम्य विकास अभिकरण राजकीय/गैर राजकीय संस्थाओं के माध्यम से दिया जाता है। इस योजना की कमियाँ निम्नलिखित हैं–

1. इस योजना में चयन के समय स्कूल/कॉलेज में पढ़ने वाले छात्रों का चयन कर लिया जाता है, जो प्रशिक्षण मात्र मानदेय पाने के लिए लेते हैं।
2. प्राइवेट संस्थाओं द्वारा प्रशिक्षण देने पर वास्तविक प्रशिक्षण नहीं हो पाता, क्योंकि उनके पास अवस्थापना सुविधाऐं एवं वेतनभोगी प्रशिक्षकों का अभाव होता है।
3. प्रत्येक विकास खंड में राजकीय प्रशिक्षणदायी संस्थाओं का अभाव है।

6. उन्नत टूल किट

उन्नत टूल किट की योजना वर्ष 1992–93 से प्रारंभ की गई है। योजना का उद्देश्य दस्तकारों की उत्पादकता में वृद्धि करना एवं कार्यकुशलता तथा जीवन स्तर में गुणात्मक सुधार करना है। ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करने वाले दस्तकारों को लाभान्वित करना लक्षित है। इन दस्तकारों का चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जाता है। दस्तकारों की मांग एवं व्यवसाय के अनुसार किट दी जाती है। इस किट को देने में 10 प्रतिशत धनराशि लाभार्थी से अंशदान के रूप में ली जाती है। किट का अधिकतम मूल्य 2000.00 रूपये तक रखा जाता है।

7. राष्ट्रीय बायोगैस कार्यकम

राष्ट्रीय बायोगैस कार्यक्रम अपारंपरिक ऊर्जा स्रोत का एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम है। कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वैकल्पिक ऊर्जा सृजन के साथ साथ ग्रामीण क्षेत्रों में पशुधन से प्राप्त गोबर को उच्च कोटि के कम्पोस्ट खाद के रूप में परिवर्तित करना है। यह कार्यक्रम घरेलू महिलाओं को परंपरागत चूल्हे पर खाना बनाते समय धुऐं से बचाकर स्वास्थ्य, सुरक्षा में सहायक सिद्ध हुआ है, वहीं ग्रामीण कृषकों के कृषि उपज की वृद्धि में भी वरदान साबित हुआ है।

8. राष्ट्रीय उन्नत चूल्हा कार्यकम

योजना का प्रमुख उद्देश्य ईंधन संरक्षण, रसोईघर से धुआँ कम करना, ईंधन की बचत करना एवं ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार के अवसर को बढ़ाना है। इस कार्यक्रम में परंपरागत अकुशल चूल्हों के स्थान पर धुम्ररहित उन्नत चूल्हों की स्थापना की जाती है।

9. ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान योजना

ग्रामीण महिला एवं बालोत्थान योजना (डी0 डब्लू0 सी0 आर0 ए0) एकीकृत ग्राम्य विकास कार्यक्रम की एक उपयोजना है, जो वर्ष 1983–84 से कार्यान्वित की जा रही है। महिला की आय, भरण–पोषण, शिक्षा तथा उनके जीवन स्तर को ऊँचा उठाते हुए बच्चों के स्वास्थ्य एवं विकास की समुचित जानकारी देना योजना का उद्देश्य है। गरीबी रेखा के नीचे आय वर्ग की महिलाओं का एक गुच्छे के रूप में एक विशिष्ट कार्य योजना के तहत चयन किया जता है। उक्त चयन ग्राम पंचायत की खुली बैठक में किया जाता है। साथ–साथ यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि उक्त महिलाऐं अपनी आय का स्रोत बनाने हेतु कौन सा कार्य करेंगी। समूह की महिलाओं की उम्र 18 से 35 वर्ष होनी चाहिए। उक्त समूह को पंजीकृत कराकर ट्रेड के अनुसार व्यक्तिगत या समूह के रूप में ऋण तथा अनुदान उपलब्ध कराया जाता

है। समूह को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। प्रशिक्षण के दौरान महिलाओं को मानदेय दिया जाता है।

8.8 ग्रामीण विकास की अनुपम योजना : महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (MNREGA)

राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम 5 सितंबर, 2005 से लागू किया गया है। 31 दिसंबर, 2009 से इस अधिनियम में संशोधन करके इसे महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 का नाम दिया गया है। अब इसे आम तौर पर महात्मा गांधी नरेगा के रूप में जाना जाता है। प्रथम वर्ष में इसके अंतर्गत 200 जिले सम्मिलित किए गए थे। इसके बाद के वर्ष में इसमें अन्य 130 जिलों को भी शामिल किया गया था। अंततः इस कार्यान्वयन के तीसरे वर्ष अर्थात् 2008–09 में इसे 285 जिलों में लागू किया गया। इसी दौरान पुराने जिलों के विभाजन के फलस्वरूप अनेक नए जिले बने थे। इस प्रकार, वर्तमान में महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत शामिल जिलों की संख्या 619 है।

उद्देश्य : महात्मा गांधी नरेगा के अंतर्गत प्रत्येक ग्रामीण परिवार जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, को एक वित्तीय वर्ष (अर्थात अप्रैल से मार्च के बीच में) में 100 दिनों के मजदूरी रोजगार की कानूनी गारंटी का प्रावधान किया गया है। ये मजदूरी दरें ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हैं।

आवेदन की प्रकिया : क्षेत्र में रहने वाले किसी ग्रामीण परिवार के सभी सदस्य सदस्य, जो अकुशल शारीरिक कार्य करने के इच्छुक हैं, रोजगार के लिए आवेदन कर सकते हैं। यदि कोई व्यक्ति किसी कार्य में पहले से ही नियोजित/कार्यरत हो, उसे भी इसके अंतर्गत रोजगार की मांग करने का अधिकार है। अधिनियम के तहत महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। कम से कम एक तिहाई लाभार्थी महिलाऐं होंगी जिन्होंने योजना के अंतर्गत पंजीकरण कराया है और रोजगार के लिए अनुरोध किया है। योजना का लाभ पाने के इच्छुक परिवार को निर्धारित लिखित फार्म के जरिए अथवा मौखिक रूप से अपने आपको पंजीकरण के लिए आवेदन करना होता है। पंजीकरण फार्म और प्रक्रिया निःशुल्क है। पंजीकरण के लिए आवेदन ग्राम पंचायत या विकासखण्ड कार्यालय को किया जाएगा। पंजीकरण प्रमाणित करने के लिये पंचायत यह सत्यापित करती है कि आवेदक उस गांव में रहता है और वह वयस्क व्यक्ति है। पंजीकरण की इकाई परिवार है। सत्यापन के पश्चात ही ग्राम पंचायत परिवार के जॉब कार्ड जारी करेगी।

जॉब कार्ड का अर्थ : जॉब कार्ड एक मूल कानूनी दस्तावेज है जो पंजीकृत परिवार को गारंटीयुक्त रोजगार की मांग करने के लिए समर्थ बनाता है। जॉब कार्ड आवेदन करने की तारीख से 15 दिनों के भीतर जारी किया जाता है और इसकी

मान्यता पांच वर्षों के लिए है। पारिवारिक जॉब कार्ड में प्रत्येक पंजीकृत सदस्य का नाम और फोटो रहेगा। जॉब कार्ड और फोटो आवेदक को निः"ाुल्क मिलता है।

बेरोजगारी भत्ता : यदि रोजगार की मांग करने वालों को आवेदन देने की तारीख से अथवा जिस तारीख से रोजगार की मांग की गई है, जो भी बाद में हो, 15 दिनों के भीतर रोजगार नहीं मिलता है तो अधिनियम के अनुसार दैनिक बेरोजगारी भत्ता देना होता है। यदि आवेदक अधिसूचित होने के 15 दिनों के भीतर कार्य के लिये रिपोर्ट नहीं करता/करती है तो वह बेरोजगारी भत्ते का हकदार नहीं होगा/होगी। तथापि आवेदक कार्य के लिए पुनः आवेदन कर सकता है।

कार्यस्थल सुविधाऐं : कार्यस्थल सुविधाओं में स्वच्छ पेयजल, बच्चों के लिये ठहरने का स्थान और विश्राम की अवधि, कार्य से जुड़ी छोटी छोटी जोखिमों और स्वास्थ्य संबंधी अन्य परे"ाानियों के आपात उपचार के लिए प्राथमिक चिकित्सा बक्सा शामिल है। यदि छह वर्ष से कम उम्र के पांच से अधिक बच्चे हों तो उक्त बच्चों की देखभाल के लिए एक व्यक्ति को काम पर लगाए जाने का प्रावधान है।

रोजगार उपलब्ध कराने के लिए काम का चयन : स्थायी परिसम्पत्तियों का सृजन और ग्रामीण गरीबों के जीविकोपार्जन संसाधन आधार को सुदृढ़ करना योजना का महत्वपूर्ण उद्दे"य है। प्राथमिकता के अनुसार स्वीकृत कार्यों की विभिन्न श्रेणियां निम्न प्रकार हैं

- जल संरक्षण और जल एकत्रीकरण
- सूखारोधन (वनीकरण और वृक्षारोपण)
- सश्रम और लघु सिंचाई कार्य सहित सिंचाई नहर।

अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के परिवारों के स्वामित्व वाली जमीन अथवा बी०पी०एल० परिवारों या भूमि सुधार के भू–लाभार्थियों या भारत सरकार की इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत लाभार्थियों या कृषि ऋण अधित्याग और ऋण योजना 2008 में परिभाषित छोटे किसानों या सीमान्त किसानों की जमीन में सिंचाई सुविधाऐं, बागवानी, पौधारोपण और भूमि विकास की सुविधाऐं मुहैया कराना।

- तालाबों से गाद निकालने सहित परंपरागत जल निकायों का नवीनीकरण।
- भूमि विकास।
- जल जमाव वाले क्षेत्रों में जल निकासी सहित बाढ़ नियंत्रण और संरक्षण कार्य।
- बारहमासी सड़क संपर्क उपलब्ध कराने के लिए गांवों को सड़कों से जोड़ना।
- भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केन्द्र का निर्माण।
- अन्य कार्य जिन्हें राज्य सरकार के पराम"ा से केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित किया जाए।

मजदूरी भुगतान : रोजगार प्राप्त व्यक्ति अधिसूचित मजदूरी दर के अनुसार मजदूरी प्राप्त करेगा/करेगी। ये मजदूरी दरें ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा अधिसूचित की गई हैं। मजदूरी प्रत्येक सप्ताह अथवा किसी भी स्थिति में ऐसे

कार्य किए जाने की तारीख से एक पखवाड़े के भीतर दी जायेगी। कामगारों को प्रायः किए गए कार्य और समय अर्थात एक घंटे की विश्रामावधि सहित सात घंटे के कार्यों के आधार पर भुगतान किया जाता है। दरों की अनुसूची के अनुसार कार्य की गणना की जाती है। मजदूरी कर्मियों को बीमा कवर हेतु जीवन बीमा निगम की जनश्री बीमा योजना की श्रेणी में रखा गया है। कर्मियों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना के लाभ उपलब्ध कराने का भी प्रयास किया जा रहा है।

तालमेल : कार्यक्रमों के बीच तालमेल एक ऐसी प्रक्रिया है जिससे मौजूदा योजनाओं तथा संसाधनों को एकजुट रखा जाता है बिना अतिरिक्त व्यय एवं बजट प्रावधान के। वास्तव में तालमेल का मुख्य आधार पंचायती राज संस्थाओं वि"ोषकर ग्राम सभा तथा ग्राम पंचायतों की मुख्य भूमिका के साथ विकेंद्रीकरण तथा सामुदायिक भागीदारी है। तालमेल प्रक्रिया से संसाधनों तथा क्रियाकलापों में सहयोग के साथ–साथ नियोजन और कार्यान्वयन में प्रभावी गुणवत्ता आती है, जिससे कार्य पुख्ता होता है।

ग्रामीण विकास मंत्रालय ने विभिन्न योजनाओं एवं वि"ाष्ट कार्यक्रमों तथा भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, वन एवं पर्यावरण मंत्रालय के राष्ट्रीय वनीकरण कार्यक्रम और अन्य योजनाओं, जल संसाधन मंत्रालय की योजनाओं, पी०एम०जी०एस०वाई० (ग्रामीण विकास विभाग), एस०जी०एस०वाई० (ग्रामीण विकास विभाग), कृषि एवं मात्स्यिकी मंत्रालय तथा कृषि मंत्रालय की योजनाओं के साथ महात्मा गांधी नरेगा के तालमेल के लिए दि"ाा–निर्दे"ा बनाए गए हैं और उनका प्रचार–प्रसार किया गया है। वन और पर्यावरण मंत्रालय, जल संसाधन मंत्रालय और भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद द्वारा 23 राज्यों में 150 प्रायोगित जिलों को निर्धारित किया गया है। इन जिलों में तालमेल संबंधी स्थिति प्रगति की नियमित निगरानी की जाती है।

पारदर्"िाता और जवाबदेही संबंधी प्रावधान

- **ओम्बड्समैन**–चयन समिति की सिफारि"ों पर राज्य सरकार ओम्बड्समैन को नियुक्त करेगी। ओम्बड्समैन केन्द्र या राज्य सरकार के नियंत्रण से मुक्त स्वतंत्र एजेंसी होगी।
- **सामाजिक लेखा परीक्षा**–ग्रामीण विकास मंत्रालय ने ग्राम पंचायतों द्वारा सामाजिक लेखा परीक्षा कराने की प्रक्रिया को सर्वोच्च प्राथमिकता दी है और राज्यों को निर्दे"ा दिए हैं कि वे इसे प्रयोजनार्थ आव"यक व्यवस्था करें। सामाजिक लेखा– परीक्षा कराने संबंधी प्रक्रियाविधियों का प्रावधान करने के लिए इस अधिनियम में सं"ाोधन किया गया था।
- **हेल्पलाइन**–ग्रामीण विकास मंत्रालय ने "िाकायत प्राप्त करने और अधिनियम के अंतर्गत मजदूरों की हकदारी एवं अधिकारियों के संरक्षण के बारे में मंत्रालय से पूछताछ करने के लिए एक निः"ाुल्क राष्ट्रीय हैल्प लाइन 1800110707 शुरू की है। ये "िाकायतें कार्यवाही के लिए राज्य सरकारों को भेजी जाती है और मंत्रालय इनकी निगरानी करता है। मंत्रालय की

हेल्पलाइन के अलावा राज्य और जिला भी ि"ाकायतें प्राप्त करने के लिए हेल्पलाइन बना रहे हैं।

8.9 बोध प्र"न–02

1. प्रमुख ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के नाम बताइये।
2. ग्रामीण विकास के नवीनतम कार्यक्रमों के नाम बताइये।
3. महात्मा गांधी नरेगा का संक्षिप्त परिचय प्रस्तुत कीजिए।

8.10 सूचना प्रौद्योगिकी तथा ग्रामीण विकास कार्यक्रम

भारत जैसे विकास"ाील दे"ा के गांवों की तरक्की में आधुनिक सूचना प्रौद्योगिकी की उपयोगिता अत्यन्त महत्वपूर्ण है। भौगोलिक जटिलताओं, संसाधनों के अभाव और सम्पर्क साधनों की कमी से जूझते भारत के गांव आधुनिक सुविधाओं तथा ज्ञान–विज्ञान में पिछड़े होने के कारण दुनिया के विकसित दे"ाों से सुविधा और जानकारी के मामलों में काफी पीछे हैं। संचार प्रौद्योगिकी के रूप में आज ऐसी संभावनायें सुलभ हो गयी हैं जिनके सहयोग से हम भारतीय गांवों को अधुनातन जानकारी, ज्ञान विज्ञान की सूचनाओं को आसानी से उपलब्ध कराकर एक क्रान्तिकारी आयाम प्रदान कर सकते हैं। सूचना प्रौद्योगिकी पर आधारित प्रमुख ग्रामीण विकास योजनाऐं या कार्यक्रम निम्नलिखित हैं–

(1) **ई–गवर्नेंस परियोजना**–दिसम्बर, 2002 में तत्कालीन सूचना टैक्नोलॉजी और संचार मंत्री ने दे"ा के सभी राज्यों के एक–एक जिले में ई–गवर्नेंस परियोजना लागू करने के लिए 309 करोड़ रूपये लागत की महत्वाकांक्षी योजना का उद्घाटन किया। ई–गवर्नेंस लोकतांत्रिक सरकार के कामकाज के हर स्तर पर जनता और प्र"ाासन के बीच आने वाली बाधाओं को दूर करने का सर्वोत्तम विकल्प है। ई–गवर्नेंस प्र"ाासन के जनता के अनुकूल, पारद"र्ाी और जवाबदेह बनाने की दि"ाा में एक जोरदार प्रयास है।

(2) **इंटरनेट सेवा योजना**–दे"ा के बहुसंख्य गांवों में तो नहीं, किन्तु अनेक जगहों पर इंटरनेट का प्रयोग शुरू भी हो गया है जिसके अपेक्षित परिणाम सामने आ रहे हैं। तमिलनाडु के अरागुंडा गांव में इंटरनेट के जरिए ही आम ग्रामीण अब उच्चस्तरीय चिकित्सा सुविधाएं हासिल कर रहे हैं। झांसी (उत्तर प्रदे"ा) के पुनावली कला गांव में भी लोग इंटरनेट के जरिए ही अब अपने दुग्ध उत्पादों को उचित मूल्य पर बेच रहे हैं और बिचौलियों के ि"ाकंजे के बाहर आ सके हैं। भटिंडा (पंजाब) तथा वायनाड (केरल) के कई गांव भी अब इंटरनेट से प्राप्त जानकारियों के बूते अपना नक"ाा बदल रहे हैं। ग्रामीण विकास में अत्यधिक सहायक होने के कारण इंटरनेट से ग्रामीणजन न केवल प्रभावित हैं बल्कि बहुत आ"ाान्वित भी हैं।

(3) **'फ्रेंड्स (फास्ट, रिलाएबल, इन्सटेंट, एफी"ेंट नेटवर्क फार डिस्बर्समेंट सर्विसेज) परियोजना'**–केरल में नागरिकों को करों के भुगतान में होने वाली

परे”ाानियों को दूर करने के लिए सूचना टैक्नोलॉजी पर आधारित यह परियोजना शुरू की गई है। इससे बिचौलियों, रि”वतखोरी, देरी और लंबी लंबी लाइनों को समाप्त करने में मदद मिली है। एक वर्ष के अन्तराल में यह परियोजना केरल के 13 जिलों के 1.3 करोड़ लोगों की पहुंच के दायरे में आ गई है। फ्रेन्ड्स के पीछे मूल सोच यही है कि नागरिकों को मूल्यवान ग्राहक माना जाए।

(4) 'सौकार्यम' ई–सेवा परियोजना–यह परियोजना आन्ध्र प्रदे”ा के लोगों में तत्काल लोकप्रिय हो गई है। यह वि”ााखापतनम के बंदरगाह शहर में लागू हैं। इसके माध्यम से संपत्ति कर का ऑन लाइन भुगतान किया जा सकता है तथा सरकार तथा स्थानीय निकायों की कई परियोजनाओं का ब्यौरा देखा जा सकता है।

(5) **मोबाइल डाकिया योजना**–यह योजना पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी बाजपेयी के जन्म दिन के मौके पर 24 दिसम्बर, 2002 को शुरू की गई थी। यह योजना फिलहाल प्रयोग के तौर पर दे”ा के करीब 10,000 गांवों में ही शुरू की गई है। इन गांवों तक पहुंचने का जिम्मा 2,000 डाकघरों के जरिए ग्रामीण डाकियों को सौंपा गया है। इसके लिए शुरू में पांच करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। इस योजना के अन्तर्गत ग्रामीण डाकसेवकों को वायरलैस इन लोकल लूप प्रौद्योगिकी से संचालित होने वाले मोबाइल टेलीफोन उपकरण दिये जा रहे हैं जिनसे वह आवंटित गांवों में डाक पहुंचाने के साथ ही साथ बारी–बारी से हरेक घर पर पहुंचकर, उन्हें परदे”ा गये अपने सगे–सम्बन्धियों से बात कराने की सुविधा प्रदान करेंगे। इन सभी फोन उपकरणों पर एस०टी०डी० और आइ०एस०डी० सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है।

(6)**ई–चौपाल**–गांव में चौपाल एक ऐसा सार्वजनिक स्थान होता है, जहां सार्वजनिक से लेकर व्यक्तिगत खबरों तक का आदान–प्रदान होता है, जहां सामुदायिक महत्व के निर्णय लिए जाते हैं, जहां ग्रामीणजन अपने खाली समय में एकत्र होकर एक दूसरे की कहते सुनते हैं। ये चौपाल ग्रामीण संप्रेषण की एक महत्वपूर्ण इकाई हैं। समय के साथ–साथ चौपालों की संप्रेषण व्यवस्था को भी आधुनिक संचार प्रौद्योगिकी से जोड़ दिया गया है जिससे रेडियो व टेलीविजन जैसे इलैक्ट्रानिक माध्यमों से उपयोगी सूचनाओं का प्रचार व प्रसार ग्रामीणों के बीच हो सके। इस योजना के अन्तर्गत गांवों की चौपालों में सामुदायिक रेडियो तथा टेलीविजन सैट मुहैया कराए गए हैं।

ई–चौपाल दरअसल आधुनिकतम संचार सुविधाओं से लैस एक प्रकार की सहकारी समिति है, जिसका उद्दे”य मूलतः किसानों को आधुनिक कृषि तकनीकें अपनाने, फसल की उत्पादकता बढ़ाने, कृषि विविधीकरण आदि से सम्बन्धित जानकारी देने से लेकर उन्हें उनकी फसलों की उचित कीमत दिलाना है। कृषि और बाजार की सुविधाओं के अतिरिक्त ई–चौपाल ग्रामीण विकास के प्रति भी समर्पित है। इसके माध्यम से अनेक स्वयंसेवी संस्थाएं प”ाु नस्ल सुधारीकरण, जल संग्रहण तकनीकों, स्वयं सहायता समूहों जैसे मुद्दों पर काम कर रही हैं। अब तक उत्तर प्रदे”ा, मध्य प्रदे”ा, कर्नाटक, महाराष्ट्र व आन्ध्र प्रदे”ा राज्यों में कुल 5,000

ई–चौपालों की स्थापना हो चुकी है जिनके तहत कुल 29,5000 गांवों के लगभग 30 लाख कृषक जुड़े हुए हैं।

(7) **'किसान चैनल' तथा 'किसान कॉल सेन्टर'**–ये काल सेंटर दे"ाभर में सप्ताह में सातों दिन और 24 घंटे किसानों को खेती और मौसम सम्बन्धी उनके सवालों का उनकी स्थानीय भाषा में जवाब देने के लिए शुरू किए गए हैं। खास बात यह है कि इसका नम्बर 1551 पूरी तरह टोल फ्री है। यानि कॉल करने पर किसान का कोई खर्चा नहीं होगा। दिन के समय तो ऑनलाइन सेवा है और रात के समय की जाने वाली कालें दर्ज करके उनका डाक द्वारा समाधान करने की व्यवस्था की गई है। ये कॉल सेंटर शुरू हुए अभी ज्यादा समय नहीं हुआ है, फिर भी दे"ा के ऐसे आठ किसान कॉल सेंटरों में दो हजार से ज्यादा टेलीफोन रोज आ रहे हैं। दिल्ली का यह केन्द्र तीन राज्यों राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली के किसानों को सेवा देता है। इसी प्रकार किसान चैनल कृषकों को कृषि से सम्बन्धित ज्ञान उपलब्ध कराता है।

(8) **ग्रामीण सचिवालय**–मध्य प्रदे"ा शासन ने ग्रामीणों की समस्याओं का गांव में ही त्वरित निराकरण करने के लिए तीन स्तरीय सचिवालय स्थापित किए हैं। यह सचिवालय बहुत ही कारगर सिद्ध हो रहे हैं। मध्य प्रदे"ा शासन द्वारा अगस्त, 2004 से लागू की गई ग्रामीण सचिवालय व्यवस्था के अन्तर्गत निकाय जिले में 66 ग्रामीण सचिवालय, 12 उप विकासखण्ड स्तरीय एवं 3 विकास खंड स्तरीय सचिवालय व्यवस्था के बेहतर परिणाम परिलक्षित होने लगे हैं। ग्रामीण सचिवालयों के माध्यम से शासन ने स्वयं ग्रामीणों के द्वार पर पहुंचकर उनकी समस्याओं के निराकरण की सार्थक पहल की है। इसका लाभ ग्रामीणों को मिल रहा है।

8.11 ग्रामीण विकास की रणनीतियां

भारत में आर्थिक नियोजन की प्रकिया सन 1951 में आरम्भ हुई। तब से अब तक 11 पंचवर्षीय योजनाएं पूरी हो चुकी हैं और 12वीं पंचवर्षीय योजना इस समय चल रही है। ग्रामीण विकास की रणनीतियों के तहत विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास से सम्बन्धित अनेक कार्यकम संचालित किए गए। इन योजनाओं और कार्यकमों के द्वारा आर्थिक कियाओं तथा ग्रामीण विकास पर वि"ोष ध्यान दिया जाता है। इन कियाओं को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि पूर्व निर्धारित उद्दे"यों को प्राप्त किया जा सके। वास्तव में 'रणनीति' से तात्पर्य किसी कार्य योजना अथवा कार्यकम को सफल बनाने के लिए कारगर कदम उठाना तथा समय–समय पर उसकी प्रगति की समीक्षा करना तथा समुचित निगरानी की व्यवस्था करना, उसकी खामियों को दूर करना तथा उस योजना से सम्बन्धित अधिकारियों की जवाबदेही नि"िचत करना है।

ग्रामीण विकास की रणनीतियों के सफल कियान्वयन के फलस्वरूप ग्रामीण विकास कार्यकमों की उपयोगिता बढ़ी है। इन कार्यकमों ने ग्रामीण समाज के निर्धन,

बेरोजगार, अर्ध बेरोजगार एवं सीमान्त कृषकों एवं श्रमिकों की दयनीय स्थिति को परिवर्तित करने का श्रेय प्राप्त किया है। असंख्य ग्रामीण व्यक्ति जो गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन कर रहे थे, आज उनकी आर्थिक स्थिति में काफी सुधार हुआ है। आज इस रेखा से कहीं ऊँची उनकी स्थिति है। उनकी जीवन शैली, सोच व मानसिकता में समयानुकूल परिवर्तन आया है। यह विकास का एक सुखद लक्षण है। ग्रामीणों ने विकास कार्य में रूचि लेनी आरम्भ की है। अब वे ग्रामीण विकास की योजनाओं और कार्यक्रमों के महत्व को समझने लगे हैं। ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में उनकी सहभागिता पूर्ण निष्ठा से होने लगी है।

गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्राथमिकता—सरकारी रणनीति के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी गई है। प्रत्येक वर्ष इन कार्यक्रमों की समीक्षा कर उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने के प्रयास किए गए हैं। इसके परिणाम बहुत उत्साहजनक रहे हैं। दे"ा की औसत आबादी के सम्बन्ध में अगर हम देखें तो ग्रामीण गरीबी वर्ष 1973—74 में 56.44 प्रति"ात थी, जो घटकर वर्ष 1993—94 में 37.27 प्रति"ात रह गई। वर्ष 1999—2000 में इसमें और गिरावट आई और यह 27.09 प्रति"ात रह गई। लेकिन यह चिन्ता का विषय है कि अब भी ग्रामीण क्षेत्रों में लगभग 19.30 करोड़ आबादी गरीब है। जिसकी वजह से गरीबी उन्मूलन कार्यक्रमों की समीक्षा और पुनर्गठन किया गया है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना और अन्य कार्यक्रमों का पुनर्गठन इसी समीक्षा का नतीजा है। स्वर्ण जयन्ती ग्राम स्वरोजगार योजना 1 अप्रैल, 1999 को शुरू की गई। यह योजना कार्यक्रम क्रियान्वयन की दृष्टि से पहले की योजनाओं से भिन्न है।

इसके अतिरिक्त 25 सितम्बर, 2001 को सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना शुरू की गई। इसके तहत कुल वार्षिक खर्च 10,000 करोड़ रूपये रखा गया। इस योजना के तहत हर वर्ष प्रत्येक राज्य और केन्द्र शासित प्रदे"ा को 5,700 करोड़ रूपये मूल्य का 50 लाख टन अनाज मुफ्त उपलब्ध कराया जाना है। करीब 5,000 करोड़ रूपये की रा"ा मजदूरी और परिसम्पत्तियों के लिए खर्च की जाएगी। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रत्येक वर्ष लगभग 100 करोड़ श्रम दिवसों के बराबर रोजगार के अवसर उपलब्ध होने की उम्मीद है। इसमें लोगों की भागीदारी सुनि"चत करने के लिए इस कार्यक्रम को पंचायती राज संस्थाओं के जरिए चलाया जाएगा।

सरकार अपनी रणनीति के तहत विभिन्न राज्यों व संघ शासित प्रदे"ाों में चल रहे सभी ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के मूल्यांकन व निगरानी पर वि"ोष जोर देती है। राज्यों व संघ शासित प्रदे"ाों को कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में अधिक पारद"िता लाने व उन पर निगरानी रखने के लिए राज्य व जिला स्तर पर सतर्कता व निगरानी समितियों के गठन की सलाह दी गई है। इन समितियों में सांसद, विधायक, पंचायती राज संस्थाओं और गैर सरकारी संगठनों के प्रतिनिधि शामिल हैं।

8.12 ग्रामीण विकास की रणनीतियाँ—एक नजर में

---

14 नवम्बर, 2004 को प्रधानमंत्री ने आन्ध्र प्रदे"ा में रंगारेड्डी जिले के अलूर गांव में

'काम के बदले अनाज' का राष्ट्रीय कार्यक्रम प्रारम्भ किया। इस कार्यक्रम के अन्तर्गत दे"ा के चुने हुए 150 सबसे पिछड़े जिलों में आमदनी बढ़ाने वाले अतिरिक्त रोजगार उपलब्ध कराना है। इस योजना का राष्ट्रीय कार्यक्रम पूरी तरह केन्द्र द्वारा संचालित कार्यक्रम है। इसमें जल संरक्षण, सूखे से बचाव, बाढ़–नियंत्रण, ग्रामीण विकास और गांवों को सड़कों से जोड़ने पर जोर दिया जाता है।

–रोजगार गारंटी विधेयक के तहत प्रत्येक ग्रामीण परिवार के कम से कम एक सक्षम व्यक्ति को मजदूरी की न्यूनतम दर पर परिसम्पत्तियों से सृजन सम्बन्धी सार्वजनिक कार्यों में साल में कम से कम 100 दिन के रोजगार की कानूनी गारंटी मिल गई है।

–सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना नये जो"ा से लागू की जा रही है और इस पर इसके स्थानीय लाभार्थियों द्वारा कड़ी निगरानी और सतर्कता बरतने के लिए प्रणाली बनाई जाती है।

–स्व–रोजगार के तमाम पहलुओं को ध्यान में रखने के लिए 'स्वर्ण जयंती ग्राम स्व–रोजगार योजना' के अंतर्गत एक समग्र कार्यक्रम बनाया गया है। इसके लागू होने के बाद 19.79 लाख स्वयं–सहायता समूह गठित किये गये हैं और स्व–रोजगार के लिए 45 लाख लोगों को 9669.12 करोड़ रूपये की सहायता दी गयी है।

–ग्रामीण क्षेत्रों में शहरी सुविधाओं के प्रावधान की योजना के अन्तर्गत 2004–05 में परीक्षण के तौर पर 6 परियोजनाएं शुरू की गई।

–10 राज्यों ने 1,000 से अधिक आबादी वाली सभी बस्तियों को सड़क सम्पर्क से जोड़ दिया है। ये राज्य हैं–आन्ध्र प्रदे"ा, गोवा, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, नागालैण्ड, पंजाब, राजस्थान और तमिलनाडु। इसके अलावा गुजरात, मेघालय, मिजोरम और सिक्किम यह लक्ष्य प्राप्त करने के बहुत समीप पहुंच गए हैं।

–ग्रामीण विकास मंत्रालय ने गरीबी रेखा से नीचे गुजर–बसर करने वाले सभी बेघर लोगों को अगले पांच साल में आवास उपलब्ध कराने के लिए उनकी आव"यकताओं का पता लगाया है और इंदिरा आवास योजना के तहत करीब 118 लाख मकान बनाए जा चुके हैं।

–पेयजल आपूर्ति विभाग को 2004 तक सभी गांवों में स्वच्छ पेयजल की हर हालत में व्यवस्था करने का दायित्व सौंपा गया है।

–परती भूमि के विकास की समन्वित योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार को बढ़ावा दिया जा रहा है।

–मरूस्थल विकास कार्यक्रम के अन्तर्गत 215 करोड़ रूपये का आवंटन किया गया है। इससे 7 राज्यों के 40 जिलों में 245 विकास खंडों को लाभ होगा।

8.13 बोध प्र"न–03

. ग्रामीण विकास कार्यक्रमों में सूचना तकनीकी की भूमिका स्पष्ट कीजिये।
2. ग्रामीण विकास की रणनीतियों का संक्षिप्त परिचय दीजिये।

8.14 सारां"ा

इस इकाई के अध्ययन के प"चात ज्ञात हुआ कि ग्रामीण विकास से अभिप्राय ऐसे विकास से है, जो न केवल ग्रामवासियों को रोटी, कपड़ा और मकान की व्यवस्था उपलब्ध कराये बल्कि ि"ाक्षा, स्वास्थ्य व चिकित्सा, सड़क, संचार, पेयजल व स्वच्छता के स्तर पर भी ग्रामवासियों को समृद्ध करते हुए उन्हें समानता के अवसर उपलब्ध कराये। वैसे तो ग्रामीण विकास के सन्दर्भ में बचत, विनियोग व राष्ट्रीय उत्पादन आदि घटकों का सन्दर्भ लिया जाता है, किन्तु ग्रामीण विकास की वृहत आयाम के रूप में संकल्पना की जाती है। इसी बात को दृष्टिगत रखते हुए भारत में ग्रामीण विकास को एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है और अनेकों योजनाऐं इस दि"ाा में क्रिया"ाील हैं। इस इकाई में ऐसी ही अनेक योजनाओं का परिचय प्रस्तुत किया गया।

8.15 प्रयुक्त शब्दावली

ग्रामीण विकास : ग्रामीण विकास वह प्रक्रिया है जिसका उद्दे"य ग्रामीण निर्धनता एवं असमानता को दूर करना है। इसके लिए सरकार और ग्रामीण लोग मिल जुलकर अपनी सोच समझ से सहभागिता के आधार पर प्रयास करते हैं।

पंचवर्षीय योजनाऐं : भारत के समग्र विकास के लिए नियोजन के दृष्टिकोण से जो पांच वर्ष की रूपरेखा तैयार की जाती है, उसे ही पंचवर्षीय योजना कहा जाता है। सन 1950 में प्रधानमंत्री की अध्यक्षता में राष्ट्रीय योजना आयोग की स्थापना की गई। इस आयोग ने सन 1951 में प्रथम पंचवर्षीय योजना प्रका"ित की, जो सन 1952 में आं"िाक सं"ाोधन के साथ स्वीकार कर ली गई।

8.16 अभ्यास प्र"न

1. प्रधानमंत्री ग्रामोदय योजना कब प्रारम्भ की गई–
   (क) 04 अप्रैल 2000 (ख) 04 मई, 2000
   (ग) 04 जून, 2000 (घ) 04 जुलाई, 2000
2. समग्र विकास योजना कब प्रारम्भ की गई–
   (क) 1 अप्रैल, 1996 (ख) 1 अप्रैल, 1997
   (ग) 1 अप्रैल, 1998 (घ) 1 अप्रैल, 1999
3. बीमा ग्राम योजना कब घोषित की गई–
   (क) सन 2000 में (ख) सन 2001 में
   (ग) सन 2002 में (घ) सन 2003 में
4. खाद्यान्न बैंक योजना कब लागू की गई–

(क) 2000 में (ख) 2001 में
(ग) 2002 में (घ) 2003 में

5. काम के बदले अनाज कार्यक्रम कब प्रारम्भ किया गया–
(क) जनवरी, 2001 (ख) फरवरी, 2002
(ग) मार्च, 2003 (घ) अप्रैल, 2004
6. जवाहर रोजगार योजना कब से क्रियान्वित की जा रही है–
(क) सन 1988 से (ख) सन 1989 से
(ग) सन 1990 से (घ) सन 1991 से
7. एकीकृत ग्राम्य विकास योजना कब से क्रियान्वित है–
(क) 1978 से (ख) 1979 से
(ग) 1980 से (घ) 1981 से
8. ट्राइसेम योजना कब से प्रारम्भ है–
(क) 15 अगस्त, 1978 (ख) 15 अगस्त, 1979
(ग) 15 अगस्त, 1980 (घ) 15 अगस्त, 1981
9. महात्मा गांधी नरेगा योजना कब से लागू है–
(क) 2004 से (ख) 2005 से
(ग) 2006 से (घ) 2007 से
10. महात्मा गांधी नरेगा योजना में प्रारम्भ में मानदेय क्या था–
(क) 90 रूपये प्रतिदिन (ख) 100 रूपये प्रतिदिन
(ग) 110 रूपये प्रतिदिन (घ) 120 रूपये प्रतिदिन।

8.17 अभ्यास प्र"नों के उत्तर

1. (क) 04 अप्रैल, 2000 2. (घ) 01 अप्रैल, 1999 3. (ग) सन 2002 में

4. (ख) 2001 में 5. (क) जनवरी, 2001 में 6. (ख) सन 1989 में
7. (ग) 1980 से 8. (ख) 15 अगस्त, 1979 9. (ख) 2005 से

10. (ख) 100 रूपये प्रतिदिन।

8.18 निबन्धात्मक प्र"न

1. ग्रामीण विकास किसे कहते हैं ? विभिन्न पंचवर्षीय योजनाओं में ग्रामीण विकास की स्थिति स्पष्ट कीजिए।
2. ग्रामीण विकास के अद्यतन कार्यक्रमों की जानकारी दीजिए।
3. ग्रामीण विकास में महात्मा गांधी नरेगा योजना की भूमिका का आलोचनात्मक मूल्यांकन कीजिए।

4. ग्रामीण विकास में सूचना तकनीकी की भूमिका को स्पष्ट कीजिऐ।
5. ग्रामीण विकास की रणनीतियों को सामने रखिए।

8.19 सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

–चौहान, बी0 आर0, 'भारत में ग्रामीण समाज' (1988), ए0 सी0 ब्रदर्स, उदयपुर।
–दोषी, एस0 एल0 एण्ड पी0 सी0 जैन, 'रूरल सो"ियोलॉजी' (1999), रावत पब्लिके"ान्स, जयपुर।
–दुबे, एस0 सी0, 'भारतीय ग्राम (अनु0 : योगे"ा अटल, 1996)', वाणी प्रका"ान, नई दिल्ली।
–दुबे, एस0 सी0, 'इण्डियाज चेंजिंग विलेजेज' (1958), लंदन, रूट्ज एण्ड कीगन पाल।
–महीपाल, 'ग्राम नियोजन' (2016), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत।
–सिंह, बैजनाथ, 'सामुदायिक ग्रामीण विकास' (2016), राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत।

8.20 सहायक उपयोगी ग्रन्थ

–आहूजा, राम, 'भारतीय समाज' (2004), रावत पब्लिके"ान्स, जयपुर।
–देसाई, ए0 आर0 'भारतीय ग्रामीण समाज"ाास्त्र' (1997), रावत पब्लिके"ान्स, जयपुर।